वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

रेगिस्तान में आर्मर्ड थ्रस्ट

मुख्य पृष्ठः
(दक्षिणावर्त)

1) सियाचिन के बर्फीली सीमा पर पहरेदारी करती हुई आर्टिलरी तोपें
2) भारतीय वायु सेना के “हॉक” नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरते हुए ।
3) स्वदेश में अभिकल्पित और विनिर्मित तोप “धनुष” ।
4) अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2016 के दौरान “आईएनएस कोलकाता” ।
5) गणतंत्र दिवस 2016 के दौरान एरो हेड फॉरमेशन में आईएएफ जगुआर ।
6) बहु बैरल रॉकेट लॉंचर “पिनाका” द्वारा आर्टिलरी बैरेज ।

वाषिक रिपोर्ट
2015-16

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	1
2.	रक्षा मंत्रालय का संगठन और कार्य	7
3.	भारतीय सेना	15
4.	भारतीय नौसेना	27
5.	भारतीय वायु सेना	39
6.	भारतीय तटरक्षक	45
7.	रक्षा उत्पादन	53
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	73
9.	अंतर सेवा संगठन	97
10.	भर्ती एवं प्रशिक्षण	115
11.	पूर्व सैनिकों का कल्याण एवं पुनर्वास	137
12.	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	149
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	159
14.	विदेशों के साथ रक्षा सहयोग	169
15.	समारोह और अन्य कार्यकलाप	177
16.	सतर्कता यूनिटों के कार्य	191
17.	महिला कल्याण और सशक्तिकरण	199
	परिशिष्ट	
I	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	207
II	1 जनवरी, 2015 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	211
III	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश–रक्षा मंत्रालय	213
IV	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों/लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में 31.12.2015 के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी स्थिति	236
V	17 डीईओ सर्किलों में वर्ष 2013–14 के लिए भूमि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	237

1

सुरक्षा परिवेश

भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण कई प्रकार के एसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं।

1.1 भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल ताना–बाना है। भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण कई प्रकार के एसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। निकटतम पड़ोसी देशों और आगे के भूभाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल–चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी की अवस्था को बढ़ाने की जरूरत की हमेशा उच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए और सफल प्रयास किए गए है।

1.2 भारत के निकटतम दक्षिण ऐशियाई पड़ोसी देशों में सुरक्षा स्थिति एक मिश्रित तसवीर पेश करती है। जब कि वहां के कुछ देशों में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ था, कुछ दूसरे देशों में राजनीतिक गतिविधियों ने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बदतर बना दिया। आतंकवाद, विद्रोह और साम्प्रदायिक झड़प क्षेत्र की स्थिरता के लिए बढ़ते हुए खतरे हैं। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ व्यापक तौर पर संबंधों को सुदृढ़ बनाने को नई ऊर्जा देने के चालू प्रयासों के बीच क्षेत्र के लिए सहयोगात्मक सुरक्षा के उपाय की तात्कालिक प्रासंगिकता है। भारत समानता, पारस्परिक लाभ और आपसी सम्मान के आधार पर अपने सभी पड़ोसी भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.3 हिन्द महासागर क्षेत्र भारत के विकास और सुरक्षा का केन्द्र बिंदु रहा है। अपनी भू–भौतिक समाकृति और सामरिक एवं आर्थिक अनिवार्यताओं के कारण भारत अपने चारों ओर विस्तृत समुद्रों और महासागरों पर नजर रखता है। हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत के उपमहाद्विपीय फैलाव स्वेज नहर और फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक विस्तृत संसार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का फैला होना भी समुद्री मार्ग से व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्रता पूर्वक लगने की भारत के सामर्थ्य को बढ़ाता है।

1.4 भारत अपने निकट पड़ोस से आगे और हिन्द महासागर क्षेत्र के घटनाक्रमों से प्रभावित होता है। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और एशिया प्रशांत के घटनाक्रमों का भारत के हितों पर सीधा असर पड़ता है। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर हम सामरिक प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के गवाह बन रहे हैं। जबकि ये परिवर्तन बढ़ती अस्थिरता और हिंसा के घोतक बने हैं, वैश्वीकरण के अन्तर संबंधों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ती हुई अन्तरनिर्भता भी काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक शक्ति संतुलन, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था और बहु–ध्रुविच्यता के कारण प्रभावित होते हैं, के पुनर्निर्धारण और उसमें गत्यात्मकता ने आगे सामरिक परिदृश्य में अनिश्चितता उत्पन्न की है। ये कारक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और मुकाबले में बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं।

1.5 पश्चिमी देशों, जापान और चीन में चल रही निरंतर आर्थिक मंदी के साथ इंधन के मूल्यों लगातार और तीव्र गिरावट से रूस जैसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों पर सीधा असर पड़ने के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को मंदा कर दिया है। अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जैसे कि मुद्रा के उत्तार–चढ़ाव, निर्यात में कमी और कमतर प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों के रूप में परिलक्षित होता है।

1.6 राष्ट्रों के बीच यद्यपि 20वीं शताब्दी की तुलना में पूर्ण–स्तरीय परंपरागत युद्धों में कमी आई है, तथापि कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों को अस्थिर करने के प्रयास के तौर पर चलाए जा रहे छद्म युद्ध सहित नए खतरों और विवाद के कारकों ने सुरक्षा के जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य सृजित किए हैं वे और भी अधिक चुनौतिपूर्ण हैं। उभरता हुआ राष्ट्रवाद, बढ़ता हुआ सैन्यव्यय, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बढ़ता प्रवजन और शरणार्थियों का प्रवाह, हथियारों की आसानी से उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए गहन प्रतिस्पर्धा ने विद्यमान विषम परिस्थितियों में और अस्थिरता ला दी है।

1.7 आतंकवाद और आतंकी संगठनो की गतिविधियां शांति और सुरक्षा के लिए संभवतः सबसे गंभीर खतरे हैं। कुछ राज्यों द्वारा आतंकवाद का एक नीति के रूप में उपयोग ने अन्तः और अन्तर राज्यीय विवादों को बहुत अधिक बढ़ाया है। आतंकी समूहों ने राष्ट्रपारीय आवाजाही और विशेषकर युवाओं में वैचारिक परिवर्तनों के लिए विशिष्ट रूप से साइबर क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। वे कुछ राष्ट्रों सहित अलगाववादी स्रोतों से अपनी गतिविधियों के लिए संभारिकी और वित्तीय समर्थन प्राप्त कर रहे है और अपने आधार क्षेत्र से दूरस्थ इलाकों में भी खतरा उत्पन्न करने में समर्थ हो रहे हैं। और अधिक द्वेषपूर्ण आतंकवादी समूहों के बनने के बावजूद भारत के पड़ोस में अफ–पाक क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद का अधिकेन्द्र बना हुआ है। भारत के पड़ोस से पनपने वाले आतंकवाद के खतरे और उनके अन्तरराष्ट्रीय संबंध जिसके जरिए ऐसे समूह फल–फूल रहे हैं, हमेशा से चिंता के विषय रहे हैं।

1.8 जनसंहार के हथियारों के प्रचूर मात्रा में बनने से संसार के विभिन्न क्षेत्रों में शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नाभिकीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और गैर–राष्ट्रीय तत्वों को नाभिकीय सामग्री प्राप्त करने से रोकने के अन्तरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, विशेषकर नाभिकीय आंतकवाद का खतरा हमेशा से महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय रहा है।

1.9 शक्ति के वैश्विक संतुलन में हुए परिवर्तन, जैसाकि एशिया प्रशांत क्षेत्रों के हाल के घटनाक्रमों से परिलक्षित होता है, ने बड़ी शक्तियों और क्षेत्रीय राष्ट्रों के बीच सैन्य और राजनयिक मेलजोल के नए आयाम विकसित किए हैं। यह सब कुछ नए–नए समुद्री विवादों, सैन्य तैनातियों और बड़े शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उभरी चुनैतियों में दिखते हैं और ये सभी कारक क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा की स्थिति की जटिलताओं को और बढ़ाते हैं। विशेष कर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में द्विपीय क्षेत्रों को लेकर चल रहे विवादों ने क्षेत्रीय तनावों के लिए आग में घी का काम किया है जो इस क्षेत्र के उस सहयोगात्मक संरचना को गंभीर रूप से तितर–बितर कर सकता है जिसके कारण वैशिवक विकास के इंजिन के तौर पर एशिया–प्रशांत क्षेत्र का तीव्र विकास संभव हो सका है। उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए और आणविक एवं मिसाइल परिक्षणों से कोरियाई उपमहाद्वीप की स्थिति तनाव भरी रहती है।

1.10 एशिया–प्रशांत क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में ही भारत का सामरिक हित और आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ निहित है। भारत का यह विचार है कि सभी देशों को संयम से काम लेना चाहिए और बल प्रयोग किए बिना अथवा बल प्रयोग की धमकी किए बिना सभी द्विपक्षीय मुद्दों को राजनयिक माध्यम से

निपटाना चाहिए। भारत अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय समुद्री जलक्षेत्र में नौवाहन की स्वतंत्रता और आवाजाही के अधिकार का समर्थन करता है। भारत का यह मानना है कि वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य एक सहयोगात्मक और सम्मिलित उपाय की मांग करता है। अपनी ओर से, ''एक्ट ईस्ट'' नीति, जिसमे एशिया–प्रशांत क्षेत्र में कार्य किए जाने पर फिर से जोर दिया गया है, के तहत भारत सुरक्षा मामलों पर केन्द्रित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों जैसे कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, एडीएमएम–प्लस और असियान रिज़नल फोरम (एआरएफ) पर सक्रिय भागीदार रहा है। राष्ट्रपारीय अपराधों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, विश्वव्यापी महामारियों साइबर सुरक्षा के साथ–साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों के प्रति क्षेत्रीय अनुक्रिया को और अधिक सुधारे जाने की जरूरत है।

1.11 मध्य एशिया अपनी अवस्थिति और संसाधनों दोनों के कारण तथा यूरेशिया और पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर, हमेशा से सामरिक हित का क्षेत्र रहा है। भारत मध्य एशियाई राज्यों के साथ अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा भागीदारियों को विकसित करने पर केन्द्रित है। ऐसे संकेत मिले हैं कि अतिवादी आतंकी समूहों द्वारा इस क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है जो इन देशों के धर्मनिरपेक्ष शासनतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। भारत इस क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों, जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं, के साथ गहरी मेलजोल बढ़ा कर अपने ऊर्जा भंडार को भी बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है एक दूसरे के बजारों में विशेषकर यूरेशियाई आर्थिक क्षेत्र को समेलित करने के प्रयास में निर्यात और निवेश के लिए अच्छे अवसर के रूप में पारस्परिक आर्थिक हित भी जुड़े हैं। इरान में आए बदलाव से भारत और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने के नए रास्ते खुले हैं इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। इस क्षेत्र के आर्थिक तथा सुरक्षा आकलन में ईरान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने ई 3+3 और ईरान के बीच परमाणु समझौते का स्वागत किया है।

1.12 अरब उत्सर्जन, जिसने उस क्षेत्र के कई देशों में मूलभूत राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने का विश्वास दिलाया है, के जरिए की गई राजनीतिक परिवर्तनों के शुरूआत के कारण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र धीरे–धीरे हिंसा और अस्थिरता में संलिप्त हो गए हैं। तथापि साथ ही साथ हिंसक गैर राज्यीय ताकतों, विशेषकर आतंकी समूहो की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। प्रमुख साम्प्रदायिक विद्वेषपूर्ण कृत्य भी शुरू कर दिए गए है जिससे कई देशों की आंतरिक एकजुटता भंग हुई है। भारत के प्रवासियों व्यापार, ऊर्जा, प्रेषणों तथा सुरक्षा के संदर्भ में इस क्षेत्र से जुड़े अपने प्रमुख हितलाभ है। पश्चिम एशिया तथा खाड़ी जो भारत के विस्तारिक पड़ोस का हिस्सा है, में निरंतर हिंसा और अस्थिरता इस क्षेत्र में भारत के व्यापक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। सीरिया की स्थिति बिगड़कर महाशक्तियों और प्रमुख क्षेत्रीय हितधरकों के बीच विरोध तथा प्रतिस्पर्धा में तबदील हो गई है। ईराक में परिदृश्य बढ़ती चिन्ता का विषय बना हुआ है, विशेषकर गैर–राज्यीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करते है यह भी प्रदर्शित करते हुए कि वे विश्व के अन्य भागों में आंतकी आक्रमण करने हेतु व्यक्तियों को कट्टर बनाने की शक्ति भी प्रदर्शित करते हैं। सीरियाई संघर्ष और इराक में संकट का समेकन अतिवादियों की बढ़ोतरी तथा साम्प्रदायिक मकसदों के साथ एक चुनौती पैदा कर सकता है। भारत ने सीरिया में हिंसा तथा मानव जीवन की हानि के प्रति गहरी चिंता दर्शाई है और निरन्तर रूप से एक ऐसे समावेशी तथा व्यापक राजनीतिक हल ढूंढने की बात कही है जो सीरियाई लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखे। भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध लडाई लड़ने तथा अपनी एकता तथा प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने के ईराक के प्रयासों को दृढ़ता से सहयोग प्रदान करने को भी बात कही है। इज़रायल और

फिलीस्तीन के बीच तनाव भी चिन्ता का विषय है। भारत बातचीत के द्वारा तय किए गए एक ऐसे हल का समर्थक है जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीन एक संप्रभु, स्वतंत्र, समर्थ तथा संयुक्त राज्य बने, जो सुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त सीमाओं के बीच रहे और साथ ही इज़रायल के साथ शांतिपूर्ण बना रहे जैसा कि क्वार्टट रोडमैप और संगत यू एन एस सी संकल्पों में समर्पित है।

1.13 अफ्रीका के कई हिस्सों में उथल–पुथल जारी है क्योंकि हिंसक विद्रोहिताओं तथा आतंकी गतिविधियों ने उत्तर, पूर्व तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में क्रमिक रूप से अपना स्थान बना लिया है। चिंता की खास वजह आतंकी संगठनों का बढ़ता प्रभाव है। पश्चिमी हिन्द महासागर में समुद्री डकैती का खतरा कम हो गया है लेकिन गिनी की खाड़ी में यह समस्या पुनः उत्पन्न हुई है जिससे समुद्री यात्रा करने वाले अनेक भारतीय प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीका में आंतकी संगठनों की गतिविधियों ने इस क्षेत्र में राज्यों की स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। स्थानीय समूहों और बाहरी आतंकी संगठनों के बीच सहबद्धता चिन्ता का विषय है। भारत के अनेक अफ्रीकी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध है तथा भारत अफ्रीका शिखर तंत्र जो अफ्रीकी देशों के साथ क्षेत्रीय तथा महाद्वीप स्तरीय राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते है, की रणनीतिक पहल के जरिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को ओर गहरा करना चाहता है।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति

1.14 भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को मोटे तौर पर चार खतरों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है अर्थात् जम्मू और कश्मीर में सीमापार से आतंकवाद, पूर्वोत्तर में आतंकवाद, कुछ राज्यों में वामपंथी अनितिवाद तथा आंतरिक इलाको में आतंकवाद। सरकार इन खतरों से निपटने के लिए योजनाबद्ध तथा कठोर कदम उठा रही है और इसके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आतंरिक इलाकों में आतंकी हमलों में तथा वामपंथी अनितिवाद के द्वारा बढ़ावा दी गई हिंसा में भारी कमी आई है। तथापि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में गतिविधियां विशेषकर सीमापार से आतंकी हमले तथा हथियारों और नशीले पदार्थो की तस्करी एक चिन्ता का विषय है।

1.15 अलगाववादियों तथा आतंकवादी संगठनों के मौजूदा शांति को भंग करने के ध्यान केन्द्रित प्रयासों के बावजूद जम्मू और कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति स्थिर बनी हुई है। यह प्रमुखतया सुरक्षा बलों के आंतरिक इलाकों में दीर्घकालिक संक्रियाओं तथा नियंत्रण रेखा/राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठरोधी ग्रिड की प्रभावकारिता के करण हो पाया है। तथापि, दक्षिणी कश्मीर में कट्टर वाद तथा नए लोगों को इससे जोडा जाना एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बदलती स्थिति सहित बाहरी कारक भी जम्मू और कश्मीर में आंतरिक स्थिति में प्रभावित कर सकते है।

1.16 हिंसक घटनाओं की संख्या में कमी तथा निम्न सिविलियन हताहतों के रूप में उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में धीरे–धीरे सुधार आ रही है। वर्ष 2012 में हिंसक घटनाओं की संख्या 1025 से कम होकर 574 हो गया तथा इसी अवधि में मारे गए सिविलियनों की संख्या 97 से कम होकर 46 हो गया है। त्रिपुरा, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य कुल मिलाकर शांत हैं। अरूणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोडकर, सामान्यतया शांतिपूर्ण वातावरण है। मणिपुर और नागालैंड में वर्ष 2015 में एन एस सी एन के द्वारा एकपक्षीय युद्धविराम उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के विरूद्ध हिंसक गतिविधियों में तेजी आई थी। सुरक्षा बल मेघालय में आतंकवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने में कामयाब हो गए। भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट

काउंसिल फॉर नागालिम (आइसेक मुवियाह) (एन एस सी एन, आई–एम) के बीच अगस्त 2015 में शांति के लिए रूप रेखा पर हस्ताक्षर करना देश के पुराने विद्रोह को खत्म करने के लिए एक सकारात्मक कदम था। बंगलादेश द्वारा अनुप चेनिया, प्रमुख युनाइटेड लिबरेशन फ्रांट ऑफ असम (उलफा) नेता को नवम्बर 2015 को भारत वापिस भेजना एक उत्साहवर्धक विकास है, जो भारत सरकार और उलफा नेताओं (स्ववार्ना) के बीच सफल शांति वार्तालाप में सहायक बनेगा। सुरक्षा बलों द्वारा नेशनल डैमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बाडोलैंड सांगविजित (एन डी एफ बी एस) ओर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन काल ए) पर किए गए सफल प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों ने इन विद्रोही दलों की युद्ध क्षमता पर आघात पहुचाँ। बोडो मामलों के सुलझाने के लिए एनडीएफबी (पी) और (आरडी) दलों के साथ चर्चा चल रही है।

1.17 वामपंथी पक्ष अतिवाद (एलडब्लूई) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय बना है। तथापि एलडब्लूई से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, गिरफ्तार करने के कारण नेताओं की कमी, आत्म समर्पण और पलायन, विकास योजनाओं को बेहतर मानिटरिंग जैसे सरकार के विशाल प्रयासों से और मावोवादियों के विद्रोह से ऊब जाने के कारणों से कुछ वर्षो से एलडब्लूई की हिंसा में कमी आई है।

****

2

रक्षा मंत्रालय का संगठन और कार्य

संयुक्त कमाण्डर सम्मेलन–2015 के दौरान भा. नौ. पो. विक्रमादित्य पर प्रधान मंत्री

इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निर्देश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है।

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर–इन–चीफ के अधीन रखा गया था। 1955 में, कमांडर–इन–चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया। बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। वर्ष 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

मंत्रालय और इसके विभाग

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति–निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर–सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति–निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है–

(i) रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव है। इस विभाग का कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज–समान के अनुसंधान डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख एक सचिव है और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों और वित्त प्रभाग द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–I** में दी गई है।

2.6 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालय के विभागों के सचिवों और सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–II** में दी गई है।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

2.7 कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ 1 अक्तूबर, 2001 को अस्तित्व में आया। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के समग्र नियंत्रण और कमान में यह संगठन सेनाओं के बीच सम्बद्धता तथा सहक्रियाशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं इसके बनने से लेकर अब तक, इस मुखालय ने संयुक्त और एकीकृत योजना, आसूचना का समन्वय और रक्षा आपदा प्रबंधन समूहों के जरिए मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा अधिप्राप्तियों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करने/सरल बनाने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आगामी वर्षों में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में नीचे दिए गए पैराओं में उल्लेख है।

2.8 **1965 में हुए युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित सेमिनारः** 1965 में हुए युद्ध के 50 वर्ष होने पर समारोह के एक भाग के रूप में युद्ध की घटनाओं के विश्लेषण और उनके स्मरण में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में 1 और 2 सितम्बर 2015 को मानेकशॉ सेन्टर में राष्ट्रीय स्तर के त्रि–सेना सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति थे और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री, सेनाओं के प्रमुख, सेनाओं के भूतपूर्व सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

2.9 **मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानः** एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ ने देश में और उसके बाहर दोनों जगह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों की अनुक्रिया के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

2.10 वर्ष के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने दिसम्बर, 2015 में तमिलनाडु में आई बाढ़, जिसमें सशस्त्र बलों ने 23000 लोगों की जाने बचाई और 70.2 टन खाद्यपदार्थों के पैकेट बांटे, सहित कई महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत में समन्वय का कार्य किया। एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ सेवा के तत्वावधान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अप्रैल, 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान चलाए गए 'ऑपरेशन मंत्री' और यमन से भारतीय और विदेशी नागरिकों को बड़ी संख्या में सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन राहत' के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चलाए जाने वाले अभियानों के लिए अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है।

2.11 **एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन की प्रक्रियाः** आपदा राहत अभियानों में राष्ट्रीय प्रयास को व्यापक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा राहत अभियानों को संचालित करने की एक प्रक्रिया बनाई गई और उसे एच ए डी आर के संशोधित एस ओ पी में शामिल किया गया। इससे आपदा राहत अभियानों के दौरान सहायता प्रदान करना और सरल हो जाएगा।

2.12 **समन्वित गश्त (कोर पैट):** अंडमान एवं निकोबार कमान के विमान एवं पोतों ने इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के नौसेनिकों के साथ समन्वित गश्त 'कोरपैट' में भाग लिया। इसका लक्ष्य नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और अन्तर संक्रियात्मकता को बढ़ावा देना और संयुक्त गश्त लगाकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त यानों को पकड़ना है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पांच बार कोरपैट अभियान चलाया गया।

विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ अभ्यास

2.13 **ए.आर.एफ. आपदा राहत अभ्यास (डाइरेक्स):** आई.एन.एस सरयू ने इंडिग्रल हेलो (आई एन सी एच) के साथ मिलकर मलेशिया और पीआरसी की सह मेजबानी में 24–28 मई, 2015 तक पेनांग, मलेशिया में चलाए गए आसियान क्षेत्रीय फोरम (ए.आर.एफ) आपदा राहत अभ्यास (डाइरेक्स) 2015 में भाग लिया। इस अभ्यास में 16 देशों ने भागीदारी की और एनडीआरएफ, यूएन और रेडक्रास के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया।

2.14 **मंगोलियाई सशस्त्र बलों के लिए साइबर सुरक्षा केन्द्रः** साइबर डोमेन में वर्ष 2014 में मंगोलियाई सशस्त्र बलों को दिए गए प्रशिक्षण की अनुवर्ती करवाई के तौर पर, भारत में माननीय प्रधान मंत्री के मई, 2015 में

मंगोलिया दौरे के दौरान, मंगोलियाई सशस्त्र बलों के लिए एक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए मंगोलिया और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2.15 **रक्षा बैंड और रक्षा हित क्षेत्र (डी आई जेड):** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2015 को रक्षा बैंड (डीबी) और रक्षा हित क्षेत्र (डीआई जेड) को अनुमोदित किया। इससे तीनों सेवाओं, और डी.आर.डी.ओ को तीव्र गति से स्पेक्ट्रम कार आबंटन सुनिश्चित हो सकेगा और इस प्रकार संदर्शी योजना तथा अनुसंधान एंव विकास परियोजनाओं में सूचना आश्वासन और स्पेक्ट्रम संबंधी दक्षता प्राप्त हो सकेगी। यह राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम प्रयोगों को सरल बनाएगा और फ्रीक्वेंसी बैंडों के संपूर्ण रेजों के चालू उपयोगिताओं और भविष्य की योजनाओं के लिए सभी सरकारी और व्यावसायिक पणधारियों को स्पष्टता प्रदान करेगा।

2.16 **गंगा तरण अभियानः** डीएसएससी के विंग कमांडर परमवीर सिंह की अगुआई में सदस्यों के एक दल ने अत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा तरण अभियान प्रारंभ किया और कुल 2800 कि. मी की दूरी तय करके गंगा सागर, पश्चिम बंगाल में यात्रा समाप्त की इस अभियान के सफल समापन से युवाओं के लिए साहसिक कार्यों की महता, गंगा का पुनरूद्धार और स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस अभियान को माननीय रक्षा मंत्री ने 23 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई।

सशस्त्र बल अधिकरण

2.17 सरकार ने संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को शीघ्रता से न्यास देने की व्यवस्था करने के लिए तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) के सदस्यों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हिदायतों और विवादों तथा कोर्ट मार्शल के निर्णयों से उत्पन अपीलों के अधिनिर्णय के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना की हैं।

2.18 वर्तमान में दिल्ली स्थित प्रधान पीठ सहित चेन्नै, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहटी और मुंबई स्थित क्षेत्रीय पीठें कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल द्वारा तथा अनुमोदित श्रीनगर और जबलपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की स्थायी एकल पीठ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

सीमा सड़क संगठन

2.19 सीमा सड़क संगठन एक सड़क निर्माण संगठन है जो सेना की अंगीभूत इकाई और सहयोगी है। इसने महज दो परियोजनाओं अर्थात पूर्व में प्रोजेक्ट टस्कर (जिसका नाम बदलकर प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया गया) और पश्चिम में प्रोजेक्ट बीकन। यह बढ़कर 18 परियोजनाओं वाला संगठन बन गया है।

2.20 बीआरओ की रक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर मुख्यतः सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। इस सड़कों का विकास और रखरखाव विभिन्न शीर्षों के तहत मुहैया कराई गई निधियों के जरिए किया जाता है।

2.21 मंत्रिमंडल सचिवालय ने सीमा सड़क विकास मंडल और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामलों को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के तहत भारत सरकार कार्य आबंटन नियमावली, 1961 को संशोधित किया है।

2.22 सीमा सड़क संगठन ने कठिन, पृथक और दुर्गम भूभाग पर प्रतिकूल जलवायु वाली परिस्थितियों में सड़क निर्माण करने और उसका रखरखाव करने वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में ख्याति अर्जित की है। बीआरओ ने देश के इन क्षेत्रों में लगभग 51,000 किमी सड़कों, 44,500 मी. लंबाई वाले महत्वपूर्ण स्थायी पुलों और 19 एयरफील्डों का निर्माण किया है। वर्तमान में, 852 सड़कों (30,118 किमी.)

पर कार्य कर रहा है जिनमें नए निर्माण, सिंगल लेन से डबल लेन में बदलने का कार्य और लगभग 19,111 किमी. सड़कों का रखरखाव शामिल है, 852 सड़कों में 61 भारत–चीन सीमा सड़क शामिल हैं। बीआरओ सात एयरफील्डों का रखरखाव भी कर रहा है। यह संगठन प्रत्येक वर्ष 95 सड़कों पर (3,000 किमी.) बर्फ हटाने का कार्य भी करती हैं ताकि सीमा क्षेत्रों में यातायात बहाल रखा जा सके।

रक्षा (वित्त)

2.23 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का कार्य देखता है। इस प्रभाग के प्रमुख सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है। यह एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है।

2.24 शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए, रक्षा मंत्रालय को वर्धित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति मामलों के संबंध में इन शक्तियों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता और निर्धारित नीति संबंधी मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

2.25 वित्त प्रभाग रक्षा सेवा प्राक्कलनों, सिविल प्राक्कलनों तथ रक्षा पेंशनों से संबंधित प्राक्कलनों को तैयार करता है तथा उसकी मानीटरी करता है। रक्षा सेवा प्राक्कलनों से संबंधित वर्ष 2013–14 और वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय और 2015–16 के लिए संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमान के ब्यौरे तालिका संख्या 2.1 में दिए गए हैं तथा इससे संगत ग्राफ/चार्ट इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

2.26 रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एक अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट–III** पर दिया गया है।

2.27 नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की दिनांक 31.12.2015 के अनुसार स्थिति इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट–IV** पर दी गई है।

सारणी 2.1

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

सेना/विभाग	2013–14 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	2014–15 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	संशोधित प्राक्कलन 2015–16 (राजस्व+पूंजी)	बजट प्राक्कलन 2016–17 (राजस्व+पूंजी)
सेना	99,464.11	1,14,559.95	1,24,337.25	1,39,700.43
नौसेना	33,393.21	35,948.53	34,375.24	39,424.88
वायुसेना	57,708.63	52,537.48	50,819.24	53,451.25
आयुध/निर्माणी महानिदेशालय	1,298.39	1,577.05	1,752.53	1,953.29
गुणता आश्वासन महानिदेशालय	766.02	813.19	860.53	975.37
अनुसंधान तथा विकास	10,868.89	13,257.98	12,491.21	13,593.78
योग	2,03,499.25	2,18,694.18	2,24,636.00	2,49,099.00

डी जी ओ एफ– आयुध निर्माणी महानिदेशालय
डी जी क्यू ए– गुणता आश्वासन महानिदेशालय
आर एंड डी– अनुसंधान तथा विकास

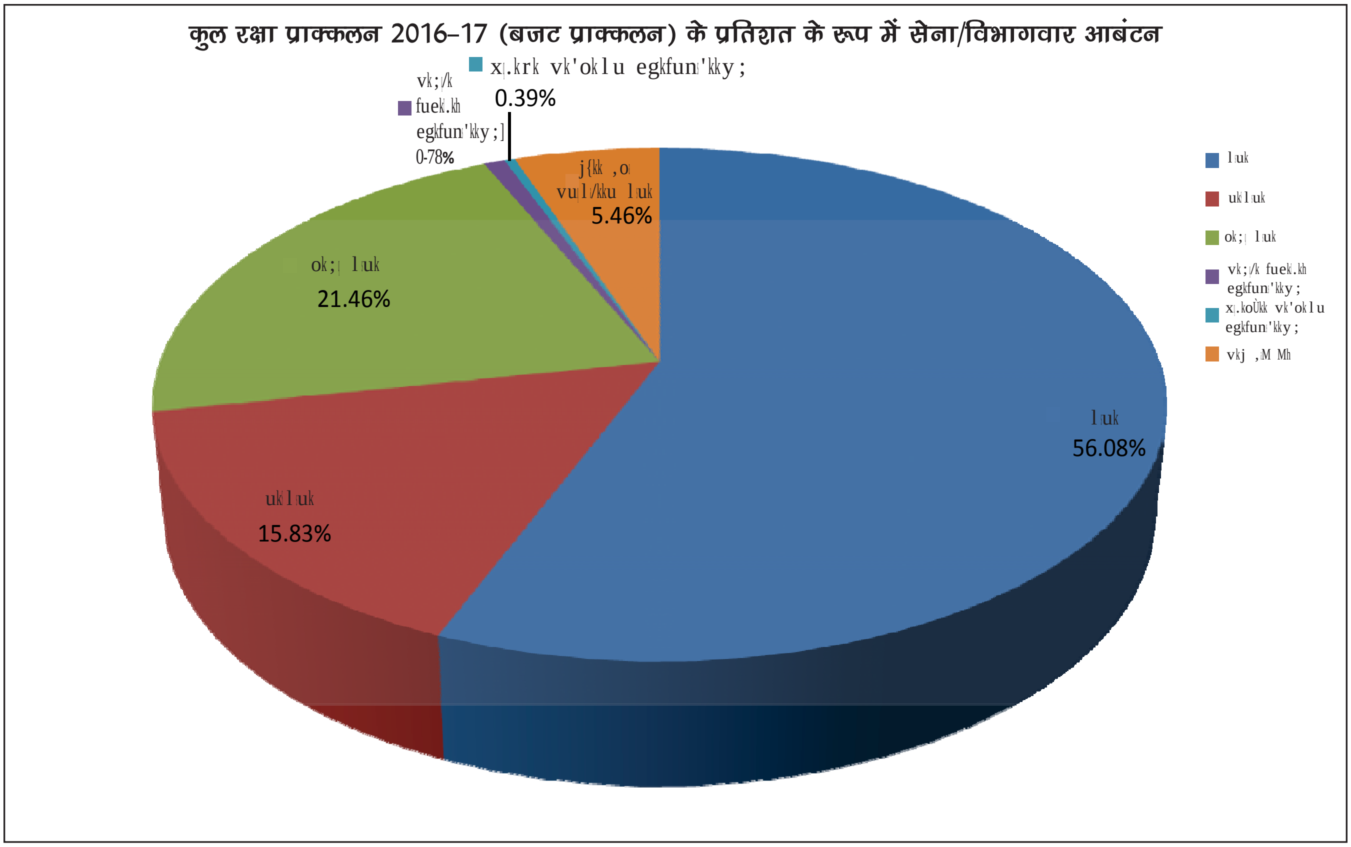
कुल रक्षा प्राक्कलन 2016–17 (बजट प्राक्कलन) के प्रतिशत के रूप में सेना/विभागवार आबंटन
0.39%
0-78%
5.46%
21.46%
56.08%
15.83%

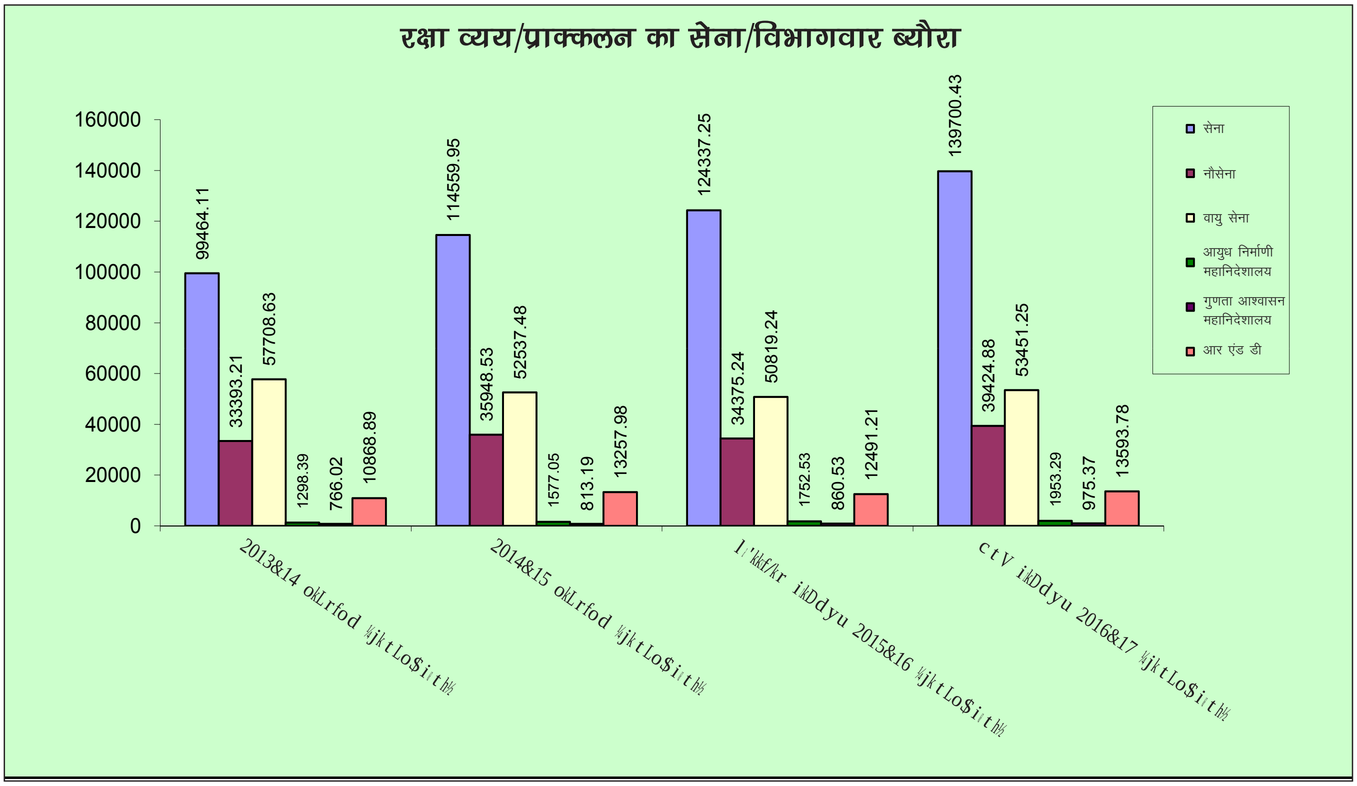
रक्षा व्यय/प्राक्कलन का सेना/विभागवार ब्यौरा
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
99464.11
33393.21
57708.63
1298.39
766.02
10868.89
114559.95
35948.53
52537.48
1577.05
813.19
13257.98
124337.25
34375.24
50819.24
1752.53
860.53
12491.21
139700.43
39424.88
53451.25
1953.29
975.37
13593.78
सेना
नौसेना
वायु सेना
आयुध निर्माणी महानिदेशालय
गुणता आश्वासन महानिदेशालय
आर एंड डी

3

भारतीय सेना

सेना दिवस परेड के दौरान समाधात प्रदर्शन

भारतीय सेना (आई ए) युद्धपद्धति के संपूर्ण क्षेत्र में बाहरी और आतांरिक खतरों से देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध

3.1 बदलती हुई वैश्विक भू–राजनीतिक परिस्थितियाँ राष्ट्र के सामने अनेक सुरक्षा–चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। इन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी संक्रियात्मक तैयारी/स्थिति की लगातार समीक्षा करते हुए भारतीय सेना (आई ए) युद्धपद्धति के संपूर्ण क्षेत्र में बाहरी एवं आंतरिक खतरों से देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, भारतीय सेना विपत्ति/प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उनकी चपेट में आए लोगों को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा आगे रही है।

जम्मू एवं कश्मीर

3.2 जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा स्थिति संघर्ष विराम से संघर्ष का समाधान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अहम पड़ाव पर है। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण 'अवाम' में विश्वास जगा है जिससे लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले हैं। लोगों ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा जताया है और वे हिंसा का रास्ता छोड़कर राज्य में शांति एवं स्थिरता की बहाली चाहते हैं।

3.3 **युद्ध विराम उल्लंघन (सी एफ वी):** जम्मू एवं कश्मीर में वास्तविक ग्राउंड पोज़ीशन लाइन (ए जी पी एल), नियंत्रण रेखा (एल सी) तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई बी) सेक्टरों में अक्सर युद्धविराम लगाया जाता है। वर्ष 2014 में नियंत्रण रेखा पर 153 बार तथा वर्ष 2015 में 152 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ उचित तथा प्रभावी जवाबी कार्रवाई की गई। इन घटनाओं के बारे में हॉटलाइन, फ्लैग मीटिंग्स तथा डी जी एम ओ वार्ताओं के माध्यम से बातचीत की गई। असल में पाकिस्तान नियंत्रण रेखा को संघर्षरत रखने तथा जम्मू–कश्मीर सीमा के विवादित मुद्दे को लेकर हिंसात्मक कार्रवाई करता रहता है।

3.4 **घुसपैठ :** अपने वर्तमान शांति प्रस्तावों के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीमा पार आतंकी नेटवर्क अभी भी बरकरार है। हालांकि 2015 के आखिरी तीन महीनों में घुसपैठ के प्रयासों तथा युद्धविराम उल्लंघन की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन यह पाकिस्तान में बढ़ रहे आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से निपटने के प्रयासों के परिणामस्वरूप एक अस्थायी दौर भी हो सकता है।

(क) **घुसपैठ की विफल की गई कोशिशें:** वर्ष 2015 के दौरान सेना ने घुसपैठ की 18 कोशिशों को विफल किया जिनके दौरान 30 उग्रवादी मारे गए, जबकि 2014 में सेना ने घुसपैठ की 23 कोशिशों को विफल किया था जिनके दौरान 36 उग्रवादियों को मार गिराया गया।

(ख) **घुसपैठः** किए गए मूल्यांकन के अनुसार, 2015 में 31 दिसंबर 2015 तक 121 में से 33 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हुए जबकि वर्ष 2014 में 222 में से 65 आतंकी घुसपैठ करने में सफल हुए।

भीतरी क्षेत्र में स्थिति

3.5 आतंकवादरोधी ऑपरेशनः वर्ष 2015 में, विश्वस्त आसूचना नेटवर्क के आधार पर आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए लगातार सर्जिकल ऑपरेशनों से भीतरी क्षेत्र में 67 आतंकियों का खात्मा किया गया। वर्ष 2014 में सेना ने जम्मू व कश्मीर के भीतरी क्षेत्र में 68 आतंकियों को मार गिराया।

3.6 **आतंकी घटनाएं (टी आई आई):** वर्ष 2015 में भीतरी क्षेत्रों में 48 आतंकी घटनाएं घटी जिसमें साम्बा व राजबाग में होने वाले आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। इनमें से कई आतंकी घटनाएं मोबाइल संचार अवसंरचना, आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों और हुर्रियत से संबंधित आतंकियो के विरोध में की गई। वर्ष 2015 में इन घटनाओं में सी ए पी एफ के 18 जवान शहीद हुए हैं और 16 नागरिकों की मृत्यु हो गई।

3.7 **सोशल मीडिया का अनुचित प्रयोग, स्थानीय लोगों को शामिल करना और चरमपंथी सोच को बढ़ावा देनाः** सोशल मीडिया और आतंकी गुटों व अलगाववादी ताकतों द्वारा युवा पीढ़ी की सोच को बदलने का लक्ष्य रखते हुए सोशल मीडिया का अंधाधुंध इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। बड़े स्तर पर डिजिटल मीडिया के प्रयोग से स्थानीय लोगों को शामिल करने, चरमपंथी सोच को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों में तेजी आई है और अलगाववादी ताकतों द्वारा इसका प्रयोग विरोध प्रकट करने के लिए जन समूह को इकट्ठा करने के लिए किया जाता रहा है।

उत्तर पूर्व

3.8 उत्तर पूर्व में कुल मिलाकर सुरक्षा की स्थिति अस्थिर व परिवर्तनशील रही है। मार्च 2015 में एन एस सी एन (के) द्वारा युद्धविराम रदद् किए जाने के बाद सुरक्षा बलों (एस एफ) के विरूद्ध हिंसक गतिविधियों में तेज़ी आई थी। इस स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए नागालैंड व मणिपुर में सीमा चौकसी और प्रतिविद्रोही तैनातियों को मजबूत बनाया गया। वर्ष 2015 में 1504 आतंकियों की गतिविधियों को विफल किया गया। (103 मारे गए, 1359 गिरफ्तार किए गए और 42 से आत्मसमर्पण करवाया गया) और 1111 हथियार बरामद किए गए।

3.9 **असमः** इस राज्य में सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण व नियंत्रण में रही। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए लगातार ऑपरेशनों से एन डी एफ बी (सांगबिजित) के प्रमुख कमांडरों का खात्मा हुआ जिससे इस गुट को कमान करने वालों की पूरी चेन का कार्य बंद हो गया। इसके परिणामस्वरूप एन डी एफ बी (सांगबिजित) काडरों के हौसले पस्त हो गए।

3.10 **नागालैण्डः** 27 मार्च 2015 को एन एस सी एन (खपलांग) द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन के बाद राज्य की सुरक्षा स्थिति और खराब हो गई। नागालैण्ड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में एन एस सी एन (के) द्वारा सुरक्षा बलों पर बार–बार किए गए हमलों के परिणामस्वरूप इस गुट को 28 सितम्बर, 2015 को 'अवैध संगठन' घोषित किया गया था। भारत–म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संगठित और लगातार ऑपरेशनों ने गुट के अधिकतर काडरों को म्यांमार जाने के लिए बाध्य करके इसकी संख्या और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाला है।

3.11 3 अगस्त, 2015 को भारत सरकार और एन एस सी एन (आई एम) के बीच "नागालैण्ड शांति समझौते की रूपरेखा" पर हस्ताक्षर करना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और यह संभाव्यतः पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में काफी समय से फैले विद्रोह के समाधान की ओर ले जाएगी। एन एस सी एन गुटों के प्रति जनता का मोह भंग हो रहा है, भ्रष्टाचार और अशोधित कराधान के विरूद्ध लोग खुलकर बोल रहे हैं तथा नागा ट्राइबल काउंसिल (एन टी सी) के अधीन नागालैण्ड के नागा एकजुट हो रहे हैं जो कि एक सकारात्मक लक्षण हैं।

3.12 **मणिपुर :** उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर सबसे अशांत राज्य बना हुआ है। यहाँ अधिकतर हिंसा, घाटी में सक्रिय आतंकी समूहों द्वारा की जा रही है क्योंकि मणिपुर में होने वाली लगभग 61% हिंसा के लिए वे ज़िम्मेदार हैं। यहां

नाकाबंदी और पूर्ण बंद की स्थिति लगातार बनी हुई है जिसके परिणामस्वरूप मीटीज, नागा, कुकिज नामक तीन प्रमुख जनजातियों में फूट बढ़ती जा रही है।

3.13 2015 के दौरान अंतर–जनजातीय प्रतिद्वंदिता और आन्तरिक–बाहरी लोगों में विभाजन प्रमुख रूप से देखने को मिला जहां इनर लाइन परमिट को लागू करने और इसका विरोध करने संबंधी मांगें ही विरोध के मुख्य कारक थे।

3.14 **अरूणाचल प्रदेशः** नागा विद्रोही समूहों की मौजूदगी ने इस राज्य के लॉगडिंग, टिरप और चेंगलैंग जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है जिन्होंने अपना फरमान मनवाने के प्रयास जारी रखे। इस राज्य को म्यांमार से असम और नागालैण्ड तक हथियार, गोला–बारूद और नारकोटिक्स को अवैध तरीके से लाने ले जाने के लिए परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा बलों द्वारा एकजुट होकर चलाए गए ऑपरेशनों ने विद्रोहियों के ऑपरेशनल क्षेत्र को कम किया है।

3.15 **मेघालयः** गारो आतंकी समूहों द्वारा की गई हिंसा मुख्यतः गारो पहाड़ियों तक ही सीमित थी। इन समूहों की छुटपुट घटनाएं असम स्थित पड़ोसी जिलों गोलपाड़ा और दुबरी में भी देखने को मिलीं।

सीमा पर स्थिति

3.16 **चीन के साथ द्विपक्षी संबंधः** भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी उत्तरी सीमाओं की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन व शान्ति कायम करने की दिशा में सकारात्मक कमद उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। राजनैतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सकारात्मक उपायों के रूप में समय–समय पर सैन्यबलों का आदान–प्रदान नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2015 को भारत दौरा वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री के चीन के दौरे ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।

3.17 **वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) पर स्थितिः** भारत चीन सीमा पर स्थिति शान्तिपूर्ण बनी हुई है। इस सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत और चीन में मतभेद है। दोनों देश अपने–अपने मतानुसार निर्धारित की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त लगाते हैं और इसी कारण अतिक्रमण होते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसे क्षेत्रों में चीन के गश्त दलों द्वारा किए गए अतिक्रमण के उल्लेखनीय मामले हॉट लाइनों, फ्लैग मीटिंगों और सीमा कार्मिक बैठकों जैसी स्थायी प्रक्रिया के माध्यम से चीन के प्राधिकारियों के समक्ष उठाए जाते हैं। तथापि पी एल ए की रूटीन गश्तों के दौरान उनकी हठधर्मिता के मामले बढ़ रहे हैं।

3.18 **सीमा रक्षा सहयोग समझौता (बी डी सी ए) को लागू करनाः** इस वर्ष के दौरान बीडीसीए को लागू करने के बारे में दोनों देशों के बीच काफी बातचीत हुई है। इस दिशा में नॉन कॉन्टेक्ट गेम्स तथा त्यौहारों को मनाने के लिए संयुक्त समारोहों के आयोजनों को शामिल करके सीमा कार्मिक बैठकों के दायरे को बढ़ाया गया है। हाल ही में दो नए सीमा कार्मिक बैठक स्थलों को ऑपरेशनल बनाया गया है।

3.19 **पांचवा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासः** अच्छे सैन्य संबंध बनाने और उनको बढ़ावा देने, इंटर–ऑपरेबिलिटी और आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त ऑपरेशन चलाने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्तूबर में पांचवां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कूनमिंग (चीन) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षण अभ्यासों से परस्पर अत्यधिक कारगर सैन्य बातचीत करने और एक–दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का बहुमूल्य अवसर मिला।

पड़ोसी देशों तथा कुछ अन्य खास देशों के साथ रक्षा सहयोग

3.20 uiky% वर्ष 2015–16 के दौरान द्विपक्षी सहयोग के रूप में नेपाल को कुछ सैन्य उपकरण प्रदान किए गए। सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर आधारित 12 वीं नेपाल–भारत द्विपक्षी परामर्शी समूह (एन आई बी सी जी एस) की बैठक नेपाल में चल रही राजनीतिक स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई है।

3.21 नेपाल की प्राकृतिक आपदा संबंधी खतरों की स्थिति के बारे में चर्चा करने और नेपाल सेना के आपदा प्रबंधन उपकरणों और प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने के उपायों को अपनाने पर विचार करने के लिए आवश्यकता मूल्यांकन दल ने 27 से 30 जनवरी 2015 तक नेपाल का दौरा किया।

3.22 दोनों देशों के डी जी एम ओ के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए अक्तूबर, 2015 से हॉटलाइन चालू की गई है।

3.23 **भूटानः** भूटान के साथ अपने पुराने नजदीकी संबंधों को बनाए रखते हुए भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2015–16 में रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल भूटान गार्ड के कार्मिकों के लिए 575 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं।

मित्र राष्ट्रों (एफ एफ सी) के साथ संयुक्त अभ्यास/गतिविधियां

3.24 मित्र राष्ट्रों (एफएफसी) के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना, सैन्य ऑपरेशनों के बदलते तरीको को समझना, इंटर ऑपरेबिलिटी विकसित करना तथा मानवीय सहायता पहुंचाना और आपदा राहत कार्य जैसे संयुक्त आपॅरेशनों की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाना शामिल है।

3.25 भारतीय सेना मित्र राष्ट्रों के साथ निरंतर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास कर रही है। जनवरी 2015 से निम्नलिखित संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास आयोजित किए गए हैंः–

(क) ग्वालियर में 23 जनवरी से 6 फरवरी 2015 तक 10 वां इंडो–मंगोलिया संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास नोमेडिक एलीफेन्ट 2014) किया गया।

(ख) 8 वां इंडो–नेपाल बटालियन स्तर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास सूर्य किरण VIII) 23 फरवरी से 8 मार्च 2015 तक किया गया।

(ग) छठा इंडो–मालदीव संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास इकूवेरिन–VI) 31 अगस्त से 13 सितंबर 2015 तक किया गया।

(घ) तीसरा इंडो–श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास मित्र शक्ति 2015) 29 सितंबर 2015 से 12 अक्तूबर तक किया गया।

(ङ) **कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना ऑपरेशन (यू एन पी के ओ) और डीमाइनिंग प्रशिक्षणः** डीमाइनिंग और विस्फोटक आयुध उपकरणों ईओडी को हटाने संबंधी विषय पर रॉयल कम्बोडियाई सैन्य बल और यू एन पी के ओ के सहयोग से पूर्व एस डी निदेशालय और बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप बीईजी किरकी ने 21 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2015 तक 5 अफसर, दो जे सी ओ और 4 अन्य रैंक वाले प्रशिक्षण दल के लिए प्रशिक्षण कैपसूल संचालित किया।

(च) **अफगानिस्तान राष्ट्रीय सेना (ए एन ए) कार्मिकों का प्रशिक्षणः** ए एन ए कार्मिकों को कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड रेजिमेंटल सेंटर में काउंटर इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोज़िव डिवाइस (सी आई ई डी) और फील्ड इंजीनियरिंग (एफ ई) विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक ए एन ए के 58 अफसरों और 157 एन सी ओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(छ) **भारत-अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास-15:** भारत–अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास, 9–23 सितंबर, 2015 तक ज्वाइंट बेस लुइस, मैक कॉर्ड, वाशिगंटन, यू एस ए में आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत व अमेरिकी सेना के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना था और इसमें कमांड पोस्ट एक्सरसाइज़, एक्सपर्ट अकैडेमिक डिसकशन्स और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ शामिल थे।

(ज) **भारत-यू के संयुक्त युद्धभ्यास अजेय वौरियर-15:** भारत यूके संयुक्त युद्धाभ्यास 7–28 जून, 2015 तक वेस्टडाउन कैम्प, सैलिस्बरी प्लेन्स, यू के में आयोजित किया गया। इस का उद्देश्य भारतीय सेना व यू के की सेना के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना था। भारतीय सैन्य टुकड़ी के 120 जवानों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया।

(झ) **भारत-थाईलैंड संयुक्त युद्धाभ्यास मैत्री-15:** भारत–थाइलैंड संयुक्त युद्धाभ्यास मैत्री–15 का आयोजन 25 मई से 7 जून, 2015 तक बकलोह ट्रेनिंग नोड में मुख्यालय उत्तरी कमान, भारत के तत्वावधान में भारत व थाइलैंड की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंध बनाने व इन संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के 45 जवानों ने भाग लिया।

(ञ) **भारत-बांग्लादेश संयुक्त युद्धाभ्यास सम्प्रीति-15:** भारत–बांग्लादेश संयुक्त युद्धाभ्यास सम्प्रिति–15 का आयोजन पूर्वी कमान द्वारा 26 अक्तूबर से 8 नवम्बर 2015 तक काउंडर इंसरजेन्सी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सी आई जे डब्लू एस), वैरेंगटे और बिनागुड़ी में भारत व बांग्लादेश की सेना के बीच सकारात्मक संबंधों को बनाने व उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया और इसमें कमांड पोस्ट एक्सरसाइज़ और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ शामिल थे।

(ट) **कैंब्रियन पेट्रोल कंपिटीशन-15** 3/4 गोरखा राइफल्स के धातक पेट्रोल ने वेल्स, यू के में 16–25 अक्तूबर 2015 तक आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलिंग कंपिटीशन में भाग लिया। टीम ने रजत पदक जीतकर एक कुशल सेना की छवि प्रस्तुत की।

आधुनिकीकरण तथा उपस्कर:

3.26 सेना की प्रमुख खरीद में आधुनिकीकरण एवं नई क्षमताएं विकसित करने के साथ–साथ साजोसामान की कमी की पूर्ति करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इस प्रक्रिया में स्वदेशीकरण पर उचित बल दिया गया है। इस वर्ष के दौरान भारतीय सेना ने प्रापण समयावधि में कमी लाने का भी प्रयास किया है। गुणात्मक जरूरतों (क्यू आर) का पता लगाने, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)

तैयार करने और फील्ड मूल्यांकन के बेहतर तरीकों का पता लगाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। इन बदलावों से खरीद प्रक्रिया और अधिक सक्षम बन सकेगी।

3.27 **मैकेनाइज़्ड सेनाएंः** इन सर्विस उपस्करों को रात में प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए उनका अपग्रेडेशन करने, अग्निशमन प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा पावर पैक्स को बेहतर बनाने की दिशा में काफी कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले कॉम्बेट व्हीकल प्लेटफॉर्म्स को अपने देश में तैयार करने की दिशा में भी काफी काम हो रहा है। इन्फैंट्री कॉम्बेट व्हीकल (बी एम पी) अपग्रेड्स तथा व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के स्वदेशीकरण के बारे में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देश में निर्मित अर्जुन टैंक में सुधार करने के लिए एम के–II टैंकों पर परीक्षण किए जा रहे हैं जो संवर्धित ऑटोमोटिव तथा अस्त्र प्रणाली से लैस हैं। मौजूदा फ्लीट में सुनियोजित ढंग से बदलाव करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स तथा फ्यूचरिस्टिक इंफैट्री कॉम्बेट व्हीकल्स विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। टी–90 तथा बी एम पी–II के मौजूदा फ्लीट के कई अपग्रेड प्रोग्राम प्रगति पर हैं जिनमें उन्नत संचार प्रणाली, रात्रिकालीन युद्ध क्षमता, ट्रांसमिशन सिस्टम तथा वेपन प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं।

3.28 **आर्टिलरीः** आर्टिलरी उपस्करों की प्रापण प्रक्रिया के अंतर्गत 155 मिलीमीटर तोपों को उन्नत टोड, सेल्फ प्रोपेल्ड तथा माउंटेड गन सिस्टम में परिवर्तित किया जाना है जिससे निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा लॉन्ग रेंज वेक्टर्स अर्जित किए जा सकेंगे। ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, ब्रह्मोस तथा पिनाका आर्टिलरी सिस्टम के प्रापण के लिए प्रस्ताव भी अंतिम चरण में है। देश में निर्मित आर्टिलरी गन 'धनुष' को भी सफल परीक्षणों के बाद शामिल कर लिया जाएगा। सटीक तथा संवर्धित विध्वंसक शक्ति वाली उन्नत युद्ध सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

3.29 **तोपेंः** वर्ष 2012 से ही आर्टिलरी के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसे तेज करने के लिए वैश्विक एवं स्वदेशी दोनों उपाय अपनाए जा रहे हैं। 155 मिली मीटर टोड गन, 155 मिलीमीटर स्वदेशी गन 'धनुष' तथा 155 मिलीमीटर ट्रैक्ड (एस पी) गन संबंधी बड़ी परियोजनाएं मूल्यांकन के आखिरी चरण में है। सरकार ने हाल ही में 155 मिली मीटर माउंटेड गन सिस्टम के प्रापण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में 130 मिलीमीटर गनों

अपग्रेड की गई 155 मिमी/45 कैलिबर इलेक्ट्रॉनिकली अपग्रेड की गई गन प्रणाली 'धनुष'

155 मिमी./52 कैलिबर टी आर (एस पी) गन

को 'बाई एंड मेक इंडियन' प्रक्रिया के अंतर्गत 155 मिली मीटर/45 कैलिबर गन सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है।

3.30 **एम्यूनिशनः** बाई–मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) की प्रापण प्रक्रिया वैश्विक तथा स्वदेशी माध्यम से की जा रही है। चार्ज सिस्टम को विकसित करने एवं निर्मित करने की दिशा में स्वदेशी प्रयास आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में ओ एफ नालंदा द्वारा तैयार बीएमसीएस का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। सभी कैलिबर के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ राजस्व एवं पूंजीगत माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। जनवरी 2016 में 84 मि.मी. रॉकेट लॉन्चर के लिए एम्यूनिशन के पूंजीगत प्रापण के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफबी) के लिए तकनीक अंतरण भी शामिल है।

3.31 **एस ए टी ए उपस्करः** स्वदेशी हथियार खोजी रडार (डब्ल्यू एल आर) के निर्माण में आत्म–निर्भरता हासिल की जा चुकी है तथा डब्ल्यू एल आर के लिए दिसंबर 2015 में हस्ताक्षरित संविदा संबंधी कार्रवाई अंतिम चरण में है। आर्टिलरी फायर की

डब्लू एल आर (स्वाति)

सटीकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (आई एन एस) के प्रापण के लिए भी कार्रवाई जारी है।

3.32 **इन्फैन्ट्रीः** इन्फैन्ट्री सैनिक के आधुनिकीकरण का उद्देश्य उसकी मारक क्षमता को बढ़ाना और उसे स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना है। थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडिड मिसाइल, आधुनिक बैलिस्टिक हेलमेट्स और लाइट मशीन गनों की खरीद संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है।

3.33 **सेना हवाई रक्षाः** एल-70 गनों के अपग्रेड्स के लिए संविदा की कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है और ज़ेड यू–23 गनों की संविदा का काम अंतिम चरण में है। मीडियम रेन्ज सफैस टू एयर मिसाइल रेजिमेन्ट (एम आर एस ए एम) के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने वाली है। इसके साथ ही शार्ट रेंज सर्फेस को एयर मिसाइल सिस्टम्स ये बदलने के लिए एल–70 और ज़ेड यू–23 गनों के लिए सक्सेसर, हवाई रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार, वेरी शॉर्ट रैंज एयर डिफेन्स सिस्टम के (वीएसएचओआरएडीएस) बेहतर व उन्नत संस्करणों संबंधी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

3.34 **विविध उपस्करः** विभिन्न सेनांगों से संबंधित अधिग्रहण के साथ–साथ टोह व निगरानी हेलिकॉप्टर्स कामोव 226 टी, एयर कुशन वाहनों, सामरिक संचार प्रणाली, रेल संचालन के लिए मैटीरियल हैंडलिंग उपस्कर और महत्वपूर्ण रोलिंग स्टॉक का प्रापण व उत्पादन करने का काम चल रहा है। अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं, रिट्रीवल और लेखाकरण प्रणाली वाले संभारिकीय अधिष्ठापनों के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। भारतीय सेना के लिए एचएमवी (हाई मोबिलिटी व्हीकल्स) वाहनों के प्रापण के लिए वैकल्पिक और स्वदेशी स्त्रोतों को तलाशने के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिली है।

3.35 **भारतीय सेना के लिए नई पीढ़ी के रोलिंग स्टॉक का प्रापणः** सामरिक संचलन अपर महानिदेशालय ने नई पीढ़ी के रोलिंग स्टॉक की डिलीवरी लेना शुरु कर दिया है। इनमें सैन्य उपस्कर व वाहनों के परिवहन के लिए विशेष वैगन और ट्रूपों के आवागमन के लिए कोच भी शामिल हैं। नई पीढ़ी के एसी–II, ए सी–III व सैन्य पैन्ट्री

न्यू जेनरेशन बोगी ओपन मिलिट्री वैगन

कोच में ऐसे सुधार किए गए हैं जिनसे ये ज्यादा कारगर, सुविधायुक्त और आरामदेह हो गए हैं।

राष्ट्रीय राइफल

3.36 राष्ट्रीय राइफल ने अपनी स्थापना के बाद से जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक विकास में बहुमूल्य सहयोग दिया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय राइफल ने कई अनवरत ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया। जम्मू और कश्मीर में शान्ति बनाए रखने में राष्ट्रीय राइफल की सतत मौजूदगी एक प्रमुख कारक रही है। 2015 में आतंकवादियों द्वारा की गई घटनाओं की संख्या से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवाद का स्तर कम हो रहा है।

3.37 राष्ट्रीय राइफल्स की युनिटें आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर निरंतर दबाव बनाने में सफल रही। फोर्स के प्रयासों से क्षेत्र में शान्ति बनी रही और स्थिति लगभग सामान्य हो पाई। जोखिम भरी घटनाओं में होने वाली किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी से निपटने के लिए फोर्स हमेशा तैयार रहती है।

3.38 **राष्ट्रीय राइफल्स की ऑपरेशनल उपलब्धियाँः** समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स फोर्स ने 68 आतंकवादियों को नाकामयाब किया (52 मारे गए और 16 गिरफ्तार) और युद्ध सामग्री की एक बड़ी खेप बरामद की।

प्रादेशिक सेना

3.39 प्रादेशिक सेना (टीए) एक्ट, 1948 में बनाया गया था। प्रादेशिक सेना तैयार करने का उद्देश्य लाभकारी रूप से नियोजित नागरिकों को अंशकालिक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना है जो यह प्रशिक्षण पाने के बाद सक्षम सैनिक बन जाते हैं।

3.40 **प्रादेशिक सेना दिवस परेडः** प्रादेशिक सेना दिवस 9 अक्तूबर, 2015 के अवसर पर प्रादेशिक सेना दिवस परेड, आर्मी परेड ग्राउण्ड दिल्ली कैंट में आयोजित की गई और प्रादेशिक सेना दिवस परेड का निरीक्षण रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। इस परेड में मार्च करती हुई दस टुकड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें इन्फैन्ट्री (टी ए) यूनिटें एवं होम एवं हर्थ (टी ए) यूनिटें, दस इंफैंट्री (टीए) यूनिट पाइप बैंड और विभाग (टीए) यूनिटों की तीन झांकियां थीं।

प्रादेशिक सेना दिवस परेड का निरीक्षण करते हुए रक्षा मंत्री

3.41 **प्रादेशिक सेना बिरादरी की भारत के राष्ट्रपति से मुलाकातः** प्रादेशिक सेना दिवस समारोह के भाग के रूप में प्रादेशिक सेना के अफसरों, जेसीओ, अन्य रैंकों व उनके परिजनों ने 06 अक्तूबर, 2015 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

प्रादेशिक सेना बिरादरी की भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात

3.42 **प्रतिविद्रोहिता/आतंकरोधी कार्रवाइयों तथा आतंरिक सुरक्षा में प्रादेशिक सेना यूनिटों का योगदानः** वर्तमान में लगभग 75% प्रादेशिक सेना यूनिटें जम्मू–कश्मीर तथा उत्तर–पूर्व के प्रतिविद्रोहिता/आतंकरोधी क्षेत्र में तैनात है तथा ये यूनिटें नियमित सेना के सहायक अंग के रूप में सौंपे गए कार्यें को पूरी कुशलता के साथ पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

3.43 **थ्री इंजीनियर्स टीए बटालियनों का गठनः** उत्तरी कमान में एल सी (नियंत्रण रेखा) की बाड़ों की मरम्मत के लिए प्रादेशिक सेना (टीए) की थ्री इंजीनियर रेजिमेंट के गठन का काम चल रहा है और मई 2016 से यह काम शुरु करेगी। 01 जनवरी 2016 तक प्रादेशिक सेना की इन तीन रेजिमेंटों के गठन का 93% काम पूरा कर लिया गया है।

3.44 **वृक्ष संवर्धन :** पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) स्थित 130 इन्फैंट्री बटालियन (टी ए) ईको, कुमाऊं इकोलॉजी संबंधी कार्यों में योगदान देने के लिए जानी जाती है। 05 जून, 2015 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूनिट ने पिथौरागढ़ जिले में 19 मिनट के रिकॉर्ड समय में 13 अलग–अलग प्रजातियों के कुल 1 लाख पौधे लगाए। इस बड़े स्तर के वृक्षारोपण अभियान में करीब 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों और सिविल गण्यमान्य व्यक्तियों की टीम ने भाग लिया। उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस् में दर्ज किया गया है।

3.45 **ई टी एफ बटालियनों (टीए) द्वारा किए गए वृक्षारोपण संबंधी नवीनतम जानकारीः** आठ ईटीएफ बटालियनें (टीए) देश के पिछड़े व दुर्गम क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को फिर से स्थापित करने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। इन यूनिटों ने लगभग 6.62 करोड़, पौधे करीब 66,662 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाए हैं। ईटीएफ बटालियनों (टीए) के प्रयासों की सभी ने सराहना की है।

3.46 **प्रादेशिक सेना (टीए) में भर्ती :** वर्ष 2015 के दौरान मौजूदा रिक्ति के अनुसार टीए में निम्नलिखित संख्या में टीए कार्मिकों की भर्ती की गईः

(1) इन्फैन्ट्री (टीए) – 2303

(2) इंजीनियर (टीए) – 1345

(3) ईकोलॉजिकल (टीए) – 440

(4) डिपार्टमेन्टल (टीए) – 1615

यू एन मिशन

3.47 भारत ने यू एन शांति स्थापना ऑपरेशनों में काफी बड़ी संख्या में ट्रूप भेजे हैं। इस समय आठ यू एन मिशनों में हमारे करीब 6800 कार्मिक तैनात हैं। वर्ष 1950 से भारत ने पूरे विश्व में कुल 69 यूएन मिशनों में से 48 यू एन मिशनों में भाग लिया है और अब तक इन में करीब 2.10 लाख से अधिक भारतीय ट्रूप भेजे जा चुके हैं।

3.48 इस क्षेत्र में भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में शांति और स्थिरता कायम रखना है। भारतीय सेना ने लम्बे समय से ज्यादा से ज्यादा ट्रूप भेजने की अपनी वचनबद्धता बरकरार रखी है। यू एन मिशन व शांति स्थापित करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हुए अब तक भारतीय सेना के 150 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है।

3.49 भारत यूएन पी के ओ में अब तक सबसे बड़ी संख्या में ट्रूप भेजने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। अभी यूएनडीपीकेओ सहित यूएन शांति स्थापना मिशनों में भारतीय सेना निम्नलिखित के अनुसार तैनात है:

क्रम सं.	मिशन का नाम	कार्मिकों की संख्या
1	एम ओ एन यू एस सी ओ (कांगो)	3388
2	यू एन एम आई एस एस (दक्षिण सूडान)	2289
3	यू एन आई एफ आई एल (लेबनान)	899
4	यू एन डी ओ एफ (गोलन हाइट्स)	192
5	यू एन ओ सी आई (आइवरी कोस्ट)	09
6	यू एन आई एस एफ ए (अबेई)	06
8	यू एन डी पी के ओ (न्यूयॉर्क)	7
9	एम आई एन यू आर एस ओ (पश्चिमी सहारा)	03
	कुल	6793

सेंटर फॉर युनाइटेड नेशन्स पीसकीपिंग (सीयूएनपीके)

3.50 सेंटर फॉर युनाइटेड नेशन्स पीसकीपिंग (सीयूएनपीके) देश में शांति स्थापना से संबंधित प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। हर वर्ष यह तीनों सेनाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा मित्र राष्ट्रों से बड़ी संख्या में आए अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्ष भर के पूरे कार्यक्रम के भाग के रूप में इसने निम्नलिखित प्रमुख प्रशिक्षणों का आयोजन किया:–

(क) स्पेशल फीमेल मिलिट्री अफसर कोर्स (एस एफ एम ओ सी–1) जिसमें विश्व भर से 31 महिला अफसरों ने भाग लिया।

(ख) 29 जनू–17 जुलाई 2015 तक युनाइटेड नेशन्स मिलिट्री ऑब्ज़र्वर्स कोर्स (यू एन एम ओ सी–15) का आयोजन किया गया, जिसमें 53 शांतिसैनिकों ने भाग लिया।

(ग) आई सी आर सी के सहयोग से 9–10 सितंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(घ) 9–27 नवंबर 2015 तक यूनाइटेड नेशन्स मिलिट्री कंटिंजेंट अफसर कोर्स (यूएनएमसीओसी–15) जिसमें मित्र राष्ट्रों से आए 23 अफसरों ने भाग लिया।

****

4

भारतीय नौसेना

अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के दौरान आई एन एस सुमित्रा

अपनी बहुआयामी क्षमताओं और सक्रिय उपस्थिति के कारण भारतीय नौसेना हिन्द महासागरीय क्षेत्र में समुद्री नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करती आ रही है।

4.1 भारत एक समुद्री राष्ट्र है और यह बहुत बड़ी संख्या में मौजूद उन व्यस्त अन्तर्राष्ट्रीय पोतपरिवहन लेनों पर स्थित है जो हिंद महासागर से होकर जाती है। मात्रानुसार हमारे व्यापार का 90 % और मूल्य के अनुसार 70 % समुद्र द्वारा वहन किया जाता है। तेजी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो दुनिया भर में नए बाजारों की खोज कर रही है, ये व्यापार आंकड़े भविष्य में और ऊपर जाएंगे।

4.2 पिछले दस वर्षों में यह देखा गया है कि भारत की उसके समुद्री वातावण पर निर्भरता में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है क्योंकि इसकी आर्थिक, सैनिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता में वृद्धि हुई, इसका वैश्विक आदान–प्रदान बढ़ा और धीरे–धीरे इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और राजनीतिक हितों में बढ़ोतरी हुई। इसलिए 21वीं सदी को भारत के लिए 'समुद्रों की शताब्दी' के रूप में माना जा सकता है और उसके वैश्विक पुनरूत्थान में समुद्र महत्त्वपूर्ण सहयोगी बना रहेगा।

4.3 हिंद महासागरीय क्षेत्रों में अपनी बहुआयामी क्षमताओं और सक्रिय उपस्थिति के कारण भारतीय नौसेना समुद्र में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करती आ रही है। भारत के समुद्री पड़ोस में बढ़ती अस्थिरता, गहराती भू–राजनीतिक और जातीय दोषपूर्णता, बढ़ती सैनिक क्षमता और सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक भिन्नताओं के चलते वातावरण गतिशील बना हुआ है। ये सभी भारत के लिए समुद्र से आने वाली और समुद्र में उत्पन्न परंपरागत और उप–परंपरागत खतरे प्रस्तुत करती हैं। इन खतरों और चुनौतियों के कारण भारतीय नौसेना के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह हर किस्म के समाघात आपरेशनों के लिए स्वयं को कारगर बनाये रखें और भविष्य में पेश आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तदनुसार ढाले।

4.4 भारतीय नौसेना देश की समुद्री प्रभुसत्ता और असख्य समुद्री कार्यकलापों के प्रयोग की गारंटी देती है और इस कार्य को संभव बनाती है। यह कार्य भारतीय नौसेना अपनी चार भूमिकाओं–सैन्य, कूटनीतिक, रक्षा और कल्याणकारी भूमिका के माध्यम से करती हैं। भारतीय नौसेना की सैन्य भूमिका का उद्देश्य किसी भी ऐसे कार्य और हस्तक्षेप का निवारण/निवर्तन करना और युद्ध स्थिति में शत्रु को करारी हार देने में सक्षम होना है। नौसेना की रक्षीदल का मुख्य कार्य तटीय और अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुद्री डकैती रोधी उपायों को लागू करना है।

4.5 भारतीय नौसेना हिंद महासागरीय क्षेत्रों में मित्र देशों की नौसेनाओं की क्षमता वृद्धि और सामर्थ्य निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत हार्डवेयर और प्लेटफार्म उपलब्ध कर पा रहा है जिसमें ईईजेड निगरानी के लिए पोत और विमान सम्मिलित हैं। मित्र राष्ट्रों के सामुद्रिक ढ़ांचे को विकसित करने में भी भारतीय नौसेना सहायक रही है। भारतीय नौसेना समुद्र में कार्य करने वालों के संक्रियात्मक और तकनीकी कौशल को विकसित करने में भी सहयोग

के लिए तैयार है। क्षेत्र की नौसेनाओं/समुद्री बलों को अतिरिक्त हिस्से पूर्जे, ए आई एस उपस्कर, पोत हैंडल करने वाले सिमुलेटर, गोला–बारूद संचार उपस्कर, तटीय निगरानी रेडार, नौका जैसे महत्त्वपूर्ण सहयोग से भारत की छवि बेहतर बनी है तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है।

4.6 अक्तूबर 2008 से एक अग्रिम पंक्ति का बेड़ा पोत भारतीय और विदेशी राष्ट्रों के जहाजों को सुरक्षित एस्कोर्ट प्रदान करने और समुद्री डकैतों के हमलों से बचाव के लिए अदन की खाड़ी क्षेत्र में तैनात है।

4.7 हाल ही में शामिल किए गए इमिडिएट सपोर्ट वेसल, (आई एस वी) की तैनाती से अपतटीय परिसम्पत्तियों, जिसमें अपतटीय विकसित क्षेत्र (ओडीए) शामिल हैं, की सुरक्षा में वृद्धि हुई। ओडीए प्लेटफार्म जो कि भारतीय ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, उनकी संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ओडीए पर नियमित अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

विदेशों में ऑपरेशन

4.8 **लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी (लीमा–15):** मार्च 2015 में मलेशिया में आई एन एस कमोर्ता ने लैंगकावी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस (लीमा–15) में भाग लिया।

4.9 **अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी (आई एम डी ई एक्स) एशिया–2015:** मई 2015 के दौरान सिंगापुर में भारतीय नौसेना के पोतों सतपुरा और कमोर्ता ने आई एम डी ई एक्स एशिया के 10वें संस्करण में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था मेसर्स जीएसएल और जीआरएसई समेत भारतीय डीपीएसयू द्वारा 'मेक इन इंडिया' पैवेलियन की स्थापना।

4.10 **ए आर एफ आपदा राहत अभ्यास:** मई 2015 में मलेशिया के पिनांग में आई एन एस सरयू ने एशियन रीजनल फोरम (एआरएफ) के आपदा राहत अभ्यास (डी आई आर ई एक्स) में भाग लिया।

4.11 **पूर्वी नौसेना बेड़े की विदेशों में तैनाती (ओ एस डी):** मई और जून 2015 में भारतीय नौसेना के पोतों सतपुरा, कमोर्ता, रनवीर और शक्ति की दक्षिण चीन सागर, जापान सागर और जावा के समुद्र में तैनात किया गया। भारतीय नौसेना ने सिम्बैक्स 15 में सिंगापुर की नौसेना के साथ भाग लिया और इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड और कम्बोडिया की नौसेनाओं के साथ 'पैसेक्स' अभ्यास भी किया।

ओएसडी के दौरान लोम्बोक जलडमरूमध्य में भारतीय नौसेना के पोतों का युद्धाभ्यास

4.12 **जापान की सागामी खाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (आई एफ आर):** अक्तूबर 2015 में जापान की सागामी खाड़ी में जापान द्वारा आयोजित आई एफ आर में आई एन एस सहयाद्री में भाग लिया। इस पोत ने रास्ते में पड़ने वाले वियतनाम, कोरिया गणराज्य और फिलिपीन्स का भी दौरा किया।

जापान की सागामी की खाड़ी में आई एफ आर के दौरान आई एन एस सह्याद्री।

4.13 पश्चिमी बेड़े से विदेश में तैनाती (ओ एस डी): भारतीय नौसेना के पोत दिल्ली, दीपक, टाबर और त्रिशूल सितम्बर 2015 में पश्चिमी बेड़ों से विदेश में तैनाती (ओएसडी) के तहत फारस की खाड़ी में तैनात किया गये हैं। इसके अतिरिक्त, अगस्त–सितम्बर, 2015 में भारतीय नौसेना के पोत ब्यास और बेतवा को ईरान में तैनात किया गया।

4.14 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की विदेश में तैनाती: कैडटों के समुद्री प्रशिक्षण के तहत भारतीय नौसेना पोतों की प्रथम प्रशिक्षण रक्वाड्रन (1 टी एस) ने मार्च 15 में इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका का दौरा किया और सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक मॉरीशस और सेशेल्स का दौरा किया। 1 टी एस के मॉरीशस दौरे के दौरान, आई.एन.एस. सुजाता ने भी नवम्बर 2, 2015 को मॉरीशस में आयोजित अप्रवासी दिवस में भाग लिया।

4.15 **लोकायन 15:** आई एन एस तरंगिनी, जो भारतीय नौसेना का एक नौचालन प्रशिक्षण पोत है, को अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 तक आठ महीनों के लिए विदेश में तैनात किया गया था। लोकायन 15 संपूर्ण वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित तथा संरक्षित समुद्री वातारण के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारतीय नौसेना की व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करता है।

मुख्य अभ्यास

4.16 **ट्रॉपेक्स 15:** भारतीय नौसेना के वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज (ट्रॉपेक्स) का आयोजन जनवरी के अंत से फरवरी 2015 तक किया गया था। इस अभ्यास में कुल 42 पोतों, तीन पनडुब्बियों और 51 वायुयान, जिसमें परमाणु पनडुब्बी चक्र शामिल है और भारतीय नौसना में नए शामिल किए गए पी8आई वायुयान भी है, ने भी भाग लिया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना और तटरक्षक यूनिटों की सहभागिता का भी साक्षी रहा। इसके अतिरिक्त, एल एण्ड एम द्वीप समूहों के तट पर ट्रॉपेक्स के दौरान बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था।

ट्रॉपेक्स 15 के दौरान भारतीय नौसेना पोतों की फार्मेशन

ट्रॉपेक्स के दौरान वायुयान वाहक से उड़ान ऑपरेशन

4.17 **डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज 15 (डी जी एक्स 15):** डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज का संचालन पश्चिमी समुद्र तट पर अक्तूबर के अंत से नवम्बर 2015 तक किया गया था। भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक यूनिटों से 33 पोत, 3 पनडुब्बियां और 29 वायुयानों ने इस अभ्यास में भाग लिया।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

4.18 **मलबार 15:** 1992 से भारतीय नौसेना तथा यू.एस. नेवी की नौसेनाएं द्विपक्षीय अभ्यास मलबार में निरंतर भाग लेती आ रही हैं। मलबार के 19वे संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2015 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था और इस बार जापान के मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स (जे एम एस डी एफ) ने भी इसमें हिस्सा लिया।

4.19 **वरूणा-15ः** इंडो–फ्रेंच नौसेनिक अभ्यास 'वरूणा' 1993 से आयोजित किया जा रहा है। वरूणा 15 फ्रेंच नौसेना के साथ अप्रैल के अंत से मई 20, 2015 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था।

4.20 **सिम्बेक्स 15ः** सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलेट्रल एक्सरसाइज (सिम्बेक्स) प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में बारी बारी से आयोजित किए जाते हैं। सिम्बेक्स–15, 20 मई, 2015 को सिंगापुर नेवी के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया।

4.21 **कोंकण-15ः** रॉयल नेवी के साथ किया जाने वाला द्विपक्षीय वार्षिक नौसेना अभ्यास 'कोंकण' एक ऑपरेशनल आदान–प्रदान है जिसका आयोजन 2004 से किया जा रहा है। कोंकण–15 सितम्बर 2015 को यूके के समुद्र पर आयोजित किया गया था।

4.22 **एयूएस आई एन डी ई एक्स-15ः** भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एयूएसआईएनडीईएक्स सितम्बर 2015 में विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया गया था।

4.23 **स्लाइनेक्स 15 (एस एल आई एन ई एक्स-15)ः** भारतीय नौसेना एवं श्रीलंका नौसेना के बीच यह अभ्यास पहली बार 2005 में और फिर 2010 में आयोजित किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि यह अभ्यास एक साल छोड़कर आयोजित किया जाए। स्लाइनेक्स–15 अक्तूबर के अंत से नवम्बर 2015 के आरम्भ तक श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया था।

4.24 **इंद्र-15ः** इंद्र के नाम से इंडो–एशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 2003 से किया जा रहा है। 'इंद्र–15' का आयोजन दिसम्बर 2015 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था।

हिन्द महासागर क्षेत्र की तटवर्ती नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त (कॉर्पेट)

4.25 **भारतीय नौसेनाः म्यांमार नौसेना की समन्वित गश्तः** भारतीय नौसेना और म्यांमार नौसेनाओं ने मिलकर 2013 से हर साल समन्वित गश्त (कॉर्पेट) का आयोजन किया है। तीसरे कॉर्पेट का आयोजन 16–22 मार्च 2015 तक किया गया था, जिसका उद्घाटन समारोह यानगोन में तथा समापन समारोह ग्रेट कोको द्वीप समूह, म्यांमार में हुआ था।

4.26 **इंडो-थाई समन्वित गश्तः** इंडो–थाई समन्वित गश्त 2005 से नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष दो समन्वित गश्त आयोजित की जाती है और अब तक कुल 21 समन्वित गश्त आयोजित की जा रही हैं। 2015 में, 20वीं समन्वित गश्त का आयोजन 3 से 9 अप्रैल 2015 को किया गया था और 21वी समन्वित गश्त 14–24 नवम्बर 2015 को आयोजित की गई थी।

4.27 **इंड-इंडो समन्वित गश्त (कॉर्पेट)ः** जनवरी 01 को भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप आवधिक समन्वित गश्त के रूप में दो देशों की नौसेनाओं के बीच आदान–प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समन्वित गश्त का आयोजन जिसे 'इंड–इंडो 'कॉर्पेट' कहा जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर हर साल मार्च/अप्रैल और सितम्बर/अक्तूबर में किया जाता है। अब तक कुल 26 समन्वित गश्त लगाए जा चुके है। 2015 में, समन्वित गश्त अप्रैल/मई 2015 और सितम्बर/अक्तूबर 2015 में आयोजित की गई थी।

समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन

4.28 समुद्री डकैती रोधी एस्कोर्ट ड्यूटी के लिए अक्तूबर 2008 से भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में 55 पोतों को तैनात किया है। इन तैनातियों के दौरान, भारतीय नौसेना ने करीब 3,195 व्यावसायिक पोतों का मार्गरक्षण (एस्कोर्ट) किया है (359 भारतीय फ्लैग्ड) जिसमें करीब 23,200 भारतीय समुद्र यात्री सवार थे। भारतीय नौसेना द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई और निरंतर सतर्कता के कारण, मार्च 12 से पूर्वी अरब सागर में समुद्री डकैती संबंधी कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।

4.29 पूर्वी अरब सागर में समुद्री डकैती की कोई भी घटना न घटने के परिणामस्वरूप, भारत ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर समुद्री डकैती के हाई रिस्क एरिया (एच आर ए) के संशोधन का मामला उठाया है। भारतीय नौसेना द्वारा अन्य साझेदारों के साथ मिलकर किए गये सतत प्रयासों के फलस्वरूप, जहाज़रानी उद्योग के हिस्सेदारों को आपस में विचार–विमर्श करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2015 में भारत की पश्चिमी तट पर 65° पूर्वी लांगिट्यूड से उच्च जोखिम क्षेत्र (हाई रिस्क एरिया) की पूर्वी सीमाओं को पीछे धकेला गया। समुद्री डकैती उच्च जोखिम क्षेत्र (हाई रिस्क एरिया) के संशोधन से यह संभावना है कि शिपिंग उद्योग को पर्याप्त वित्तीय बचत होगी।

4.30 भारतीय नौसेना, भारतीय समुद्री क्षेत्रों (जोन) समुद्र पर अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, और समुद्र की ऊंची लहरों में नौचालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है, जिसमें सोमालिया के तट भी शामिल हैं।

4.31 मेजबान राष्ट्रों के अनुरोध पर भारतीय नौसेना के पोत और वायुयान मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स के ईईजेड की निगरानी के लिए भी नियमित तौर से तैनात किए जाते हैं।

तटीय सुरक्षा

4.32 मौजूदा यंत्रावलियों को सरल व कारगर बनाने, अंतरअभिकरण सहयोग को सुधारने और समुद्री, तटीय और अपतटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सभी तटीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तटीय सुरक्षा अभ्यास लगातार संचालित किए जा रहे है। भारतीय नौसेना तटीय सुरक्षा में लगी हुई बहुत सी एजेंसियों को सक्रिय रूप से साथ मिलाकर प्रशिक्षण सहायता देने, उपस्कर प्रशिक्षण संचालित करने और तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराने में लगी हुई है। भारतीय नौसेना मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ पारस्परिक मेलजोल के कार्यक्रमों के द्वारा उनको सुरक्षा सांचे में एकजुट करने के काम में लगातार सक्रिय रूप से लगी हुई है। भारतीय नौसेना, सभी हितधारकों की सहभागिता से मौजूदा प्रणालियों को मजबूत बनाने और इस प्रकार के अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने का कार्य कर रही है। तटीय सुरक्षा संरचना को पर्याप्त तेजी प्रदान करने के लिए नवंबर 2015 में पहली बार गुजरात के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' को मुख्य समुद्री अभ्यास 'गुजरात के रक्षा का अभ्यास' (डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाईज) डी.जी.एक्स. 2015 के साथ जोड़ा गया। इसके साथ–साथ पूरे वर्ष के दौरान पश्चिमी व पूर्वी दोनों समुद्री तटों पर और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में भी अनेक तटीय सुरक्षा अभ्यास संचालित किए गए।

4.33 तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना में तीव्र अवरोधक विमान (फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट) और तत्काल सहायता वाहन (इमीडिएट सपोर्ट वेसेल) को शामिल किया जा रहा है। 2015 में 13 आई.एस.वी के कमीशन होने के साथ ही भारतीय नौसेना में अपतटीय सुरक्षा के लिए निर्धारित सभी 23 आई.एस.वी. को शामिल कर लिया गया है और अपतटीय व्यवस्थापनों की सुरक्षा के लिए उनको लगातार तैनात किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने सागर प्रहरी बल में 95 एफ.आई.सी में से 67 को शामिल किया है और शेष को 2017 तक शामिल करने की योजना है। इन एफ.आई.सी. को तटीय सुरक्षा मिशनों के लिए इष्टतम रूप से नियुक्त किए जा रहे है।

4.34 राष्ट्रीय कमांड नियंत्रण संचार आसूचना नेटवर्क (एन.सी.आई) जो भारतीय नौसेना के 51 स्टेशनों ऐव आई सी.जी को आपस में जोड़ता है और मल्टीपल सेंसरों को एकीकृत करता है उसका क्षेत्रीय जागरूकता के विकास और ऐजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा रहा है।

विदेशी सहयोग

4.35 **म्यांमार के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षणः** मार्च 2015 की शुरुआत में आईएनएस दर्शक के म्यांमार में वहां की सरकार के अनुरोध पर सर्वेक्षण कार्य के लिए सिट्वे के तट पर तैनात किया गया। इस पोत ने ज्वार भाटा के प्रेक्षण लेने के अलावा सर्वेक्षण के 6700 नोटिकल मील

रन और 325 नाटिकल मील के साईड स्कैन आपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप तैयार 'फेयर शीट' 13 मई 2015 को प्यांमार की सरकार को प्रस्तुत की गई।

4.36 **सेशेल्स के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षणः** आई.एन.एस दर्शक ने पोर्ट विक्टोरिया या और उसके पहुंच मार्गों का हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण 27 अक्तूबर से 18 दिसंबर 2015 तक किया।

4.37 **केन्या और तंजानिया के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षणः** आई.एन.एस जमुना को केन्या की सरकार के अनुरोध पर केन्या की मंडा की खाड़ी और म्कोकोनी के जलीय सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया। तंजानिया की सरकार के अनुरोध पर आई.एन.एस जमुना को ही तंजानिया के जंजीबार पोर्ट के तट से दूर जलीय सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया।

4.38 **मॉरीशस के लिए महाद्वीपीय शेल्फ क्लेम सर्वेक्षणः** आई.एन.एस सर्वेक्षक को मॉरीशस सरकार के अनुरोध पर लीगल कांटिनेंटल शेल्फ (सीएलसीएस) सर्वे के दावे के लिए कमीशन का संचालन करने के लिए पोर्ट लुईस, मॉरीशस में तैनात किया गया। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में लगातार सहयोग के चलते हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की एक यूनिट की स्थापना की गई है और मॉरीशस के जल क्षेत्र के 24 सर्वेक्षण किए गए हैं।

4.39 श्रीलंका और मालदीव को हाईड्रोग्राफी सहायता देने पर बातचीत चल रही है और भारत 2016 में उनके क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए सहमत हो गया है।

4.40 **हाइड्रोग्राफी प्रशिक्षण में सहायताः** हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षणों में सहातया देने के साथ–साथ भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफी से संबंधित विषयों में संबंधित संगठनों एवं विदेशी नौसेनाओं के आधिकारियों/नाविकों (सेलर्स) को प्रशिक्षित भी कर रही है।

4.41 **अंटार्कटिका के लिए 34वीं भारतीय वैज्ञानिक अभियानः** एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण टीम ने, जिसमें 01 हाइड्रोग्राफिक अधिकारी और एक सर्वेक्षण रिकार्डकर्त्ता या 'इंडिया बे' क्षेत्र में सर्वेक्षण की आवश्यकता के मद्देनजर जनवरी से अप्रैल 2015 तक आयोजित अंटार्कटिका के लिए 34वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान में भाग लिया।

4.42 **वियतनाम पीपल्स नेवी (वी.पी.एन) को सामग्री सहायताः** मेजबान सरकार के अनुरोध पर भारतीय नौसेना की एक तकनीकी टीम को वी.पी.एन के विभिन्न उपस्कारों के दोषों को सुधारने के लिए नवंबर 15 में वियतनाम में तैनात किया गया। इसके साथ ही वीपीएन कार्मिकों के लिए यार्ड प्रक्रियाओं और शिपबोर्न सिस्टम (पोत पर मौजूद प्रणालियों) की मरम्मत एवं रख–रखाव विषय पर प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया।

नौसेना का नौसेना के साथ परस्पर संवाद

4.43 **आईओएनएस (हिन्द महासागरीय नौसेना संगोष्ठी)ः** मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन (एच ए डी आर) पर बनी आई ओ एन एस वर्किंग ग्रुप में बैठक का आयोजन एच क्यू डब्ल्यू एन सी मुम्बई में अगस्त 2015 में किया गया था। इस समारोह में छह सदस्य नौसेनाओं ने हिस्सा लिया जिसमें आस्ट्रेलिया, बँगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव और ओमान शामिल हैं। एच ए डी आर के ड्राफ्ट आई ओ एन एस निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा की गई और बैठक के दौरान इसे मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा आई ओ आर के द्वीपीय राष्ट्र में एच ए डी आर कॉन्टिजेंसी (चक्रवात) पर आधारित एक टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीई) का भी आयोजन किया गया।

4.44 **मॉरीशस तटरक्षक बल (एम.सी.जी) के लिए ओ.पी.वी को शामिल करनाः** मैसर्स जीआरएसई कोलकाता द्वारा निर्मित एमसीजीओपीवी 'बाराकुडा' 20 दिसम्बर 2014 को मॉरीशस सरकार (जी.ओ.एम) को सुपुर्द किया गया। 12 मार्च 2015 को मॉरीशस के पोर्ट लुईस में भारत के प्रधानमंत्री की गौरवपूर्ण उपस्थिति में पोत को मॉरीशस

के प्रधानमंत्री अनीरोड जुगनौत द्वारा शामिल किया गया। 'बाराकुडा' ऐसा पहला विदेशी युद्ध पोत है जिसका निर्माण और डिलिवरी भारतीय शिपयार्ड ने की है।

एमओपीवी 'बाराकुडा' के कमीशनिंग समारोह के दौरान प्रधानमंत्री

4.45 **एम.एन.डी.एफ. हुरावी पोत की रीफिटिंग:** भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना गोदीबाड़ा विशाखपत्तनम में 1 मई, 2015 से मालदीव नेवी शिप 'हुरावी' के मीडियम रीफिट (एमआर) का कार्य शुरु किया। इस पोत की रीफिटिंग का कार्य 21 जनवरी, 2016 को समाप्त हो गया और इसके बाद पोत ने आई.एफ.आर 2016 में हिस्सा लिया। पोत विशाखापत्तनम बंदरगाह से 23 फरवरी, 2016 को मालदीव की यात्रा के लिए रवाना हुआ।

4.46 **अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2016 (आई.एफ.आर-16):** भारतीय नौसेना ने 4 से 8 फरवरी, 2016 के दौरान विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (आई.एफ.आर) को मेजबानी की। कुल मिलाकर 100 पोतों जिनमें 24 विदेशी युद्धपोत थे और 48 देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने इस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्वारा 6 फरवरी, 2016 को हिस्सा लेने वाले भारतीय और विदेशी युद्धपोतों के बेड़ों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री 7 फरवरी, 2016 को आयोजित 'संक्रियात्मक प्रदर्शन' और अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड के दौरान मुख्य अतिथि थे। भारतीय नौसेना ने आई.एफ.आर के लिए लोगो तैयार किया था, जो नौसेना के तीन सक्रिय आयामों को एक पोत, पनडुब्बी और वायुयान के माध्यम से चित्रित करता है और आई.एफ.आर के तीन अक्षर भी लोगो का अभिन्न हिस्सा थे। डॉल्फिन को शुभंकर चुना गया जो समुद्रपारीय

यूनाइटेड थ्रू ओशीन्स

मित्रता को दर्शाता है। इस समारोह की थीम 'समुद्र के जरिए एकजुटता' थी।

कमीशनिंग

4.47 **भा.नौ.पो कोच्चि की कमीशनिंग:** कोलकाता श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक भा नौ पो कोच्चि को रक्षा मंत्री द्वारा 30 सितम्बर, 2015 को मुम्बई में कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना के आन्तरिक संगठन, नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा अभिकल्पित एवं मांझगाव डॉक

भा.नौ.पो. कोच्चि की कमीशनिंग

लिमिटेड, मुम्बई द्वारा निर्मित, यह पोत आधुनिक हथियारों और सेन्सरों से लैस है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से समुद्री सुरक्षा हासिल करने की राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप कोलकाता श्रेणी के पोतों में दिल्ली श्रेणी के पोतों की तुलना में अधिक स्वदेशीकरण किया गया है।

4.48 **भा.नौ.पो. अस्त्रधारिणी की कमीशनिंगः** टॉरपीडो लॉन्च रिकवरी वेसेल (टी.एल.आर.वी) भा.नौ.पो अस्त्रधारिणी जिसका निर्माण मैसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में किया गया है, को 6 अक्तूबर, 2015 को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। इस पोत का उपयोग नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला द्वारा विकसित स्वदेशी अंतर्जलीय हथियार प्रणालियों के परीक्षणों के लिए किया जाएगा।

4.49 **त्वरित सहायता जलयान (आई एस वी) की 82वीं, 83वीं और 84वीं आई एस वी स्क्वाड्रनों की कमीशनिंगः** 82वीं, 83वीं और 84वीं त्वरित सहायता जलयान (आइ एस वी) स्क्वाड्रनों से संबंधित 13 आई एस वी को भारत के तटों के अपतटीय विकास क्षेत्रों (ओ डी ए) में निगरानी गश्त के लिए 2015 में कमीशन किया गया।

4.50 **भा नौ पो सरदार पटेल की कमीशनिंगः** गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को पोरबंदर में स्थित एक भारतीय नौसेना बेस भा नौ पो सरदार पटेल को कमीशन किया गया। सरदार पटेल की कमीशनिंग से गुजरात राज्य में नौसेना आपरेशनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में व्यापक वृद्धि हो पाएगी।

4.51 **भा नौ पेा वज्रकोष की कमीशनिंगः** कारवार में मार्च 2009 में स्थापित मिसाइल टेक्नीकल पोजीशन को 9 सितम्बर, 2015 को रक्षामंत्री द्वारा भा नौ पो वज्रकोष के नाम से कमीशन किया गया।

4.52 **भा नौ पो विश्वकर्मा की कमीशनिंगः** विशाखापत्तनम में स्थित शिपराइट स्कूल को 14 नवम्बर, 2015 को भा नौ पो विश्वकर्मा के नाम से कमीशन किया गया।

नौसेना विमानन

4.53 भारतीय नौसेना आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। नौसेना विमानन का पर्याप्त रूप से विस्तार करने के लिए परिदृश्य–योजना, ऑपरेशन, मानव–संसाधन, प्रशिक्षण और उड़ान–संरक्षा के विभिन्न पहलुओं और हमारे मौजूदा और योजनागत नौसेना एयर स्टेशनों और नौसेना एयर एनक्लेवों में ढांचागत सुविधाओं के संवर्धन पर भी साथ–साथ ध्यान देना होगा। भविष्य की एक सशक्त, व्यावसायिक रूप से सक्षम और संक्रियात्मक रूप से तैयार एयर आर्म सुनिश्चित करने के लिए अनेक नए कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पी 8आई , ए जे टी और मिग–29के फाइटर वायुयानों जैसे अत्याधुनिक विमानों को नौसेना में शामिल किया जा रहा है।

4.54 **मिग 29 के फाइटर वायुयानः** मिग–29 के विविध कार्य करने में सक्षम पोत–आधारित लड़ाकू वायुयान है जिसे दुश्मन के हवाई टारगेट, सतह पर मौजूद पोतों और तटीय लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 45 अनुबंधित वायुयानों में से 26 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है जबकि शेष वायुयानों का वितरण 2016 के अंत तक होना तय है। मिग–29के फाइटर वायुयान की प्रशिक्षण स्क्वॉड्रन को 2016 के मध्य तक कमीशन कर दिया जाएगा। मिग 29के वायुयान के ऑपरेशन में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक ट्रेनिंग सिमुलेटर सुविधा को 2 जुलाई, 2015 में कमीशन किया गया।

4.55 **पी–8 आई एल आर एम आर ए एस डब्ल्यूः** पी–8 आई लंबी दूरी की समुद्रिक टोह एवं पनडुब्बी–रोधी युद्धपद्धति (एल आर एम आर ए एस डब्ल्यू) वायुयान के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की सामुद्रिक निगरानी क्षमता में वृद्धि हुई है। एम एच–370 की खोज में भारतीय नौसेना के पी–8 आई की सक्रिय भागीदारी इसकी सामुद्रिक निगरानी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है। सभी 8 वायुयानों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया हैं और पूरी कुशलता से इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए 'राष्ट्र को समर्पण' समारोह का आयोजन 13 नवंबर, 2015 को किया गया जिसके मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री थे।

रक्षामंत्री राष्ट्र को पी–8 आई समर्पित करते हुए

4.56 **एल सी ए (नेवी):** आजकल हल्के समाघात वायुयान (एल सी ए) के पहले दो नौसेना प्रोटोटाइप वायुयानों (एन पी 1 और एन पी 2) की फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है। एन पी1 वायुयान ने अपनी पहली सफल उड़ान 2012 में की और पहली स्की जम्प दिसम्बर 2014 में की गई। एन पी 2 ने अपनी पहली सॉर्टी फरवरी 2015 में भरी और तब से इसकी 12 सॉर्टियां की जा चुकी हैं। इस वायुयान का उपयोग एल सी ए (नेवी) एमके II के विकास की दिशा में कैरियर कम्पैटिबिलिटी ट्रायल्स के लिए किया जाएगा।

4.57 **ए जे टीः** विशाखापत्तनम स्थित हॉक ए जे टी स्क्वॉड्रन में लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षण दिए जाने के साथ–साथ फ्लीट यूनिटों के अन्य कार्य भी किए जाते हैं। शामिल किए जाने वाले 17 वायुयानों में से अब तक 11 की सुपुर्दगी हो चुकी है। शेष वायुयानों को 2017 तक सपुर्द कर दिया जाएगा।

जानने योग्य महत्वपूर्ण घटनांए

4.58 **कमांडरों का संयुक्त सम्मेलनः** 15 दिसम्बर 2015 को कोच्चि तट से दूर भा नौ पोत विक्रमादित्य पर कमांडरों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। माननीय रक्षामंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख तथा सेना, नौसेना एवं वायु सेना के कमांडर–इन–चीफ ने विक्रमादित्य पोत पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीय नौसेना की संक्रियात्मक क्षमता का प्रदर्शन भी शामिल था। इस संक्रियात्मक प्रदर्शन (ऑपरेशन डेमो) में कुल 23 पोतों, 05 पनडुब्बियों ('चक्र' समेत) तथा 60 से अधिक वायुयानों ने भाग लिया।

4.59 **भा नौ पो विक्रमादित्य पर माननीय रक्षामंत्री का दौराः** 13 फरवरी 2015 को माननीय रक्षामंत्री, रक्षा राज्यमंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य पदाधिकारियों के साथ भा नौ पो विक्रमादित्य पर चढ़े। इन विशेष अतिथियों ने संयुक्त फ्लीट संक्रिया देखने के साथ ही पोत के दौरे के समय मिग 29के की उड़ान, मिसाइल दागने का अभ्यास, पनडुब्बी संक्रिया तथा हवाई शक्ति का प्रदर्शन भी देखा। माननीय रक्षामंत्री ने भारतीय नौसेना की स्वदेशी संचार सेटेलाइट पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

4.60 **रक्षा मामलों की स्थायी समिति का दौरा (एस सी ओ डी):** रक्षा मामलों की स्थायी समिति (एस सी ओ डी) ने 4 से 6 फरवरी, 2015 को गोवा का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल को 6 फरवरी, 2015 को वायुयान द्वारा भा नौ पो विक्रमादित्य पर लाया गया। एस सी ओ डी ने पोत का पैदल दौरा किया और उसके बाद मिग–29के, कामोव एवं चेतक वायुयानों की पोत से उड़ान संक्रिया का जायजा लिया। विक्रमादित्य का दौरा पूरा कर प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण संस्थान गोवा का दौरा किया। एस सी ओ डी के प्रतिनिधि मंडल ने 31 मई से 01 जून 2015 तक कोच्चि का दौरा किया, जहाँ उन्हें दक्षिण नौसेना कमान की प्रशिक्षण गतिविधियों के विषय में ब्रीफ किया गया।

4.61 **महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करनाः** भारतीय नौसेना ने कार्यक्षम, सक्षम एंव प्रगतिशील सेना के रूप में तैयार होने के क्रम में वर्ष 2015 में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए जो भविष्य में समुद्री क्षेत्र की मौजूदा तथा

भावी चुनौतियों का सामना करने में नौसेना का सही मार्गदर्शन करेंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) **भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति 2015:** अक्तूबर 2015 में भारतीय नौसेना ने 'भारतीय समुद्री रणनीति 2015' (इंडियन मेरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2015) जारी की जो आने वाले वर्षों के नौसेना की संवृद्धि, विकास तथा तैनाती के संबंध में रणनीतिक दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है।

(ख) **परिवर्तन के लिए रणनीतिक दिशानिर्देश:** अक्तूबर 2015 में भारतीय नौसेना ने परिवर्तन के लिए रणनीतिक दिशानिर्देश (स्ट्रेटजिक गाइडेंस फॉर ट्रांसफारमेशन) जारी किए, जो भारतीय नौसेना में परिवर्तन के लिए अवधारण, दूर–दूष्टि तथा परिवर्तन संबंधी रणनीति समेत अद्यतन संदर्भित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती हैं

(ग) **समुद्री अवसंरचना परिप्रेक्ष्य योजना 2015-27:** भारतीय नौसेना ने मई 2015 में 'समुद्री अवसंरचना परिप्रेक्ष्य योजना (एम आई पी पी) 2015–27' जारी की है, जो समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (एम सी पी पी) तथा 'मानव पूंजी रणनीति' (ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटजी) में दिए गए सैन्य स्तर तथा कार्मिक शक्ति में सवृद्धि के अनुरूप रोडमैप तैयार करती है, जिससे संक्रियात्मक, अनुरक्षण, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक सहयोग क्षमता/अवसंरचना का सृजन किया जा सके।

(घ) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भावी योजना (रोडमैप) 2015-35:** भारतीय नौसेना ने मई 2015 में 'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी रोडमैप 2015–35' जारी किया है, जो उन प्रौद्योगिकियों की पहचान में सहायक होगी जिन्हें अगले 20 वर्षों में विकसित करना अपेक्षित है। यह दस्तावेज राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास करने तथा भारतीय नौसेना, डी आर डी ओ, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजि उद्योगों के मध्य समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल देता है, जिससे भावी नौसेना के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके।

(च) **भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण योजना 2015-30:** भारतीय नौसेना ने जुलाई 2015 में 'भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015–30' (इंडियन नेवल इंडिजनाइजेशन प्लान 2015–30) जारी की है, जो अगले 15 वर्षों में भारतीय नौसेना की उपस्कर तथा प्रणालियों के स्वदेश में निर्माण की आवश्यकताओं को प्रतिपादित करने का एक प्रयास है। इस दस्तावेज में स्वदेशीकरण के लिए क्षमता की कमियों की पहचान की गई है और उन उपस्कर की सूची बनाई गई है जिन्हें आने वाले वर्षों में स्वदेशीकरण के लिए हाथ में लिया जा सकता है।

4.62 **पोर्ट ब्लेयर हवाईपत्तन में रात्रि अवतरण:** पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित तीन संयुक्त रूप से प्रयोग होने वाले हवाई अड्डों में से एक है (गोवा और विशाखापत्तनम के अलावा)। सिविल उड़ान ऑपरेशनों की संख्या को बढ़ाने और फिर पोर्ट ब्लेयर की मुख्य स्थानों से जोड़ने के लिए भारतीय नौसेना 2014 की समाप्ति से ही रात्रि उड़ान ऑपरेशन शुरु करने को तैयार थी। भारतीय नौसेना का प्रयास फलीभूत हुआ, जब 11 सितंबर 15 को एक सिविल उड़ान का प्रथम परीक्षण अवतरण रात के अंधेरे में पोर्ट ब्लेयर में किया गया।

4.63 **नवप्रवर्तन एवं स्वदेशीकरण पर सेमिनार:** भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण के कार्य में सबसे आगे रही है और इसने सरकार द्वारा शुरु की गई विभिन्न पहलों के अनुरूप स्वयं को ढाला है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' की पहल के अंतर्गत भारतीय उद्योग महासंघ (सी आई आई) के सक्रिय सहयोग से जुलाई 2015 में स्वदेशीकरण पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में अकादमिक वर्ग, मध्यम लघु और बहुत छोटे की व्यापक भागीदारी सामने आई। सेमिनार का मुख्य आकर्षण रक्षामंत्री द्वारा भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015–30 का प्रख्यापन था। दस्तावेज में 2015–30 की अवधि के लिए भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण विकास की आवश्यकता

को बताया गया है। दस्तावेज को भारतीय उद्योग जगत के अवलोकनार्थ भारतीय नौसेना की वेबसाइट और सी आई आई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

4.64 **नवप्रवर्तन और स्वदेशीकरण पैविलयनः** भारतीय नौसेना ने अपने कार्मिकों के लिए 'इनोवेशन ट्रॉफी' शुरु की हैं, इसका उद्देश्य कार्मिको को नए तरीकों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना है और 'स्वदेशीकरण और नवप्रवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इस दिशा में किए गए कुछ प्रयासों को प्रधानमंत्री के समक्ष नेवी हाऊस में नौसेना दिवस के रिसेप्शन के दौरान 4 दिसंबर 2015 को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ये नए शुरु किए गए पुरस्कार विजेताओं को दिए।

4.65 **1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंतीः** 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्णजयंती की स्मृति में भारतीय नौसेना ने सितंबर 2015 में इंडिया गेट के लॉन में नौसेना पैविलयन बनाया जहां युद्ध के विभिन्न पक्षों को पोतों और एयरक्राफ्ट के मॉडलों, फोटोग्राफ और 3डी सीए डी प्रदर्शन में प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें युद्ध के दौरान ध्वज पोत आई एन एस मैसूर को चित्रित किया गया। इसके अलावा, 1965 के युद्ध की याद और लोगों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए सितंबर 2015 में कमानों द्वारा मोटर साइकिल अभियान भी किए गए। ये अभियान उन विभिन्न स्थलों से गुजरे जहां युद्ध के दौरान लड़ाइयां लड़ी गई थी।

4.66 **मॉरीशस एवम् सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवसों में भागीदारीः** भारतीय नौसेना के पोत दिल्ली और तेग ने क्रमशः मॉरीशस एवम् सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। आई एन एस दिल्ली, प्रधानमंत्री द्वारा मॉरीशस को भारत में निर्मित ओपीवी ''बाराकुडा'' के सौंपे जाने के समारोह के दौरान भी पोर्ट लुई में मौजूद था।

4.67 **वाणिज्यिक पोतों को खोज एवम् बचाव सहायताः** भारतीय नौसेना ने 21 जून 2015 को मुंबई से 40 समुद्री मील उत्तर–पश्चिम में लंगर डाले हुए वाणिज्यिक पोत जिंदल कामाक्षी के क्रू को सहायता मुहैया कराई जो पानी भरने के कारण तेजी से पानी में डूब रहा था। संकट संदेश प्राप्त होने पर एक सीकिंग हेलिकॉप्टर ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरी और 19 क्रू सदस्यों को हेलिकॉप्टर द्वारा सुरक्षित निकाल कर मुंबई पहुंचा दिया गया। एक अन्य घटना में भारतीय नौसेना के हेलिकॉप्टर ने 23 जून, 2015 को वाणिज्यिक पोत कोस्टल प्राइड से 14 कार्मिकों को बचाया।

4.68 **पवन हंस हेलिकॉप्टर की खोज और बचावः** 04 नवंबर 2015 को समुद्र में पवन हंस हेलिकॉप्टर के क्रेश हो जाने पर भारतीय नौसेना के पोतों और हेलिकॉप्टरों को तुरंत हेलिकॉटर के मलबे और जीवित बचे हुए लोगों का पता लगाने के कार्य में सहयता देने के लिए तैनात किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा की गई खोज के आधार पर ओ एन जी सी द्वारा तैनात किए गए पोतों द्वारा गोताखोरी अभियान चलाया गया और हेलिकॉप्टर का मलवा ब्लैक बॉक्स और एक पायलट का विच्छिन्द शव बरामद हुआ।

4.69 **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः** भारतीय नौसेना ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को बढ़ावा देने के लिए महासागरों के पार योग थीम से कार्यक्रम का संचालन किया। सभी नौसेना कार्मिकों और उनके परिवार के लाभार्थ सभी नौसेना स्टेशनों और यूनिटों में और दक्षिण चीन सागर भूमध्यसागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तैनात पोतों, पनडुब्बियों में बहुविध क्रियाकलापों का आयोजन किया गया।

****

5

भारतीय वायु सेना

आर ए एफ टाइफून–II के साथ आइ ए एफ सुखोई–30 एम के आई और आइ एल–78

भारतीय वायुसेना अपनी दीर्घावधिक संदर्शी योजना के अनुसार अपनी इंवेंट्री को आधुनिक बनाने में लगी है। प्रचालनात्मक शक्ति को अधिकतम करने के लिए भारतीय वायुसेना आधुनिक और दक्ष प्राचालनात्मक और तकनीकी अवसंरचना का सृजन भी कर रही है।

5.1 08 अक्तूबर 2015 को भारतीय वायु सेना (भा वा से) ने देष के प्रति की गई अपनी गौरवषाली सेवा की 83वीं वर्षगांठ मनाई। भारतीय वायु सेना अपनी लंबी अवधि की संदर्शी योजना के अनुसार अपनी इन्वेंट्री को आधुनिक बनाने में जुटी हुई है। रक्षा विनिर्माण में प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर स्वदेशी विकास और उत्पादन के काम में तेजी लाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नए–नए उत्पाद शामिल करने के साथ–साथ मौजूदा हथियार प्लेटफार्मों और सहायक प्रणालियों की कोटि का उन्नयन किया जा रहा है ताकि अपनी क्षमता में वृद्धि की जा सके।

5.2 चलाई जा रही आधुनिकीकरण योजना का विस्तार, भारतीय वायु सेना के संपूर्ण परिदृश्य तक है जिसमें फाइटर, परिवहन वायुयान, हेलिकॉप्टर, समाघात सहायता परिसंपत्तियां और वायु रक्षा नेटवर्क शामिल हैं। नेट केंद्रीकरण, साइबर सुरक्षा तथा बाधारहित ऑपरेशनों के लिए संपूर्ण युद्ध स्थान की बढ़ती दृश्यता सुनिश्चित करना इस क्षमता में वृद्धि करने के भाग हैं। संक्रियात्मक क्षमता में वृद्धि करने के लिए, भारतीय वायु सेना आधुनिक एवं दक्ष संक्रियात्मक एवं तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। भारतीय वायु सेना द्वारा हाल ही में अर्जित की गई एयरबॉर्न परिसंपत्तियों का उपयोग मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एच ए डी आर) मिशनों, विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर, नेपाल तथा यमन में किया गया है।

ऑपरेशन

उपलब्धियां तथा उन्नयन

5.3 **एल सी ए :** हल्के युद्धक एयरक्राफ्ट तेजस का डिजाइन और विकास वैमानिकी विकास एजेंसी (ए डी ए), बैंगलोर द्वारा किया गया। एल सी ए की आरंभिक संक्रियात्मक क्लीयरेंस (आई ओ सी) दिसंबर 2013 में हासिल की गई। आई ओ सी संरूपण में, प्रथम सीरीज उत्पादन एयरक्राफ्ट जनवरी, 2015 में भारतीय वायु सेना को सौंपा गया था।

5.4 **मिराज़-2000 का उन्नयन :**भारतीय वायु सेना ने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को बेहतर रेडार, वैमानिकी (एवियोनिक्स), इलैक्ट्रोनिक सेट, हथियार तथा आधुनिक पीढ़ी के ग्लास कॉकपिट के उन्नत स्तर में कोटि उन्नयन करने के लिए अनुबंध किया है। 25 मार्च, 2015 को भारतीय वायु सेना को पहला कोटि उन्नयन किया गया एयरक्राफ्ट सौंपा गया। इस एयरक्राफ्ट के शामिल होने से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता में अपेक्षित क्षमता की वृद्धि हुई तथा यह भारतीय वायु सेना को उसके शत्रुओं से आगे रखता है। इस बहुभूमिका अदा करने वाले लड़ाकू एयरक्राफ्ट ने बढ़ा हुआ ऑपरेशनल जीवन प्राप्त कर लिया है।

5.5 **मिग–29 का कोटि उन्नयन** :मौजूदा समय में मिग–29 एयरक्राफ्ट का कोटि उन्नयन श्रृंखला का कार्य भारतीय वायु सेना के एक बेस मरम्मत डिपो में चल रहा है।

5.6 **रफाल एयरक्राफ्ट** : भारत और फ्रांस सरकार के बीच अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से 36 रफाल एयरक्राफ्ट के प्रापण का कार्य प्रगति पर है।

5.7 **एडीशनल सी–130 जे** : पहली सी –130 जे स्क्वाड्रन पूर्णतः संक्रियात्मक हो चुकी है। अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का प्रापण भी किया जा रहा है। अनुबंध को दिसंबर, 2013 में अंतिम रूप दिया गया था। इन

अतिरिक्त एयरक्राफ्टों के प्रापण से विशेष ऑपरेशनों, विमानवाहित हमलों तथा भारतीय वायु सेना की आकाश में विचरण करने की शक्ति में वृद्धि होगी।

5.8 **ए एन–32 का कोटि उन्नयन** : ए एन–32 बेड़े को भारतीय वायु सेना में 1984 तथा 1991 के दौरान शामिल किया गया। कुल तकनीकी मियाद विस्तार (टी टी एल ई)/पुनः उपस्कर (आर ई) परियोजना, काइव, यूक्रेन में तथा कानपुर के नं. 1 बेस मरम्मत डिपो (बी आर डी) में साथ–साथ चल रही है। इस परियोजना से एयरक्राफ्ट की संक्रियात्मक क्षमता तथा संरक्षा बढ़ाने के साथ–साथ इसकी मियाद 15 वर्ष तक बढ़ जाएगी।

5.9 **हेलिकॉप्टर** : भारतीय वायु सेना की रोटरी विंग क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारतीय वायु सेना ने पहले ही कुछ अद्यतन मषीनों को शामिल कर लिया है। वैमानिकी, हथियार प्रणालियों के साथ–साथ इसकी गर्म तथा उच्च तुंगता क्षेत्र की कार्यनिष्पादन की क्षमताओं में वृद्धि के लिहाज से एम आई–17 वी 5 ने जोरदार प्रगति की है। मौजूदा एम आई–17 तथा एम आई–17 IV की अद्यतन वैमानिकी तथा ग्लास कॉकपिटों के साथ उन्नयन करने की प्रक्रिया जारी है।

5.10 **अटैक हेलिकॉप्टर** : अति आधुनिक ए एच–64 ई अपाचे अटैक हेलिकॉप्टरों के प्रापण के लिए सितंबर 2015 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे। अटैक हेलिकॉप्टर ऐसी महत्वपूर्ण कॉम्बेट परिसंपत्तियां हैं जिनका उपयोग एंटी–टैंक निर्देशित मिसाइल रोल, प्रतिविद्रोहिता ऑपरेशनों, शत्रु द्वारा की जा रही वायु रक्षा को दबाने, मानव रहित एरियल व्हीकल निष्प्रभावी करने के ऑपरेशनों, कॉम्बेट सर्च और बचाव ऑपरेशनों तथा निम्न तीव्रता के संघर्ष ऑपरेशनों में किया जाता है। अटैक हेलिकॉप्टर बेजोड़ आक्रामक क्षमता प्रदान करते हैं जिसमें आर्मी स्ट्राइक कोर को सहायता प्रदान करना भी शामिल है तथा इन क्षमताओं की आवश्यकता हमारी उत्तरी सीमाओं पर पहाड़ी भूभागों में उच्च तुंगताओं पर भी होती है, जो कि यहां उपलब्ध नहीं थी।

अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर

5.11 **हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर (एच एल एच)** : सितंबर 2015 में, चिनूक सी एच–47 एफ (आई) हैवी लिफ्ट (एच एल एच) के प्रापण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे। इन हेलिकॉप्टरों की डिलीवरी चरणबद्ध ढंग से होगी। हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टरों की आवश्यकता सशस्त्र सेनाओं की सहायता में सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट मिशनों का संचालन करने तथा आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने और आपदा राहत मिशनों का संचालन करने के लिए होती है। एच एल एच पहाड़ी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सहायता प्रदान करने में भी अति महत्वपूर्ण है। भारी पुल तथा सड़क निर्माण के उपस्करों को केवल इसी वर्ग के हेलिकॉप्टरों द्वारा एयरलिफ्ट किया जा सकता है।

चिनूक हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर (एच एल एच)

5.12 **पिलेटस इंडक्शन** : 24 मई, 2015 को भारत सरकार तथा स्विस कंपनी के बीच हुए प्रापण अनुबंध के अनुसार, मैसर्स पिलेटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड से भारतीय वायु सेना को सभी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (पी सी–7 एम के II) की डिलीवरी अक्तूबर, 2015 तक पूरी हो गई है। मौजूदा समय में यह एयरक्राफ्ट आरंभिक पायलट प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तथापि, स्टेज II उड़ान प्रशिक्षण के लिए इस एयरक्राफ्ट को उपयोग में लाने की योजना भी तैयार की गई है। यह अति आधुनिक एयरक्राफ्ट नए भर्ती हुए पायलटों को उनकी वास्तविक कॉम्बेट उड़ान जरूरतों के लिए तैयार करने में उनकी सहायता कर रहा है।

पिलेटस पी सी–7 एम के II

5.13 **माइक्रोलाइट** : माइक्रोलाइटों की आपूर्ति के लिए अक्तूबर, 2015 में पिपिस्ट्रेल, स्लोवेनिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका प्रयोग एयरफील्डों के आस–पास में पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखना तथा पक्षी नियंत्रक उपायों को अपनाकर भारतीय वायु सेना में उड़ान संरक्षा में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा।

5.14 **विंटेज फ्लाइट की पुनः स्थापना** : भारतीय वायु सेना के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कुछ विंटेज एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट विश्व विमानन के महत्वपूर्ण भाग हैं और भारतीय वायु सेना की विरासत को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2008 में, विंटेज एयरक्राफ्ट के पुनः स्थापन पर, विश्व में उपलब्ध सुविज्ञता का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद, इन एयरक्राफ्टों को, देश के भीतर और इसके बाहर के विक्रेताओं की सहायता से पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण के पुनः स्थापन के लिए एक टाइगर मोथ और एक हारवर्ड एयरक्राफ्ट को यू के भेजा गया था। इन एयरक्राफ्टों ने वायु सेना दिवस को उड़ान भरी और भा वा से की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया।

वायु रक्षा नेटवर्क

5.15 ok;q j{kk jMkj : भारतीय वायु क्षेत्र पर मौजूदा वायु रक्षा रेडार कवर को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय वायु सेना में विविध प्रकार के नए सेंसरों को शामिल किया जा रहा है। हाल ही में शामिल किए गए सेंसरों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) **एम पी आर** : 80 के दशक की प्रौद्योगिकी वाले रेडारों का स्थान इज़राइल के मीडियम पावर रेडारों ने लिया है।

मीडियम पावर रेडार

(ख) **एल एल टी आर** : बॉर्डर के साथ लो लेवल के रेडार की कमी को पूरा करने के लिए, मैसर्स थेल्स, फ्रांस से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ नए लो लेवल के ट्रांसपोर्टेबल रेडारों (एल एल टी आर) को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है। मैसर्स बी ई एल कुछ इस प्रकार के अति आधुनिक रेडारों को भारत में तैयार करेगा। ये रेडार मोबाइल रेडार हैं और संक्रियात्मक जरूरतों के अनुसार इन्हें कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार

(ग) **एल एल एल डब्ल्यू आर** : हमारे मोबाइल ऑब्जर्वेशन फ्लाइटों (एम ओ एफ) को इलैक्ट्रोनिक रूप से दृष्टि प्रदान करने के लिए लो लेवल की लाइट वेट रेडार (एल एल एल डब्ल्यू आर) शामिल की जा रही हैं। ये रेडार लो लेवल एरियल संकट के लिए स्क्रैन करते हैं और समय पूर्व शीघ्र चेतावनी देते हैं।

लो लेवल लाइट वेट रेडार

मिसाइल प्रणालियां

5.16 **आकाश मिसाइल प्रणाली** : भारतीय वायु सेना अपनी इन्वेंट्री में आकाश मिसाइल प्रणाली (ए एम एस) शामिल कर रही है। आकाश मिसाइल प्रणाली को शामिल करने के औपचारिक समारोह का आयोजन 10 जुलाई 2015 को वायु सेना स्टेशन ग्वालियर में किया गया। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय वायु सेना को औपचारिक रूप से आकाश मिसाइल प्रणाली सौंपी।

5.17 **हरपून** : अगस्त 2010 में हरपून एंटी–शिप ऑपरेशनल मिसाइलों और संबद्ध उपस्करों के प्रापण के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन हथियारों के ले जाने और डिलीवरी के लिए एयरक्रू का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इन हथियारों को शामिल करने से समुद्री क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले संकटों को निष्प्रभावी करने के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता में वृद्धि होगी और इससे भारतीय नौ सेना को उसके समुद्री ऑपरेशनों में कहीं अधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

5.18 **एम आई सी ए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें** : कोटि उन्नयन किए गए एम–2000 एयरक्राफ्ट के लिए एम आई सी ए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की डिलीवरी का कार्य आरंभ हो चुका है और ये मिसाइलें एक शक्तिशाली प्लेटफार्म के रूप में एम–2000 एयरक्राफ्ट की क्षमता में वृद्धि करेंगी।

5.19 **एस पी आई सी ई–2000 बम** : भारतीय वायु सेना ने मोर्चेबंदी और भूमिगत कमान केंद्रों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए अधिक परिशुद्धता और भेदन वाले सटीक निर्देशित बमों को हासिल कर लिया है। इस हथियार का परीक्षण कर लिया गया है और भारतीय वायु सेना की फायरिंग रेंज पर इसकी क्षमताओं को प्रमाणित किया जा चुका है।

5.20 **देश में निर्मित पिचोरा कॉम्बेट सिमुलेटर (आई पी सी एस)**

(क) पिचोरा मिसाइल प्रणाली भारतीय वायु सेना के वायु रक्षा संगठन के महत्वपूर्ण तत्वों में एक है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय महत्व की परिसंपत्तियों को वायु रक्षा प्रदान करने के लिए 1974 से 1989 की अवधि के दौरान रूस से प्राप्त किया गया था। मिसाइल कॉम्बेट क्रू के प्रशिक्षण के संचालन के लिए पिचोरा प्रणाली को सिमुलेटरों के साथ उपलब्ध कराया गया है।

(ख) उपयोग में वृद्धि करने के लिए भारतीय वायु सेना ने कॉम्बेट क्रू के प्रशिक्षण के लिए क्लासरूम वर्ज़न के पिचोरा कॉम्बेट सिमुलेटर को देश में निर्मित किया है। इस सिमुलेटर का अपने देश में, विक्रेता द्वारा उद्धृत की गई 55 लाख रुपए की लागत के स्थान पर 2.3 लाख रुपए के मूल्य पर निर्माण किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 08 अक्तूबर 2015 को सिमुलेटर को देश में निर्मित करने के लिए उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

5.21 **पिचोरा मिसाइल का पुनः नवीकरण** : भारतीय वायु सेना की इन्वेंट्री में शामिल सभी पिचोरा मिसाइलें पुरानी हो चुकी हैं। तेजी से कम हो रही मिसाइल इन्वेंट्री में उनकी मियाद में अगले 10 वर्षों तक की वृद्धि करने हेतु भारतीय वायु सेना ने पिचोरा मिसाइल के पुनः नवीकरण के लिए अपने देश में प्रयास शुरू कर दिए हैं। आधी मिसाइलों के पुनः नवीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष पर कार्य जारी है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिचोरा मिसाइलों के पुनः नवीकरण पर 08 अक्तूबर 2015 को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

मौसम विज्ञान

5.22 **माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' प्रदान करना** : मौसम संबंधी सामयिक जानकारी की महत्ता और उपयोगिता उसके ऑपरेटरों और निर्णयकर्ताओं के लिए तभी है जब मौजूदा समय में इसका प्रचलन तथा उपलब्धता हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मौसम विज्ञान निदेशालय ने ऑन लाइन पोर्टल – मौसम ऑन लाइन (एम ओ एल) बनाया है और इसे कार्यान्वित किया है। इसका मूलभूत उद्देश्य वायु संक्रियाओं के सफल नियोजन और निष्पादन के लिए कमांडरों और ऑपरेटरों को सही समय पर मौसम ऑब्जर्वेशन और भविष्यवाणी प्रदान करना था। मौसम विज्ञान निदेशालय को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 08 अक्तूबर 2015 को नव विकास के लिए उत्कृष्टता प्रमाणपत्र दिया गया था।

संयुक्त अभ्यास तथा ऑपरेशन

5.23 संयुक्त ऑपरेशन, किसी भी भावी संघर्ष में सफलता पाने का मूल मंत्र है और इसलिए इसे प्रशिक्षण/अभ्यास का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भारत–अमेरिका संयुक्त अभ्यास ''युद्ध अभ्यास'', भारत–यू के संयुक्त अभ्यास ''अजेय योद्धा'', भारत–चीन संयुक्त अभ्यास ''हैंड–इन–हैंड'', भारत–थाइलैंड संयुक्त प्रशिक्षण ''एक्स मैत्री'', भारत–मालदीव संयुक्त प्रशिक्षण ''एक्स इकूवेरियन'' ऐसे संयुक्त अभ्यास हैं जिन्हें भारतीय सेना ने इस वर्ष भारतीय वायु सेना की वायु परिसंपत्तियों के साथ मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ संचालित किया है। इन अभ्यासों में, भारतीय सेना के सैन्य दलों को लाने–ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना के सी–17 एयरक्राफ्ट तथा भा वा से के मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टरों एवं अटैक हेलिकॉप्टरों का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था।

नए फार्मेशनों/यूनिटों की स्थापना

5.24 सूर्यकिरण एरोबिट टीम : 16 फरवरी, 2016 से हाइ एयरक्राफ्ट का प्रयोग करते हुए वायुसेना स्टेशन, बीदर में 52 स्क्वाड्रनों को एरोबिक भूमिका में लगाया गया

हॉक एयरक्राफ्ट

है। स्क्वाड्रनों को एरोबिक प्रदर्शन के लिए छह एयरक्राफ्ट दिए गए है। इन विमानों को अनुमोदित कलर स्कीम में रंगा गया है। उक्त स्क्वाड्रन ने अभी हाल में वायुसेना दिवस पर वायुसेना स्टेशन, हिंडन में दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को अपना पहला एरोबिक प्रदर्शन किया।

6

भारतीय तटरक्षक

संक्रियात्मक इष्टतमीकरण के जरिए सहक्रिया

भारतीय तटरक्षक ने शांति काल के दौरान उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने तथा युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए सतह और वायुवाहित दोनों ही प्रकार की व्यापक क्षमताएं हासिल की हैं।

6.1 राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक अंतरिम तटरक्षक संगठन स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन देने पर भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी, 1977 को अस्तित्व में आया। तटरक्षक अधिनियम, 1978 के विधान के साथ ही इस सेवा की एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 19 अगस्त, 1978 को औपचारिक रूप से स्थापना हुई। भारतीय नौसेना से प्राप्त दो फ्रिगेटों और सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त पाँच गश्ती नौकाओं के साथ तटरक्षक ने 1978 में अपना सफर शुरू किया। अपनी स्थापना के समय से, भारतीय तटरक्षक ने शांति काल के दौरान उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने तथा युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए सतह और वायुवाहित दोनों ही प्रकार की व्यापक क्षमताएं हासिल की हैं।

6.2 **संगठनः** तटरक्षक की कमान और नियंत्रण नई दिल्ली स्थित महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक के द्वारा की जाती है। इस संगठन के गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर स्थित 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ये क्षेत्रीय मुख्यालय भारत के तटवर्ती राज्यों में स्थित 14 तटरक्षक जिला मुख्यालयों के माध्यम से भारत की संपूर्ण तटरेखा से लगे समुद्र में कमान और नियंत्रण संभालते हैं। कमांडर तटरक्षक (पश्चिमी समुद्रतट) (सीजीसी(डबल्यूएस)) के पदनाम से अपरमहानिदेशक (पश्चिम) का एक पद मुंबई में 04 मार्च 2015 को सृजित किया गया है। इसके अलावा, खोज एवं बचाव कार्य तथा समुद्री निगरानी के लिए पोतों व विमानों की प्रभावी रूप से तैनाती करने हेतु विभिन्न सामरिक स्थानों पर 42 स्टेशन, 2 वायु स्टेशन, 6 एयर एंक्लेव और 1 स्वतंत्र वायु स्क्वाड्रन स्थापित किए गए हैं।

6.3 **कार्य तथा प्रकार्यः** तटरक्षक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः–

(क) समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, संस्थापनाओं तथा अन्य संरचनाओं और साधनों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना।

(ख) समुद्र में संकट के दौरान मछुआरों की सहायता करने सहित उनको संरक्षण प्रदान करना।

(ग) ऐसे उपाय करना जो समुद्री पर्यावरण की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक हों।

(घ) तस्करी–रोधी अभियानों में सीमा–शुल्क तथा अन्य प्राधिकरणों की सहायता करना

(ङ) समुद्री क्षेत्रों में उस समय लागू अधिनियमों के उपबंधों को प्रवर्तित करना।

(च) समुद्र में जान और माल की सुरक्षा करने के लिए उपायों सहित अन्य मामलों पर कार्रवाई करना तथा यथानिर्दिष्ट वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण करना।

6.4 भारतीय तटरक्षक की स्थापना के समय से इसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं, जो इस प्रकार हैः–

(क) राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव समन्वय प्राधिकरण।

(ख) राष्ट्रीय तेल बिखराव की घटनाओं हेतु समन्वय प्राधिकरण।

(ग) अपतटीय तेल क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए समन्वय।

(घ) एशिया में क्षेत्रीय सहयोग समझौते के तहत समुद्री डकैती रोधी कार्रवाइयों में समन्वय के लिए भारत में केंद्र बिंदु।

(च) समुद्री सीमाओं के लिए अग्रणी आसूचना एजेंसी।

6.5 **विद्यमान बल स्तरः** भारत के समुद्री क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए भारतीय तटरक्षक में इस समय 55 पोत, 64 नौकाएं/होवर क्राफ्ट, और 62 वायुयान का बलस्तर हैं। वर्ष 2015 में (01 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 तक) भारतीय तटरक्षक के बेड़े में 1 अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी), 1 प्रदूषण नियंत्रण पोत(पीसीवी), 7 तीव्रगामी गश्ती पोत (एफपीवी), और 11 अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) को शामिल किया गया है।

तटीय सुरक्षा

6.6 भारतीय तटरक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले समुद्री क्षेत्र सहित भू–भागीय समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है। महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक को कमांडर, तटीय कमान के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

6.7 **तटीय सुरक्षा अभ्यासः** भारतीय तटरक्षक, नौसेना के साथ समन्वय से, संपूर्ण तटीय रेखा की गश्त तथा निगरानी कर रहा है। वर्ष 2009 से, समन्वित गश्त की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा मानक प्रचालन क्रियाविधि को विधिमान्य करने के लिए कुल 129 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

6.8 **तटीय सुरक्षा अभियानः** अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने के अलावा तटीय सुरक्षा हेतु तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों की तैनाती में वृद्धि की गई है। वर्ष 2009 से, सभी हितधारकों के साथ समन्वय से, कुल 200 तटीय सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए।

6.9 **समुदाय संपर्क कार्यक्रमः** भारतीय तटरक्षक, समुदाय संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से मछुवारा समुदायों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। मछुवारोँ को सुरक्षा एवं संरक्षण के मुद्दों पर सचेत करने के लिए तथा संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, रक्षा बोया और जीवन–रक्षी जैकेटों आदि जैसे जीवन–रक्षक उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए, वर्ष 2009 से अब तक कुल 4097 समुदाय संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महत्वपूर्ण लक्ष्य और उपलब्धियां

6.10 **अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) की कमीशनिंगः** भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) समर्थ नामक एक अपतटीय गश्ती पोत को 10 नवंबर, 2015 को कमीशन किया गया।

6.11 **प्रदूषण नियंत्रण पोत (पीसीवी) का समावेशनः** भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र पावक नामक प्रदूषण नियंत्रण पोत को 09 दिसंबर, 2015 को सेवा में शामिल किया गया है।

6.12 **तीव्रगामी गश्ती पोतों(एफपीवी) की कमीशनिंगः** भारतीय तटरक्षक पोत अमोघ, भारतीय तटरक्षक पोत अनघ, भारतीय तटरक्षक पोत अंकित, भारतीय तटरक्षक पोत अनमोल, भारतीय तटरक्षक पोत अपूर्वा, भारतीय तटरक्षक पोत रानी दुर्गावती तथा भारतीय

तटरक्षक पोत अरिंजय नामक सात तीव्रगामी गश्ती पोतों की कमीशनिंग वर्ष 2015 के दौरान की गयी है।

6.13 **अंतर्रोधी नौकाओं की कमीशनिंगः** सी–414, सी–415, सी–430, सी–416, सी–417, सी–155, सी–418, सी–419, सी–420, सी–421, और सी–422, नामक 11 अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) की कमीशनिंग वर्ष 2015 के दौरान की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.14 **रिकैप की शासी परिषद की नौवीं वार्षिक बैठकः** भारतीय तटरक्षक, एशिया में पोतों के विरुद्ध जलदस्युता एवं सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग अनुबंध (रिकैप) संगठन को नियमित रूप से सहायता दे रहा है तथा उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वाइस एडमिरल एच सी एस बिष्ट, एवीएसएम, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक (डीजीआईसीजी) ने 16–19 मार्च, 2015 के दौरान सिंगापुर में आयोजित रिकैप की शासी परिषद की नौवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

6.15 **महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और महानिदेशक बंगलादेश तटरक्षक के बीच उच्च स्तरीय बैठकः** रियर एडमिरल मोहम्मद मकबुल हुसैन, ओएसपी, एनडीयू, पीएससी, महानिदेशक, बंगलादेश तटरक्षक (बीसीजी) के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 05 से 10 अप्रैल, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। महानिदेशक बंगलादेश तटरक्षक ने महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 06 अप्रैल, 2015 को तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू), नई दिल्ली का दौरा किया।

6.16 **महानिदेशक भा.त.र. का बंगलादेश दौराः** महानिदेशक भारतीय तटरक्षक ने महानिदेशक बंगलादेश तटरक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 07 दिसंबर 2015 से 11 दिसंबर 2015 तक बंगलादेश का दौरा किया। बैठक में दोनों तटरक्षको के बीच संक्रियात्मक तथा प्रशिक्षण कड़ियों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

6.17 **भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) तथा समुद्री सीमा कमान ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय बैठकः** भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) तथा समुद्री सीमा कमान (एमबीसी) ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक 21 अगस्त 2015 को तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रियर एडमिरल माइकेल नूनन कमांडर एमबीसी द्वारा किया गया। यह दौरा भारतीय तटरक्षक तथा समुद्री सीमा कमान के बीच सहयोग के लिए दोनों देशों के सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के अनुक्रम में किया गया और यह दौरा आपसी मामलों में सहयोग की व्यवहार्यता पर विचार–विमर्श के अनुसरण में किया गया।

6.18 **भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और संयुक्त अरब अमीरात महत्वपूर्ण अवसंरचना तथा तटीय संरक्षण प्राधिकरण (सीआईसीपीए) के बीच उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम):** भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) तथा संयुक्त अरब अमीरात महत्वपूर्ण अवसंरचना और तटीय संरक्षण प्राधिकरण के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक 14 दिसंबर 2015 को सम्मेलन कक्ष, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गयी। यूएई सीआईसीपीए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल खामिस शेमस अल वेहेक्बी एमए यूएई द्वारा किया गया। प्रतिनिधिमंडन ने भारतीय तटरक्षक के संगठनात्मक ढांचे एवं उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानने के लिए दौरा किया था।

6.19 **भारतीय तटरक्षक पोत वराह का श्रीलंका को स्थाई रूप से हस्तांतरित किया जानाः** भारतीय तटरक्षक पोत वराह, जिसे 25 अप्रैल 2006 से श्रीलंका को पहले ही पट्टे पर दिया गया था, को 27 अगस्त 2015 को श्रीलंकाई सरकार को स्थाई रूप से हस्तांतरित किया गया।

6.20 **भारतीय तटरक्षक पोतों का विदेश में परिनियोजनः** वर्ष 2015 के दौरान भारतीय तटरक्षक पोतों द्वारा किए गए विदेशी परिनियोजनों का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	भा.त.र. पोत	अवधि	देश
(क)	भा.त.र. पोत वैभव	28 जनवरी से 02 फरवरी 2015 तक	श्रीलंका
(ख)	भा.त.र.पोत विश्वस्त	04 फरवरी से 07 फरवरी 2015 तक 10 फरवरी से 13 फरवरी 2015 तक	मेलेशिया, म्यांमार
(ग)	भा.त.र. पोत संग्राम	26 मार्च से 01 अप्रैल 2015	मालदीव
(घ)	भा.त.र. पोत सारंग	23 जुलाई से 05 सितम्बर 2015 तक	सिंगापूर, हांगकांग, कोरिया, वियतनाम
(च)	भा.त.र. पोत सम्राट	21 अक्तूबर से 15 नवंबर 2015 तक	इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया

6.21 **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना**

(क) **वियतनाम तटरक्षक (वीसीजी) :** भारतीय तटरक्षक तथा वियतनाम तटरक्षक के बीच राष्ट्रपार के अपराधों से निपटने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने के उददेश्य से सहयोग–संबंध स्थापित करने के लिए एक समझोता ज्ञापन (एमओयू) पर वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री (वीडीएम) एचई जनरल फूंग क्वांग थण, के 23 मई से 26 मई 2015 तक के भारत दौरे के दौरान 25 मई 2015 को हस्ताक्षर किया गया।

(ख) **बंगलादेश तटरक्षक (बीसीजी):** भारतीय तटरक्षक तथा बंगलादेश तटरक्षक के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा समुद्र में राष्ट्रपार के अवैध गतिविधियों से निपटने के उददेश्य से सहयोग–संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के बंगलादेश दौरे के दौरान भारतीय तटरक्षक तथा बंगलादेश तटरक्षक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 06 जून 2015 को हस्ताक्षर किया गया।

भारतीय तटरक्षक की उपलब्धियां

6.22 भारतीय तटरक्षक के सार्थकता को इसके स्थापित करने के प्रयोजन तथा इसकी उपलब्धियों की तुलना से आंका जा सकता है। तटरक्षक की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जो राष्ट्र की सेवा में भारतीय तटरक्षक द्वारा निभाई गयी भूमिका को प्रदर्शित करती हैं, निम्नवत हैः

क्र. सं.	1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान उपलब्धियां	
(i)	पकड़ी गयी वर्जित वस्तुओं की कीमत	रु. 618.370 करोड
(ii)	गिरफ्तार किए गए अनधिकृत मछली शिकारी	18 नौकाएं 160 कर्मी
(iii)	गिरफ्तार किए गए तस्कर	4 नौकाएं 46 कर्मी
(iv)	कुल खोज एवं बचाव (एसएआर) मिशन	191
(v)	खोज एवं बचाव (एसएआर) उड़ानें	438
(vi)	जीवन बचाव	356
(vii)	चिकित्सा निकासी (निकासी की गई व्यक्तियों की संख्या)	29

6.23 खोज एवं बचाव

(क) jk"Vªh; leqæh [kkst ,oa cpko ¼,u,e,l,vkj½ cksMZ dh 14oha cSBd½ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव (एनएमएसएआर) बोर्ड की 14वीं बैठक 17 जुलाई, 2015 को तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर पश्चिम), गांधीनगर में आयोजित की गयी थी। बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा की गयी थी। भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र (एसआरआर) में खोज एवं बचाव (एसएआर) प्रणाली को उन्नत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी थी।

(ख) **एलिफैंटा द्वीप के पास संकटग्रस्त यात्रियों के लिए सामूहिक बचाव कार्यः** 17 फरवरी 2015 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी), मुंबई को पुलिस स्टेशन नवी मुंबई से संकट सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुंबई के एलिफैंटा द्वीप के समीप 78 यात्रियों (34 पुरूष, 33 महिला और 11 बच्चे) के साथ संकटग्रस्त यात्री नौका 'नवरंग' को बचाव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। सूचना मिलने पर, सामूहिक बचाव अभियान करने के लिए 17 फरवरी 2015 को वायु उपधान वाहन एच–194 को परिनियोजित किया गया। 17 फरवरी 2015 को वायु उपधान वाहन नौका स्थल पर पहुँचा और उसने सभी 78 यात्रियों की निकासी करके उन्हें सुरक्षित रूप से होवरपोर्ट बेलापुर पर उतार दिया।

ऐंलिफैंटा द्वीप के पास संकट ग्रस्त यात्रियों के लिए बचाव अभियान

(ग) **अपतटीय विकास क्षेत्र के समीप डूबे हुए पवन हंस हेलिकॉप्टर के लिए खोज एवं बचाव (आपरेशन सहायता)ः** 'आपरेशन सहायता' का निष्पादन तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम) मुंबई द्वारा किया गया। गायब हुए पवन हंस के हेलिकाप्टर की 7 दिनों तक व्यापक रूप से खोज की गयी और उसका अंतिम रूप से परिणाम 09 नवंबर 2015 को तब मिला जब फर्गो मेपर(सर्वेक्षण पोत) ने तटीय निगरानी नेटवर्क द्वारा बताये गये अंतिम एआईएस स्थिति के समीपस्थ स्थिति में मलबे होने की सूचना दी। गोताखोरी का कार्य पुराने दत्त रेखा के 1/2 केबिल पूर्व की स्थिति में (समुद्री दूरी का मात्रक) डीएसवी समुद्र सेवक द्वारा किया गया। एक पायलट के मृत शरीर सहित कॉकपिट को डीएसवी समुद्र सेवक द्वारा निकाला गया।

(घ) **मुंबई के पास भूग्रस्त हुए पोत एमवी कोस्टल प्राइड से कर्मियों का बचावः** 23 जून 2015 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, मुंबई को मैसर्स न्यू इरा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड से यह सूचना प्राप्त हुई कि 22–23 जून 2015 की रात्रि में 255–उमरगांव लाईट–13 समुद्री मील की स्थिति में पोत एम वी कोस्टल प्राइड का प्रणोदन गुम हो गया। पोत दहानू लाईट के 15 समुद्री मील उत्तर–उत्तर पश्चिम की स्थिति में 22 मीटर की गहराई में लंगर डाले हुए था। परंतु प्रतिकूल मौसम और लंगर के हिल जाने के कारण पोत को उसी स्थिति में कायम नही रख सका। पोत, जिसमें 14 कर्मी थे, अनियंत्रित होकर भूमि क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा और 303–उमरगांव लाईट–7.4 समुद्री मील की स्थिति में भूग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर, दमन से तटरक्षक हेलिकाप्टर ने 24 जून 2015 को उड़ान भरी और उसने 8 कर्मियों की तीन बारी में क्रमिक रूप से निकासी की और उन्हें उमरगांव को स्थानांतरित कर दिया। षेष 6 कर्मियों का बचाव कार्य आईएन सीकिंग द्वारा किया गया और उन्हें भी उमरगांव को स्थानांतरित कर दिया गया। सभी कर्मियों को चिकित्सा उपचार हेतु बस द्वारा दमन लाया गया और स्थानीय एजेंट को सौंप दिया गया।

6.24 चिकित्सा निकासी:

(क) **पोत एम वी सेंट ग्रेगरी से चिकित्सा निकासी:** 01 जनवरी, 2015 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, मुंबई को 192–पोरबंदर–52 समुद्री मील की स्थिति में पोत एम वी सेंट ग्रेगरी के मास्टर से सूचना मिली कि उनका एक कर्मी सदस्य दायें हाथ में गहरा जख्म होने के

एम वी सेंट ग्रेगरी से चिकित्सा निकासी

कारण लगातार रक्त स्राव से पीड़ित है, जिसकी चिकित्सा निकासी का अनुरोध किया गया। सूचना मिलने पर, 01 जनवरी, 2015 को 1532 बजे पोरबंदर से तटरक्षक अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर सीजी 851 ने उड़ान भरी तथा रोगी की निकासी की गयी।

(ख) **पोत एल एन जी मुबारज से चिकित्सा निकासी:** 04 जनवरी, 2015 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, मुंबई को गोवा के पास पोत एल एन जी मुबारज के मास्टर से सूचना मिली, जिसमें उन्होंने उनके एक कर्मी, जो बायीं कोहनी के जोड की हड्डी खिसकने की परेशानी से पीडित था, की चिकित्सा सहायता का अनुरोध किया।

एल एन जी मुबारज से चिकित्सा निकासी

पोत 06 जनवरी 2015 को गोवा के पास पहुंचा। तटरक्षक स्काड्रन 800, गोवा से भारतीय तटरक्षक हेलिकॉप्टर 806 ने उड़ान भरी। पोत से कर्मी की निकासी की गयी तथा आगामी चिकित्सा उपचार के लिए स्थानीय एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया।

(ग) **बेपुर के पास पोत एम टी बुंगा अंगसना से चिकित्सा निकासी:** 07 फरवरी, 2015 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) मुंबई को 300–बेपूर लाईट–57 समुद्री मील की स्थिति में पोत एम टी बुंगा अंगसना (मलेशिया–ध्वज) से सूचना मिली कि उनका एक कर्मी सदस्य (मि. खान मोहम्मद रियाज, 55 वर्षीय, पाकिस्तानी नागरिक) अपेंडिसाइटिस से पीड़ित है, जिसकी चिकित्सा निकासी की जाने का अनुरोध किया गया। सूचना मिलने पर, 07 फरवरी, 2015 को बेपूर से रोगी की चिकित्सा निकासी करने के लिए चिकित्सा दल के साथ भारतीय तटरक्षक अंतर्रोधी नौका (आईबी) भा.त.र. पोत सी–404 को परिनियोजित किया गया। 07 फरवरी, 2015 को भारतीय तटरक्षक पोत दत्त रेखा पर पहुंचा तथा रोगी की निकासी की गयी।

****

7

रक्षा उत्पादन

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तटरक्षक को सुपुर्द परियोजना का प्रथम 105 मी. अपतटीय गश्ती जलयान (ओपीवी)

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढ़ांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी ।

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी । पिछले वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों(डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं । विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोलाबारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, गोलाबारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं ।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संगठन हैं:

- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)
- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)
- बी ई एम एल लिमिटेड (बी ई एम एल)
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)
- माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एम डी एल)
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए)
- वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए)
- मानकीकरण निदेशालय (डी ओ एस)
- योजना एवं समन्वय निदेशालय (डाइरेक्टोरेट ऑफ पी एण्ड सी)
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ)
- राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान व विकास संस्थान (निर्देश)

7.3 रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी क्षमताओं को निरंतर आधुनिक और उन्नयित तथा अपनी उत्पादन रेंज को विस्तृत कर रहे हैं । प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से बहुत से उत्पादों एवं उपस्करों का उत्पादन करने के अलावा इन हाउस अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलों के माध्यम से कई प्रमुख उत्पादों का विकास किया गया है ।

7.4 कर पश्चात् लाभ सहित आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का उत्पादन एवं कारोबार, क्रमशः सारणी सं0 7.1 व सारणी सं0 7.2 में दर्शाया गया है ।

सारणी सं. 7.1

कार्य परिणाम

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ओएफबी का उत्पादन मूल्य

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक)
एच ए एल	14202	15867	16289	10228
बी ई एल	6290	6127	6659	4466
बी ई एम एल#	2879	2814	2599	1840
बी डी एल	1177	1804	2770	2446.70
जी आर एस ई	1529	1611	1651.31	1030.95
जी एस एल	507	509	569.55	465.09
एच एस एल	484	453	294.16	340.16
एम डी एल	2291	2865	3592.60	2174.64
मिधानि	537	572	640.04	477.77
ओ एफ बी	11975	11123	11364	7526
कुल	**41871**	**43745**	**46428.66**	**30995.31**

दर्शाए गए आंकड़े निवल हैं जो वर्तमान समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

सारणी सं. 7.2

डीपीएसयू का कर पश्चात लाभ

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16* (दिसम्बर, 2015 तक)
एच ए एल	2997	2693	2388	1005
बी ई एल	890	932	1167	563.16
बी ई एम एल	-80	5	6.76	-102
बी डी एल	288	346	419	318
जी आर एस ई	132	121	43.45	47.22
जी एस एल	16	-61	78.24	32.26
एच एस एल	-55	-46	-202.84	-60.34
एम डी एल	413	398	491.59	388.74
मिधानि	83	83	102.13	66.26
कुल	**4684**	**4471**	**4493.33**	**2258.3**

* अनंतिम

7.5 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने, नीति के रूप में, अपनी जरूरतों का बहुत सारा काम बाहर से करवाया है और पिछले वर्षों में एक व्यापक विक्रेता आधार विकसित किया है जिसमें भारी उद्योग के अलावा अनेक मध्यम और लघु उद्यम भी शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड अपने विनिर्मित उपस्करों एवं उत्पादों में स्वदेशी मात्रा बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

7.6 जहां भी प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और स्वदेशीकरण में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ।

7.7 मई, 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र को जो कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, लाइसेंस के अधीन 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित शत-प्रतिशत तक की भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। तथापि, हाल ही में, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रेस नोट सं.12(2015 श्रृंखला) (प्रेस नोट से पहले अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत www.dipp.nic.in पर उपलब्ध), के द्वारा स्वतः मार्ग के माध्यम से एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक कर दी है एवं जहां कहीं भी देश में आधुनिक और नवोन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त होने की संभावना हो तो मामला-दर-मामला आधार पर 49 प्रतिशत से अधिक कर दी है ।

7.8 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने रक्षा मंत्रालय के परामर्श से शस्त्रों एवं गोलाबारूद के लाइसेंस के उत्पादन के लिए प्रेस नोट सं. 2 (2002 श्रृंखला) दिनांक 04 जनवरी, 2002 के अंतर्गत जनवरी, 2002 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र की भूमिका कच्चे सामग्री, संघटकों, उप-प्रणालियों के आपूर्तिकर्ता से बढ़ाकर पूर्ण उन्नत उपस्कर/प्रणाली के विनिर्माण में भागीदार बनने की हो गई है।

7.9 लाइसेंसशुदा रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) से प्राप्त सभी आवेदनों और आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) की एफ आई पी बी इकाई से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के प्रस्तावों पर विचार करने तथा संबंधित विभागों के प्रस्तावों पर क्रमशः रक्षा मंत्रालय की सिफारिशें देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, थल सेना मुख्यालय, डी जी क्यू ए, डी जी ए क्यू ए, रक्षा विभाग, महानिदेशक (अर्जन) ओ एफ बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बी ई एल जैसे विविध क्षेत्रों से सदस्यों सहित संयुक्त सचिव (डी आई पी) इस स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं ।

7.10 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने अब तक 190 कंपनियों को कवर करते हुए निजी कंपनियों को कई प्रकार की रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए जनवरी, 2016 तक उन्हें 319 औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) जारी किए हैं । अब तक 50 लाइसेंस प्राप्त कंपनियों ने 79 औद्योगिक लाइसेंस को कवर करते हुए उत्पादन आरंभ करने की सूचना दी है ।

7.11 रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने के पश्चात सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में 34 एफ डी आई प्रस्तावों/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन दिया जा चुका है । अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2015 तक रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को 24.84 करोड़

रुपए (5.02 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई (स्त्रोत htpp//www.dipp.nic.in पर एफडीआई आंकड़े) ।

7.12 रक्षा उत्पादन विभाग ने औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रयोजनार्थ रक्षा उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है । डीआईपीपी ने प्रेस नोट 3(2014 श्रृंखला) के तहत रक्षा उत्पादों की सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है । डी आई पी पी ने 2015 श्रृंखला के प्रेस नोट 10 के द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को 15 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जो प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी से 18 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। ये दोनों प्रेस नोट डी आई पी पी की वेबसाइट htpp:// www.dipp.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

7.13 विभाग ने निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के लिए एक सुरक्षा नियमावली को अंतिम रूप दिया है । सुरक्षा नियमावली कंपनियों के लिए फिजिकल प्रलेखन और आईटी सुरक्षा मुहैया कराती है । यह सुरक्षा नियमावली प्रकाशन/रिपोर्ट के तहत डीडीपी की वेबसाइट www. ddpmod.gov.in पर उपलब्ध है । इस सुरक्षा नियमावली को अनुपालन के उद्देश्य से तीन भागोः श्रेणी 'क','ख', 'ग' वर्ग में बांटा गया है । उत्पादों/हथियारों/उपस्करों पर निर्भर करते हुए, कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की जरूरत होगी । यह रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है । इन श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

श्रेणी 'क' - इस श्रेणी के उत्पाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से उच्च रूप से वर्गीकृत और संवेदनशील होंगे और इन मदों के निर्माण में उच्च स्तर की सुरक्षा की जरूरत होगी ।

श्रेणी 'ख' - इस श्रेणी के उत्पादों में अधबने उत्पाद सब असेंबलियां, मुख्य हथियारों की उप-प्रणालियां/उपस्कर/ प्लेटफार्म और कम संवेदनशील प्रकृति के कुछ तैयार उत्पाद शामिल हैं ।

श्रेणी 'ग' - इस श्रेणी के उत्पादों में वैसे उत्पाद शामिल होंगे जो कोई वर्गीकृत/गुप्त सूचना के प्रयोग में शामिल नहीं हैं और वे अत्यधिक जेनेरिक प्रकृति के हैं । सामान्यतः सेना के प्रयोगार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिकल्पित या संशोधित नहीं किया गया है और अतः इन्हें न्यूनतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होगी ।

7.14 रक्षा विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र, विशेषकर एसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, डीपीएसयू एवं ओएफबी के लिए आउटसोर्सिंग और विक्रेता विकास संबंधी दिशानिर्देशों को बनाया गया है और उन्हें परिचालित किया गया है । इन दिशानिर्देशों में अधिदेशित है कि एसएमई सहित निजी क्षेत्र से आउटसोर्सिंग में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी करने के लिए प्रत्येक डीपीएसयू एवं ओएफबी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक आउटसोर्सिंग और विक्रेता विकास संबंधी योजनाएं बनाए। इन दिशानिर्देशों में आयात प्रतिस्थापन हेतु विक्रेता विकास भी शामिल है ।

भारतीय रक्षा उद्योग का निर्यात संबंधी संक्षिप्त विवरणः

7.15 सार्वजनिक/निजी रक्षा उद्योग द्वारा सैन्य सामान के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया गया है और इसे अगस्त, 2015 में पब्लिक डोमेन में रखा गया है । इसके अलावा, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए नवंबर, 2014 में आरंभ की गई ऑनलाइन प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही है ।

7.16 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू), आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों (जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार

पर) द्वारा रक्षा निर्यात का मूल्य वित्तीय वर्ष 2014-15 के 994.04 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक) 1379.42 करोड़ रुपए है । निर्यात का यह रुझान उद्योग द्वारा की गई अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है । निजी रक्षा उद्योग ने निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाई है । निजी क्षेत्र की लगभग 12-14 कंपनियों ने रक्षा निर्यात में योगदान दिया है ।

7.17 रक्षा उत्पादों के लिए कुछ प्रमुख निर्यात देश अल्जीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल, इक्वाडोर, रूस, यूके, इंडोनेशिया, नेपाल, ओमान, रोमानिया, बेल्जियम, वियतनाम, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और सूडान हैं। निर्यात की जा रही प्रमुख रक्षा मदों में वैयक्तिक संरक्षी मदें, अपतटीय गश्ती जलयान, रडार के लिए कलपुर्जे, चीतल हेलीकॉप्टर, टरबो चार्जर एवं बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां (ईओपीओडी एएलएच प्रणाली), लाइट इंजीनियरिंग मेकैनिकल कलपुर्जे इत्यादि हैं ।

आयुध निर्माणी संगठन

7.18 भारतीय आयुध निर्माणियां सबसे पुराना और सबसे बड़ा औद्योगिक स्थापना है जो उत्कृष्ट युद्धभूमि उपकरणों से सैन्य बलों को सुसज्जित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के अंतर्गत कार्य करता है

7.19 **आयुध निर्माणियों की प्रमुख सक्षमता:**

हथियार	छोटे, मध्यम और बड़े कैलीबर हथियार एवं मोर्टार उपकरण
गोलाबारूद, विस्फोटक एवं प्रोप्लेंट	छोटे, मध्यम एवं बड़े कैलीबर गोलाबारूद, मोर्टार बम, संकेतक एवं संबद्ध मदें, रॉकेट एवं एरियल बम, फ्यूज, विस्फोटक, रसायन व प्रोप्लेंटस
सैन्य वाहन	ट्रक, सुरंगरोधी एवं विशेष सुरक्षा वाले वाहन
कवचित वाहन	टैंक व इसके संस्करण, कवचित सैनिक वाहक (एपीसी) एवं इंजन
औजार एवं ऑप्टीकल डिवाइस	नाइट एण्ड डे विजन साइट्स और औजार
पैराशूट	ब्रेक पैराशूट, मैन ड्रॉपिंग एवं रसद गिराने वाला पैराशूट
ट्रूप कंफर्ट एवं सामान्य वस्तुएं	तम्बू, परिधान, वैयक्तिक उपकरण, ब्रिजेज, नौकाएं, केबल्स इत्यादि

7.20 **उत्पादन संबंधी उपलब्धियां:** वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कारोबार 11,364 करोड़ रुपए था। वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित कारोबार 13,514 करोड़ रुपए है। ओएफबी की करीबन 80 प्रतिशत आपूर्ति भारतीय सेना के लिए है।

7.21 **आधुनिकीकरण:** ग्राहकों की वर्तमान और दीर्घकालिक भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीनतम मशीने लगाकर अपनी मौजूदा सुविधाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है । इस संबंध में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है । इस योजना के तहत, 2927 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है ।

7.22 **गुणवत्ता प्रबंधन:** प्रक्रिया को निम्नलिखित उपायों के द्वारा सुदृढ़ किया गया है:- निजी कंपनियों के लिए आयुध निर्माणियों में परीक्षण की सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं, विनिर्माण प्रक्रियाओं के लेखा परीक्षा के लिए दस गुणता लेखा परीक्षा समूहों (क्यूएजी) की स्थापना, शिकायतों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय एवं अग्रेषण डिपुओं के साथ प्रत्यक्ष वार्ता के लिए टीमों की प्रतिनियुक्ति, प्रत्येक निर्माणी में असफलता समीक्षा बोर्ड

का गठन जिसमें डीजीक्यूए का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होगा।

7.23 उपलब्धियां एवं पुरस्कारः

- स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं विनिर्मित 155 मिमीx45 कैलीबर आर्टिलरी गन (धनुष) का सफल परीक्षण।
- ओएफबी द्वारा विकसित 155 मिमीx52 कैलीबर गन प्रणाली की देश में पहली बार 13 अगस्त, 2015 को पीएक्सई बालासोर में सफल प्रूफ फायरिंग।
- गोलाबारूद निर्माणी, खड़की द्वारा पनडुब्बीरोधी रॉकेट आरजीबी-60 एवं आरजीबी-12 के लिए फ्यूज की प्रथम उत्पादित खेप भारतीय नौसेना को सितंबर, 2015 में जारी की गई है ।
- इन हाउस विकसित 7.62 मिमी त्रिचि असाल्ट राइफल का भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अगस्त, 2015 में परीक्षण मूल्यांकन किया गया तथा भारतीय तटरक्षक बल की संक्रियाओं के लिए इसे शामिल करने की सिफारिश की है ।
- बाई-माड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) माड्यूल्स का स्वदेशी विकास।
- चालू वर्ष के लिए सीएनबीसी-टीवी18 ओवर ड्राइव हॉल ऑफ फेम में मानद प्रवेशी के रूप में वाहन निर्माणी, जबलपुर (वीएफओ) का चयन किया गया है।

त्रिचि असाल्ट राइफल (टीएआर)

7.24 **स्वच्छ भारत मिशनः** बुनियादी चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य,स्वच्छता इत्यादि में सुधार के लिए आयुध निर्माणी, बड़माल, आयुध निर्माणी, खमरिया, आयुध निर्माणी, अंबाझरी, आयुध निर्माणी, इटारसी, आयुध निर्माणी, कटनी, आयुध निर्माणी, मेड़क ने समीपवर्ती गांवों को गोद लिया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डी पी एस यू)

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल)

7.25 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), एक नवरत्न कंपनी, रक्षा उत्पादन विभाग, के अंतर्गत सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है। एचएएल के पूरे देश में स्थित 20 उत्पादन डिवीजन, 11 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र और 01 सुविधा प्रबंधन डिवीजन है । इसने अब तक घरेलू अनुसंधान एवं विकास से 15 प्रकार के विमान और लाइसेंस के तहत 14 प्रकार के विमानों का उत्पादन किया है । प्रमुख वायुयानों/हेलीकॉप्टरों की वर्तमान उत्पादन रेंज निम्नवत हैः- एसयू-30 एमकेआई बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान, हॉक-उच्च जेट प्रशिक्षक, हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए), डोर्नियर 228-हल्के परिवहन वायुयान, ध्रुव-उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर और चीतल हेलीकॉप्टर ।

7.26 वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख घटनाएं/उपलब्धियांः

(i) एचएएल ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2015 में प्लैटिनम जयंती मनाई है । वर्ष 2015-16 में प्लैटिनम जयंती समारोह के अलावा प्रमुख उपलब्धियों में 25केएन टरबो फैन इंजन (एचटीएफई-25) का कोर इंजन रन, 1200 किलो वाट टरबो शाफ्ट इंजन के डिजाइन एवं विकास की शुरूआत, सुखोई 30 एमकेआई आरओएच के लिए संरचनागत मरम्मतशाला का उद्घाटन, एचएएल

में नवीनीकृत हैरिटेज केंद्रों, टीएडी, कानपुर में एचएएल प्रबंधन अकादमी का नया कैंपस और एएलएच उत्पादन की दूसरी लाइन शामिल हैं ।

(ii) प्रधानमंत्री ने बेंगलुरू से लगभग 100 किमी दूर बिदरहल्ला कवल, गुब्बी तालुक, तुमाकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के नए हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केन्द्र की 3 जनवरी,2016 को आधारशिला रखी थी ।

(iii) मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक (आईजेटी) की अपेक्षित अधिष्ठापित विशेषताओं को हासिल कर लिया गया है, विभिन्न परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। 17 स्पिन परीक्षण उड़ाने पूरी की जा चुकी हैं और आगे किए जाने वाले परीक्षण प्रक्रियाधीन हैं।

(iv) मानवरहित विमानों (आरयूएवी), जिन्हें भू-नियंत्रण स्टेशनों से रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ने पहली उड़ान (टेथर्ड फ्लाइट) 16 दिसंबर, 2015 को भरी थी । भविष्य में, बेकार, गंदे एवं खतरनाक समझे जाने वाले सभी प्रकार के मिशनों के लिए इन आर-यूएवी का उपयोग किया जा सकेगा ।

(v) परिवहन वायुयान प्रभाग, कानपुर को सिविल क्षेत्र के लिए डोर्नियर डू-228 विमान के विनिर्माण एवं आरओएच हेतु डीजीसीए द्वारा 'उत्पादन संगठन अनुमोदन' प्रदान किया गया है। इससे नागर विमानन के क्षेत्र में विविधता लाने के एचएएल के प्रयास सफल होंगे।

(vi) मंगल ग्रह के आर्बिटर मिशन (मंगलयान) के लिए एचएएल ने इसरो उपग्रह केंद्र (आईएसएसी) को आर्बिटर क्राफ्ट माड्यूल स्ट्रक्चर की सुपुर्दगी 10 जून, 2015 को की है ।

7.27 **वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त पुरस्कारः**

(i) एचएएल को वर्ष 2012-13 के लिए निष्पादन, नवाचार और स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता हेतु रक्षा मंत्री पुरस्कार से 28 जनवरी, 2016 में नवाजा गया है ।

(ii) संपूर्ण भारत में नवाचारी और सक्षम सूचना सुरक्षा संबंधी पहलों के लिए एचएएल के सभी एप्लीकेशन्स हेतु 'एचएएल सिंगल साइन-ऑन' परियोजना के लिए एचएएल को 'इनफोसेक मैस्ट्रो अवार्ड 2015' से सम्मानित किया गया है।

(iii) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 2013-14 के लिए एचएएल को 'स्टार निष्पादन हेतु राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार' से 3 सितंबर, 2015 को सम्मानित किया है।

(iv) एचएएल ने 'बीटी-स्टार पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार, 2015' हासिल किया है।

7.28 **पर्यावरण संरक्षणः** सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालन हेतु सभी प्रभागों को संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं । निर्माणियों एवं नगर क्षेत्रों के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) लगाए गए हैं । 500 किग्रा प्रतिदिन की क्षमता वाले दो आर्गेनिक सॉलिड वेस्ट कंवटर्स बेंगलुरू में लगाए गए हैं । कंपनी में एलईडी लैंप एवं ऊर्जा स्टार रैटिंग वाले उपस्कर जैसे उत्पादों को अपनाया गया है जिससे केवल बेंगलुरू आधारित प्रभागों में 25 लाख यूनिट बिजली ऊर्जा की बचत होती है । कंपनी की योजना आगामी पांच वर्षों में 50 मेगावाट क्षमता के नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र लगाने की है । अब तक, कुल 0.5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। 6.3 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र और 3.5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

एरो इंडिया 2015 के दौरान एचएएल स्टॉल पर एचएएल के अध्यक्ष एलसीएच की विशेषताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी को बताते हुए

रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया 2015 के दौरान एचएएल स्टॉल का दौरा किया

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल):

7.29 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) 1954 में रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित, एक नवरत्न कंपनी, की पूरे भारत में नौ इकाइयां हैं । बीईएल रक्षा क्षेत्र में रडारों एवं हथियार प्रणालियों, सोनार, संचार, ईडब्ल्यूएस, इलेक्ट्रो-आप्टिक्स एवं टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बुनियादी क्षमताएं रखता है । गैर-रक्षा क्षेत्र में बीईएल की उत्पाद श्रेणी में ईवीएम, टेबलेट पीसी, आईसी, हाइब्रिड माइक्रोसर्किट, सेमी कंडक्टर डिवाइस, सोलर सैल इत्यादि शामिल हैं ।

7.30 **अनुसंधान एवं विकासः** बीईएल ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी नौ यूनिटों में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) सुविधाएं स्थापित की हैं। कंपनी ने भावी कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रौद्योगिकियों, ज्ञान प्रबंधन पोर्टल इत्यादि की पहचान करते हुए एक तीन वर्षीय आर एण्ड डी योजना तैयार की है। प्रति वर्ष औसतन 10 नए उत्पाद शामिल किए जाते हैं। बीईएल अपने कारोबार का लगभग 8 प्रतिशत भाग आर एण्ड डी पर व्यय करता है।

7.31 वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां/ पुरस्कारः

(i) स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली को जुलाई,2015 में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में शामिल किया गया था ।

(ii) रक्षा मंत्री जी ने अनंतपुर जिले के पालासमुद्रम में 30 सितंबर, 2015 को 'रक्षा प्रणाली एकीकरण कॉम्प्लेक्स' की आधारशिला रखी थी जिसका उद्देश्य सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के क्षेत्र में रक्षा सामर्थ्यों को सशक्त बनाना है।

(iii) बीईएल को इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के सर्वोत्तम पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।

(iv) गुणवत्ता एवं निर्यात श्रेणियों में वर्ष 2014-15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण और सेवाओं में उत्कृष्टता हेतु बीईएल ने ईएलसीआईएनए-ईएफवाई पुरस्कार हासिल किए हैं।

7.32 **भावी चुनौतियां :** रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, बीईएल ने संगठनात्मक संरचना में बदलाव, नए उत्पाद विकास पर और अधिक बल देने, विविधीकरण, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, अवसंरचना में सुधार इत्यादि जैसी कई रणनीतियां अपनाई हैं।

7.33 **स्वदेशीकरणः** बीईएल ने अपने कारोबार का लगभग 80 प्रतिशत भाग स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से अर्जित किया है। हाल के वर्षों में विकसित कुछ प्रमुख

उत्पादों में शिल्का वायु रक्षा प्रणाली (सेना), साफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (नौसेना), संचार नेटवर्क(लिंक II मोड III), यूनिट स्तर का स्विच बोर्ड एमके-III, उन्नत समग्र संचार प्रणाली (नौसेना) पी16ए के लिए पोत डाटा नेटवर्क (नौसेना), आकाश हथियार प्रणाली के लिए सिम्यूलेटर, प्रक्षेपास्त्र चेतावनी प्रणाली (सेना), नई पीढ़ी के सोनार (नौसेना) इत्यादि शामिल हैं। तकनीकी अन्तर को मिटाने के लिए, बीईएल प्रौद्योगिकी अंतरण वाले उत्पादों के घटकों एवं उप-असेंबलियों का व्यवस्थित रूप में चरणबद्ध तरीके से स्वदेशीकरण कर रहा है ।

7.34 **आधुनिकीकरणः** बीईएल सुविधाओं के आधुनिकीकरण में निरंतर निवेश करता रहा है जो स्वदेशी प्रयास के लिए आवश्यक है। हाल के प्रमुख निवेशों में इमेज इन्टेसिफायर ट्यूब मैन्यूफैकचरिंग एवं टेस्टिंग सुविधाए, नियर फील्ड रेंज टेस्ट सुविधा, एण्टीना टेस्ट सुविधा, इएमआई/इएमसी टेस्ट चैम्बर्स, सुपर कंपोनेंट्स असेम्बली एवं टेस्ट सुविधा, रडारों एवं प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों इत्यादि के लिए इन्डोर/आउटडोर टेस्ट प्लेटफार्म शामिल है । बीईएल अपने आंतरिक प्राप्तियों से वर्ष 2015-16 के लिए पूंजीगत व्यय की दिशा में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

7.35 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), जो कि एक लघु रत्न श्रेणी-1 कंपनी है, को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम) के विनिर्माण से शुरुआत करके बीडीएल नई पीढ़ी की एटीजीएम, सतह से हवा में मार करने वाली शस्त्र प्रणालियों, सामरिक महत्व के हथियारों, लांचरों, अंतर्जलीय हथियारों, डिकॉयज और परीक्षण उपस्करों के विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरा है। बीडीएल अमरावती, महाराष्ट्र और इब्राहिमपट्टनम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य में नई इकाइयों की स्थापना करके एटीजीएम और एसएएम सहित सभी प्रमुख परियोजनाओं की क्षमता संवर्धन के द्वारा सैन्य बलों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है।

7.36 बीडीएल की कंचनबाग, भानुर और विशाखापट्नम स्थित तीनों इकाइयां आईएसओ-14001 प्रमाणित है। बीडीएल का उत्पादन प्रभाग, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और सूचना तकनीकी प्रभागों ने आईएसओ 9001:2008 प्रत्यायन प्राप्त किया है ।

7.37 बीडीएल के पास भारतीय नौसेना के लिए एकीकृत एलआरएसएएम प्रक्षेपास्त्र है जिसके लिए एचओटी(होम ऑन टार्गेट) परीक्षण किया गया है और दो एचआरएसएएम प्रक्षेपास्त्रों का भारतीय युद्धपोत से दिसंबर, 2015 में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया । बीडीएल, एलआरएसएएम(सेना) के लिए एक अग्रणी एकीकर्ता भी है । वर्तमान में आकाश हथियार प्रणाली(एडब्ल्यूएस) एक डिजाइनकर्ता के रूप में डीआरडीओ के सहयोग से बीडीएल द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित प्रमुख उत्पादों में से एक है, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना को सप्लाई किया जा रहा है ।

आकाश एसएएम

7.38 बीडीएल आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा विनिमय को कम करने और लागत में कमी करने के उद्देश्य से विनिर्मित की जा रही एटीजीएम के स्वदेशीकरण की दिशा में निरंतर संकल्पित प्रयास कर रहा है। बीडीएल ने कोनकर्स एमएटीजीएम, इनवार और मिलन-2टी

एटीजीएम का क्रमशः 90 प्रतिशत, 76.4 प्रतिशत और 71 प्रतिशत स्वदेशीकरण कर लिया है।

7.39 **पूंजीगत व्यय एवं आधुनिकीकरणः** पूंजीगत व्यय पर वर्ष 2015-16 के लिए 226 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इनमें से 110 करोड़ रुपए संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण और कंपनी के अन्य संक्रियात्मक कार्यकलापों पर व्यय किया जाएगा।

बीईएमएल लिमिटेडः

7.40 बीईएमएल, वर्ष 1964 में स्थापित, एक लघु रत्न (श्रेणी-1) का सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है। बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फिल्डस (केजीएफ), मैसूर और पालाक्कड में कंपनी के 9 उत्पादन यूनिटें हैं एवं सहायक इस्पात फाउंड्री- टरीकेरी, चिकमंगलूर में है और यह खनन व निर्माण, रक्षा और रेल एवं मेट्रो उत्पादों के क्षेत्र को एक वृहत श्रंखला के बिक्री और बिक्री पश्चात् क्रियाकलापों में लगा हुआ है। कंपनी का आन्तरिक व्यापार एशिया, अफ्रीका और लैटीन अमेरिका के 58 देशों में फैला हुआ है।

7.41 **अनुसंधान एवं विकास पहल और नए उत्पादों का विकासः** कंपनी का घरेलू आरएण्डडी पर एक सकेन्द्रित दृष्टिकोण है और यह अपने कारोबार का लगभग 3 प्रतिशत आरएण्डडी पर व्यय कर रही है। घरेलू आरएण्डडी से विकसित किए उत्पादों ने पिछले तीन वर्षों में कुल कारोबार का औसतन 50 प्रतिशत का योगदान किया है। चालू वर्ष के दौरान 8x8 और 10x10 की एसएमइआरसीएल परियोजना की शुरुआत की गई है। 2 पेटेंट अर्थात वर्ष 2014-15 में बैकहो लोडर के लिए फोर्जड डिजाइन टूथ प्वाईंट और 2015-16 में वाकिंग ड्रैगलाइन हेतु टूथ प्वाइंट सहित 2008-09 से 07 पेटेंट दायर किए गए हैं।

क्रेन सहित स्मर्च 10x10 गोलाबारूद वाहन

स्टेनलेस स्टील इलैक्ट्रिक मल्टिप्ल यूनिट (सेमु)

बी पी 100 टन - पाइप लेयर

7.42 **स्वदेशीकरणः** खनन एवं उत्पाद विनिर्माण के संबंध में स्वदेशीकरण का स्तर 90 प्रतिशत से अधिक है और रेल एवं मेट्रो कार के मामले में 50 प्रतिशत है। रक्षा उत्पादों अर्थात पीएम ब्रिज, एटीटी, एयरक्राफ्ट वेपन लोडर, 50टी ट्रेलर इत्यादि, के मामले में कंपनी ने लगभग 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त किया है ।

7.43 **पर्यावरण सुरक्षाः** कंपनी ने कर्नाटक के वन विभाग के साथ केजीएफ, मैसूर और बेंगलुरु परिसर में 2015

नन्हें पौधे लगाए हैं । इसने हरित ऊर्जा पहल की दिशा में कर्नाटक के गडग जिले में 5 एमडब्ल्यू की विंड मिल स्थापित की है ।

7.44 **प्राप्त पुरस्कारः** बीईएमएल को ''निर्यात में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन'' श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। बीईएमएल ने एएसएपीपी मीडिया इंफोर्मेशन ग्रुप द्वारा 12वीं वार्षिक विनिर्माण वर्ल्ड ग्लोबल अवार्डस में विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग की श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चुनौती वाली कंपनी का पुरस्कार भी प्राप्त किया और ईईपीसी द्वारा पुरस्कृत स्टार परफार्मर-वृहत उद्यम (माइनिंग, क्वायरिंग और विनिर्माण के लिए मशीनरी व तत्संबंधी हिस्से) के लिए 'सिल्वर शील्ड' भी प्राप्त की है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.45 मिधानि, एक लघु रत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1973 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की गई थी ताकि उत्कृष्ट उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण और जटिल मिश्रित धातुओं जैसेकि सुपर एलॉयज, टिटेनियम मिश्र धातु, विशेष इस्पात एवं धब्बारहित इस्पात, सॉफ्ट मैग्नेटिक मिश्र धातुओं की वृहत श्रृंखला के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। मिधानि, देश की रक्षा, अंतरिक्ष, उड्डयनियकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार और अनेक सामरिक क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करती है। मिधानि ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए विभिन्न आकारों, मापों में उच्च कार्य निष्पादन करने वाली 105 से भी अधिक श्रेणियों की मिश्र धातुओं का विकास, विनिर्माण किया है व उनकी आपूर्ति की है।

7.46 **स्वदेशीकरणः** मिधानि में विनिर्मित ज्यादातर मिश्र धातु/उत्पाद आयात प्रतिस्थापित हैं । हाल में ही विकसित कुछ उत्पाद जैसे कि सुपर्नी42, सुपरकास्ट55, अरिहंत पनडुब्बी के लिए स्टीयरिंग गियर असेम्बली, अडोर इंजन के लिए टाइटन 26 डिस्क, उपग्रह प्रोपल्सन के लिए सी103 शीटें इत्यादि का विनिर्माण, नवाचार विनिर्माण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए किया गया ।

7.47 **वित्तीय कार्यनिष्पादनः** मिधानि ने पिछले 10 वर्षों से बिक्री में लगभग 15 प्रतिशत की एक आकर्षक सम्मिलित वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की है और निरंतर 'उत्कृष्ट' एमओयू कार्यनिष्पादन रेटिंग प्राप्त की है।

7.48 **पर्यावरण सुरक्षाः** ऊर्जा बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु मिधानि टाउनशिप की रिक्त पड़े भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई है। औषध वनम एवं हरित वनम परियोजना के हिस्से के रूप में फल देने वाले, खुशबू देने वाले व औषधीय पौधों के लगभग 1000 पौधों का रोपण किया।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)

7.49 माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डो में अग्रणी है जो युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण में लगा हुआ है। वर्तमान में एमडीएल, मिसाइल विध्वंसकों, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और इस प्रकार भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता कर रहा है ।

7.50 **सुपुर्दगी एवं जलावतरणः** वाई-702, 'आईएनएस कोच्चि', पी15ए वर्ग के दूसरे पोत की सुपुर्दगी 9 सितंबर, 2015 को की गई। स्कोर्पिन वर्ग की पनडुब्बी कलवरी को 6 अप्रैल, 2015 को बंदरगाह से निकाला गया और 29 अक्तूबर, 2015 को इसका जलावतरण किया गया।

पी15बी विशाखापट्नम के प्रथम विध्वंसक को 20 अप्रैल, 2015 को जलावतरित किया गया ।

06 अप्रैल 2015 को स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडूब्बी कलवरी को अनडाकिंग करते हुए

20 अप्रैल 2015 को पी-15 बी विशाखापत्तनम के प्रथम विध्वंसक का जलावतरण

7.51 **अनुसंधान एवं विकास पहलः** चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों पर 31 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। तीन इन-हाउस परियोजनाएं- 100 टन से 250 टन तक के मेगा ब्लाकों को उठाने के लिए पद्धति का विकास, इओडी कैमरा और प्लम एनालिसिस के लिए प्लेटेड मास्ट स्ट्रक्चर का सीएफडी विश्लेषण, के एमडीएल में अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा युद्धपोत अभिकल्पन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी का इष्टम उपयोग आभासी वास्तविक प्रयोगशाला का कार्य शुरू किया गया है ।

7.52 **आधुनिकीकरणः** माझगांव डॉक लिमिटेड ने माझगांव आधुनिकीकरण परियोजना (एमएमपी) के द्वारा अपने अवसंरचना का संवर्धन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। आधुनिकीकरण के अगले चरण में, एमडीएल की अल्काक यार्ड में आउटफिट असेम्बली शॉप, में अपनी पोत निर्माण और पनडुब्बी सुविधाओं को बढ़ाने, गोलियथ क्रेन के ट्रैक का विस्तार करने, रिची ड्राई डॉक को गहरा करने और पनडुब्बी अनुभाग असेम्बली (एसएसए) कार्यशाला का निर्माण करने की योजना है।

7.53 **स्वदेशीकरणः** एमडीएल ने सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को सुदृढ़ करने और युद्धपोतों और पनडुब्बियों में स्वदेशीकरण की मात्रा को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए एक समर्पित स्वदेशीकरण विभाग की पहले ही स्थापना कर दी गई है। स्वदेशीकरण की दिशा में एमडीएल का संकल्प इस तथ्य से स्पष्ट है कि एमडीएल द्वारा निर्माता पोत में स्वदेशीकरण का प्रतिशत वर्ष 1997 में 42 प्रतिशत (दिल्ली क्लास) से बढ़कर वर्ष 2015-16 में लगभग 78 प्रतिशत (कोलकाता क्लास) हो गया है।

7.54 **पुरस्कारः** वर्ष के दौरान एमडीएल द्वारा प्राप्त प्रमुख पुरस्कार है-'नवाचार में उत्कृष्टता के लिए 'एयरोस्पेस अवार्ड 2015', उत्पाद/ सेवा नवाचार पुरस्कार आदि।

गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)

7.55 गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), एक लघु रत्न श्रेणी-I कंपनी है जो पिछले 22 वर्ष से मुनाफा कमाने वाली लाभांश देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम है। यह भारत की बढ़ती समुद्री जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है और एक अग्रणी पोतनिर्माणी यार्ड के रूप में जाना जाता है।

7.56 वर्तमान में, जीआरएसई में 14 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जिनमें पनडुब्बीरोधी वारफेयर कार्वेट (एएसडब्ल्यूसी), आठ लैंडिंग क्राफ्ट युटीलिटी (एलसीयू) पोत और चार वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (डब्ल्यूजेएफएसी) शामिल हैं। दूसरा एएसडब्ल्यु स्टील्थ कार्वेट (आईएनएस कदमत) 26 नवंबर, 2015 को सुपुर्द किया गया। जीआरएसई ने चालू वर्ष के दौरान हल को पूरा किया है और पांच युद्धपोतों को लांच किया है।

द्वितीय पनडूब्बी रोधी-वारफेयर (स्टील्थ) कार्वेट

गुणता लीडरशिप पुरस्कार - 2015

7.57 **आधुनिकीकरणः** शिपयार्ड का परियोजना 17ए के तहत 3 स्टील्थ फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए मॉड्यूलर पोत की निर्माण को कार्यान्वित करने के लिए आधुनिकीकरण किया गया है। यह यार्ड एलसीयू परियोजना के पांचवें पोत पर मॉड्यूलर पोत निर्माणी का पहला चरण शुरु कर रहा है।

7.58 **पुरस्कारः** जीआरएसई को वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारों से नवाजा गया है (क) वर्ष 2012-13 और 2013-14 का 'उत्कृष्ट कार्यनिष्पादक रक्षा शिपयार्ड' के लिए रक्षा मंत्री अवार्ड, इसके साथ ही जीआरएसई ने यह पुरस्कार लगातार चार बार जीता है (वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) (ख) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सवोत्कृष्टता के लिए 'ग' क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार।

7.59 जीआरएसई ने कोलकाता स्थित भारतीय इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी संस्थान (आईआईईएसटी), के साथ शिक्षा एवं अनुसंधान में संस्थागत सहयोग के लिए नवंबर, 2015 में समझौता ज्ञापन किया है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

7.60 गोवा शिपयार्ड लि. (जीएसएल) एक लघु रत्न समूह-1 दर्जे की कंपनी है, जो भारतीय रक्षा बलों और अन्य विभिन्न ग्राहको, जिनमें निर्यात बाजार भी शामिल है, के लिए उत्कृष्ट उच्च प्रौद्योगिकी वाले पोतों की स्वदेशी रूप से डिजाइनिंग करने, उनका निर्माण करने में सक्षम है। वर्तमान में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लगभग 1200 करोड़ रुपए के निर्यात को निष्पादित कर रहा है। विविधीकरण के अंतर्गत नए व्यापार विकास के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें भारतीय सेना के लिए हॉवर क्राफ्ट भी शामिल हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 'तय लागत' पर पोतों की समय से सुपुदर्गी में खुद पर गर्व करता है और बहुत ही अच्छी निष्पादन दक्षता निष्पादित करता है।

7.61 **वर्ष के दौरान सुपुदर्गी/लांचिंगः** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदागत समय सीमा के अनुसार, तटरक्षक बल को परियोजना की पहली 105 एम अपतटीय गश्ती जलयान (ओपीवी) की सुपुदर्गी की है, जो किसी शिपयार्ड के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। इसके अलावा, मॉरीशस सरकार के लिए पांच तीव्र इंटरसेप्टर नौका (एफआईबी) की सुपुदर्गी समय से पहले की गई और इस वर्ष तीन अपतटीय गश्ती जलयान लांच किए गए।

7.62 **मेक इन इंडिया के रूप में पहलः** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स (एमसीएमवी) के स्वदेशी निर्माण के लिए चुना गया है। तदनुसार, 'एमसीएमवी के लिए यार्ड, अवसंरचना संवर्धन योजना' को निष्पादित किया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ जीआरपी हल एमसीएमवी के निर्माण में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ-साथ परियोजना को शुरु करने के लिए यार्ड ने कार्मिकों की संख्या बढ़ाने की योजना भी तैयार करती है ।

एम सी एम वी परियोजना के लिए चल रही आधुनिकीकरण

7.63 **अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापः** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड निरंतर रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में निवेश कर रहा है और उन्नत विशेषताओं, जैसेकि विभिन्न प्रचालनात्मक भूमिकाओं और स्टील्थ विशेषताओं के लिए बेहतर ईंधन सक्षमता, उच्चतर समर्थन और उच्च गति, के साथ नई पीढ़ी के प्लेटफार्मों का विकास कर रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 29 एम, 50 नॉट्स इंटरसेप्टर नौका (आईबी) के डिजाइन एवं विकास किया है तथा सुपुर्द की गई प्रथम 105 एम ओपीवी (आईसीजीएस समर्थ) को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वर्ष के लिए 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार और 'गवर्ननेंस नाउ' पुरस्कार भी जीते हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (एचएएल)

7.64 एचएसएल सबसे बड़ा और सामरिक रूप से अवस्थित शिपयार्ड है। इस यार्ड ने रक्षा एवं समुद्री क्षेत्र के लिए 174 जलयानों का निर्माण किया है और 1940 जलयानों की मरम्मत की है।

7.65 **प्रमुख उपलब्धियांः** भारतीय तटरक्षक बल के लिए पांच आईपीवी श्रृंखला को तीसरा 'आईसीजीएस रानी दुर्गावती' 01 जून, 2015 को सुपुर्द किया गया। यह एक हल्के हथियार वाला सतह पर चलने वाला जलयान है, जो उपतटीय और द्वीप क्षेत्र के चारों ओर संक्रिया करने के लिए सक्षम है। एचएसएल ने भा. नौ. पो. सिन्धुकीर्ति, जो एक ईकेएम श्रेणी की पनडुब्बी है, का मीडियम रिफिट तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया है जो देश में किसी मिसाइल प्रणाली के साथ पुनर्सज्जित किए जाने वाला अब तक का सबसे उन्नत प्लेटफार्म है जो प्रक्षेपास्त्र प्रणाली से पहले से सुसज्जित है ।

आईसीजीएस दुर्गावती

भा. नौ. पो. सिन्धुकीर्ति

7.66 एचएसएल ने विश्व की बड़ी पोत निर्माण कंपनी मैसर्स हुण्डई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लि. के साथ पनडुब्बी सहित इसकी प्रणालियों/उप प्रणालियों के निर्माण और डिजाइन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु 13 जनवरी, 2015 को एक समझौता ज्ञापन किया है ।

7.67 **अनुसंधान एवं विकास की बेहतरी के लिए सक्रिय कार्रवाई:** एचएसएल की डिजाइन क्षमता में 70, 000 डीडब्ल्युटी तक के आकार के मध्यम आकार वाले बल्क कैरियर के साथ-साथ उत्पाद टैंकर्स, कंटेनर जलयान, ड्रेजर्स, सवारी नौका एवं सर्वेक्षण जलयान इत्यादि जैसे सामान्य और विशेष उद्देश्य वाले जलयानों की एक व्यापक शामिल है।

7.68 **आधुनिकीकरण:** भारत सरकार ने युद्धपोतों के निर्माण के लिए यार्ड को तैयार करने हेतु 23 दिसंबर, 2011 के लैडिंग प्लेटफार्म डॉक परियोजना के अंतर्गत संयंत्र और अवसंरचना के पुर्नसज्जीकरण करने एवं बदलने के लिए 457.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दिसंबर, 2015 के अन्त तक 105.82 करोड़ रुपए के कार्य ऑर्डर दिए गए हैं।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)

7.69 गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) एक ऐसा अंतर सेवा संगठन है, जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय थल सेना, नौसेना के लिए (नौसेना आयुधों के अलावा) आयातित एवं स्वदेशी दोनों प्रकार के सभी रक्षा सामान और उपस्करों और वायुसेना के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त सामान्य उपभोक्ता मदों की गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है ।

7.70 **संगठनात्मक ढ़ांचा और कार्य:** गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन के ग्यारह तकनीकी निदेशालय हैं, जिनमें से प्रत्येक निदेशालय एक भिन्न प्रकार के उपकरण श्रेणी के लिए जिम्मेवार है। कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए तकनीकी निदेशालयों को दो स्तरों में संरचित किया गया है, जिनमें उनके नियंत्रणालय और फील्ड स्थापनाएं शामिल हैं। इसके अलावा हथियारों और गोलाबारूदों की जांच करने के लिए जांच स्थापनाएं हैं।

7.71 उपलब्धियां :

(i) **सामान की गुणता आश्वासन** : डीजीक्यूए न वर्ष 2015-16 के दौरान (नवंबर, 2015 तक) 15357.00 करोड़ रुपए के रक्षा सामान का निरीक्षण किया है।

(ii) **डीजीक्यूए तकनीकी मूल्यांकन:** वर्ष 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक की अवधि) के दौरान, डीजीक्यूए द्वारा विभिन्न स्टोरों, गोलाबारूद एवं उपस्करों, जिसमें कई जटिल उपप्रणालियां शामिल हैं, के कुल 52 तकनीकी मूल्यांकन एवं .45 प्रयोक्ता परीक्षण में भाग लिया। वर्ष 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान विभिन्न उपस्करों/स्टोर्स के 23 पीडीआई और 51 जेआरआई आयोजित किए गए थे जिसमें कई जटिल उप-प्रणालियां भी शामिल हैं।

7.72 **भावी चुनौतियां:** डीजीक्यूए को विक्रेता पंजीकरण की जिम्मेवारी पुनः सौंपी गई है। यह 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के साथ रक्षा उद्योग में स्वदेशीकरण को मजबूती देगा और जिसके परिणामस्वरूप नए विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी। गुणवत्ता का एक समरूप मानक बनाए रखने और कठोर मूल्यांकरण के लिए समकृति प्रबंधन (सीएम) की संकल्पना अपनाई जा रही है ताकि सामग्री का इसके संपूर्ण जीवनकाल का तकनीकी साख नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

7.73 **आधुनिकीकरण:** डीजीक्यूए ने अपनी विद्यमान जांच सुविधाओं को एनएबीएल अनुबंध के अनुरूप उन्नत किया है। यह स्वदेशीकरण के उद्देश्य हेतु निजी विक्रेताओं को प्रयोगशाला जांच सुविधा एवं प्रूफ

सुविधाएं मुहैया करा रहा है। डीजीक्यूए ने विभागीय विनिर्देशनों के अतिरिक्त बीआईएस मानक और संयुक्त सेवा विनिर्देशनों की संरचना करने में निर्णायक भूमिका अदा की है।

7.74 पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षित स्टोर्स का मूल्य (करोड़ रूपए) में विनिर्माणकर्तावार नीचे दिए अनुसार हैं:-

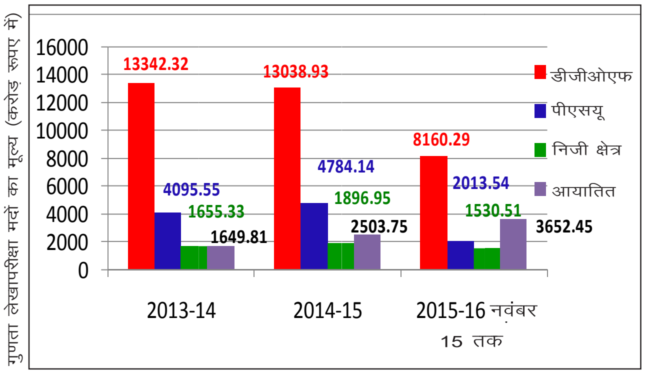

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए):

7.75 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नियामक प्राधिकरण है, जो हवाई शस्त्रास्त्र और मानवरहित विमान (यूएवी) सहित सैन्य विमानों के सहायक हिस्से पुर्जो/सामान और अन्य वैमानिकी साजो-सामान के डिजाइन/विकास/उत्पादन/ओवरहॉल/मरम्मत आशोधन व उन्नयन कार्य करता है। डीजीएक्यूए रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों व मूल्य ठेकेदारों को रक्षा एयर मदों की अधिप्राप्ति और इन-हाउस विनिर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान तकनीकी परामर्श मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीजीएक्यूए, प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां, गुणता आश्वासन एजेंसी (एमएसक्यूएए) और सामरिक प्रणालियां गुणता आश्वासन समूह (एसएसक्यूएजी) के लिए नोडल एजेंसी भी है।

7.76 स्वीकृत स्टोरों का मूल्यः चालू वर्ष एवं गत तीन वर्षों के दौरान डीजीएक्यूए द्वारा क्यूए कवरेज दिए गए स्टोरों का मूल्य निम्नवत हैः-

(करोड़ रुपए में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
14,022	21,803	19,829	16,694*	15,583**

* 31.12.2015 तक
** 1.1.2016 से 31.3.2016 तक प्रत्याशित है

7.77 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय के क्यूए के अंतर्गत की प्रमुख परियोजनाएं:

(क) विकास/विनिर्माण परियोजनाएं

(i) एसयू-30 (एमकेआई) और उन्नत जेट ट्रेनर (हॉक एमके-132): मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) से लाईसेंस के तहत विनिर्माण

(ii) उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच): विनिर्माण

(iii) हल्का युद्धक विमान (एलसीएच): विकास एवं विनिर्माण

(iv) हल्का उपयोगिता वाला हेलीकॉप्टर (एलयूएच): विकास

(v) हल्का युद्धक विमान (एलसीए): विनिर्माण

(vi) मध्यवर्ती जेट ट्रेनर (आईजेटी) और हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर (एलसीएच): विकास / विनिर्माणाधीन

(vii) सारस परिवहन विमान (सैन्य रुपांतर): विकास

(viii) पायलट रहित टारगेट विमान (पीटीए-लक्ष्य): विनिर्माण

(ix) डोर्नियर (डीओ-228) विमान : निर्माण

(x) पैराशूट (ब्रेक, पायलट, ड्रोग, एंटी स्पिन, रिकवरी इत्यादि) : विकास/विनिर्माण

(xi) हवाई आयुध स्टोर्स : विनिर्माण

(xii) स्वदेशी मिसाइल : विकास/विनिर्माण

(xiii) वायु वाहित पूर्व चेतावनी रडार एवं नियंत्रण प्रणाली (एईडब्ल्यू एंड सी) : विकास

(xiv) वायु वाहित प्रयोगों के लिए भू-रडार प्रणाली : विकास/विनिर्माण

(xv) विमान के लिए अरेस्टर प्रणालियां : विनिर्माण

(xvi) वायुयान कर्मी दल के लिए उड़ान के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र : विकास/विनिर्माण

(ख) **मरम्मत एवं ओवरहाल (आरओएच) परियोजनाएं:** एसयू-30 एमकेआई/मिग-21 बिसन मिग -27 विमान/जगुआर/किरन जेट ट्रेनर/मिराज-2000 विमान, डोर्नियर (डीओ-228)/एव्रो (एचएस-748) विमान, हेलीकॉप्टर, उदाहरण. चीता, चेतक, एएलएच, कलपुर्जे तथा एरो इंजन।

7.78 **नीतिगत महत्वपूर्ण निर्णय/उपलब्धियां:**

(i) वायुवाहित मदों (इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक) और पर्यावरणीय स्ट्रेस स्क्रीनिंग के लिए भू-उपस्कर/परीक्षण उपस्कर (जिग्स) की अर्हता परीक्षण तथा स्वीकार्य परीक्षण प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों पर एक्यूए निदेश जारी किए गए ।

(ii) एलसीए के लिए डिजाइन, उत्पादन तथा सुपुर्दगी योग्य चरण के दौरान लागू औजार, परीक्षण उपस्कर तथा भू सहायता उपस्करों की गुणता आश्वासन तथा प्रमाणन के लिए दिशा निर्देश संबंधी दस्तावेज आरडीएक्यूए (एलसीए तेजस), बेंगलुरू द्वारा तैयार तथा समन्वित किया गया है ।

(iii) एलसीए के लिए डीएमआरएल प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विशेष एल्यूमिनियम एलॉय के स्वदेशी विकास के साथ-साथ प्रभावी क्यूए कवरेज उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए दो डीजीएक्यूए अधिकारियों को डीआरडीओ अग्नि पुरस्कार प्रदान किया गया ।

(iv) डीजीएक्यूए के 144 अधिकारियों ने गुणता आश्वासन तथा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षणों में भाग लिया है ।

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस)

7.79 मानकीकरण निदेशालय की स्थापना 1962 में रक्षा सेनाओं के भीतर मदों की तेजी से हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। मानकीकरण महानिदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य तीनों सेनाओं में उपस्करों और संघटकों में उभयनिष्ठता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेवाओं की कुल मदसूची को कम करके न्यूनतम किया जा सके तथा निम्नलिखित द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास है :- (क) विभिन्न मानकीकरण दस्तावेजों को तैयार करना, (ख) रक्षा सामान सूची का कोडिफेकेशन करना, (ग) प्रविष्टि नियंत्रण।

7.80 **लक्ष्य एवं उपलब्धियां :** रोल ऑन योजना 2015-16 के अनुसार, 89 नए दस्तावेजों और 761 संशोधित दस्तावेजों को दिसंबर, 2015 तक पूरा कर लिया गया । लगभग 5500 मानक दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2015 तक परिचालित किया गया है । संबद्ध समिति/135(एसी/135), जो नाटो के अधीन कोडिफिकेशन का शीर्ष निकाय है, की मुख्य समूह

बैठक में भारत के भाग लेने से संबंधी नई संकल्पना लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय संभारिकी प्रणाली में भारतीय विनिर्माताओं को भाग लेने में सहायता मिली।

7.81 मौजूदा कोडिफिकेशन प्रणाली को प्रभावी तथा परिमाणात्मक बनाने के लिए प्लेटफार्म केन्द्रक कोडिफिकेशन शुरू किया गया है । भविष्य में पिछले वर्ष में अंतिम रूप दी गई संविदाओं के आधार पर एएचएसपी के कोडिफिकेशन लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे ।

7.82 एनसीबी जर्मनी के साथ कोडिफिकेशन सूचना बांटने के लिए मानकीकरण निदेशालय के निदेशक ने 18 नवम्बर, 2015 को साझा कर द्विपक्षीय संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। यूएसए के साथ सूचना साझा करने के लिए द्विपक्षीय संविदा को अंतिम रूप देने का कार्य अंतिम चरण में है ।

7.83 **''मेक इन इंडिया'' परियोजना के लिए प्रयास :** संबद्ध समिति/135(एसी/135) के सदस्य होने के नाते, मानकीकरण निदेशालय भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अधिप्राप्ति प्रणाली में भागीदारी को सुकर बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है ।

योजना एवं समन्वय निदेशालय

7.84 वर्ष 1964 में स्थापित योजना एवं समन्वय निदेशालय को स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और एसएचक्यू के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों पर डीडीपी के परिप्रेक्ष्य में सलाह देते हुए रक्षा क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' पहल के लक्ष्यों को मूर्तरूप देने, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव करने, नीति/दिशानिर्देशों को रूप देना/स्वीकृति देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने तथा भारत और विदेशी कंपनियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने का कार्य सौंपा गया है । रक्षा जरूरतों में मूल रूप से आत्मनिर्भरता के समग्र लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता तथा अन्य पणधारियों के साथ निकट संपर्क रखते हुए इन कार्यकलापों को किया जाता है ।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

7.85 रक्षा प्रदर्शनी संगठन का मुख्य कार्य भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अभिवृद्धि करने के दृष्टिकोण से देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करना है ।

7.86 **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ):** रक्षा पैवेलियन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हर वर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर, 2015 तक लगने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेता है । भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में, रक्षा पैवेलियन को पिछले 28 वर्षों के दौरान 8 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य और एक विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।

7.87 दसवां एरो इंडिया शो- 2015, 18 फरवरी से 22 फरवरी, 2015 तक आयोजित किया गया था । इस शो का मुख्य विषय एयरोस्पेस, रक्षा, नागर विमानन, विमान पत्तन अवसंरचना और रक्षा इंजीनियरिंग में 'मेक इन इंडिया' था । शो में 317 भारतीय कंपनी और 324 विदेशी कंपनियों ने भाग लिया ।

7.88 **डिफेंस एक्सपो इंडियाः** एरो इंडिया को अनुपूरक प्रदर्शनी के रूप में मानते हुए, डिफेंस एक्स्पो इंडिया का आरंभ 1999 में किया गया था । इस प्रदर्शन से भारत, रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रभावी रूप से उभर कर आया है और रक्षा उद्योग में संबद्ध

तथा संयुक्त उद्यमों के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य किया है।

7.89 **विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी :** भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात संभावना को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से रक्षा प्रदर्शनी संगठन विदेशों में लगने वाले प्रमुख रक्षा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 'भारतीय पैवेलियन' लगाता है ताकि भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे रक्षा उत्पादों के लिए बाजार को विकसित किया जा सके । वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत ने लाड (एलएएडी) रक्षा तथा सुरक्षा प्रदर्शनी -2015, अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा उद्योग प्रदर्शनी (आईएमडीईएक्स)- 2015, पेरिस एयर शो - 2015, मैक्स एयर शो- 2015, रक्षा तथा सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी (डीएसईआई)- 2015, सियोल एयर शो - 2015, रक्षा तथा सुरक्षा - 2015 में भाग लिया ।

राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश)

7.90 निर्देश अर्थात रक्षा पोत निर्माण में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई है ताकि युद्धपोत तथा पनडुब्बी विनिर्माण में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके । इसका अंतरिम प्रधान कार्यालय कालिकट में है । सदस्य संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल अल्पावधि तथा दीर्घावधि लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है तथा प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं । परिभाषित तत्काल कर्तव्यों के अनुसार सहयोगी परियोजनाओं के कार्य कलाप परामर्शी कार्य, डिजाइन और डाटा आरकिविंग कार्य भी प्रगति पर है।

****

8

रक्षा अनुसंधान तथा विकास

रक्षा मंत्री द्वारा उन्नत टारपिडो रक्षा प्रणाली 'मारीच' का सौपा जाना

डीआरडीओ देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में से एक के रुप में उभरा है और इसके अत्याधुनिक प्लेटफार्मों, सेंसरों और हथियार प्रणालियों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि

8.1 डीआरडीओ देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में से एक के रुप में उभरा है और इसके अत्याधुनिक प्लेटफार्मों, सेंसरों और हथियार प्रणालियों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। इसकी मुख्य प्रौद्योगिकीय शक्ति का आधार इसकी प्रणाली डिजाइन, प्रणाली एकीकरण, और परीक्षण एवं मूल्यांकन में विशेषज्ञता है जो कि इसने पिछले पांच दशकों में हासिल की है। हमारे प्रयासों के कारण आज भारत, विश्व में उन मात्र पांच देशों मे से एक है जिसके पास बहु–स्तरीय रणनीतिक प्रतिवारक क्षमता तथा अपना स्वयं का प्राक्षेपिक मिसाइल रक्षा (बी एम डी) कार्यक्रम है, विश्व के उन मात्र छह देशों में से एक है जिन्होनें परमाणु शक्तियुक्त पनडुब्बी विकसित की है और उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होनें अपना मुख्य युद्धक टैंक (एम वी टी), चौथी पीढ़ी का समाघात एयरक्राफ्ट, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति (ई डब्ल्यू) और मल्टी रेंज रेडार कार्यक्रम विकसित किया है।

8.2 डीआरडीओ के मिशन में निम्नलिखित बृहत कार्यकलाप आवश्यक रुप से शामिल हैंः–

- हमारी रक्षा सेनाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों और संबद्ध उपस्कर का डिजाईन, विकास और उत्पादन करना।
- समाघात की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए सेनाओं को प्रौद्योगिकीय समाधान प्रदान करना और सैनिकों के कल्याण में वृद्धि करना।
- अवसंरचना और प्रतिबद्ध गुणवत्ता जनशक्ति का विकास और मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना।

संगठनात्मक संरचना

8.3 पहले डीआरडीओ के प्रमुख महानिदेशक (डी जी) डीआरडीओ होते थे जो अतिरिक्त रुप से सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (डी डी आर एंड डी) और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टू आर एम) का पद भी संभालते थे। तथापि, जून 2015 में, डीआरडीओ को सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अधीन कर दिया गया है जो डी जी डीआरडीओ के रुप में डीआरडीओ के प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। स्वतंत्र सलाह देने के लिए पृथक रुप से रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार का पद सृजित किया गया था।

8.4 डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं को सात प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में समूहबद्ध किया गया है। इन प्रौद्योगिकी कलस्टरों के नाम हैंः– आयुध और समाघात इंजीनीयरिंग प्रणालियां (ए सी ई) वैमानिकीय प्रणालियां (एयरो), मिसाईल एवं रणनीतिक प्रणालियां (एम एस एस), नौसेना प्रणाली और सामग्री (एन एस एंड एम) इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार प्रणालियां (ईसीएस), सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक उपकरण और कम्पयूटेशनल प्रणालियां (एमईडी एंड सी ओ एस) और जैव विज्ञान (एल एस)। इनमें से प्रत्येक क्लस्टर महानिदेशकों के अधीन कार्य करते हैं। सात महानिदेशकों (डी जी) के कार्यालय पुणे (ए सी ई), बेंगलुरु (ऐरो तथा ईसीएस), हैदराबाद (एम एस एस), विशाखापट्टनम (एन एस एंड एम) और दिल्ली (एम ई डी एवं सी ओ एस और एल एस) में स्थित हैं। सारणीसं. 8.1 में दी गई प्रत्येक कलस्टर महानिदेशक के अधीन प्रयोगशालाओं में से जिन कुछ प्रयोगशालाओं में वर्ष 2015 में थोड़ा री–एलाइनमेंट किया गया उन की सूची दी गई है।

सारणी 8.1ः
संघटक प्रयोगशालाओं सहित प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र आधारित कलस्टर

महानिदेशक (कल्स्टर)	
डी जी (एसीई)	ए आर डी ई, सीफीस, एचईएमआरएल, पीएक्सई, सीवीआरडीई, डी टी आर एल, आर एंड डी ई (ई), वी आर डी ई
डी जी (ऐरो)	एडीई, एडीआरडीई, कैब्स, सेमिलेक, जीटीआरई
डी जी (एम एस एस)	एएसएल, डीआरडीएल, आई टी आर, टीबीआरएल
डी जी (एन एस एंड एम)	एन एम आर एल, एन पी ओ एल, एन एस टी एल, डी एल जे, डी एम आर एल, डी एम एस आर डी ई
डी जी (ई सी एस)	चैस, डेयर, डील, डी एल आर एल, आई आर डी ई, लास्टेक, एल आर डी ई
डीजी (मेड एंड कास)	अनुराग, एमटीआरडीसी, एसएसपीएल, सितार सोसाईटी (स्टार–सी एवं गेटेक), केयर, जेसीबी, एसएजी
डी जी (एल एस)	डेबेल,डीएफआरएल, डिबेर, डिहार, डिपास, डीआईपीआर, डीआरडीई, डीआरएल(टी), इनमास

8.5 डीआरडीओ के तीन मानव संसाधन संस्थान हैं जो हैं :– कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (सेप्टेम), प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आईटीएम) और भर्ती एंव मूल्यांकन केंद्र (आर ए सी)। पिछले वर्ष के दौरान सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान (मिलिट) को डीआरडीओ से आईडीएस मुख्यालय स्थानान्तरित कर दिया गया। डीआरडीओ के अन्तर्गत तीन प्रमाणीकरण एजेंसियां भी हैं जो हैं :– उड़न योग्यता उत्पादों के लिए सैन्य उड़न योग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), अग्नि और विस्फोटक के लिए अग्नि विस्फोटक तथा पर्यावरण सुरक्षाकेन्द्र (सीफीस) और सूचना सुरक्षा उत्पादों के क्रम निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी)। ये प्रमाणीकरण एजेंसियां न सिर्फ डीआरडीओ बल्कि भारत सरकार के अन्य संगठनों को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, सेमिलेक के अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रादेशिक सैन्य उड़न योग्यता केंद्र (आरसीएमए) देश भर में विभिन्न स्टेशनों में स्थित हैं। रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में शैक्षणिक क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ के वित्त पोषण से चार अनुसंधान बोर्ड (वैमानीकीय, नौसेना, आयुद्ध और जैव विज्ञान) कार्य कर रहे हैं।

8.6 इसके अलावा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग का एक स्वायत्त निकाय नामतः वैमानिकीय विकास एजेंसी, एक संयुक्त उपक्रम नामतः ब्रह्मोस एयरोस्पेस और एक मानद विश्वविद्यालय नामतः रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डायट) है।

डीआरडीओ मुख्यालय

8.7 दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय, जो संगठन के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समन्वय करता है, सरकार और कलस्टर मुख्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के बीच एक इंटरफेस है। कॉरपोरेट मुख्यालय के कार्यकलापों की देखरेख के लिए पांच मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान तथा विकास) हैं। कॉरपोरेट मुख्यालय का संगठनात्मक चार्ट सारणी– 8.2 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक सी सी आर एंड डी हैं जो सी ई ओ एवं एम डी ब्रह्मोस जो कि भारत–रुस का संयुक्त उपक्रम है और जिसमे डीआरडीओ एक साझेदार है, के रुप में कार्य करते हैं।

सारणी 8.2:
डीआरडीओकी कॉरपोरेट संरचना

मुख्य नियंत्रक(आर एंड डी)	
सी सी आर एंड डी (एच आर)	कार्मिक एवं प्रतिभा प्रबंधन केंद्र (सेप्टेम), रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डायट), रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रबंधन केन्द्र (डेसीडॉक), मानव संसाधन विकास (एच आर डी), प्रौद्योगिकी और प्रलेखन संस्थान (आई टी एम), कार्मिक, जनसंपर्क, भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (आरएसी), सूचना का अधिकार (आर टी आई) प्रकोष्ठ
सी सी आर एंड डी (आर एंड एम)	बजट, वित्त एवं लेखा (बी एफ एंड ए), सिविल निर्माण और संपदा (सी डब्ल्यू एंड ई), साईबर सुरक्षा (सी एस), रक्षा प्रौद्योगिकी कमीशन (डी टी सी) सचिवालय, प्रबंध सेवाएं, सामग्री प्रबंधन, संसदीय कार्य, योजना एवं समन्वय (पी एंड सी), कार्यक्रम कार्यालय (पी ओ–1 और पी ओ–2), राजभाषा तथा ओ एंड एम, सतर्कता एवं सुरक्षा (वी एंड एस)
सी सी आर एंड डी (पी सी एंड एस आई)	औद्योगिक संपर्क और प्रौद्योगिकी प्रबंधन (आई आई टी एम), इंटरैक्शन विद् सर्विसेज फार बिजनेस (आई एस बी), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) और जे वी, निम्न तीव्रता संघर्ष (एल आई सी), गुणता, विश्वसनीयता और सुरक्षा (क्यू आर एंड एस) प्रमुखों के वैज्ञानिक सलाहकार,विदेशों में तकनीकी सलाहकार
सी सी आर एंड डी (टी एम)	बाह्य अनुसंधान तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (ई आर एंड आई पी आर), भविष्यवादी प्रौद्योगिकी प्रबंधन (एफ टी एम), अनुसंधान बोर्ड, अनुसंधान नव–प्रर्वतन केंद्र (आर आई सी)
सी सी आर एंड डी (सैम)	पद्धति अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (ईसा), सिमुलेशन और मॉडलिंग केंद्र (सैम–सी)

जनशक्ति

8.8 डीआरडीओ में कर्मचारियों की कुल संख्या 25,148 है जिसमें से 7,549 रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवाओं (डीआरडीएस) में, 9528 रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) में , 6090 प्रशासन एवं संबद्ध संवर्ग में और 1981 अन्य श्रेणी में हैं।

बजट

8.9 वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, डीडीआरएंडडी को 14,358.49/– करोड़ रुपए आबंटित किए गए जो कुल रक्षा बजट का लगभग 5.8% है। इसमें से, 7788.40 करोड़ रुपए कैपिटल शीर्ष के अंतर्गत और 6,570.09 करोड़ रुपए राजस्व शीर्ष के अंतर्गत आबंटित किए गए।

कार्यक्रम एवं परियोजनाएं

8.10 1 जनवरी से 15 दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 1,591.10 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ 58 नई परियोजनाएं मंजूर की गई, 35 परियोजनाओं को प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया और 47 परियोजनाओं की तकनीकी गतिविधियों को पूरा किया गया।

8.11 वर्तमान में, डीआरडीओ में 46,840.76 करोड़ (प्रयोक्ता अंशसहित) की अनुमानित लागत से 278 परियोजनाएं (रणनीतिक परियोजनाओं को छोड़कर) चल रही हैं। चल रही 278 परियोजनाओं में से 41 बड़ी परियोजनाओं (100 करोड़ रूपये से अधिक लागत की) की लागत 40, 479. 22 करोड़ रु. है।

8.12 सुरक्षा मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीएस) द्वारा 31962.50 करोड़ (डीआरडीओ का शेयरः 18985. 13 करोड़ रु.) लागत के 9 कार्यक्रम अनुमोदित किए हैं। सीसीएस कार्यक्रम की कुल लागत का लगभग 40.6 प्रतिशत प्रयोक्ता द्वारा वितपोषण किया जाता है। इनमें से दो सीसीएस परियोजनाएं मिसाइलों के डिजाइन और विकास से संबंधित है जिनके नाम हैः– लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एलआरएसएएम) और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एमआरएसएएम), वैमानिकी के क्षेत्र में सीसीएस परियोजनाएं हैं :– हल्का समाघात वायुयान (एलसीए), वायुसेना एमके–I, एलसीए वायु सेना एमके–II, एलसीए नौसेना एमके–I, वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी) प्रणाली कावेरी ईंजन/वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (भारत) कार्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

8.13 वर्ष 2015 में डीआरडीओ की परियोजनाओं को कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन/उपलब्धियां मिली हैं, जिनमें से कुछ का विस्तृत विवरण आगे आने वाले पैराग्राफों में दिया गया हैः–

हल्का लड़ाकू वायुयान (एलसीए) 'तेजस': स्वदेश में विकसित एलसीए एक उन्नत प्रौद्योगिकी है, इसे हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से समुद्र में समाघात भूमिकाओं के लिए एकल सीट, एकल इंजन, सुपरसॉनिक, हल्के भार वाला, सभी मौसमों के लिए, बहु–भूमिका, हवा उच्चता फाइटर के लिए डिजाइन किया गया है। चार तेजस वायुयानों (टीडी1, टीडी2, पीवी1 एवं पीवी2) का निर्माण पूर्ण स्केल इंजीनियरिंग विकास (एफएसईडी) चरण–I कार्यक्रम में किया गया था जो 31 मार्च, 2004 में पूरा हुआ था। एफएसईडी चरण– II कार्यक्रम में दो प्रोटोटाइप वाहनों तेजस पीवी3 और पीवी4 एवं एक दो– सीट वाले प्रशिक्षक परिवर्ती प्रोटोटाइप वाहन तेजस पीवी5 के विनिर्माण के लिए विचार किया गया था। तेजस उत्पादन चरण की शुरूआत कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरूआती आपरेशनल क्लीयरेंस (आईओसी) संरूपण सहित प्रथम तेजस स्क्वाड्रन और अंतिम आपरेशनल (एफओसी) सहित द्वितिय स्क्वाड्रन

ठंड के मौसम में तेजस का परीक्षण

सहित तेजस को आपरेशनल सेवा में शामिल करने का अनुमोदन दिया है। प्रति वर्ष आठ एयरक्राफ्ट की दर से उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा एलसीए वायुयान (एलसीए–एसपी1) का पहला उत्पादन भारतीय वायुसेना को 17 जनवरी, 2015 को सौंपा गया था। इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धि जनवरी, 2015 में लेह में ठंडा मौसम/उच्च तुंगता बाह्य परीक्षण था। तेजस प्रशिक्षक (पीवी6) वायुयान के लिए गर्म मौसम परीक्षण जैसलमेर में जून, 2015 के दौरान आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न तुंगताओं पर ड्रॉप टैंक संरूपण में फ्लटर परीक्षण आयोजित किए गए। इसने निम्न स्तरीय उच्च गति उड़ानों के लिए वायुयान को अनुमति प्रदान की गई। नवम्बर, 2015 तक 13 तेजस वायुयानों पर कुल 3031 उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

एलसीए नौसेनाः एलसीए नौसेना का डिजाइन वायुयान कैरियरों के डेक से परिचालन के लिए किया गया है और उड़ान भरते समय स्की जम्प रैंप के दौरान लगने वाले बलों के झेलने के लिए इसमें अधिक मजबूत लैंडिंग गियर लगाए जाते हैं। एफएसईडी चरण–I कार्यक्रम के दो प्रोटोटाइपों (एनपी 1 और एनपी2) के निर्माण के लिए विचार किया गया है। प्रथम एलसीए नौसेना प्रोटोटाइप जोकि एक दो सीट वाला प्रशिक्षक (एनपी1) वायुयान है, पर कई उड़ानें पूरी कर ली गई हैं। दूसरे एलसीए नौसेना प्रोटोटाइप जो कि एक सीट वाला लड़ाकू (एनपी2) वायुयान है, का

प्रणाली एकीकरण पूरा कर लिया गया है। एलसीए नौसेना वायुयान (एनपी2) की पहली बार उड़ान 7 फरवरी 2015 को सफलतापूर्वक पूरी की गई। एनपी2 वायुयान ने 24 मार्च 2015 को हाट रीफ्यूलिंग ड्रिल के साथ ईंजन ग्राउंड रन का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया (इस गतिविधि को करने वाला प्रथम भारतीय लड़ाकू वायुयान)।

वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी) प्रणालीः भारतीय वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी) प्रणाली की भूमिका निगरानी क्षेत्र में खतरों का पता लगाना, पहचान करना और वर्गीकरण करना और वायु रक्षा ऑपरेशनों में सहायता करने तथा ग्राउंड तथा अन्य लड़ाकुओं के साथ संचार स्थापित करने के लिए एक कमान और नियंत्रण केन्द्र के रूप में कार्य करना है। सभी तीन पूर्णतया आशोधित एंब्रेयर ईएमबी–145–I वायुयान भारत में प्राप्त हो गए हैं। इनमें से दो वायुयान प्रयोक्ता से संबंधित विकास परीक्षणों के पूरा होने के बाद भारतीय वायु सेना को सौंप दिए जाएंगे और प्रणाली में भविष्य में उन्नयन करने के लिए तीसरी प्रणाली को कैब्स, डीआरडीओ में ही रखा जाएगा। आज की तारीख तक दो सुपुर्दगी योग्य वायुयानों पर 408 उड़ाने भरी जा चुकी हैं। अधिकांश स्वदेशी मिशन प्रणालियों की निष्पादनता मान्य कर दी गई है। वायुयान को बर्फीली परिस्थितियों, हवा से हवा में ईंधन भरने और उच्च तुंगता आपरेशन के अंतर्गत ऑपरेशन के लिए अनुमति प्रदान की गई और प्रमाणित किया गया है। स्व–सुरक्षा स्वीट (एसपीएस) के उड़ान परीक्षणों का अंतिम चरण का कार्य प्रगति पर है। वायुयान को फरवरी 2015 के दौरान एयरो इंडिया 2015 में प्रदर्शित (स्थिर तथा उड़ान प्रदर्शन दोनों) किया गया था। एईडब्ल्यू एवं सी ने आक्रमण अभ्यासों में पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा लिया और परिचालकों ने यह रिपोर्ट दी कि स्थान संबंधी सतर्कता में कोई कमी नहीं पाई गई।

मध्यम तुंगता लंबी सहायता वाला यूएवी 'रूस्तम': रूस्तम–1 एक निगरानी तथा टोही यूएवी है जिसका डिजाइन उड़ान भरने से नीचे उतरने तक 12 घंटे की सहायता के साथ माध्य समुद्र तल तुंगता (एएमएसएल) से ऊपर 15,000 फीट तक आपरेट करने के लिए किया गया है। आर1–2 (यानि दूसरा रूस्तम–I वायुयान) की पहली उड़ान 12 जून 2015 को की गई थी। परिवर्ती पिच प्रोपेलर (प्रणोदक) युक्त रूस्तम–I की दो उड़ानें कोलार में अगस्त 2015 में पूरी की गईं। रूस्तम–II का डिजाइन सिंथेटिक एपर्चर रेडार और लंबी रेंज की इलैक्ट्रो–ऑप्टिक पेलोड के साथ टेक ऑफ से लेंडिंग तक 24 घंटे की सहायता के साथ 30,000 फीट एएमएसएल तक ऑपरेट करने के लिए किया गया है। इसका डिजाइन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए आसूचना, निगरानी और टोही मिशनों को निष्पदित करने के लिए किया गया है। एएफ3 के लिए भू कंपन परीक्षण (जीवीटी) और ढांचागत कपलिंग परीक्षण चरण–1 (एससीटी–1) पूरे

एईडब्ल्यू एवं सी प्रणाली

कर लिए गए हैं। एएफ3 पर प्रणाली एकीकरण पूरा कर लिया गया है। रूस्तम–II की पहली विकासात्मक उड़ान 2016 के मध्य में की जानी है।

यूएवी 'निशांत' और 'पंछी': 'निशांत' एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जिसे चल हाइड्रोन्यूमेटिक लांचर का प्रयोग करके लांच किया जाता है और मिशन के अंत में हवाई वाहन को पैराशूट से वापस प्राप्त कर लिया जाता है। वर्ष के दौरान, पोखरण रेंज, राजस्थान में सेना के लिए अक्तूबर 2015 के दौरान 'निशांत' के चार परीक्षण किए गए। 'पंछी' में यूएवी 'निशांत' की सभी क्षमताएं मौजूद हैं जिसे बढ़ी हुई सहायता के साथ पहले ही शामिल कर लिया गया है। इस प्रणाली में परंपरागत टेक–ऑफ और लैंडिग क्षमता भी है। जून 2015 में 'पंछी' के पांच तीव्र गति टैक्सी परीक्षण किए गए। जुलाई 2015 में जीपीए असेम्बली और बढ़ी हुई पावर सप्लाई के साथ दो उड़ान परीक्षण किए गए।

यूएवी 'पंछी'

मध्यम आकार की एयरोस्टेट निगरानी प्रणाली 'नक्षत्र': 'नक्षत्र' निचाई में उड़ रहे वायुयानों और मिसाइलों की निगरानी, संचार प्रसारण, वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं संसूचन के लिए एयर ट्रैफिक नियंत्रण को मानिटर करने के लिए और संचार रिले, वायुवाहित और समुद्र तटीय अनुप्रयोगों को प्रदान कर यूएवी की आपरेशनल रेंज को बढ़ाने के लिए एकीकृत मध्यम आकार वाली एयरोस्टेट निगरानी प्रणाली है। प्रणाली ने 1.0 किमी. तुंगता पर 14 घंटे का सहायता परीक्षण पूरा कर लिया है। 1 किमी. तुंगता पर 14 घंटे की सहायता के लिए प्रणाली का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना बेस पर किया जाएगा।

भारी ड्राप प्रणाली (एचडीएस): आईएल–76 भारी वजन उठाने वाले वायुयान से वाहन (बीएमपी श्रेणी सहित) आपूर्तियां और गोला बारूद जैसे सैन्य भण्डार से युक्त भार को गिराने के लिए एक प्लेटफार्म और उच्च उन्नत प्रणाली के पैराशूट युक्त 16 टन क्षमता वाले एचडीएस का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन किया गया है। यह प्रणाली 'पी–7 एचडीएस' के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का विस्तार है जो कि पूर्व में विकसित सात टन क्षमता वाली एचडीएस है और जिसे पहले ही भारतीय सेना द्वारा शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इस वर्ष के दौरान, लेह में अप्रैल, 2015 में पहला उच्च तुंगता एचडीएस परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया जिसमें उच्च तुंगता में हेवी पेलोड गिराने की बेजोड़ क्षमता भारत में पहली बार प्रदर्शित की गई। इस परीक्षण से पहले डीआरडीओ ने 5 प्रयोक्ता सहायता प्राप्त तकनीकी परीक्षण (यूएटीटी) करके निश्पादनता मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया जिसमें फरवरी 2015 में राजस्थान में एक उच्च तुंगता (एचए) अनुरूपित परीक्षण शामिल है।

'अग्नि' मिसाइल श्रृंखला: भारत की पहली अंतर महाद्विपीय प्राक्षेपिक मिसाइल (आईसीबीएम) अग्नि–5 का पहला कैनेस्टरीकृत परीक्षण 31 जनवरी, 2015 को उड़ीसा तट पर डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से अपनी पूर्ण रेंज के लिए सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक किया गया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप परीक्षण रेंज से 9 नवम्बर 2015 को अग्नि–4, 16 अप्रैल 2015 को अग्नि–3 और 27 नवम्बर 2015 को अग्नि–1 के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किए गए।

कैनेस्टरीकृत ए 5 परीक्षण

सतह–से–सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'पृथ्वी': सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी–II जिसकी मारक रेंज 350 किमी. तक है, का चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से प्रयोक्ता परीक्षणों के भाग के रूप में फरवरी, 2015 और नवम्बर, 2015 में एसएफसी द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया।

पोत से लांच की जाने वाली प्राक्षेपिक मिसाइल 'धनुष': परमाणु सक्षम पोत से लांच की जाने वाली प्राक्षेपिक मिसाइल 'धनुष' जिसकी मारक रेंज 350 किमी है, का अप्रैल, 2015 और नवम्बर, 2015 में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया। पृथ्वी मिसाइल के नौसेना रूपांतर धनुष को पहले ही सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जा चुका है और यह निर्माणाधीन है।

सतह–से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश': मध्यम रेंज (25 किमी) की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' एक अत्यंत शक्तिशाली सुपरसोनिक चल बहु दिशासूचक बहु लक्ष्य बिन्दु/क्षेत्र वायु रक्षा प्रणाली है और यह पूर्णतया स्वायन्त मोड में परिष्कृत बहु–प्रकार्य फेज्ड ऐरे और निगरानी रेडारों के प्रयोग से एक साथ विभिन्न हवाई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। मिसाइलें और मिसाइल से संबंधित उपस्कर भारत डायनेमिक लिमिटेड (बीडीएल), हैदराबाद द्वारा निर्मित किए जाते हैं। रेडार और रेडार से संबंधित उपस्कर दोनों (भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना) आर्डरों के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरू द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्रणाली के स्वदेशी विकास ने देश में रक्षा औद्योगिक के आधार को प्रोत्साहन दिया है और 20,000 करोड़ रु. से अधिक का व्यवसाय किया है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 'आकाश' शस्त्र प्रणाली भारतीय सेना को 5 मई 2015 को और भारतीय वायु सेना को 10 जुलाई 2015 को समर्पित की गई।

लंबी रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम): एलआरएसएएम जिसकी रेंज 70 किमी है, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) इजराइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। मिसाइलों को भारतीय नौसेना के तीन निर्देशित मिसाइल ध्वंसकों से सज्जित

आकाश मिसाइल प्रणाली

करने की योजना है। वर्ष के दौरान तीसरे पोत के लिए शस्त्र नियंत्रण प्रणाली (डब्ल्यूसीएस) और बहु प्रकार्य निगरानी खतरा चेतावनी रेडार (एमएफस्टार) का फैक्ट्री स्वीकार्यता परीक्षण (एफएटी) पूरा कर लिया गया है। 26 नवम्बर 2015 में एलआरएसएएम का एक जेट से शक्ति प्राप्त ड्रोन के विरूद्ध इजराइल नौसेना प्लेटफार्म से पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना पोत 'आईएनएस कोलकाता' से 29–30 दिसम्बर 2015 को दो ऑपरेशनल उड़ान परीक्षण किएगए।

मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम): एमआरएसएएम जिसकी रेंज 70 किमी है, डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना और आईएआई, इजराइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान रेडार कूलिंग यूनिट (एलआरसीयू) एटी यूनिट 103 इजराइल को सौंपी गई और लंबी रेंज की संसूचन तथा ट्रैकिंग रेडार (एलबीएमएफ स्टार) के साथ एकीकृत की गई। मित्र या शत्रु (आईएफएफ–तीसरी यूनिट) की पहचान का स्वीकार्यता परीक्षण (एटी) पूरा किया गया और उपस्कर को इजराइल में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। मिसाइल प्रणाली के 2016 में उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार होने की संभावना है।

दृश्य से परे की रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र': दृश्य से परे की रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल'अस्त्र' (60 किमी.) में उच्च एकल शाट मारक संभाव्यता है जो इसे अत्यधिक भरोसेमंद बनाती है। इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ द्वारा उच्चतम मैनुवरिंग सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों पर निशाना साधने और ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। इस मिसाइल में सक्रिय रेडार टर्मिनल निर्देशन (गाइडेंस), उत्कृष्ट इलैक्ट्रॉनिक जवाबी प्रत्युपाय (ईसीसीएम) विशेषताएं, धुंआ रहित प्रणोदन और प्रक्रिया सुधार प्रभाविकता जैसी बेजोड़ विशेषताएं शामिल हैं। अनुरूपक लक्ष्य के विरूद्ध उच्च मैनुवरिंग क्षमता के मूल्याकंन के लिए 'अस्त्र' को आईटीआर, चांदीपुर, उड़ीसा से 18 मार्च 2015 को एसयू–30 लड़ाकू वायुयान से सफलतापूर्वक लांच किया गया। पायलट रहित लक्ष्य वायुयान (पीटीए) लक्ष्य के विरूद्ध एसयू–30 लड़ाकू वायुयान से 19 मार्च 2015 को दूसरा लांच किया गया। इन दो लांचों के दौरान मिसाइल प्रणालियों की निश्पादनता मान्य की गई। सभी मिशन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मई 2015 में एसयू–30 एमकेआई से तीन वायु प्रक्षेपित निर्देशित उड़ानों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पूर्ण संरूपण में सुरक्षित वियोजन, नियंत्रण और निर्देशन को सिद्ध करते हुए 'अस्त्र' ने एसयू–30 एमकेआई से 8 वायु लांच परीक्षण पूरे किए।

अस्त्र

त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (क्यूआरएसएएम): क्यूआरएसएएम शस्त्र प्रणाली क्षेत्र हवाई रक्षा के लिए दो वाहनों के संरूपण सहित लगभग 30 किमी. की रेंज पर बहु लक्ष्यों पर निशाना साधते समय सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव और फायर ऑन शार्ट हाल्ट्स में सक्षम है। प्रणाली के डिजाइन को पूरा कर लिया गया है और एक्स बैंड क्वैड ट्रांसमिट रिसिव माड्यूल (क्यूटीआरएमएस), टू वे डाटा लिंक (टीडब्ल्यूडीएल) ऑन बोर्ड सेगमेंट इत्यादि सहित ज्यादातर उप प्रणालियां निर्माणाधीन हैं। मिसाइल संरूपण पर भी अंतिम निर्णय ले लिया गया।

नई पीढ़ी की विकिरणरोधी मिसाइल (एनजीएआरएम): डीआरडीओ 100 किमी की रेंज वाली नई पीढ़ी की विकिरणरोधी मिसाइल के डिजाइन और विकास में लगा

हुआ है। उपयुक्त आशोधन के बाद एकेयू–58 लांचर को एसयू–30 मेक–I वायुयान पर मिसाइल एकीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। परियोजना की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में एनजीएआरएम संरूपण की फोर्स तथा मोमेंट विशेषता वर्णन के लिए विंड टनल परीक्षण, नाममात्र की समुद्र तलीय दशाओं में मोटर की निष्पादनता के मूल्याकंन के लिए पल्स–I राकेट मोटर की स्टैटिक फायरिंग तथा भा.वा.से. केन्द्र, पुणे में जीओमेट्रिक एनजीएआरएम मिसाइल का प्रयोग करके एसयू–30 मेक–I पर मैकेनिकल एकीकरण परीक्षण शामिल है। कैप्टिव उड़ान परीक्षणों के वर्ष 2016 के शुरू में किए जाने की योजना है।

मानव-सुवाह्य टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (एमपीएटीजीएम): इस परियोजना को एपीएटीजीएम प्रणाली के डिजाइन और विकास के लिए जनवरी 2015 में स्वीकृति मिली जिसमें लांच ट्यूब तथा कमान लांचर यूनिट सहित तीसरी पीढ़ी की टैंक–रोधी निर्देशित मिसाइल भी शामिल है। इस वर्ष के दौरान डिजाइन संरूपण पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है तथा समीक्षा भी कर ली गई है। संगत बैलिस्टिक निष्पादनता प्राप्त करने के लिए रॉकेट मोटर के 8 स्टैटिक परीक्षण किए गए। वर्ष 2016 के पूर्वाद्ध में नियंत्रण उड़ान परीक्षण करने की योजना है।

तीसरी पीढ़ी की हैलिकॉप्टर से लांच की जाने वाली टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल 'हेलिना': हेलिना एएलएच–डब्ल्यूएसआई पर एकीकरण के लिए इमैजिंग इन्फ्रा–रेड (आईआईआर) सहित 7 किमी. लॉक–ऑन–बिफोर–लांच (एलओबीएल) रेंज क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की हैलिकॉप्टर द्वारा लांच की जाने वाली टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। प्रारंभिक उड़ान अभियानों के दौरान कार्यक्रम 'हेलिना' ने एएलएच से सुरक्षित वियोजन और पूर्ण रेंज पर प्रोग्राम्ड नियंत्रण निष्पादनता को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। 'हेलिना' का उड़ान परीक्षण अभियान जुलाई 2015 में चन्दन, राजस्थान में किया गया जिसमें एएलएच– डब्ल्यूएसआई से तीन मिसाइलों का टेस्ट फायर किया गया। उड़ान परीक्षणों के दौरान, संपूर्ण हेलिना शस्त्र प्रणाली की निष्पादनता सफलतापूर्वक सिद्ध हुई।

तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल 'नाग' (प्रोस्पिना): 4 किमी की ऑपरेशन रेंज वाली 'नाग' 'दागो और भूल जाओ' तथा 'टॉप अटैक' क्षमताओं वाली तीसरी पीढ़ी की टैंक–रोधी मिसाइल (एटीएम) है जिसका प्रयोग दिन और रात में किया जा सकता है। इसे 'नामिका' नाम के विशेष रूप से आशोधित इंफैन्ट्री कमान वाहन (आईसीवी) बीएमपी–2 वाहन पर लगाया गया है। 'नाग' का हॉट परीक्षण तथा उड़ान संरूपण में सेफ्टी आर्मिंग मैकेनिज्म का कार्यात्मक परीक्षण अक्टूबर, 2015 में पूरा किया गया।

स्मार्ट एंटी एयर फील्ड शस्त्र (एसएएडब्ल्यू): एसएएडब्ल्यू लंबी दूरी का, स्टैन्डऑफ, हवा से सतह पर मार करने वाला परिशुद्ध (125 किग्रा श्रेणी) शस्त्र है जो जगुआर तथा एसयू–30 एमके–I वायुयानों से लांच के लिए लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम है। सभी उप–प्रणालियां निर्माण/परीक्षण के अंतिम चरण पर हैं। एयरोडायनामिक अध्ययन तथा चरण–I का विंडटनल परीक्षण पूरे किए गए हैं। एसएएडब्ल्यू के 'विंग ओपनिंग मैकेनिज्म' का मूल्याकंन करने के लिए सितम्बर 2015 में रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (आरटीआरएस) परीक्षण सुविधा, टीबीआर रामगढ़ में परीक्षण किया गया।

ग्लाइड बमः डीआरडीओ ने 1000 किग्रा. बम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। निर्देशित बम के नान–विंग्ड वर्जन की रेंज 30 किमी है तथा इस शस्त्र के विंग्ड वर्जन की रेंज 100 किमी है। दोनों बमों का वर्ष 2015 के दौरान सफल परीक्षण किया गया। दोनों वर्जनों

एएसबी ग्लाइड

को अब कैरिज तथा ड्राप परीक्षणों के लिए एकीकृत किया जा रहा है।

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस': ब्रह्मोस दो स्टेज वाला मिसाइल है जिसमें पहले चरण के रूप में ठोस प्रणोदित बूस्टर इंजन तथा दूसरे चरण के रूप में तरल रामजेट होता है। मिसाइल की 290 किमी. तक की उड़ान रेंज है और पूरी उड़ान के दौरान इसकी गति सुपरसोनिक रहती है जिससे उड़ान में कम समय लगता है परिणाम स्वरूप लक्ष्यों का लोअर डिस्पर्शन, अधिक जल्दी निशाना साधना सुनिश्चित होता है तथा इसका विश्व में किसी भी ज्ञात शस्त्र प्रणाली द्वारा अंतर्रोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के द्वारा 14 फरवरी, 2015 को 'ब्रह्मोस' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे 01 नवंबर 2015 को पहली बार भारतीय नौसेना के गुप्त ध्वंसक आईएनएस कोच्चि से इसका सफलता पूर्वक टेस्ट फायर किया गया। 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के उन्नत वर्जन (एलएसीएम) जिसमें पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे छुपे लक्ष्यों का पता लगाने के लिए 'स्टीप डाइव कैपबिलिटिज' है, का इसकी 290 किमी की पूर्ण रेंज का मोबाइल ऑटोनोमस लांचर से 8 और

आईएनएस कोच्चि से ब्रह्मोस लांच किया जाना

9 मई 2015 को सफलतापूर्वक दो क्रमिक परीक्षण किए गए। निर्दिष्ट लक्ष्य के विरूद्ध एलएसीएम का दूसरा सफल परीक्षण 7 नवम्बर 2015 को पोखरण परीक्षण रेंज, राजस्थान से किया गया।

सब–सोनिक–क्रूज मिसाइल 'निर्भय': निर्भय 1000 किमी. की रेंज वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई भारत की पहली लंबी दूरी की सब–सोनिक क्रूज मिसाइल है तथा 300 किग्रा. तक के युद्धशीर्ष ले जाने में सक्षम है। यह दो स्तरीय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस प्रणाली में प्राथमिक नेविगेशन के रूप में रिंग लेजर जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (आरआईएनएस–16) तथा द्वितीयक नेविगेशन प्रणाली के रूप में एमईएमएस आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (एमआईएनजीएस) लगी हुई हैं। 'निर्भय' का ग्राउण्ड लांच–03 (एनजीएल–03) 16 अक्टूबर 2015 को पूरा किया गया। सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे बूस्टर इग्नीशन, बूस्टर सेपरेशन, विंग तैनाती तथा इंजन स्टार्ट सफलतापूर्वक पूरे किए गए तथा मिसाइल वांछित तुंगता तक पहुंची।

उन्नत कर्षित तोपखाना बंदूक प्रणाली (एटीएजीएस): डीआरडीओ ने 155 एमएम/52 कैल एटीएजीएस के डिजाइन एवं विकास कार्य का जिम्मा लिया है जो भारतीय सेना के तोपखाना के लिए उच्चतर परिशुद्धता तथा सामंजस्य प्रदान करता है। विभिन्न निजी उद्योगों तथा आयुध निर्माणियों में एटीएजीएस उप–प्रणाली हार्डवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है। भारत फोर्ज, पुणे में निर्मित पहली एटीएजीएस गन बैरल तथा ओएफसी, कानपुर में निर्मित मजल ब्रेक का प्रूफ जून, 2015 के दौरान सीपीई, इटारसी, टाकू रेंज से सफलतापूर्वक किया गया। भारत फोर्स, पुणे से तीसरी गन बैरल प्राप्त हो गई है। पहली रिकॉयल प्रणाली का फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण महिन्द्रा नौसेना रक्षा प्रणाली द्वारा पूरा कर लिया गया है। स्थिर फायरिंग स्टैंड (एफएफएस) का एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

युद्ध सामग्री का नया वर्गः मौजूदा युद्ध सामग्रियों में सुधार करने तथा इनकी निष्पादनता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा छह प्रकार की युद्धसामग्रियों अर्थात निपुण, विभव, विशाल, पार्थ, प्रचंड एवं उल्का को डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। सॉफ्टटार्गेट ब्लास्ट म्यूनिशन 'निपुण' का प्रयोक्ता से सहायता प्राप्त तकनीकी परीक्षण (यूएटीटी) पूरे कर लिए गए हैं तथा इस प्रणाली को प्रयोक्ता परीक्षण के लिए दिया जा चुका है। नई मुख्य बॉडी एसेम्बली सहित घातकता परीक्षण और टैंकरोधी प्वाइंट अटैक म्यूनिशन 'विभव' के मरूस्थलीय परीक्षण कर लिए गए हैं। बीएमपी/एएफवी सहित डायनामिक परीक्षण, विस्फोटक ट्रेन परीक्षण तथा टैंकरोधी बार म्यूनिशन 'विशाल' के मरूस्थलीय परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। जम्पिंग फ्रैग्मेंटेशन म्यूनिशन 'उलका' के मॉलडिंग परीक्षण किए जा रहे हैं। डायरेक्शनल फ्रैग्मेंटेशन माड्यूल 'पार्थ' के प्रयोक्ता प्रदर्शन परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा क्षेत्र परीक्षण किए जा रहे हैं।

मल्टी बैरल रॉकेट लांचर प्रणाली (एमबीआरएलएस) 'पिनाका'ः एमबीआरएलएस 'पिनाका' सभी मौसमों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायर, मुक्त उड़ान तोपखाना रॉकेट प्रणाली है। 37 किमी. की रैंज वाली पिनाका मेक–I की दो रेजिमेंटों को भारतीय सेना में शामिल करने के बाद डीआरडीओ ने 60 किमी की बढ़ी हुई रेंज वाली पिनाका मेक–II के डिजाइन एवं विकास के कार्य का जिम्मा लिया है। रेंज निष्पादनता, सटीकता तथा संगतता का मूल्याकंन करने के लिए मई 2015 के दौरान पीएफएफआर में एमबीआरएलएस 'पिनाका' मेक–II के सफलतापूर्वक तकनीकी परीक्षण किए गए। पिनाका के डायनामिक प्रूफ परीक्षण अक्टूबर 2015 के दौरान किए गए।

मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) 'अर्जुन' मेक–IIः एमबीटी अर्जुन मेक–II का डिजाइन और विकास एमबीटी अर्जुन मेक–I में 84 सुधार (73 टैंक फिट–एबल) करके किया गया है। इनमें से 19 (15 टैंक फिट–एबल) को बड़े सुधारों के रूप में चिन्हित किया गया और इनमें से कुछ में मुख्य गन के द्वारा मिसाइल फायरिंग, परिवर्धित गोला बारूद अन्तर्वेधन, विस्फोटक रिएक्टिव कवच (इआरए) पैनलों को शामिल करना, उन्नत भू नेविगेशन प्रणाली (एएलएनएस), ऑटोमोटिव टार्गेट ट्रैकिंग (एटीटी) गनर्स मेन साइट, उन्नत रनिंग गीयर प्रणाली (एआरजीएस) इत्यादि शामिल है। डीआरडीओ के लिए सितंबर 2015 में 19 सुधारों के लिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (पीएफएफआर) में एबीटी अर्जुन मेक–II पी 1 टैंक परीक्षण भी किए गए। एमबीटी अर्जुन में लगाई गई एकीकृत ऑटोमोटिव वेट्रॉनिक्स प्रणाली (आईएवीएस) का अगस्त 2015 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एमएफएफआर, राजस्थान में 330 किमी. के लिए सफलतापूर्वक ऑटोमोटिव परीक्षण किए गए तथा इसकी निष्पादनता को कठिन पर्यावरणीय दशाओं में मान्य ठहराया गया।

एमबीटी अर्जुन

एमबीटी अर्जुन चौसिस पर 130 एमएम (एसपी) कैटापल्ट बंदूक प्रणालीः डीआरडीओ एमबीटी अर्जुन चौसिस पर रूसी 130 एमएम बंदूक प्रणाली का एकीकरण करके कैटापलट बंदूक प्रणाली और आटोमोटिव प्रणाली के डिजाइन एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। इस प्रणाली को युद्धक्षेत्र में तोपखाना बंदूकें और समकालीन टैंकों के साथ सुमेलन गतिशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आंतरिक परीक्षणों के पूरा होने के बाद अर्जुन कैटापल्ट वाहन को प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए 25 अगस्त, 2015 को सौंप दिया गया।

130 एमएम एसपी कैटापल्ट गन

पहियेदार कवचित प्लेटफार्म (डब्ल्यूएचएपी): डब्ल्यूएचएपी मॉड्यूलर डिजाइन, अलग–अलग तरह के समाघात तथा 26 टन जीवीवी तक के समाघात सपोर्ट रोल विविधता के लिए संरूपित किए जाने योग्य एक बहु–उपयोगी कवचित प्लेटफार्म है। यह उच्च शक्ति डीजल इंजन से शक्ति प्राप्त करता है तथा स्वतंत्र सस्पेंशन वाले 8X8 ड्राइव से सज्जित है। डब्ल्यूएचएपी के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक प्रोटोटाइप विकासाधीन हैय इनमें से एक को 30 एमएम टरेंट प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा दूसरे को रिमोट नियंत्रित शस्त्र प्रणाली (आरसीडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान बैलिस्टिक तथा ऑटोमोटिव परीक्षण किए गए हैं तथा पहले कवच प्लेटफार्म का एकीकरण किया जा रहा है।

46 एमके सैन्य भार वर्ग (एमएलसी–70) माड्यूलर पुलः 46 एमएमएलसी–70 माड्यूलर एक सिंगल स्पैन वाला, सैन्य लोड वर्ग 70 का मैकेनिकली लांच्ड एसाल्ट पुल है और 46मी. तक के गैप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला निर्माण माड्यूलर है। पूरी प्रणाली का निर्माण कर लिया गया है तथा सिमुलेटेड भारों के अधीन ब्रिज सुपस्ट्रकचर, लांचिंग नोज तथा बैंक सीट बीमों (बीएसबीएस) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। 90 मिनट के वांछित लांच टाइम के आशोधन के बाद पहले प्रोटोटाइप का निर्माण कर लिया गया है।

वायु स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) प्रणाली के लिए भू–आधारित प्रोटोटाइपः इस प्रणाली का लक्ष्य पी–75 पनडुब्बियों के सिमुलेटेड हल सेक्शन के अंदर एआईपी संयंत्र उप–प्रणालियों, अभिकारक टैंको तथा अपशिष्ट टैंकों का पैकेज करना है। इस प्रणाली में बोरोहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन का स्वस्थाने प्रावधान है। पूर्व उत्पादन फ्लोर माडल (पीपीएफएम) का परीक्षण किया जा चुका है और हल सिमुलेटड मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है। भू–आधारित प्रोटोटाइप के लिए हाइड्रोजन जनरेटर, फॉस्फोरस एसिड ईंधन सेल (पीएएफसी) स्टैक्स तथा पावर कंडीशनर प्रणाली तैयार कर ली गई है।

उन्नत हल्के भार वाला टॉरपीडो (ए एल डब्ल्यू टी): ए एल डब्यूए टी पोत, हेलिकोप्टर या स्थिर विंग वायुयान से लांच की जाने वाली एक पनडुब्बील रोधी टॉरपीडो है। ए एल डब्ललयू टी मे दोहरी गति सामर्थय है जिसकी निम्न गति (25 नॉट) किलोमीटर तथा उच्च गति (50 नॉट) 12 किलोमीटर की सह्यता है। 60 किलो वाट तथा 105 किलो वॉट वीएलडीसी मोटर्स का विकास कार्य पूरा हो गया है और 120 किलो वॉट बैटरी का विकास कार्य अंतिम चरण में है। युद्ध शीर्श का डिजायन, विकास ओर प्रदर्शन कर लिया गया है। बलवान्का फायरिंग के लिए एएलडब्ल्यूटी कैरियर पर पोस्ट रिकवरी जांच पूरी हो गई है।

भारी वजन के पोत से लांच किया गया टॉरपीडो 'वरुणास्त्र': 'वरुणास्त्र' एक पोत से लांच की

'वरुणास्त्र'

जाने वाली पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है जिसमें निम्न अपवहन नौचालन प्रणाली, ध्वरनिक होमिंग, उन्ननत ध्वीनिक प्रति–प्रतिउपाय विशिष्टताएं, स्वायत्त निर्देशन एल्गोरिथ्मा, असंवेदनशील युद्ध सामग्री, युद्धशीर्ष और प्रैक्टिस टॉरपीडो के लिए जीपीएस आधारित रिकवरी सहायता शामिल है।

शस्त्रों की सभी पहलुओं से सामर्थ्यता का मूल्यांकन करने के लिए एन एस टी एल और भारतीय नौसेना ने सयुंक्त प्रयास से अभी तक कुल 130 तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। विभिन्न परिदृश्यों पर जनवरी, 2015 और मार्च 2015 में किए गए परीक्षणों सहित कुल 14 प्रयोक्तो परीक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं। वरुणास्त्र यूईटी बैठक के अंतिम निर्णय सितम्बर, 2015 में लिए गए थे। वरुणास्त्र को यूईटी में शानदार सफलता दर के साथ सेनाओं में शामिल करने के लिए एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

उन्नत टॉरपीडो रक्षा प्रणाली 'मारीच': मारीच एक उन्नात टॉरपीडो रक्षा प्रणाली है जो संसूचन, ट्रैंकिंग, आधुनिक और अंदर की तरफ आने वाले आधुनिक एवं विन्टेरूज टॉरपीडो को पथभ्रष्ट करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम कर्षण गति 32 नॉट है और सामरिक परिचालन गति 10–24 नॉट है। प्रयोक्ता मूल्यांकन परीक्षण (यूईटी) फरवरी, 2015 में पूरे कर लिए गए थे और इसके साथ ही सभी यूईटी सफलतापूर्वक पूरे हो गए थे। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 14 नवंबर, 2015 को इस प्रणाली को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया गया।

टॉरपीडो रोधी डिकॉय प्रणाली (मोहिनी): डीआरडीओ बचाव सामरिकी सिमुलेटर अध्ययन के लिए मोबाइल डिकॉय, रॉकेट से लांच की जाने वाली डिकॉय, पनडुब्बी से फायर की जाने वाली डिकॉय, मोबाइल डिकॉय को लांच करने और रॉकेट से लांच किए जाने वाले डिकॉय के लिए एकीकृत पोत लांचर और प्रणाली मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के विकास में शामिल है। पनडुब्बी फायर्ड डिकॉय और लंबे जैमर के लिए सिंक दर को मापने संबंधी कार्रवाई 18 जून, 2015 को समुद्री जल में उपाय किए गए।

उन्नत हल्के भार वाला कर्षित ऐरे सोनार (एएलटीएएस): एएलटीएएस पनडुब्बियों के संसूचन, स्थान निर्धारण और वर्गीकरण के लिए सक्षम संवेदन प्रणाली है जिसे विशेषकर समुद्री सतह से नीचे की परिस्थितियों में ऑपरेट किया जा सकता है। शिव पोजीशनिंग प्रणाली अधिष्ठापन के परीक्षण पोत का ऑन बोर्ड शुरु हो गया है। एएलएलटीएस के तकनीकी परीक्षण जनवरी, 2015 तथा फरवरी, 2015 माह में परीक्षण पोत ऑन बोर्ड किए गए। अभी तक तीन तकनीकी परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं।

एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली (आईसीएसएस): आईसीएसएस बंदरगाह के मुहाने पर स्थिंत छोटे जल मग्न वस्तुओं के अलावा नियंत्रित क्षेत्रों में छोटे अज्ञात संदेहास्पद सतही वस्तुओं को तत्काल खोजने, स्थानीकरण और निगरानी के लिए तटीय अनुवीक्षण समाधान प्रस्तुत करता है। संकल्पतना के प्रमाण प्रदर्शन के लिए कोच्चि और बालासोर में स्टेशन्स स्थापित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, स्थानीय नियंत्रण स्टेशन्स से इलेक्ट्रोट–ऑप्टिक प्रणाली (ईओएस) के एकीकृत परीक्षण किए गए हैं। आईसीएसएस के लिए तटीय निगरानी रेडार (सीएसआर) की दूसरी ईकाई का परीक्षण कर लिया गया है और इसे समाकलन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

भारतीय नौसेना के लिए कैपिटल पोतों, वायुयानों और हेलिकॉप्टरों के लिए ईडब्ल्यू प्रणाली समुद्रिका: डीआरडीओ ने सात ईडब्ल्यू प्रणालियों के विकास का दायित्व ले लिया है। पोत वाहित प्रणालियों में ईडब्ल्यू सूट,'शक्ति', कमिन्ट 'नयन' और ईएसआर 'तुशार' शामिल है। वायु वाहित प्रणालियों में कमिन्ट 'सर्वधारी', ईएसएम 'सारंग' तथा 'साराक्षी' और 'ईएसएम' एवं कमिन्ट 'निकास' शामिल हैं। उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक उत्पाद का डिजायन पूरा हो गया है। और हार्डवेयर का

निर्माण किया जा रहा है। ईडब्ल्यू प्रणालियों के उत्पादन के लिए मैसर्स बीईएल मुख्य उत्पादन ऐजेंसी होगी। वर्ष के दौरान 'नयन' प्रणाली (कमिन्ट) का प्रयोगशाला मूल्यांकन फरवरी, 2015 में प्रयोक्ताओं के साथ सफलतापूर्वक किया गया।

जैगुआर डोरिन III अपग्रेड वायुयान (डी–जेएजी प्रणाली) के लिए आंतरिक रेडार चेतावनी जैमर (आर डब्ल्यू जे): जैगुआर डोरिन III अपग्रेड वायुयान के लिए अत्याधुनिक आंतरिक आर डब्यूजे प्रणाली, परियोजना डीजेएजी, डीआरडीओ द्वारा विकासाधीन है। कोर ईडब्यू ईकाई (कम ऊर्जा वर्ग) का पहला प्रोटोटाइप विकसित कर लिया गया है और प्रणाली समाकलनाधीन है। ट्रांसमीटर्स की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रुप दे दिया गया है और विकास कार्य प्रगति पर है। वायुयान का आशोधन भी प्रगति पर है।

मिग–29 अपग्रेड वायुयान (डी–29 प्रणाली) के लिए आंतरिक ई डब्ल्यू प्रणाली: डीआरडीओ ने फेज ऐरे आधारित जैमिंग सामर्थयकताओं के साथ अत्याधुनिक आंतरिक इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति सूट (यूईडब्यूग साएस) के विकास का दायित्व ले लिया गया है। उडान परीक्षणों की शुरुआत के लिए जुलाई, 2015 में आंतरिक ई डब्ल्यू प्रणाली डी–29 ऑन बोर्ड अपग्रेडडे मिग–29 वायुयान का जमीनी स्वीकार्यता परीक्षण और उडान मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। मिग–29 पर सीमित उड़ान परीक्षण कर लिए गए हैं।

पर्वतीय भू भागों (हिम शक्ति) के लिए एकीकृत ई डब्ल्यू प्रणाली: भारतीय सेना "डीआरडीओ द्वारा डिजायन–1 किया गया भारत का खरीदो (बीईएल) श्रेणी" के अंतर्गत पर्वतीय भू भागों (हिम शक्ति) के लिए एकीकृत ईडबल्यू। प्रणाली के प्रापण की प्रक्रिया में है। नवम्बर, 2014 के दौरान संकीर्ण/विस्तृयत बैंड संचार, रेडार खंडों आदि सहित 15 प्रकार की एनटिटिज पर मैदानी मूल्यांकनों और परीक्षणों का तीसरा चरण आयोजित किया गया। लद्दाख क्षेत्र में 28 मई से 14 जून, 2015 के दौरान पर्वतीय भू–भागों में तैनात किए जाने वाले संचार और रेडार खंडों के लिए विकसित प्रौयोगिकियों का भारतीय सेना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वाहनों की संख्या के संदर्भ में हिमशक्ति का संरुपण पूरा हो गया है।

'हिमशक्ति'

मध्यकम शक्ति रेडार (एम पी आर) अरुध्र: स्टेयरिंग मोड के साथ, एम पी आर (अरुध्र) एक 4 डी सक्रिय छिद्र

एम पी आर 'अरुध्र'

रोटेटिंग, बहुप्रकाशीय, बहुकार्यात्मक फेज्ड ऐरे रेडार है। इसकी इन्स्टुमेंटेटेड रेंज 400 किलोमीटर है। इसमें निचले स्तर के आरसीएस, उच्च गति और उच्च युद्ध कौशलीय लक्ष्यों को ढूंढने और खोजने की प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। प्राथमिक और द्वितीयक रेडार की सभी उप प्रणालियों का स्वतंत्र रुप से एकीकरण और परीक्षण किया गया है। मध्यम शक्ति रेडार अरुध्र प्रणाली का डीआरडीओ आंतरिक मूल्यांकन अक्टूबर, 2015 माह में प्रयोक्ता प्रतिभागिता के साथ किया गया। यह प्रणाली प्रयोक्ता परीक्षण के लिए तैयार है।

कृत्रिम छिद्र रेडार (एसएआर): में भूमि पर चलायमान लक्ष्य संकेतक सामर्थ्यता के साथ एस ए आर यूएवी इमेजिंग, निगरानी और टोह के लिए महत्वपूर्ण सेंसर है। यह धीरे– धीरे चलने वाले लक्ष्यों जैसे कवचित टैंकों, रक्षक दलों और ट्रकों इत्यादि का पता लगाने में सक्षम है। वर्ष के दौरान, उड़ान परीक्षण बेड (डॉर्नियर वायुयान) पर एस ए आर का पहला सफल परीक्षण किया गया।

कमांडर की नॉन पैनोरेमिक थर्मल साइटः ओएफबी को समाघात वाहनों टी–72 के लिए कमांडर टीI एम के II साइटस, टी–90 के लिए कमांडर टी I साइटस और बीएमपी–II के लिए कमांडर टी–I साइट्स को और बीईएल को थर्मल इमजिंग (टी–I) आधारित कमांडर साइटस के उत्पदन के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तातंरण (टीओटी) को हरी झंडी दिखा दी गई। टी–90, टी–72 और बीएमपी के लिए जून, 2015 के दौरान साइट्स के प्रयोक्ता द्वारा ग्रीष्म फायरिंग परीक्षण पूरे कर लिए गए। पोखरण क्षेत्र फायरिंग रेंज में 8–11 सितम्बर, 2015 के दौरान टी–90 के लिए एलआरएफ के साथ कमांडर्स नॉन–पैनोरेमिक थर्मल साइट्स की निगरानी सामर्थयताओं को मूल्यांकित करने के लिए प्रयोक्ता क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो (एसडीआर): सीडीएसी के साथ संघटन दृष्टिकोण के तहत और डब्ल्यूईएसईई को विकासात्मक भागीदार और बीईएल को उत्पादन भागीदार के तौर पर रखते हुए मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण से डीआरडीओ द्वारा एसडीआर का विकास किया जा रहा है। परियोजना उद्देश्यों में स्वदेशी प्रोटोटाइप एसीडीआरः एसडीआर नौसेना समाघात, एसडीआर–सामरिक, एसडीआर मैनपैक, एसडीआर वायुवाहित और एसडीआर हेन्डहेल्ड सहायक स्वदेशी 9 तरंगरूपों और 04 लीगेसी तंरगरूपों का डिजाइन और विकास शामिल है। अप्रैल 2015 माह में पहला प्रयोक्ता मूल्याकंन परीक्षण (यूईटी) सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ईसीसीएम सामर्थयता के साथ वी/यूएचएफ नॉन मैनेट तरंगरूपों और स्थिर आवृति में यूएचएफ मैनेट तरंगरूपों का एसडीआर सामरिक परीक्षण जून, 2015 में भारतीय नौसेना के समक्ष प्रदर्शित किया गया। विस्तृत निष्पादन परीक्षण और सेमीलेक के प्रमाणन के लिए एएमएफएम तरंगरूपो के साथ एसडीआर वायुवाहित रेडियो को जुलाई 2015 में बीईएल, बंगलौर को सौंप दिया गया। संशोधित निष्पादन और ताप प्रबंधन के साथ एसडीआर–मैनपैक को अगस्त 2015 में सेना के समक्ष प्रदर्शित किया गया।

ट्रोपो स्कैटर संचार प्रणाली का उन्नयन करनाः– ट्रोपो स्कैटर संचार प्रणाली अधिक दूरी तक माइक्रोवेव रेडियो सियनल का संचारण करती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ओएफडीएम ट्रोपो मोडम के परीक्षण, जोधपुर और जैसलमेर के मध्य भारतीय वायुसेना के ट्रोपो लिंक पर जुलाई, 2015 में किए गए। भारतीय वायुसेना द्वारा दीर्घ कालीन परीक्षण के लिए ओएफडीएम ट्रोपो मोड्स के दो प्रोटोटाइप रख लिए गए। डिजीटल ट्रोपो लिंक के लिए ओएफडीएम प्रौद्योगिकी आधारित मोडम के प्रयोक्ता सहभागी परीक्षण सितम्बर, 2015 में किए गए।

लेजर लक्ष्य प्रक्षेपण प्रणालीः– लेजर लक्ष्य प्रक्षेपण प्रणाली का प्रयोग रात्रि के समय बमवर्षक ऑपरेशनों के दौरान पायलटो को लक्ष्य साधने के प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा। प्राथमिक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए शस्त्र रेंज (हलवारा) में जुलाई, 2015 को भारतीय वायुसेना के

समक्ष प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायु सेना (हलद्वारा) की परीक्षण रेंज में सीधे बमवर्षा ऑपरेशन के माध्यम से इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया।

निर्देशित उर्जा लेजर प्रणालीः– डीआरडीओ यूएवी जैसे लक्ष्यों के विरूद्ध 10 किलो वाट और सटीक खोज पाइंटिंग और लेजर बीम संयोजन की जटिल प्रौद्योगिकियों स्थापना प्रूफ–ऑफ–कॉन्सेट्रेट निर्देशित ऊर्जा प्रणाली के विकास में जुटा है। किलो वॉट श्रेणी बीम निर्देशित ऑप्टिकल प्रणालियों के माड्यूल और लक्ष्यों पर एलआरएफ सहायता प्राप्त स्वतः केन्द्रित लेजर बीम के लक्ष्य स्थापित किए गए थे और चौस, डीआरडीओ में 0.8 किलोमीटर की रेंज तक सफल परीक्षण किए गए। प्रणाली का सितंबर, 2015 में टीबीआरएल, रामगढ़ में आरटीआरएस सुविधा में प्रयोक्ता के समक्ष प्रदर्शित किया गया।

मल्टीकोर आधारित नेटवर्क प्रोसेसर (अवधानी): इस परियोजना के कार्य क्षेत्र में बेहतर नेटवर्किंग और नियंत्रण सपाट अनुप्रयोगों की ओर लक्षित मल्टीकोर आधारित नेटवर्क प्रोसेसर (अवधानी) का विकास शामिल है। यह 10 जीबीपीएस तक अनुप्रयोगों के निष्पादन में सहायक होगा तथा नेटवर्किंग अनुप्रयोगों के लिए 8 कोर ऑप्टिमाइज्ड होंगी और उच्च निष्पादन प्रदान करने के लिए उन्नत सुरक्षा और अनुप्रयोग विशिष्ट हार्डवेयर गतिवर्धन के साथ उच्च गति नेटवर्किंग आई/ओ होगी। आरटीएल अनुरूपक वातावरण में अवधानी आरटीएल का कार्यात्मक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। एम्यूलेटर प्लेटफार्म पर अवधानी आरटीएल का मूल्यांकन पूरा हो गया है।

अनुराग राऊटर (अनुराउटर): इस परियोजना का उद्देश्य व्यावसायिक मल्टीकोर प्रोसेसर टाइल जीएक्स 16/36 और स्वदेशी अवधानी प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए स्वदेशी राउटर का डिजाइन और विकास करना है। राउटर प्रणाली वास्तुशिल्प का डिजायन पूरा हो गया है और हार्डवेयर प्लेटपार्म विकास के लिए भागीदार की पहचान कर ली गई है।

समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता (एमडीए) और समुद्री संक्रियात्मक ज्ञान प्रणाली (एमओकेएस) के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सुरक्षा उपायः समुद्री परिस्थितियों में जागरुकता और समान संक्रियात्मक स्थिति पर पहुंचते हुए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सुरक्षा उपायों का विकास किया गया है। संचार के लिए सुरक्षा उपाय जो कि श्रेणीकृत है, उन्हें उत्पादन के लिए उत्पादक एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

क्रिप्टोसिस्टम के विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकीयां और औजार (संकलन): डीआरडीओ ने डोमेन विशिष्ट विशेषताओं एल्गोरिदम की अंतर्निहित विशेषताओं अथवा प्रणाली के गलत इस्तेमाल के कारण कमजोरियों का पता लगाने और क्रिप्टोविश्लेषण के लिए उनका दोहन करने के लिए तकनीक विकसित करने की परियोजना हाथ में ली थी। तीन स्वतंत्र मॉड्यूलोंः (i) पारंपरिक क्रिप्टो प्रणालियों को स्वतः पहचानने और हल करने के लिए छह भारतीय भाषाओं के लिए क्षेत्रीय भाषा टूलकिट की सुपुर्दगी (ii) आधुनिक डे स्टीम और ब्लॉक साईफर के लिए एफपीए/कलस्टर प्लेलटफार्म पर सामान्य लिखित हमलों/टूल्स के लिए लाइब्रेरी की सुपुर्दगी (iii) क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए टूल्स की सुपुर्दगी, को पूरा करने के बाद इस परियोजना को इस वर्ष सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है।

डीएमआर–249 ग्रेड स्टील का परिगुण तथा प्रमाणनः इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य डीएमआर–249 ग्रेड स्टील–प्लेटों, बल्ब बार और वेल्ड उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादों का परिगुण और प्रमाणन है। डीएमआर–249 ग्रेड स्टील (आईएनएस विक्रांत में प्रयुक्त) का उत्पादन सेल और अन्य ऐजेंसियों (60,000 एमटी से ज्यादा की शिपयार्ड को आपूर्ति) के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, सेल द्वारा अलग–अलग मोटाई जैसे 20 एमएम, 40 एमएम और 16 एमएम की डीएमआर–249 ए स्टील प्लेटों की आपूर्ति की जा चुकी है। एल एंड टी में वेल्डिंग, नमूना निर्माण और परीक्षण प्रगति पर है।

एबी3 स्टील के लिए परामर्श और स्वदेशी उत्पादन की स्थापनाः इस परियोजना के विस्तार में शामिल है– दस्तावेजों का विकास एवं सुपुर्दगी और प्रयोगात्मक बैच के उत्पादों के उत्पादन एवं मूल्यांकन तथा वेल्डेड ज्वाइंटस के निर्माण के लिए परामर्श। वर्ष 2014 और 2015 के दौरान रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से प्लेटों के उत्पादन के लिए विभिन्न संभव विकल्पों को विकसित किया गया। बल्ब बारों के विनिर्माण के लिए समग्र प्रौद्योगिकीय निर्देशन (ओटीआई) के विकास का काम प्रगति पर है। एबी 3 ग्रेड स्टील प्लेटों और भारी फोर्जिंग (भार 15 टन से अधिक) के उत्पादन के लिए मसौदा ओटीआई के विकास संबंधी गहन विचार विमर्ष किए गए।

बुलेट प्रूफ जैकेटः डीआरडीओ ने अगस्त, 2015 में 7.62 एके 47 (एमएससी और एचएससी), एसएलआर, 9 एमएम, एसएमसी, गोला– बारुद के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अत्याधुनिक बैलिस्टिक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए जीएसक्यूआर 1438 में वर्णित सभी तीन आकारों में बुलेट प्रुफ जैकेट (बी पी जे) के प्रोटोटाइप के विकास के लिए एक परियोजना हाथ में ली है। प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए कुल 150 बीपीजे उपलब्ध कार्रवाई जाएंगी। संभावित शॉक एबसोर्बिंग सामग्री के तौर पर एक विशेष पॉलीमर को चिन्हित किया गया है। फ्रंट हार्ड कवच पैनल (एफएचएपी) के ड्राप परीक्षण (मैकेनिकल सहायता परीक्षण) के दौरान विकास किए जा रहे रेडियल क्रैक्स से बचने के लिए शॉक एबसॉर्पशन विन्यास का हल निकाल लिया गया है। मध्यम आकार के 12 बीपीजे के विभिन्न हिस्सों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मध्यम आकार की जैकेट के फ्रंट हैप के माउल्ड निर्माण का कार्य फ्रांस में प्रगति पर है।

रक्षा अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोवेव चाफ का स्वदेशीकरणः यह परियोजना चाफ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चाफ कार्ट्रिज से ब्रिज अंतराल तक स्वदेशी विकास का लक्ष्य रखती है। वर्ष भर में एल क्यू टी के लिए चाफ कार्ट्रिज की 25 संख्या असेंबल की गई है और प्रोटोटाइप चाफ ब्लूमिंग सुविधा की असेंबली पूरी कर ली गई है।

एनबीसी रक्षा प्रौद्योगिकीः एनबीसी रक्षा प्रौद्योगिकी (नजर) से संबंधित कार्यक्रम को 16 मार्च, 2015 को पूरा किया गया। इस परियोजना के महत्वपूर्ण नतीजों में आयन सचलता स्पेक्ट्रोमिट्री (आईएमएस) आधारित रसायनिक कारक संसूचक, एनबीसी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कर (एनबीसी सूट मेक–V, मास्क, दस्ताने और ऑवरऑल मेक–II सहित), एनबीसी इन्फलेटेबल आश्रय, एच1एन1 किट (स्वाइन फ्लू), बहुउद्देश्यीय विसंदूषण प्रणाली, एनबीसी मानवरहित भू–वाहन और अन्य उत्पाद जैसे एनबीसी चल आश्रय, व्यक्तिगत विसंदूषण किट, व्यक्तिगत विसंदूषण अपरेटस, एनबीसी प्राथमिक चिकित्सा किट टाइप ए और टाइप बी, एनबीसी खाद्य पैकेजिंग इत्यादि शामिल थे।

भारतीय वायुसेना के लिए कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणालीः इस परियोजना का उद्देश्य सीपीएसएस के लिए ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित करना है जिसमें साइकोमोटर और बोधन तंत्र प्रणाली हो और बोधन परीक्षण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना है। सीपीएसएस को सुपुर्द और स्वीकार कर दिया गया है और इसे मैसूर, देहरादून और वाराणसी में वायु सेना चयन मंडल के तीन स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

सीपीएसएस

टेलिमेडिसिन प्रणालीः सुवाह्य टेलिमेडिसिन प्रणाली रग्ड बॉयोमेडिकल डाटा अधिग्रहण और ट्रांसमिशन प्रणाली है, जिसे सशस्त्र बलो के कार्मिकों विशेषतः अग्रिम क्षेत्रों से सैन्य अस्पतालों और पोत से किनारे तक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए इस प्रणाली में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सहित विविध संप्रेषण प्रक्रियाओं से वास्तविक समय में मरीजों के जरुरी मानकों जैसे ईसीजी, रक्तदाब, श्वसन दर, हृदयगति और शरीर तापमान की प्राप्ति, संग्रहण ओर ट्रांसमिट के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। भारतीय थल सेना और नौसेना के लिए पायलट मोड पर परियोजना के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस प्रणाली को नौसेना प्लेटफार्मों पर अधिष्ठापित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ज्वाला मंदक जी-रोधी सूटः ज्वाला मंदक जी–रोधी सूट (एफआरएजीएस) मेक–VI (वीयू) को उच्च निष्पादन वायुयान में उड़ान के दौरान पायलटों की पैराफोलिक दृष्टि बढ़ाने, ग्रे आउट, ब्लैक आउट थ्रेशहोल्ड को+1जी से 1.5जी करने के लिए डिजायन और विकसित किया गया है। यह विकास एफआर रोधी सूट का आशोधन हे और हाक एजीटी पर इसे रखे जाने के लिए आरसीएमए द्वारा अनुमोदन मिल चुका है। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्पादन आदेश दे दिए गए हैं।

मच्छरदानी (लंबे समय तक चलने वाला कीड़ामारक जाल)ः डीआरडीओ में लंबे समय तक चलने वाले कीड़ामारक जाल का सफलतापूर्वक विकास किया है और इसे सेना में शामिल कर लिया गया है और इसे राष्ट्रीय रोगवाहक–वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीवीडीसीपी), दिल्ली के नियंत्रणाधीन देश के राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने का इरादा है।

सीबकथार्न-आधारित प्रौद्योगिकियांः माननीय रक्षा मंत्री ने 23 अगस्त, 2015 को डीआरडीओ प्रयोगशाला डिहार का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को सीबकथार्न आधारित पांच प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गईं।

8.14 राष्ट्रीय आधारभूत परिसंपत्तियां

सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) पायलट प्लांट (यूपीपी)ः यूपीपी एक अत्याधुनिक पर्यावरणीय अनुकूल कैमिकल पायलट प्लांट है जिसका प्रयोग विभिन्न आयुधों और मिसाइल प्रणालियों के लिए आवश्यक उन्नत उच्च ऊर्जा सामग्रियों के विकास के लिए किया जाता है। माननीय रक्षा मंत्री ने 19 नवम्बर 2015 को एचईएमआरएल, डीआरडीओ प्रयोगशाला में यूपीपी का उद्घाटन किया।

उच्च तुंगता परीक्षण प्रयोगशालाः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जुलाई, 2015 को 4020 मी. की तुंगता पर सिथोक पास में स्थित कर्जियन–भारतीय माउंटेन बायोमेडिकल अनुसंधान केन्द्र (केआईएमबीएमआरसी) के अति उच्च तुंगता परीक्षण प्रयोगशाला चरण–2 का उद्घाटन किया। दो मानव जातीय समूहों (भारत और किर्गीस्तान की जनसंख्या) में परिस्थिति अनुकूल बनाने की प्रक्रिया के दौरान बायोलोजिकल प्रतिक्रिया के अध्ययन के उद्देश्य के साथ रक्षा मंत्रालय, भारत द्वारा अगस्त 2008 में केआईएमबीएमआरसी परियोजना को स्वीकृत किया गया। डिपास, डीआरडीओ प्रयोगशाला ने भारत और किर्गिस्तान के मध्य सह परियोजना के तौर पर किर्गिज गणराज्य में टूया आशू (3200 मी) स्थित विशेष और फील्ड प्रयोगशाला में केआईएमबीएमआरसी की स्थापना की।

अति तुंगता अनुसंधान केन्द्र (ईएआरसी)ः सचिव, रक्षा अनु. तथा वि. और महानिदेशक डीआरडीओ ने विश्व की सबसे ऊंची स्थलीय अनु. तथा वि. केन्द्र, समूद्र स्तर से औसत 17,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित जम्मू एवं कश्मीर में पेंगाग लेक से आगे चांग ला, लेह से 75 किमी. की दूरी पर अति तुंगता अनुसंधान केंद्र (ईएआरसी) का उद्घाटन किया। अनु. तथा वि. गतिविधियां जिन्हें इस

केन्द्र में किए जाने का प्रस्ताव है इसमें मानव शारीरिक कार्य, प्लांट जेनेटिक संसाधन का लम्बी अवधि के लिए संरक्षण, डिजाइन करना, परीक्षण, मूल्यांकन और चल एवं सुवाह्य ग्रीनहाउसों का प्रदर्शन, अत्यधिक तुंगता वाले क्षेत्रों मे विलुप्त प्रायः औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रचार के अलावा दूरस्थ लेंड–लोक्ड पोस्टों में ताजे भोजन के लिए मिट्टी–रहित माइक्रो खेती की प्रौद्योगिकियां शामिल है।

खुली रेंज परीक्षण सुविधा (ओरेंज): माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने 15 अक्टूबर, 2015 को डुंडीगल, हैदराबाद में, आउटडोर रेडार क्रास सेक्शन (आरसीएस) परीक्षण सुविधा, ओरेंज का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत को विद्यमान प्लेटफार्मों पर भेदता अध्ययन करने के लिए अति निम्न क्रास सेक्शन वाली नई शस्त्र प्रणाली को डिजाइन करने में समर्थ बनाती है।

पायथन पर रखी मिसाइल

आईएनएस वज्रकोषः नौसेना मिसाइल आधारित आईएनएस वज्रकोष को माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर द्वारा 9 सितम्बर 2015 को कारवार में चालू किया गया।

समुद्री रखरखाव और युद्धाभ्यास बेसिन (एसएमबी): एसएमबी व्यापक हाइड्रोडायनामिक मॉडल परीक्षण के लिए एक विश्वस्तरीय सुविधा है। इस सुविधा का प्रयोग पोतों, पनडुब्बियों और अंतर्जलीय शस्त्रों के पूरे परिचालनात्मक एनवेलप को उत्पन्न करने में होता है। उपस्कर और डायनामोमीटर मापक पर वैधीकरण परीक्षण और एसएमबी का कंप्यूटराइज्ड मल्टी मोशन केरिज (सीएमएमएस) जून 2015 के महीने में पूरे किए गये थे। स्टेण्डर्ड मॉडल की जडत्व स्थिति के निर्धारण के लिए अपेक्षितद्वितंतु व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 5 मी. स्टेन्डर्ड पोत मॉडल का प्रयोग करते हुए एलएमबी का स्वीकृत परीक्षण पूरा कर लिया गया है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 14 नवम्बर 2015 को एसएमबी का उद्घाटन एवं राष्ट्र का समर्पित किया गया था। एसएमबी को भारतीय अनु.तथा वि. स्थापनाओं और अकादमी द्वारा अनु. एवं विकास कार्यों के अलावा शिपयार्ड के उनके डिजाइन वैधीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

'एसएमबी'

आईएनएस अस्त्रधारिणी को प्रवर्तन में लानाः डीआरडीओ द्वारा विकसित नए टॉरपीडो लांच और रिकवरी वेसल (टीएलआरवी) आईएनएस 'अस्त्रधारिणी' को 06 अक्टूबर 2015 को एफओ–सी–इन–सी द्वारा प्रवर्तन में लाया गया। 15 नॉट की अधिकतम गति वाले 50 एम केटामरन (द्वि–हल) वेसन का डिजाइन और निर्माण स्वेदेशी रूप से देश में किया गया है। इसके लिए हल फार्म को एनएसटीएल, डीआरडीओ में व्यापक मॉडल परीक्षणों के माध्यम से विकसित और इष्टतम

किया गया था। वेसल को पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) विशाखापट्टनम द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और अंतर्जलीय शस्त्रों और प्रणालियों के परीक्षणों मे प्रयोग किया जाएगा।

'अस्त्रधारिणी

8.15 कारपोरेट पहलें

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलिः माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन, डीआरडीओ मुख्यालय में भूतपूर्व राष्ट्रपति, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का अनावरण किया और 'ए सेलिब्रेशन ऑफ डॉ कलाम्स लाइफ' फोटो–प्रदर्शनी का उदघाटन किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने जिन वैज्ञानिकों ने डॉ कलाम के साथ कार्य किया था, उनके द्वारा दी गई श्रद्धांजलियों के संकलन की किताब भी रिलीज की और उनकी याद में स्मारक डाक टिकट जारी किया। उसी दिन माननीय रक्षा मंत्री ने हैदराबाद में स्थित मिसाइल काम्पलैक्स का नाम बदलकर उसे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल काम्पलैक्स नाम दिया।

युवा वैज्ञानिक केंद्रः सात शक्तिप्राप्त 'युवा वैज्ञानिक केंद्र' बनाए गए। निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य की शुरूआत की गईः रॉकेटों/मल्टी बैरल रॉकेटों के लिए मार्गदर्शन किट, निगरानी और टोह के लिए हवा से भी हल्के और युद्धाभ्यास योग्य वायुवाहित प्लेटफार्म, कठिन भू–भागों में उत्तरजीविता रणनीति, एमईएनएस, बायोसेंसर, आरएफएमईएमएस, ली आयन बैटरी इत्यादि जैसी अत्याधुनिक उन्नत एवियोनिक्स प्रौद्योगिकी एडेप्टिव सेंसिंग प्रौद्योगिकी और ब्रीफकेस सोनार।

सेनाओं के साथ परस्पर संपर्कः संरचनाबद्ध परस्पर संपर्क के लिए जिस मैकेनिज्म की कुछ समय पहले शुरूआत की गई उसे मजबूत किया जा रहा है और सेनाध्यक्षों द्वारा संयुक्त समीक्षाओं सहित नियमित अंतराल पर विभिन्न स्तरों पर सेनाओं के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है। प्रयोक्ता बेसों पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के दौरों के माध्यम से फीडबैक मैकेनिज्म की पहल की गई।

वर्ष के दौरान, डीएसी ने दिल्ली और तलवार श्रेणी के पोतों के लिए छः ब्रहमोस प्रणालियों और 89 मिसाइलों भारतीय नौसेना के लिए टेलीमेडिसीन, भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के अतिरिक्त 7 स्क्वाड्रन (14 फायरिंग यूनिटें), टी–72/टी–90 टेंकों के लिए ट्राल उपस्कर का डिजाइन और विकास और भारतीय सेना के लिए संयुक्ता अप्रचलन प्रबंधन के लिए डीआरडीओ द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

औद्योगिक इंटरफेसः 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए डीआरडीओ के दिशानिर्देश' और 'निर्यात की संभावना सहित डीआरडीओ द्वारा विकसित रक्षा उत्पादों के सार संग्रह' को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 23 सितंबर 2015 को रिलीज किया गया। वर्तमान वर्ष में 57 उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 75 लाइसेंसिंग अनुबंध किए गए। त्वरित प्रौद्योगिकी एवं व्यापारीकरण (एटीएसी) कार्यक्रम के तहत् डीआरडीओ द्वारा विकसित विस्फोटक संसूचन किट प्रौद्योगिकी, जिसे मैसर्स क्रो एंड कंपनी यूएसए को हस्तांतरित किया गया था, को यूएस सशस्त्र बलों द्वारा मूल्यांकित किया गया और इन्हें नाइजीरियाई सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने की प्रकिया चल रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 11429 करोड़ रूपए के 198 उत्पादों के लिए 81 एनओसी दिए गए जिनमें से 7210 करोड़ रूपए के 60 उत्पाद डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियांः डीआरडीओ ने बंगलौर में एयरो इंडिया 2015 में और ब्राजील में लेटिन अमरीका एयरोस्पेस एवं रक्षा (एलएएडी–2015) में भाग लिया जिसमें मिसाइलों, एईडब्ल्यू एवं सी, आईएफएफ, सोनारों, टॉरपीडो, रेडारों इत्यादि के क्षेत्र में उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया। डीआरडीओ ने अपने उत्पादन साझेदारों (बीईएल एवं एल एंड टी) के साथ दक्षिणी कोरिया में हुए सिओल अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी (एडीईएक्स–2015) में भारत की शक्ति और डिजाइन, विकास और उत्पादन में विशेषज्ञता प्रदर्शित की। डीआरडीओ ने नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के साथ अपनी प्रौद्योगिकियों जिन्हें व्यापारीकरण के लिए एटीएसी कार्यक्रम के अंतर्गत चिंहित किया गया, को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक अनुसंधान तथा विकास सम्मेलन–डेस्टिनेशन में भी भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः इस वर्ष डीआरडीओ ने रूस, यूएसए, यूके और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय रक्षा अनु. तथा वि. बैठकें की। डीआरडीसी, कनाडा के साथ जनवरी 2015 में स्टेटमेंट ऑफ इंटेट पर हस्ताक्षर किए गए। यूएस के डीओडी के साथ किए गए आरडीटी एंड ई समझौते को अगले 15 वर्ष (जनवरी 2031 तक) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। 'उन्नत सामग्रियों और युद्ध सामग्रियों आयुध प्रौद्योगिकियों' पर वर्ष 2015 में डीआरडीओ–यूएस कार्यशालाएं की गई। अनु. तथा वि. प्रौद्योगिकी सहयोग का पता लगाने के लिए आस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, इजिप्ट और दक्षिण अफ्रीका के साथ नई पहल की गई है।

प्रकारबाह्य अनुसंधान (ईआर): चालू वर्ष के दौरान लगभग 21.3 करोड़ रूपए का लागत वाली 43 नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया और 217 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। 294 करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली 332 परियोजनाएं चल रही हैं। डीआरडीओ के हित वाले महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम पर आईआईएससी, जेएनसीएएसआर, अमृता विश्व विद्यापीठ और एनआईएएस के साथ 8 सहयोग ज्ञापन (एमओसी) चल रहे हैं। इस वर्ष उन्नत उच्च निष्पादन परिकलन के लिए आप्टीकल अंतः संबंद्ध आधारित सिलीकॉन फोटोनिक के क्षेत्र में सहयोगी ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। साथ ही, प्रतिष्ठित 208 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों का समर्थन है।

बौद्धिक संपदा का अधिकार (आईपीआर): वर्ष के दौरान आयुध, इलैक्ट्रानिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सामग्रियां, जैव–चिकित्सा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी इत्यादि 34 पेटेंटों (विदेशों के 9 सहित) के क्षेत्रों में आने वाले उत्पादों/प्रक्रियाओं पर फाइल करने के लिए 124 आईपीआर अनुप्रयोगों (विदेशों के 4 सहित) पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त भारत में 9 डिजाइनों को पंजीकृत किया गया। डीआरडीओ को "पेटेंटो के लिए सर्वोत्तम अनु. तथा वि. संगठनों" की श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2015 प्रदान किया जा चुका है।

पुरस्कारः भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ के पूर्व मुख्य नियंत्रकों डॉ एन प्रभाकर और डॉ प्रहलाद के साथ श्री वसंत शास्त्री, वै. 'एफ' को पद्मश्री प्रदान किया गया।

8.16 सरकारी पहलों का कार्यान्वयनः संगठन में 'स्वच्छ भारत' के वार्षिक और पंचवर्षीय गतिविधि योजना का कार्यान्वयन तैयार कर लिया गया है और योजना के अनुसार गतिविधियों का पालन किया जा रहा है। कुछ निर्देशक गतिविधियां जो हाथ में ली गई है, वे हैं: प्रयोगशाला और आवासीय क्षेत्र की सफाई, दस्तावेजों/स्टोर की छटाई, विशेष बातचीत, जागरूकता कैंप, प्रतियोगिताएं, कुकिंग सुविधाओं और वन रोपण की सफाई। सभी प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। स्वच्छ भारत के साथ–साथ 'स्वस्थ भारत' और योग को इसके आपस में जुड़े होने के कारण अनुसरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' मिशन से प्रेरित होकर डीआरडीओ प्रयोगशालाएं इस विषय पर कार्यशालाएं आयोजित कर रही हैं। एकीकृत तरीके से 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस', डिजीटल भारत और ई–गवर्नेंस के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। डीआरडीओ को ई–गवर्नेंस की तरफ ले जाने के लिए, ई–प्रापण, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और फाइलों को ट्रेक करने सहित प्रक्रिया सुधारने के लिए

काफी संख्या में पहलें की गई हैं। ज्यादातर प्रयोगशालाओं और क्लस्टरों में पीएलएम और ईआरपी को उत्तरोत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है।

8.17 डीआरडीओ रक्षा आवश्यकताओं में आत्म–निर्भरता को हासिल करने की अपनी यात्रा में दृढ़ निश्चय हैं। समकालीन प्रौद्योगिकी समर्थित सशस्त्र सेनाओं के लिए उन्नत शस्त्र प्रणालियों और प्लेटफार्मों की जरूरत को पूरा करने की अपना प्रतिबद्धता सहित यह वर्ष सफल परीक्षणों, प्रवेशनों/स्वीकार्यता और सफलतापूर्वक परियोजना को समाप्त करने का था। अपने सीमित कार्यदल के साथ संगठन ने सभी कलस्टरों को विभिन्न प्रौद्योगिकी/उत्पाद जैसे एलसीए एसपी1, आकाश मिसाइल प्रणाली, टारपीडो डिकाय 'मारीच' सीकीपिंग एवं मेनोवरिंग बेसिन, उच्च उर्जा सामग्रियों के लिए यूनिवर्सल पाइलट प्लांट, आरसीएस परीक्षण सुविधा 'ओरेंज' आइ एन एस वज्रकोश, उच्च तुंगता प्रयोगशाला, सीबकथॉर्न आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुपुर्दगी की है जिन्हें माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सौंपा जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रवेशित या प्रवेशन के लिए अनुमति प्राप्त प्रणालियों का वर्तमान मूल्य 1.9 लाख करोड़ रूपए है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशक सहित संगठन ने (केंद्रीय पैरा मिलिट्री बलों की निम्न सघनता संघर्षों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अन्य जरूरतों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है। डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए नवीनतम प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

****

9

अंतर सेवा संगठन

राष्ट्रीय रक्षा महविद्यालय-रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान

अंतर सेवा संगठन तीनों सेनाओं की सामान्य ज़रूरतों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं ।

9.1 निम्नलितखित अंतर-सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैंः-

(i) सेना इंजीनियर सेवा

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

(iii) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

(v) जनसम्पर्क निदेशालय

(vi) सेना खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड

(vii) सशस्त्र सेना फिल्म और चित्र प्रभाग

(viii) राष्ट्रीय रक्षा कालेज

(ix) विदेशी भाषा विद्यालय

(x) इतिहास प्रभाग

(xi) रक्षा प्रबंधन कालेज

(xii) रक्षा सेना स्टाफ कालेज

(xiii) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस)

9.2 सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस) सामरिक और संक्रियात्मक स्तर पर तीनों सेनाओं को सहयोग प्रदान करता है। यह संगठन व्यावसायिक और तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से परिपूर्ण है ।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा सेना मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित मुद्दों पर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का सलाहकार होता है । एमईएस के पास 12000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक बजट संबंधी कार्यभार है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में, काफी संख्या में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को चलाए जाने की योजना बनाई गई है। सेना इंजीनियर सेवा मित्र विदेशी सरकारों के लिए विदेश में आधारभूत संरचना का सृजन करके सैन्य राजनयिक पहलों में भी सहयोग देता रहा है । सेना इंजीनियर सेवा संगठन जो प्रवीण कार्मिकों से युक्त है, कार्मिकों को पूरे देश में हर प्रकार के भू-भाग और विपरीत जलवायु स्थितियों में दूर-दराज अवस्थितियों में तैनात किया जाता है और वे शांति के समय कार्य सेवा सहयोग प्रदान करते हैं और युद्ध के दौरान समर्पित सहयोग प्रदान करने हेतु भी सुसज्जित होते हैं ।

9.4 प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएंः

(क) **केन्द्रीय आयुध डिपो (सीओडी) आगरा और जबलपुर का आधुनिकीकरणः** समग्र 'आधुनिकीकरण अभियान' के भाग के रूप में, सेना आयुध डिपो का आधुनिकीकृत निर्मित बिल्डिंग के साथ उन्नयन किया जा रहा है । चरण-I का कार्य समाप्त हो रहा है और चरण-II का कार्य चल रहा है ।

(ख) **ऊंची चढ़ाई वाले क्षेत्र (एचएए) के निवासीः** ऊंची चढ़ाई वाले क्षेत्र के निवास स्थानों में सुधार लाने के लिए पायलेट परियोजना का चरण-I और

चरण-II सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 12 प्लाटून अवस्थितियों पर चरण-III का कार्य चल रहा है ।

(ग) इसके अतिरिक्त, 'पूर्वी कमान में आधारभूत संरचना विकास', राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और संग्रहालय, वायुसेना की आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण और भारतीय नौसेना और तटरक्षक के आधुनिकीकरण की परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं ।

(घ) पूर्ण हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

(i) दिल्ली में उड़ान संरचना ब्रीफिंग सेंटर

(ii) प्रोवोस्ट यूनिट के लिए प्रशासनिक बिल्डिंग

(iii) हैप्पी वैले, शिलांग में 58 जीटीसी पर ओटीएम आवास

(iv) सैन्य स्टेशन के लिए कार्य सेवाएं चरण-II

(v) एआरसी शिलांग में ऑडिटोरियम

(vi) मीसामारी में वायुसैनिकों और डीएससी कार्मिकों के निवास के लिए स्थायी आवास का निर्माण

(vii) भटिंडा में इंजीनियर रेजिमेंट (चरण-I) के लिए ओटीएम आवास

(viii) बीकानेर में गोलाबारूद शेड

(ix) मुख्यालय माउंटेन डिवीजन (चरण-I) के लिए ओटीएम आवास

(x) ईएमई बटालियन के लिए ओटीएम आवास

9.5 महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

(क) **सीई लेह जोन:** एमईएस की मौजूदा स्थापना के भीतर इस वर्ष के दौरान सीई उत्तरी कमान के अंतर्गत एक नया जोन अर्थात सीई लेह जोन बनाया गया था। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई एमईएस स्थापनाएं भी बनाई गई हैं:-

क्र.सं.	**स्थापना/विरचना**	**के अतर्गत**
सी.डब्ल्यू.ई.		
(i)	सीडब्ल्यूई चकेरी	सीई (एएफ) नागपुर
जीई/जीई(I)/जीई(पी)/जीइ(I)/जीईसीटीएल/पीएम		
(i)	जीई(पी) (सेना) सं. - 2 जैसलमेर	सीडब्ल्यूई, जैसलमेर
(ii)	जीई(I) कैम्पबेल बे	सीई (ए एंड एन)
(iii)	जीई (I) पी) (सी) पोर्ट ब्लेयर	सीई (ए एंड एन)
(iv)	जीईसीटीएल पोर्ट ब्लेयर	सीई दक्षिण कमान
(v)	पीएम बैसाखी	सीसीई (ए) संख्या 2
(vi)	जीईसीटीएल विजाग	सीई पूर्वी कमान
(vii)	सीईसीटीएल जोरहाट	सीई पूर्वी कमान
(viii)	जीई (एएफ) बिहटा (अपग्रेडेशन)	सीडब्ल्यूई (एएफ) बमरौली
(ix)	जीटी सीटीएल लेह	सीई उत्तरी कमान
(x)	जीई(i) (पी) निवारू	सीई जयपुर जोन
(xi)	जीई (i) (पी) (एफ) जामनगर	सीई (एएफ) गांधीनगर
(xii)	जीई (i) (आरएंडडी) दिल्ली	सीई (आरएंडडी) दिल्ली
एजीई(i)		
(i)	एजीई (i) एमसीईएमई सिकन्दराबाद (अपग्रेडेशन)	सीडब्ल्यूई सिकन्दराबाद

(ख) **कमान परीक्षण प्रयोगशाला:** मौजूदा आठ कमान परीक्षण प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त चार नई परीक्षण प्रयोगशालाओं को पोर्ट ब्लेयर, जोरहट, विशाखापत्तनम ओर लेह में बनाया गया है ।

9.6 महत्वपूर्ण पहलें

(क) **रनवे मरम्मत/भुगतानों का अनुरक्षण के लिए सलाहः** रनवे से संबंधित मुद्दों पर पक्की और अकाट्य सलाह प्रदान करने के लिए एक व्यापक प्रणाली विज्ञान तैयार किया गया है ।

(ख) **ई-निविदा** - निविदा प्रक्रिया में और पारदर्शिता तथा संगठन की समग्र दक्षता में सुधार लाने के लिए एनआईसी सर्वर पर एक ई-निविदा पोर्टल का सृजन किया गया है । इसे अब पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है ।

(ग) **नवीकरणीय ऊर्जा (एलईडी लाइटिंग)** - 'बिजली बचाओ, देश बचाओ' के लिए प्रधान मंत्री की पहल के अनुसार रक्षा सेनाओं में एलईडी लाइटों के प्राधिकार का एक मामला 26 फरवरी, 2015 को प्रारंभ किया गया था और इसे आवास के पैमानों के अल्पकालीन संशोधन में मिला दिया गया है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । एलईडी लाइटें अब हर प्रकार के आवास और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए अधिकृत हैं ।

(ध) **गृह ग्रीन बिल्डिंग मानदण्ड** - ग्रीन बिल्डिंग मानदण्डों को आवास के पैमानों में अल्पकालीन संशोधन-2009 के भाग के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ड.) **रक्षा में प्रीपेड मीटर** - मीटर रीडरों की कमी को पूरा करने के लिए आगरा और रानीखेत में दो स्टेशनों का चयन प्रीपेड इलैक्ट्रिक मीटर लगाने के लिये किया गया है । तदनुसार, इन कार्यों को एएमडब्ल्यूपी (2015-16) में सूचीबद्ध किया गया है ।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस)

9.7 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का 130 सशस्त्र सेना अस्पतालों के माध्यम से रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों को समर्पित और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने का विशिष्ट रिकार्ड है। चिकित्सा सेवाएं, युद्ध में तैनात किए जाने के समय अर्ध-सैनिक संगठनों के कार्मिकों और देश के अशांत और दूर-दराज क्षेत्रों में संक्रिया कर रहे अन्य केंद्रीय पुलिस/आसूचना संगठनों और जीआरईएफ यूनिटों को भी दी जाती है । एएफएमएस देश के भीतर भूतपूर्व सैनिकों ओर उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवा भी प्रदान करता है । प्राकृतिक विपदा, आपदा और संक्रियात्मक क्षेत्रों में यह सिविलियन नागरिकों को भी सेवा देती है ।

9.8 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में प्रत्येक चिकित्सा सेवा में लेफि्टनेंट जनरल अथवा समकक्ष रैंक के भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, प्रत्येक में महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा शामिल हैं । महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (डीजीएएफएमएस) जो सेवा के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा सलाहकार और चिकित्सा सेवा परामर्शदायी समिति के अध्यक्ष भी हैं । एएफएमएस में एमएससी, एमएमसी (एनटी), एडीसीऔर एमएनएस के अफसर शामिल हैं। एएमसी, एडीसी, एमएएस और एएमसी(एनटी) की प्राधिकृत नफरी क्रमशः 6104, 666, 4600 और 363 है ।

9.9 इस वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण निर्णय/ क्रियाकलाप

(I) एएफएमएस में कार्मिक शक्ति का संवर्द्धनः सरकार ने 3530 के तीन समान चरणों में 10590 तक एएफएमएस की कार्मिक शक्ति के संवर्धन का अनुमोदन किया । एएफएमएस को कार्मिक शक्ति के अतिरिक्त अनुमोदन के चरण-I जिसमें अफसर रैंक से नीचे के 432 चिकित्सा अधिकारी, 684 एमएनएस अपुसर, 2347 कार्मिक शामिल हैं, की संस्तुति मई, 2009

में की गई थी जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाना था। चरण-I में प्राधिकृत अतिरिक्त जनशक्ति का समावेशन, सिविलियन कार्मिक शक्ति अवयव को छोड़कर पूरा हो गया था । एएफएमएस को कार्मिक शक्ति के अतिरिक्त अनुमोदन के चरण-II की संस्तुति फरवरी, 2012 में की गई थी, जिसे 3 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना है । यह संवर्द्धन लगभग पूरा हो गया है । तथापि, अतिरिक्त सिविलियन कार्मिक शक्ति की भर्ती चल रही है। चरण-III के लिए कार्मिक शक्ति की अभिवृद्धि का मामला प्रक्रियाधीन है ।

(II) एएफएमएस में कमीशनः

(क) **सिविल स्त्रोतों से अल्प सेवा कमीशनः** वर्ष 2015 में 128 महिलाओं सहित सिविल स्त्रोतों के 413 डॉक्टरों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था ।

(ख) **सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज (एएफएमसी) कैडेटों को** कमीशनः वर्ष 2015 के दौरान एएफएमसी के 100 कैडेटों को निम्नानुसार कमीशन प्रदान किया गयाः-

(क)	स्थायी कमीशन (पीसी)	47
(क)	एसएससी	53

(ग) **अल्प सेवा कमीशन (एससीसी) के अफसरों को विभागीय स्थायी कमीशन (डीपीसी) प्रदान किया जानाः** 2015 में 20 अल्प सेवा कमीशन के अफसरों को विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है (पुरुष 15 और महिला 05)

(ध) **एएमसी (एनटी) को विभागीय स्थायी कमीश्न प्रदान किया जानाः** वर्ष 2015 के दौरान एएमसी (एनटी) के 05 अल्प सेवा कमीशन के अफसरों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान किया गया है ।

(ड.) **अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों को एएमसी (एनटी) में अल्प सेवा कमीशनः** वर्ष 2015 की रिक्तियों के विरुद्ध एएमसी (एनटी) में पीबीओआर को 05 स्थायी कमीशन प्रदान किए गए थे ।

(III) मानद परामर्शदाता/सलाहकार की नियुक्तिः सशस्त्र सेनाओं की संपूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं में सुविख्यात सिविलियन डॉक्टरों की सेवा आवश्यकता, परामर्शदाता की विशेषज्ञता और मुफ्त सेवा उपलब्ध कराने की उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थानों पर मानद परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(IV) सशस्त्र सेनाओं में एच.आई.वी. - एड्सः सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए एएफएमएस एड्स नियंत्रण संगठन (एसीओ) नोडल संस्था है । इस संगठन ने सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी नियंत्रण में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है । सशस्त्र सेनाओं में नियंत्रण रणनीतियों के कड़े कार्यान्वयन से एचआईवी पॉजिटिव मामलों में बड़ी गिरावट आई है जिससे पता चलता है कि यह महामारी रुक रही है ।

(V) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणेः यह कालेज रक्षा सेनाओं में सुनिश्चित कैरियर संभावनाओं के साथ अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और परिचर्या विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है । वषर्ष 2015 में एमबीबीएस के लिए प्रवेश अखिल भारतीय आधारित परीक्षा के द्वारा केंद्रीकृत रूप से संचालित किया गया था और इस वर्ष के लिए एएफएमसी, पुणे में प्रवेश के लिए कुल 35977 उम्मीदवारों ने ऑन-लाइन आवेदन किया। उपर्युक्त के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन-लाइन की गई थी । उनकी योग्यता के आधार पर 1975 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । छंटाई किए गए उम्मीदवारों के लिए एएफएमसी में अंग्रेजी भाषा, तार्किक और बुद्धिमत्ता (टीओईएलआर) के लिए एक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा भी आयोजित की गई थी और अंततः वर्ष 2015 के लिए 130 (105 लड़के और 25 लड़कियां) विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम

में प्रवेश दिया गया था । इसके अतिरिक्त, मित्र पड़ोसी देशों से प्रायोजित किए गए 5 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया था ।

(VI) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का आधुनिकीकरण

(क) **एएफएमएस अस्पतालों और चिकित्सा यूनिटों की चिकित्सा उपस्कर प्रोफाइल का आधुनिकीकरणः** वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) में प्राथमिकताबद्ध अधिप्राप्ति के माध्यम से सशस्त्र सेना के अस्पतालों के आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। 102 करोड़ रुपए के विशेषज्ञ चिकित्सा उपस्कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में अधिप्राप्त किए गए थे और 110 करोड़ रुपए से अधिक के आपूर्ति आर्डर पूंजीगत बजट शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2015-16 में दिए गए हैं । इससे योधी, उनके आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की जाने वाली डायग्नोस्टिक, थैरेप्टिक और विशेषज्ञ सेवाओं में मात्रात्मक सुधार किया गया है।

(ख) **परियोजना टेलीलिंकः** पोतों आदि पर सवार कार्मिकों के बीमार होने और घायल होने की घटनाओं का निवारण करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) द्वारा मुख्य भूमि तृतीयक चिकित्सा नौसेना अस्पतालों के लिए टेलीलिंक पोतों की परियोजना का अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर तृतीय चिकित्सा भूमि आधारित अस्पतालों के विशेषज्ञों/नौसेना सुपर विशेषज्ञों की राय और सुविज्ञता का पोतों/पनडुब्बियों पर सवार/सुदूर अवस्थिति में स्थित अस्पतालों में लाभकारी रूप में उपयोग किया जाएगा ।

(ग) **सशस्त्र सेना चिकित्सा भंडारण डिपो (एएफएमएसडी) और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का स्वचालनः** 'आई औषधि' के रूप में नामित परियोजना एक वेब आधारित प्रणाली है जो दवाओं की ऑन-लाइन आपूर्ति और प्रयोग का पता लगाती है । यह महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ती अवधि को कम करने में सहायता प्रदान करेगी और दवाओं के स्टॉक पर सूचना सही समय पर प्रदान करेगी तथा स्थानीय स्तर पर समय से अधिप्राप्ति में सहायता प्रदान करेगी। यह एप्लीकेशन शीघ्र ही सशस्त्र सेना अस्पतालों में प्रयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(ध) **कार्डियो थोरासिक वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) केन्द्र सेना अस्पताल आर एंड आर दिल्लीः** सेना अस्पताल (आर एंड आर) की सुपर स्पेशिलिटी के रूप में एक 200 बेड वाले सीटीवीएस केन्द्र ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । आज तक, 2000 घातक काडियो संबंधी प्रक्रियाएं और 541 सीटीवीएस सर्जरी की जा चुकी हैं ।

(ड.) **श्रेष्ठता का केन्द्रः** राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्ववविद्यालय ने इंस्टीच्यूट ऑफ एरोमेडिसिन (आईएएम) को इसके संकाय और इसकी आधारभूत संरचना द्वारा प्राप्त की गई अकादमिक श्रेष्ठता के आधार पर 'श्रेष्ठता के केन्द्र' के रूप में घोषित किया गया है ।

(च) **विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा देखभालः** विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को प्रदत्त देखभाल के स्तर को बढ़ाने के लिए पेशावरों को मिलाकर एक श्रेष्ठता के केन्द्र की स्थापना कमान अस्पताल (वायुसेना) बंगलूरु के बालरोग विभाग में की गई है ।

(VII) अन्य उपाय

(क) डीजीएएफएमएस ने अपने आश्रित लाभार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, सघन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की है, जिसमें रक्षा के वरिष्ठतम व्यक्ति और उनके आश्रित शामिल हैं । आधुनिकतम, परिष्कृत 'अत्याधुनिक' चिकित्सा उपकरण वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (एएपी) के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं ।

(ख) विभिन्न सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों में अनिवार्य, जीवन रक्षक और नियमित प्रयोग के चिकित्सा उपकरणों का प्रबंधन करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान के ग्राहकगणों की संतुष्टि बढ़ा दी है। अनेक देशों को चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान की गई है । इसके द्वारा भारत के वैश्विक

महत्व और उत्कृष्ट छवि को बढ़ावा मिला है। सभी एएफएमएस अस्पतालों और यूनिटों को कार्रवाई करने, अधिप्राप्ति, स्टॉक संभालने और मेडिकल स्टोरों को जारी करने की सुविधा के लिए 29 प्राइस्ट वोकैबलरी मेडिकल स्टोर (पीपीएमएस) खण्डों में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है ।

(ग) वित्तीय औचित्यों, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का पालन करके उत्कृष्ट योजना और सुप्रवाही कार्यक्रम के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, अधिप्राप्ति और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में हर तरह की उन्नति संभव हुई है ।

(VIII) मित्र देशों को प्रदत्त विदेशी सहायताः 10.74 करोड़ रुपए की राशि वाले मेडिकल स्टोर, मित्र देशों (तजीकिस्तान, मालावाई, यमन, डोमिनिका और सेशल्स राष्ट्रमण्डल) और हज के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं ।

(IX) अस्पतालों का आधुनिकीकरण और उन्नयन

(i) प्रमुख कार्यों के वार्षिक कार्यक्रम 2015-16: 259 करोड रुपए की लागत वाले विभिन्न अस्पतालों के लिए बीस कार्यों का अनुमोदन एएमडब्ल्यूपी के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए किया गया है। इनमें सेना अस्पताल (अनुसंधान और रैफरल) में 200 बिस्तर वाले कर्करोग विज्ञान के लिए नए तकनीकी आवास का प्रावधान करना शामिल है।

(ii) अस्पताल परियोजना क्रम संख्या 3: सेना अस्पतालों में अग्नि संरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले व्यापक दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं। जैसा कि विभिन्न विनियमों, बिल्डिंग कोडों, सेना अनुदेशों में अनिवार्य है, यह दस्तावेज विभिन्न अग्नि संरक्षा उपायों के ब्यौरे देता है । इन दस्तावेजों में विभिन्न संक्रियात्मक पहलुओं और जांच-पड़ताल सूचियों को भी शामिल किया गया है जिसे सभी स्तर के कमांडरों द्वारा उनके अस्पतालों में अग्नि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है ।

(X) अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापः पुणे में फरवरी, 2015 में हुई सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति (एएफआरएमसी) की 53वीं बैठक के दौरान 100 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था ।

(XI) एएफएमएस अस्पतालों में विदेशी नागरिकों का उपचारः भारत सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे मैत्रीभाव के एक उपाय के तौर पर अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्ला देश और मालदीव जैसे देशों के सशस्त्र सेना कार्मिकों को एएफएमएस अस्पतालों में उपचार सुविधाएं दी जाती हैं ।

(XII) श्रेष्ठ कमान अस्पताल के लिए रक्षा मत्री ट्राफीः वर्ष 2015 के लिए कमान अस्पताल (पूर्वी कमान) कोलकाता ने 'सशस्त्र सेनाओं में श्रेष्ठ कमान अस्पताल' के लिए स्पृहणीय 'रक्षा मत्री ट्राफी' प्राप्त की ।

(XIII) विदेशी छात्रों को चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणः मित्रवत पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित 154 छात्रों को इन देशों से प्राप्त आग्रह के आधार पर एएफएमएस द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों/अस्पतालों में विदेशी राष्ट्रों को विभिन्न चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए गए हैं ।

(XIV) आपदा राहत

(क) **ऑपरेशन मैत्रीः** 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का महाविनाशकारी भूकम्प आया। एचएडीआर ऑपरेशन 'ऑपरेशन मैत्री' के अंतर्गत

सेना और वायुसेना की राहत चिकित्सा टीम ने राहत ऑपरेशन में हिस्सा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत प्रदान की ।

(ख) **बाढ़ राहत, चेन्नैः** दिसम्बर, 2015 में देश के सभी दक्षिणी तटीय क्षेत्रों को विनाशकारी बाढ़ ने प्रभावित किया था । एएफएमएस के अधिकारियों ने बाढ़ राहत ऑपरेशनों में हिस्सा लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत प्रदान की ।

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

9.10 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, नई दिल्ली, 62 छावनियों में रक्षा भूमि और नागरिक प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित सलाहकार और कार्यपालक का कार्य करता है । यह महानिदेशालय, वर्तमान में जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और जयपुर स्थित छह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है । यह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है । ये प्रधान निदेशालय बारी-बारी से कई फील्ड कार्यालयों जैसे कि, रक्षा सम्पदा कार्यालयों, सहायक रक्षा सम्पदा कार्यालयों और छावनी बोर्डों जैसे कार्यालयों को देश के चारों ओर फैले छावनी बोर्डों और रक्षा भूमियों के दैनंदिन प्रबंधन का कार्य सौंपता है ।

9.11 रक्षा मत्रालय के स्वामित्व में देश भर में लगभग 17.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है जिसका प्रबंधन तीनों सेनाओं और अन्य संगठनों जैसे कि आयुध निर्माणी बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, सीजीडीए आदि द्वारा किया जाता है । सेना के नियंत्रण और प्रबंधन में सर्वाधिक अर्थात 14.14 लाख एकड़ भूमि है और इसके बाद वायुसेना और नौसेना के पास क्रमशः 1.40 लाख एकड़ और 0.44 लाख एकड़ भूमि है । अधिसूचित छावनियों के अंदर लगभग 1.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है और शेष लगभग 16.00 लाख एकड़ भूमि छावनियों से बाहर है ।

9.12 महानिदेशलय ने सभी रक्षा भूमि का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया है । सभी रक्षा भूमि का सर्वेक्षण कार्य और सीमांकन और रक्षा भूमि पर नियंत्रण और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए रिकार्डों का डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है ।

9.13 रक्षा सम्पदा विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए रिहायशी आवासों और भूमि को किराए पर लेने/अर्जित करने का कार्य भी करता है । जम्मू व कश्मीर में अचल सम्पत्ति का अर्जन जे एंड के आरएआईपी अधिनियम, 1968 के अधीन किया जाता है ।

9.14 रक्षा सम्पदा महानिदेशलय, रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनियों में नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, मानीटरी और निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है । भारत में 62 छावनियां हैं । ये छावनियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 19 राज्यों में स्थित हैं । छावनी बोर्ड 'बाडी कारपोरेट' होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के समग्र नियंत्रण में और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं। छावनी बोर्डों के आधे सदस्य निर्वाचित होते हैं । स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर जनरल आफिसर्स कमांडिंग इन चीफ और प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा और उच्चतम स्तर पर रक्षा सम्पदा महानिदेशलय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । 61 छावनी बोर्डों में 2015 में चुनाव आयोजित किए गए थे जिसमें 404 सदस्य चुने गए जहां पर एक तिहाई चुने गए सदस्य महिलाएं हैं । तदनुसार, 60 छावनियों में बोर्ड गठित किए गए थे । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार कुछ छावनियों में किया गया था । पंचमढ़ी छावनी की विभिन्न शर्तें एक वर्ष की अवधि के लिए 5 जून, 2016 तक बढ़ा दी गई थीं क्योंकि मामला न्यायाधीन था । खास्योल छावनी बोर्ड के चुनाव नहीं आयोजित किए गए थे और इसकी विभिन्न शर्तें 5 जून, 2016 तक और बढ़ा दी गई थीं ।

9.15 छावनी बोर्डों के स्रोत सीमित है क्योंकि छावनी बोर्डों की बड़ी सम्पत्ति सरकार की होती है जिन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तथापि, बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों से जुड़े सेवा शुल्क के भुगतान की प्राप्ति होती है । केन्द्रीय सरकार उन कुछ छावनी बोर्डों की, जो वित्तीय घाटे में होते हैं, सहायता अनुदान के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे अपने बजट को संतुलित कर सकें ।

9.16 प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं । कई छावनी बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट/जूनियर महाविद्यालय भी चला रहे हैं । छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों की कुल संख्या 201 है । इसके अतिरिक्त, दिव्यांग बच्चों के लिए 33 केन्द्र और 45 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं । छावनी बोर्ड छावनियों और पड़ोसी क्षेत्रों के सामान्य लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए 88 अस्पतालों का भी अनुरक्षण करता है ।

9.17 रक्षा संपदा विभाग ने 17 डीईओ सर्किलों में वर्ष 2013-14 के लिए भूमि लेख परीक्षा रिपोर्ट कार्यान्वित की है। मुख्य परिणाम और सिफारिशें इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-V** में दी गई है ।

9.18 रक्षा भूमि प्रबंधन से भूमि रिकार्डों का उचित रख-रखाव आवश्यक रूप से किया जाता है। भूमि रिकार्डों का अनुरक्षण, इसका संरक्षण और सुरक्षा मानक देश के सभी 99 फील्ड कार्यालयों अर्थात 37 रक्षा संपदा कार्यालयों और 62 छावनी बोर्डों आदि में पुराने दस्तावेजों की भरमार, पर्याप्त भंडारण जगह की कमी, अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी और पुराने दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के कारण ग्रस्त है। सभी डीईओ कार्यालयों में रिकार्ड रूमों का सुधार (नवीनीकरण) जैसे कुछ क्रियाकलाप, सभी डीईओ कार्यालयों में आधारभूत संरचना सुधार और एयू और आरसी की स्थापना पूरी हो गई है और रिकार्डों का सूचक बनाने, स्कैन करने और माइक्रो फिल्म बनाने को दो चरणों में विभाजित किया गया था जिसमें से चरण-। का कार्य, डीईओ और छावनी बोर्डों में पूरा हो गया है। चरण-।। का कार्य प्रगतिशील है । पायलट परियोजना में डिजिटाइज्ड किए गए दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म बनाना, डीईओ सिकन्दराबाद द्वारा किया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि वे केन्द्रीकृत तरीके से अन्य डीईओ के उन डिजिटाइज्ड रिकार्डों की माइक्रो फिल्म बनाएं जिसके लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति डीजीडीई स्तर पर गठित की गई है ।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

9.19 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों के मुख्यालय (आईएसओज़) कार्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहयोग मुहैया कराता है । मुख्य प्रशासन अधिकारी (सीएओ) संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और निदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी करते हैं ।

9.20 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय निम्नलिखित सात प्रभागों के द्वारा अपना कार्य करता है:

(क) **प्रशासन विभागः** यह प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 12,000 सिविलियन कार्मिकों को प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है ।

(ख) **कार्मिक एवं विधिक प्रभागः** कार्मिक प्रभाग तीनों सेना मुख्यालयों और 27 अंतर-सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की लगभग 200 ग्रेडों में तैनाती सहित कॉडर प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है । यह प्रभाग सीएओ कार्यालय अदालती मामलों को भी देखता है ।

(ग) **जनशक्ति योजना और भर्ती प्रभागः** यह प्रभाग सशस्त्र बल मुख्यालय संवर्ग/कॉडर बाह्य पदों के विभिन्न प्रवर्गों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नियोजन, विभिन्न ग्रेडों के भर्ती नियमों को तैयार करना/में संशोधन करना, संवेदनशील संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त की दोबारा जांच, एएफएचक्यू सिविलियन कैडरों की कैडर समीक्षा/पुनर्गठन और वेतन आयोगों से संबंधित कार्यों आदि के लिए उत्तरदायी है ।

(ध) **वित्त और सामग्री प्रभागः** यह प्रभाग अंतर सेवा संगठनों को सामग्री संबंधी सहयोग प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपकरणों, भंडारों, फर्नीचर, लेखा सामग्रियों और सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों की अधिप्राप्ति और प्रोविजनिंग शामिल हैं ।

(ड.) **संपदा और निर्माण कार्य प्रभागः** यह प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालयों में तैनात सेना अफसरों के रिहायशी आवासों के लिए संपदा संबंधी कार्य करता है और रक्षा मुख्यालयों में प्रमुख निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय करता है ।

(च) **विभागीय अनुशासन, समन्वय और कल्याण प्रभागः** यह प्रभाग एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के भीतर और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मु.प्र. अधिकारी के लिए समन्वय, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, आफिस काउंसिल, महिला प्रकोष्ठ, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप, विभागीय कैंटीन, एएमए की नियुक्ति, रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि (डीसीएमएएफ) आदि जैसे कल्याणकारी कार्यकलापों का भी संचालन करता है। ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ओर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय का लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) और वेबसाइट के रखरखाव से संबंधित मामले इस प्रभाग के क्षेत्र में आते हैं। रक्षा मंत्रालय (पुस्तकालय) के प्रशासन के साथ-साथ पुस्तकों के चयन और उनकी अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय रक्षा निधि अनुदान प्राप्त करने संबंधी कार्य/ जवाबदेही और इस उद्देश्य के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का कार्य भी इस प्रभाग को सौंपा गया है।

(छ) **रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएच टीआई):** सेना मुख्यालयों और अतर सेवा संगठनों तथा रक्षा मंत्रालय में तैनात सिविलियन कार्मिकों के साथ-साथ तीनों सेनाओं के अफसरों के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का कार्य भी संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तत्वावधान में कार्यरत रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। तीनों सेनाओं और आईएसओ के अफसरों के लिए अधिप्राप्ति, आर टीआई, मंत्रिमंडलीय नोट और संसद प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ विशेष पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है,। वर्ष 2015-16 के दौरान डीएचटीआई द्वारा आयोजित सिविलियन और सेना कार्मिकों दोनों के लिए रक्ष मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने परिसर में 139 पाठ्यक्रमों और विभिन्न फील्ड स्थापनाओं में 'सिविलियन कार्मिक प्रबंधन' के डोमिन एरिया पर 19 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया।

9.22 सुरक्षा कार्यालय

(क) सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र के अतर्गत 22 बिल्डिंगों में वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, निगरानी और प्रवेश पर नियंत्रण करने और

सुरक्षा भंग न होने देने और आग न लगने देने के लिए जिम्मेदार है । मुख्य सुरक्षा अधिकारी की निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियां हैं, नामतः

(i) डीएचक्यू सुरक्षा सैनिक रक्षा मुख्यालय में बिल्डिंगों की सुरक्षा और रक्षा मुख्यालय सुरक्षा जोन में प्रवेश को नियंत्रित करते हैं ।

(ii) सुरक्षा कार्यालय नीतिगत प्रशासनिक पहलुओं की सुरक्षा करना, जब और जहां आवश्यक हो, जिनमें पास विभाग द्वारा पहचान दस्तावेज जारी करना, विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करना, अग्नि-शमन प्रबंधन और विभिन्न सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश/परामर्श जारी करना शामिल है ।

(iii) एक स्वागत नेटवर्क जो जोन में आगंतुक पास जारी कर आगंतुकों का प्रवेश और निकास नियंत्रित करता है और जब और जहां आवश्यक हो, आगंतुकों को सिविलियन सुरक्षा उपलब्ध कराता है ।

(ख) सुरक्षा कार्यालय साउथ ब्लॉक और सेना भवन में क्रमशः बायोमेट्रिक और आरएफआईडी प्रणाली द्वारा कार्मिकों और वाहनों के प्रवेश/निकास के निगरानी और आगमन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस) के कार्यान्व9यन की प्रक्रिया में है।

(ग) सुरक्षा कार्यालय एक वर्ष में लगभग 75,000 पास जारी करता है जिनमें एसएलआईसी, डीएसी, टीपी, सीएचटी पास, वाहन स्टिकर्स इत्यादि शामिल हैं ।

जनसम्पर्क निदेशालय

9.22 जनसम्पर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों तथा मुख्य नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया तथा जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी है । इस निदेशलय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके देश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मीडिया सहायता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। यह नियमित रूप से साक्षात्कार, प्रेस कान्फ्रेंस और प्रेस दौरे आयोजित करके नेतृत्व और रक्षा मत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विनिमय को भी सुकर बनाता है ।

9.23 यह निदेशालय सशस्त्र सेनाओं के लिए 13 भाषाओं में पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है । इस निदेशलय का प्रसारण अनुभाग सैनिकों के लिए 40 मिनट का कार्यक्रम तैयार करता है जिसका प्रसारण सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आकाशवाणी से प्रतिदिन किया जाता है । इसका फोटो अनुभाग रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज उपलब्ध कराता है। डीपीआर के फोटो अनुभाग के फोटो अभिलेखागार को डिजीटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

9.24 गत वर्षों की भांति इस निदेशालय ने मीडिया के लोगों के लिए उनकी रक्षा विषयों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए 16 अगस्त, 2015 से 18 सितंबर, 2015 तक रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का आयोजन किया । संपूर्ण देश से 31 पत्रकारों, जिनमें 7 महिलाएं थीं, ने एक महीने तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

9.25 वर्ष के दौरान डीपीआर ने विभिन्न सेना डिजिटाइजेशन को प्रारंभ करने के कवरेज को प्रदान किया जैसे कि सेना अभिलेख आफिसर्स प्रासेस

आटोमेश्न (एआरपीएएन) 2.0, एक नई वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in भारतीय सेना का प्राइवेट क्लाउड जो सेना के डाटा सेंटर आधारभूत संरचना के प्रारंभ को चिन्हित करता है तथा डिजिलॉकर जो अपने संपूर्ण समर्पित डाटा नेटवर्क पर सेना की सभी यूनिटों और प्रयोक्ताओं को सुरक्षित और एकमात्र डाटा स्टोरज स्पेस प्रदान करता है। निदेशालय ने वायुसेना और सेना, दोनों में आकाश मिसाइल प्रणाली का अधिष्ठापन, नौसेना में आठ बोइंग जी-81 लांग रेंज समुद्रवर्ती खोजी और पनडुब्बी-रोधी वारफेयर विमानों का अधिष्ठापन और आईएनएस कोच्चि का कमीशन किया जाना, गुप्त मार्ग-निर्देशित मिसाइल नाशक को उपयुक्त प्रचार प्रदान किया । डीपीआर ने एलसीए तेजस पर श्रेष्ठ कवरेज भी सुनिश्चित किया जिससे बहरैन इंटरनेशनल एयर शो में भागीदारी और उड़ान इतिहास रचा ।

9.26 डीपीआर ने नेपाल भूकम्प के दौरान 'ऑपरेशन राहत' के अतर्गत भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा स्टाइफ-टॉर्न येमेन से भारतीय व्यक्तियों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने और 'ऑपरेशन मैत्री' में भारतीय वायुसेना द्वारा विदेश में सबसे बड़ी संयुक्त बचाव और राहत को श्रेष्ठ प्रचार भी प्रदान किया। चेन्नै की अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान बचाव और राहत 'ऑपरेशन मदद' ने व्यापक प्रचार प्रदान किया । 1965 के भारत-पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोहों और प्रथम विश्वयुद्ध के शताब्दी समारोहों ने उपयुक्त कवरेज दिया था ।

9.27 डीपीआर ने भारत और विदेश दोनों में अन्य मित्र देशों के सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं द्वारा विभिन्न संयुक्त अभ्यास भी कवर किया । अन्य महत्वपूर्ण थीमों में से वे जो कवर की गई थी में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में महिलाओं का शामिल किया जाना और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन की घोषणा और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में विसंगतियों को दूर करने का आधार तैयार करना शामिल है ।

9.28 यह निदेशालय गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सभी मीडिया सुविधाओं का भी प्रबंध करता है एवं राजपथ पर परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित करता है । निदेशालय द्वारा लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, संयुक्त कमांडर्स कान्फ्रेंस एवं प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित एनसीसी रैली और राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह जैसी महत्वपूर्ण सूचीबद्ध घटनाओं को भी यथोचित प्रचार किया गया ।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.29 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है । एसएससीबी के तत्वावधान में 19 खेलों में चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इडियन एयरफोर्स) की अंतर-सैन्य चैंपियनशिप आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने के लिए सेनाओं की टीम के चयन हेतु 14 खेलों के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं ।

9.30 वर्ष 2015 के दौरान एसएससीबी ने खेलकूद फेडरेशनों/एसोसिएशन जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष टीमों को मैदान में उतारा था । सेना की टीमों ने कई स्पर्धाओं में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हासिल की । वर्ष के दौरान 100 से अधिक सेना खिलाड़ियों ने विभिन्न अतराष्ट्रीय चैंपियनशिपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

9.31 फरवरी, 2015 में केरल में आयोजित किए गए 35वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान, एसएससीबी की पुरुषों की टीम ने मेडल रैली को टाप करके इतिहास रचा और 91 स्वर्ण, 33 रजत और 35 कांस्य पदकों को जीता । सफलता के तीसरी बार के लिए एसएससीबी

ने प्रतिष्ठित राजा भलेन्द्र सिंह ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी-2015 जीती थी ।

सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग

9.32 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग (एएफएफपीडी) रक्षा मत्रालय का एक अंतर सेवा संगठन है । इसे तीनों सेनाओं के लिए प्रशिक्षण, वृत्त चित्रों और संवर्धनात्मक फिल्में तैयार करने तथा रिकार्ड प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय के समारोहों और अन्य महत्वपूर्ण स्पर्धाओं के फोटो और वीडियो कवरेज का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । एएफएफपीडी के केन्द्रीय रक्षा फिल्म पुस्तकालय में द्वितीय विश्वयुद्ध के दुर्लभ फिल्मों और फोटो, वर्तमान तथा अतीत की रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों का विशाल संग्रह है ।

9.33 चालू वर्ष में एएफएफपीडी, एआरटीआरएसी (सेना प्रशिक्षण कमान) के सहयोग से सेना के लिए 10 प्रशिक्षण फिल्में पूरी हो गई हैं और जारी हो गई हैं। 9 प्रशिक्षण फिल्में विभिन्न प्रोडक्शन स्तर के अधीन हैं जिनमें से 4 फिल्में पूरी होने के स्तर पर हैं और 01 फिल्म काम-चलाऊ प्रोडक्शन स्तर पर है । इनके अतिरिक्त, सेना के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज संबंधी प्रमोशनल फिल्म पूरी हो गई है; सेना के साहसिक कार्यों संबंधी अन्य फिल्म शूटिंग स्तर पर है । साथ ही, वेब आधारित प्लेटफार्मों संबंधी प्रचयार प्रयोजनों हेतु सेना के लिए 5 लघु फिल्म्मों पर भी प्रोडक्शन चल रहा है जिसमें से एक फिल्म पूरी हो गई है । एएफएफपीडी द्वारा प्रोडक्ट की गई अधिकांश फिल्मों की अवधि 30 से 60 मिनट है और वे हिंदी और अग्रेजी में हैं । सेना के लिए 11 प्रशिक्षण फिल्में वित्तीय संस्तुति स्तर पर हैं जिसके समाप्त होने के बाद इन फिल्मों का उत्पादन किया जाएगा । एएफएफपीडी 2016 में होने वाली नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के लिए प्रमोशनल क्लिपों का भी प्रोडक्शन कर रहा है।

9.34 इस प्रभाग ने गणतंत्र दिवस, समापन समारोह, स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण समारोह, प्रतिष्ठापन समारोह, सेना दिवस परेड इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य समारोहों का वीडियो और स्टिल फोटोग्राफिक कवरेज किया है । रक्षा मंत्री श्रेष्ठता पुरस्कार के कवरेज, कमांडर्स सम्मेलन, सेना मुख्यालयों की विभिन्न शाखाओं द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा, पीसीडीए के कवरेज, डीजीक्यूए जैसे अंतर सेवा संगठन, ओ एफ सेल, डीजीएक्यूए, मानकीकरण निदेशालय, योजना और समन्वय, सीएओ का कार्यालय, डीजीक्यूए डे और एएफएचक्यू दिवस भी मनाए गए ।

9.35 फोटोग्राफी को अब निगेटिव से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है और वर्तमान में सभी फोटो को डिजिटल रूप में प्रदरर्शित किया जा रहा है और सीडी/डीवीडी के रूप में जारी किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार हार्ड कापी (फोटो प्रिंट) के रूप में भी जारी किया जाता है । 7596 फोटो प्रदर्शित किए गए हैं और 122 फोटो सीडी, 13 फोटो डीवीडी और 2672 फोटोग्राफिक प्रिंटों को आज तक तैयार करके जारी किया गया है ।

9.36 इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी (सीडीएफएल) विभिन्न यूनिटों/विरचनाओं/प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण के लिए उत्तरदायी है । यह लाइब्रेरी 35 एमएम साइजों में 587 शीर्षक (पाजिटिव) 543 (मास्टर निगेटिव), 16 एमएम साइजों में 1165 शीर्षक, वीएचएस फार्मेट में 225 शीर्षक, यू-मैटिक फार्मेट में 272 शीर्षक, 166 बेटाकैम फार्मेट, वीसीडी फार्मेट में 34 शीर्षक और डीवीडी और एचडी फार्मेट में 72 शीर्षक रखती है । वर्ष 2015 के दौरान 2939 डीवीडी को विभिन्न सेना/नौसेना/वायुसेना की यूनिटों/विरचनाओं को उधार के रूप में प्रेषित/जारी किया गया है ।

9.37 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग के पास द्वितीय विश्वयुद्ध की दुर्लभ फिल्में और फोटो हैं जिसे ब्रिटिश से प्राप्त किया गया है और यह अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की सामग्री है जिसे इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी में अनुरक्षित और संरक्षित रूप में रखा गया है। ये फोटो और फिल्में भारतीय सेनाओं को द्वितीय विश्वयुद्ध की विभिन्न रंगशालाओं, इसकी परेडों, समारोहों, व्यक्तियों और प्रशिक्षण गतिविधियों इत्यादि के दौरान कार्रवाई करते हुए प्रदर्शित करती है। अनेक अन्य ऐतिहासिक फिल्मों के साथ बैटल ऑफ चाइना, डेजर्ट विक्ट्री, जेपनीज सरेंडर, नाजीज़ स्ट्राइक्स, बर्मा कम्पेन, चर्चिल दि मैन, लंदन विक्ट्री परेड इत्यादि जैसी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों को भी संरक्षित करता है ।

9.38 इस प्रभाग की मोबाइल सिनेमा यूनिट (एमसीयू) सांस्कृतिक, परिवार कल्याण और सैन्य टुकड़ियों से जुड़े अन्य सामाजिक संगत विषयों पर वृत्त चित्र फिल्मों/नई मैगजीनों की भी अधिप्राप्ति करती है/वितरित करती है । इस वर्ष के दौरान एमसीयू ने विभिन्न रक्षा स्थापनाओं के लिए उधार आधार पर 331 विषयों पर फिल्में जारी की हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.39 राष्ट्रीय रक्षा कालेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध-नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केन्द्र है । इस कालेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं । नामित अधिकारियों को ग्यारह माह के प्रशिक्षण् कार्यक्रम के दौरान मुख्य केन्द्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें सभी घरेलू क्षेत्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं जिससे भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के कैप्सूल, लेक्चर/पैनल विचार-विमर्श, युद्ध-नीतिक अभ्यास गेम, युद्ध क्षेत्र भ्रमण, अनुसंधान कार्यकलाप/थीसिस लिखना एवं सेमिनार सम्मिलित है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पाठ्यक्रम के लिए छह अध्ययन कैप्सूल आयोजित किए जाते हैं ।

9.40 एनडीसी के 55 वें पाठ्यक्रम में कुल 100 अधिकारी समाविष्ट थे जिनमें सेना (40), नौसेना (6), वायुसेना (12), सिविल सेवा (17), मित्र देशों से (25) समाविष्ट थे । पाठ्यक्रम 27 नवंबर, 2015 को समाप्त हुआ ।

विदेशी भाषा विद्यालय

9.41 विदेशी भाषा विद्यालय हमारे देश का एक ऐसा अनुपम संस्थान है जैसा और कहीं नहीं है जहां पर एक ही छत के नीचे बहुत-सी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हों। यह भारत में वर्ष 1948 से विदेशी भाषा पढ़ाने का एक अग्रणी संस्थान है । इस समय यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं के कार्मिकों को 18 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने में संलग्न है । यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, जैसे कि विदेश मत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठन अर्थात् बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि की आवश्यकता की पूर्ति करता है । इसके अलावा सिविलियन विद्यार्थियों को भी प्रवीणता प्रमाण-पत्र उन्नत डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रमों में निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है ।

9.42 एसएफएल में अरबी, बहासा इंडोनेशिया, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, रूसी, स्पेनी, तिब्बती और सिंहाला विदेशी भाषाएं नियमित आधार पर तथा जापानी

और थाई आदि अल्पकालिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती है ।

9.43 एसएफएल द्वारा प्रवीणता पाठ्यक्रम, उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दुभाषिया पाठ्यक्रम और अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कैप्सूल पायक्रम चलाए जाते हैं ।

9.44 दुभाषिया पाठ्यक्रम एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है । इसके लिए सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों द्वारा विद्यार्थी प्रायोजित किए जाते हैं । यह पाठ्यक्रम अपने विद्यार्थियों को दुभाषिए और अनुवाद के उच्च दक्षता कार्य में निपुणता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त उनको अत्यंत धाराप्रवाह के साथ लक्षित भाषा को लिखने और बोलने में प्रशिक्षित किया जाता है । यह एक अत्यंत विशिष्ट पाठ्यक्रम है जिसके समान भारत में अन्यत्र कोई पाठ्यक्रम नहीं है । विदेशी भाषा विद्यालय में सिंहली भाषा, इंडोनेशिया, बर्मी, पश्तो, पाक उर्दू, थाई और तिब्बती जैसे सामरिक महत्व की भाषाएं राजनीतिक सैन्य दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती हैं ।

9.45 अल्पकालिक पाठ्यक्रम विशेषकर नामोदिष्ट सैल्य अताशे और संयुक्त राष्ट्र संघ मिशनों पर भेजे जा रहे अफसरों के लिए अथवा प्रयोक्ता संगठन की विशिष्ट जरूरत के अनुसार, आवश्याकतानुसार आयोजित किए जाते हैं ।

9.46 एसएफएल, अन्य रक्षा संस्थानों, नामतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण केन्द्र एवं कालेज, पंचमढ़ी का नियंत्रक संगठन है जहां विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं । यह परीक्षाओं का आयोजन करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा भी जारी करता है । भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए इस संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत डिप्लोमा परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । विदेशी भाषा स्कूल पूरे देश में विभिन्न सेना यूनिटों में क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् नेपाली में परीक्षा आयोजित करता है । तीनों सेनाओं विशेष रूप से सीखी गई भाषा को आत्मसात करने और उसे बनाए रखने का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में भाषा विशेष प्रवीणता परीक्षाएं आयोजित करता है ।

9.47 वर्ष 2015-16 के दौरान एसएफएल ने विभिन्न देशों के लिए नामोदिष्ट डीए/एमए को संबंधित विदेशी भाषाओं अर्थात् अरबी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और रूसी में प्रशिक्षण दिया ।

इतिहास प्रभाग

9.48 पहले ऐतिहासिक अनुभाग के रूप में जाने जाने वाले इतिहास प्रभाग की स्थापना 26 अक्तूबर, 1953 को स्तंत्रता के समय से आज तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सैन्य ऑपरेशनों के इतिहास को संकलित करने हेतु की गई थी । आज तक इसने जम्मू तथा कश्मीर में ऑपरेशनों का इतिहास 1947-48, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय (गोवा), भारत के सैन्य परिधान, वीरता की कहानियां, 1965 का भारत पाक युद्ध एक इतिहास, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, एक इतिहास और पराक्रम, पीवीसी एवं एसी विजेताओं का आख्यान, आदि सहित 18 खंड संकलित व प्रकाशित किए हैं । इस प्रभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारिक इतिहास को बारह खंडों में पुनर्मुद्रित भी किया है । संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना मिशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों को भी संकलित किया गया है और इनमें कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ ऑपरेशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास, सीएफआई अथवा कोरिया में भारतीय सैनिक 1953-54, ऑपरेशन शांति (भारतीय सैनिक मिश्र में) और वृहत जिम्मेदारी (इंडो-चाइना में शांति के लिए लड़ाई) शामिल है। कुछ प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गए हैं । वीरता की कहानियां, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता नामक शीर्षक

के साथ एक पुस्तक मुद्रणालय में है । इस समय, यह प्रभाग वीरता की कहानियां भाग-III तथा भारत के युद्ध स्मारक शीर्षक वाली दो पुस्तकों पर काम कर रहा है ।

9.49 वर्तमान में यह प्रभाग दो शीर्षकों अर्थात् वीरता की कहानियां खंड-III और भारतीय सेना के युद्ध समारोहों पर कार्य कर रहा हैं।

9.50 इतिहास प्रभाग, रक्षा मत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनुसंधान, अभिलेख और संदर्भ कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है । इसे रक्षा मत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों और विभिन्न यूनिटों से सैन्य मामलों से संबंधित विविध अभिलेख और संक्रियात्मक अभिलेख नियमित आधार पर संरक्षण तथा इस्तेमाल के लिए प्राप्त होते हैं । यह प्रभाग इस समय अभिलेखों का डिजीटाइजेशन करने में लगा हुआ है । यह प्रभाग फेलोशिप स्कीम भी संचालित करता है जिसके तहत सेना इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तीन वर्षो में दो अनुसंधान अध्येताओं को प्रदान की जाती है । इस स्कीम के तहत अब तक सत्रह अनुसंधान अध्येताओं को लाभान्वित किया गया है ।

9.51 इस प्रभाग का हेराल्डिक प्रकोष्ठ तीनों सेना मुख्यालयों और तटरक्षक तथा रक्षा मंत्रालय को समारोह संबंधी सभी मामलों जैसे नई स्थापनाओं के नामकरण और अधिग्रहण, बैजों और कलगियों का डिजाइन बनाने और स्मृति चिन्हों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। भारतीय सेना और तटरक्षक की नई मांग के लिए नाम भी सुझाए गए थे ।

9.52 विभागीय पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और सैन्य महत्व के विदेशी प्रकाशनों सहित पांच हजार से अधिक पुस्तकें हैं। पिछले एक वर्ष में पुस्तकालय में 600 और पुस्तकें आई हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी के लिए पुस्तक सूची को डिजीटाइज करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

रक्षा प्रबंधन कालेज (सीडीएम)

9.53 रक्षा प्रबंधन कालेज तीनों सेनाओं का एक प्रबंधन कालेज है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों, रक्षा मत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निर्देशात्मक और कार्यात्मक रक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है । इसके साथ-साथ कालेज बहुतायत में सिविलियनों और विदेशी शिष्टमंडलों को रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता है । भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' शिक्षा और 'सैन्य मामलों में क्रांति' की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, रक्षा प्रबंधन कालेज ने वर्तमान प्रशिक्षण अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया है और प्रतिवर्ष लगभग 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है । रक्षा प्रबंधन कालेज ने भारतीय सशस्त्र सेना के सभी स्तरों में पाठ्यक्रम/प्रबंधन शिक्षा के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपीएस) के तदनुकूल कैप्सूल भी विकसित किए हैं। ये प्रबंधन विकास कार्यक्रम बड़ी संख्या में मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाता है । वास्तव में रक्षा प्रबंधन पर एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम सार्क देशों के अफसरों के लिए पूर्णतः समर्पित है । जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक रक्षा प्रबंधन कालेज द्वारा एक उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, नौ प्रबंधन विकास कार्यक्रम और कई विदेशी कैप्सूल पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है । एचडीएलसी के प्रतिभागियों को सेना मुख्यालय द्वारा एक प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम भी प्रायोजित किया जाता है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वालों को उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधी निष्णात (एमएमएस) की डिग्री प्रदान की जाती है ।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

9.54 रक्षा सेवा स्टाफ कालेज एक सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं और केन्द्रीय सिविल

सेवाओं के चयनित अफसरों के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम संचालित करता है । इसके अतिरिक्त, मित्र राष्ट्रों के रक्षा अधिकारियों को भी कालेज द्वारा संचालित स्टाफ कोर्स में शामिल किया जाता है । रक्षा सेवा स्टाफ कालेज से पास होने वाले अफसरों को चेन्नई विवविद्यालय रक्षा और सामरिक अध्ययन में विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है। तीनों सेनाओं के अफसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम की क्षमता को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर 500 करने हेतु सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण अवसंरचनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं ।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.55 रक्षा मत्रालय पुस्तकालय दिल्ली स्थित रक्षा मत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों और अन्य सम्बद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य उपलब्ध करवाता है । सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, इसे रक्षा तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है । वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय ने 1330 पुस्तकें खरीदीं और 150 पत्रिकाएं/आवधिक पत्रिकाएं तथा 32 समाचार पत्र मंगवाए ।

NATIONAL DEFENCE COLLEGE

10

भर्ती एवं प्रशिक्षण

अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्ने में महिला कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली–जुली संस्कृति का प्रतीक हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

10.2 **सशस्त्र सेनाओं में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्तीः** सशस्त्र सेनाओं में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता हैः–

(क) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और नौसेना अकादमी (एन ए):** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, पात्र उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने एवं एन डी ए की मेरिट सूची में आने वाले सफल उम्मीदवार आवेदन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है।

(ख) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई):** संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होना होता है। मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को स्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी एवं नौसेना अकादमी में 18 महीने का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण एवं अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एस एस सी ओ) बनने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) में 11 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। एस एस सी ओ 10 वर्ष की अवधि तक सेवा कर सकता है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कमीशन के लिए अथवा पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प ले सकते हैं, जिस पर एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा अलग–अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

सेना

10.3 संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए गए तरीकों से भी सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती हैः–

(क) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस):** जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और

गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70% अंकों के साथ सी बी एस ई/आई सी एस ई/राज्य बोर्ड की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे 10+2 (टी ई एस) के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर वे अफसर प्रशिक्षण अकादमी, गया में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

(ख) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है। इन अभ्यर्थियों को एस एस बी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून में एक वर्षीय कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

(ग) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी):** सेना शिक्षा कोर के लिए इंजीनियरिंग की अधिसूचित शाखा के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंक योग वाले पोस्ट ग्रेजुएट एवं कृषि/सैन्य फार्म के लिए डेयरी में एमएससी धारक उम्मीदवार इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। इस प्रवेश के माध्यम से इंजीनियरिंग स्नातक कमीशन मिलने पर एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते है।

(घ) **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश:** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओ टी ए, चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से कैडेट कमीशन मिलने पर एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं।

(च) **एन सी सी (विशेष प्रवेश योजना):** न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एन सी सी 'सी' प्रमाण–पत्र और स्नातक परीक्षा में 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम कुल 50% अंक प्राप्त किए हों। ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में चयन होने की स्थिति में 50% समग्र अंक प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओ टी ए में प्रवेश लेने के समय उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अथवा तृतीय वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ओ टी ए में प्रशिक्षण आरंभ होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। इन कैडेटों को एस एस बी द्वारा आयोजित

साक्षात्कार के पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है। योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर एन सी सी ग्रुप मुख्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। संबंधित ग्रुप मुख्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एन सी सी महानिदेशालय पात्र कैडेटों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय भर्ती निदेशालय (सेना) को भेजता है।

(छ) **जज एडवोकेट जनरल प्रवेशः** एल एल बी में न्यूनतम 55% कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को सीधे सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात् उनकी चिकित्सा जांच की जाती है। यह एक अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार बाद में स्थायी कमीशन के लिए विकल्प दे सकते हैं।

(ज) **अल्पकालिक सेवा कमीशन महिलाः** सेना में पात्र महिला उम्मीदवारों की भर्ती अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में की जाती है। वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल, सेना शिक्षा कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा, सेना आपूर्ति कोर, सेना आयुध कोर, और सेना वायु रक्षा में कमीशन प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात गैर–तकनीकी स्नातक, तकनीकी और स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ में दस वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में, भारत सरकार ने महिला अफसरों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेना शिक्षा कोर तथा जज एडवोकेट जनरल शाखा में स्थायी कमीशन का विकल्प प्रदान किया है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी) प्रवेश के लिए अधिसूचित स्ट्रीमों में बी ई/बी टेक के उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। इसके पश्चात सीधे एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच होती है। हालांकि, गैर–तकनीकी स्नातक के लिए आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है और लिखित परीक्षा के बाद एस एस बी साक्षात्कार के लिए आना होता है जैसा कि अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त पुरूष अफसरों के मामले में किया जा रहा है। गैर–तकनीकी शाखा की कुल 20% आबंटित सीटें एन सी सी 'सी' प्रमाणपत्र धारित उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड के साथ कुल 50% अंक प्राप्त किया हो। आवेदन एन सी सी निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के माध्यम से भेजे जाएंगे जैसा कि पुरूष अफसरों के मामलों में किया जाता है। जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें सीधे एस एस बी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। सैन्य कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% (तकनीकी और गैर–तकनीकी, प्रत्येक शाखा में 2.5%) सीटें आरक्षित की गई हैं। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी), को एन सी सी प्रवेश तथा जज एडवोकेट जनरल शाखा में प्रविष्टि के लिए लिखित परीक्षाओं से छूट प्राप्त है और इनके लिए उन्हें सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा। अधिसूचना एस एस सी डब्ल्यू (तकनीकी) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।

(झ) **सैन्य प्रवेशः** जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर एवं अन्य रैंकों (जे सी ओ एवं ओ आर) की अफसर संवर्ग में भर्ती सेना चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से की जाती हैः–

(i) **सेना कैडेट कॉलेज (ए सी सी) प्रवेशः** 10+2 परीक्षा पास किए हुए 20–27 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र अन्य रैंक (ओ आर) नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों की एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होती है। सफल उम्मीदवारों को सेना कैडेट कॉलेज विंग, देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) **विशेष कमीशन अफसर योजना (एस सी ओ) योजनाः** इस प्रवेश योजना के तहत सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त (कक्षा 10+2 पैटर्न) 28–35 वर्ष आयु वर्ग के जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद स्थायी कमीशन के लिए पात्र हैं। उन्हें ओ टी ए, गया में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। मूल पदोन्नति एवं कार्यकारी पदोन्नति के नियम नियमित अफसरों की भांति ही हैं। इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/क्वार्टर मास्टर और विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंटल रोजगार नियुक्तियों में मेजर रैंक तक के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये अफसर लगभग 20–25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। इस योजना से न केवल जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक की कैरियर संभावनाओं में सुधार होता है बल्कि सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है।

(iii) **स्थायी कमीशन (विशेष सूची) (पी सी एस एल):** इस प्रवेश के अंतर्गत 42 वर्ष तक की आयु एवं न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने एवं सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र (10+2 पैटर्न) पास जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक के कार्मिक एस एस बी एवं चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के पात्र होते हैं। आई एम ए में चार सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें स्थायी कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.4 **भर्तीः** वर्ष 2015 के दौरान अफसर के रूप में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती का ब्योरा नीचे सारणी सं. 10.1 में दिया गया है।

10.5 **चयन केंद्र, उत्तर की स्थापनाः** सरकार की मंजूरी से रोपड़ (पंजाब) में चयन केंद्र, उत्तर के अधीन दो सैन्य चयन बोर्ड (एस एस बी) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

10.6 **जूनियर कमीशन अफसर एवं अन्य रैंक (जे सी ओ/ओ आर) की भर्तीः** भारतीय सेना देश में सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक है जो सेना में प्रतिवर्ष करीब 60,000 युवाओं की भर्ती करती है। पहले, भर्ती 'ओपन रैली सिस्टम' के माध्यम से की जाती थी जिसमें उम्मीदवार रैली में आवेदन किए बिना भर्ती के लिए आते थे। अब 'परिशोधित भर्ती प्रणाली' प्रस्तुत की गई

सारणी 10.1

क्र. सं.	अकादमी	एंट्री	प्रवेश
1.	एन डी ए	सेना	376
		नौसेना	53
		वायुसेना	163
		कुल	**592**
2.	आई एम ए	आई एम ए (डी ई)	207
		ए सी सी	95
		एस सी ओ	108
		पी सी (एस एल)	35
		ए ई सी	24
		कुल	**469**
3.	ओ टी ए	एस सी (एन टी)	148
		एस एस सी डब्ल्यू (एन टी)	26
		एस एस सी डब्ल्यू (टी)	32
		एन सी सी	61
		एन सी सी (डब्ल्यू)	08
		जी ए जी	20
		जी ए जी (डब्ल्यू)	08
		कुल	**303**
4.	तकनीकी प्रविष्टियां	यू ई एस	75
		एस एस सी (टी)	188
		10+2 टी ई एस	196
		टी जी सी	138
		कुल	**597**
		कुल योग	**1961**

है जिसमें उम्मीदवार को भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है ताकि एक नियंत्रित भर्ती प्रक्रिया द्वारा भर्ती के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की भीड़ को कम किया जा सके।

10.7 सेना में, ग्यारह जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय तथा 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं और इसके अलावा 48 रेजीमेंटल केन्द्र भी हैं जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से भर्ती करते हैं। सेना में जे सी ओ/ओ आर की भर्ती ऑनलाइन ऐप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक ट्रेडसमैन, सैनिक तकनीकी, सैनिक क्लर्क/स्टोर कीपर ट्रेड तथा सैनिक नर्सिंग सहायक श्रेणियों के लिए की जाती है। हालांकि, धार्मिक अध्यापक जे सी ओ (आर टी जे सी ओ), हवलदार शिक्षा, हवलदार ऑटो कारटोग्रॉफर तथा जेसीओ केटरिंग श्रेणियों के लिए आज भी आवेदन प्रणाली का ही प्रयोग किया जा रहा है। जेसीओ तथा ओ आर की मौजूदा भर्ती में पहले रैली स्थल पर 1.6 कि मी की दौड़ में उम्मीदवारों की छंटाई की जाती है उसके बाद दस्तावेजों की जांच, शारीरिक योग्यता की परख, शारीरिक माप एवं चिकित्सा जांच की जाती है। इसके बाद हर प्रकार से पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाती है। अंतिम तौर पर चुने गए सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा जाता है। एक भर्ती वर्ष में देश के प्रत्येक जिले को वर्ष में एक बार अवश्य कवर करने के प्रयास किए जाते हैं।

10.8 **भर्ती रैलियांः** भर्ती वर्ष 2015–16 में, 125 नियोजित रैलियों में नवंबर, 2015 तक 85 रैलियां आयोजित की गई थीं। कुल 67954 उम्मीदवारों को भर्ती किया गया।

10.9 **कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (सी बी ई टी):**

(i) आरंभ में नर्सिंग सहायक (एन ए) ट्रेड कॉमन प्रवेश परीक्षा (सी ई ई) के लिए पेपर– पेंसिल आधारित परीक्षा की जगह विकसित सी बी ई टी सॉफ्टवेयर का सभी भर्ती मुख्यालय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। सी बी ई टी के फायदे इस प्रकार हैंः–

(क) संपूर्ण पारदर्शिता

(ख) प्रयोक्ता अनुकूलता

(ग) अफसरों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बोर्ड की जरूरत नहीं होती जिससे मूल्यवान जनशक्ति की बचत होती है।

(घ) छद्मवेशधारण को रोकती है।

(च) तुरंत परिणाम देती है।

(छ) सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम का अनुपालन करने वाली

(ii) **कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (सी बी ई टी):** वर्तमान में सैनिक नर्सिंग सहायक श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए 12 सी बी ई टी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। ऐसी उम्मीद है 28 अतिरिक्त सी बी ई टी प्रयोगशालाएं इस वर्ष काम करना शुरु कर देंगी।

10.10 **स्वचालनः** भारतीय सेना में भर्ती हेतु कस्टमाइजड सॉफ्टवेयर शुरु किए गए हैं। कंप्यूटरों में उम्मीदवारों का डाटा डाला जाता है तथा तत्पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया स्वचालित होती है। परीक्षा हेतु इनक्रिप्टेड बार कोडस का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन, मुख्य सूची तैयार करने तथा रेजिमेंटल केंद्रों के आबंटन में कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होता। उम्मीदवारों का सत्यापन विभिन्न स्तरों पर जैसे रैली, चिकित्सा, रेजिमेंटल केंद्रों को लिखित परीक्षा प्रेषण बायो–मिट्रिक अंगुली यंत्र द्वारा किया जाता है। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा प्रतिरूपण मुक्त बना दी गई है।

नौसेना

10.11 नौसेना में भर्ती सभी नए एवं मौजूदा पोतों, पनडुब्बियों, विमानों एवं तटीय स्थापनाओं को अनुकूलतम स्तर तक कारगर ढंग से संभालने के लिए कार्मिकों की तैनाती से संबंधित जरूरत के आधार पर की जाती है। इसके लिए नौसेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या पात्र आवेदकों (पुरुष और महिला) जो लिखित परीक्षा, सैन्य चयन बोर्ड (एस एस बी) साक्षात्कार, डॉक्टरी जांच में उत्तीर्ण और योग्यता–सूची में उनकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर होती है। लिंग/धर्म/जाति/पंथ के आधार पर न तो भर्ती में अथवा न ही सेवा में पदावधि के दौरान अन्य किसी समय भी कोई भेदभाव किया जाता है।

अफसरों की भर्ती

10.12 **भर्ती का तरीकाः** भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी, द्रुत और उम्मीदवार अनुकूल प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना में भर्ती दो तरीकों से की जाती है, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती :

(क) **संघ लोक सेवा अयोग भर्तीः** संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आई एन ए) में स्थायी कमीशन (पी सी) के रुप में भर्ती के लिए वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करता है। 10+2 (पी सी एम) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। लिखित परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की छंटाई करता है। इसके उपरांत उम्मीदवारों को बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और विशाखापत्तनम में स्थित सैन्य चयन बोर्डों के पास भेजा जाता है। सफल उम्मीदवारों के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग को अंतिम मेरिट–सूची तैयार करने हेतु भेजे जाते हैं। मेडिकल रूप से स्वस्थ योग्य उम्मीदवारों को मेरिट–सूची के आधार पर एन डी ए/आई एन ए में नियुक्ति के लिए सूचित किया जाता है। एन डी ए/आई एन ए में प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना कैडेटों को नौसेना समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में प्रशिक्षण पोतों पर भेजा जाता है। स्नातक विशेष भर्ती योजना के लिए संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) का आयोजन करता है। बी टेक डिग्री स्नातक भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। सफल उम्मीदवारों को नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एन ओ सी) के लिए केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शामिल किया जाता है।

(ख) **संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्तीः** सं. लो. से. आ. के अलावा प्रवेश के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां स्थायी कमीशन (पी सी) और अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) दोनों के लिए होती हैं। इस प्रकार की भर्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में अर्हक परीक्षा में प्रतिशत के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटाई की जाती हैं। तत्पश्चात छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाती है।

(ग) **10+2 (कैडेट प्रवेश योजना):** यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यपालक, इंजीनियरी और वैद्युत शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत 10+2 (पी सी एम) सफल उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बी टेक पाठयक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें भारतीय नौसेना में कार्यपालक, वैद्युत और इंजीनियरी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

(घ) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** यू ई एस अल्पकालिक सेवा कमीशन के रूप में पुनःआरंभ की गई है। सातवें और आठवें सेमेस्टर के इंजीनियरी छात्र नौसेना की एग्जीक्यूटिव एवं तकनीकी शाखाओं में प्रवेश पाने के पात्र हैं। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मुख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए पूरे देश में ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों का दौरा करते हैं। अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर छांटे गए उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच की जाती है। अंतिम चयन, सैन्य चयन बोर्ड साक्षात्कार में अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्राप्त अंकों तथा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होता है।

10.13 **महिला अधिकारीः** नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा (पर्यवेक्षक, ए टी सी, विधि एवं संभारिकी), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा के नौसेना वास्तुकला संवर्ग में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) अधिकारी के रूप में महिलाओं का प्रवेश हो रहा है।

10.14 **एस एस सी अधिकारियों को स्थायी कमीशनः** सरकार ने 2008 से एग्जीक्यूटिव शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुकला) के अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों, पुरूषों तथा महिलाओं दोनों को स्थायी कमीशन प्रदान करना प्रारंभ किया है।

10.15 **एन सी सी के माध्यम से भर्तीः** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित स्नातक डिग्री परीक्षा में 50% अंक पाने वाले नौसेना विंग एन सी सी 'सी' प्रमाण–पत्र धारक विश्वविद्यालय स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल एस एस बी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है। वे सी डी एस ई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिविन्यास पाठयक्रम (एन ओ सी) के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

10.16 **विशेष नौसेना वास्तु–शिल्प प्रवेश योजनाः** सरकार ने हाल ही में 'विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना' (एस एन ई ए एस) के तहत भारतीय नौसेना के इंजीनियरी शाखा में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में नौसेना वास्तुकार अफसरों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। नौसेना का सशक्त दल आई आई टी खड़गपुर, आई आई टी चेन्नई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विश्वविद्यालय कोचिन (सी यू एस ए टी) और आंध्र विश्वविद्यालय, जिनमें बी टेक (नौसेना वास्तुशिल्प) पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, के कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने हेतु दौरा करता है। चुने हुए उम्मीदवारों की निकटतम मिलिटरी अस्पताल में मेडिकल जांच की जाती है और उपयुक्त पाए जाने पर प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाता है।

नौसैनिकों की भर्ती

10.17 **भर्ती का तरीकाः** नौसेना में भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार 'भर्ती योग्य पात्र पुरूष आबादी की राज्यवार मेरिट पर अखिल भारतीय आधार पर' की जाती है। राज्य विशेष से भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या उन पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट और डॉक्टरी जांच तथा मेरिट में उनकी अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप होती है। जाति/पंथ अथवा धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं होता है। पात्र वालंटियरों से आवेदन–पत्र मंगवाने हेतु सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार–पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। बहुत से स्कूलों/कॉलेजों और जिला सैनिक बोर्डों में भी प्रचार सामग्री भेजी जाती हैं। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

10.18 **भर्ती की किस्में:** नौसैनिकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं (प्रत्येक प्रविष्टि के सामने दर्शाई गई शैक्षिक योग्यताओं के साथ):–

(क) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए) – 10+2 (पी सी एम)

(ख) सीनियर सैकेंडरी रंगरूट (एस एस आर) – 10+2 (साइंस)

(ग) मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एम आर)–रसोइया, स्टीवार्ड एवं संगीतकार की भर्ती के लिए–मैट्रिकुलेशन

(घ) गैर–मैट्रिक रंगरूट (एन एम आर), टोपास नौसैनिकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए–कक्षा VI

(च) सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

10.19 **एन सी सी प्रमाणपत्र धारकः** एस एस आर में प्रवेश हेतु नौसेना ने एन सी सी (नेवल विंग) 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए 25 रिक्तयां प्रति बैच उददिष्ट की हैं।

भारतीय नौसेना अकादमी (आई ए ए), एझिमाला

10.20 एझिमाला, केरल में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आई एन ए) 2452 एकड़ की तटीय भूमि पर फैला हुआ है तथा इसमें आधारभूत संरचनाओं, शैक्षिक लक्ष्यों तथा बाह्य क्रियाकलापों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान शामिल हैं। अकादमी में आधुनिक आवासीय सुविधाएं हैं, उत्कृष्ट मेस तथा पांच अच्छे स्कवाड्रन हैं और इन सभी के पास व्यापक सुविधाएं है। 721.88 करोड़ की लागत से निर्मित अकादमी में लगभग 750 कैडेटस रह सकते हैं तथा प्रशिक्षित हो सकते हैं। दूसरे चरण में आई एन ए की क्षमता को 1200 कैडेटस तक बढ़ाया जा रहा है जिसके 2019–20 तक पूर्ण होने की संभावना है।

10.21 **भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम (आई एन ए सी):** प्रथम बी टेक पाठ्यक्रम आई एन ए में 22 जून 2009 को आरंभ हुआ था। 21वीं सदी की तकनीकी चुनौतियों को पूरा करने के लिए नौसेना के विकास में यह एक उल्लेखनीय कदम था। बी टेक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर जे एन यू द्वारा बी टेक (ए ई सी), बी टेक (ई सी ई) तथा बी टेक (एम ई) डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। प्रथम तीन सेमेस्टरों के सामान्य पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर, शेष समय के लिए कैडेटस को विभिन्न शाखाओं में पृथक कर दिया जाता है। पूर्व एन डी ए नौसेना कैडेटों

का तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और उन्हें आई एन ए कैडटों के साथ एकीकृत करने के लिए एन डी ए (3 वर्ष बी एस सी) से पास आउट होने के बाद एन डी ए कैडेटों को अनुपयुक्त इलैक्ट्रानिक एवं संचार पाठ्यक्रम में 2 वर्ष एम एस सी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होता है। एन डी ए पास करने के बाद नौसेना कैडेट एम एस सी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए आई एन ए जॉइन करते हैं। उसके बाद एम एस सी पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए चालू प्रशिक्षण के उत्तरवर्ती चरणों में शुरु किया जाता है। इस प्रकार उन्हें आई एन ए से पास आउट होने वाले कैडेटों के समकक्ष लाया जाता है।

10.22 आई एन ए सी ध्वज पोत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, आई एन ए नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एन ओ सी), अल्पकालिक नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एस एन ओ सी), भारतीय तटरक्षक के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है और इन सभी पाठ्यक्रमों में महिला अधिकारी शामिल होती हैं।

आई एन एस चिल्का में नौसैनिकों का प्रशिक्षण

10.23 आई एन एस चिल्का, भारतीय नौसेना का प्रमुख नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसे लगभग 1700 प्रशिक्षाणार्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। औसतन, चिल्का प्रतिवर्ष अन्य सेवाओं जैसे सी आई एस एफ तथा भारतीय तटरक्षक के 800 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है। आज यह स्थापना वार्षिक रूप से भर्ती होने वाले लगभाग 5200 प्रशिक्षुओं के लिए पूरे साजो समान और सूचना मुहैया कराती है जिसके लिए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एच ए डी आर) ऑपरेशन तथा असैनिक अशांति के दौरान ओडिशा राज्य के लिए भारी मात्रा में संभारिकी सहायता की जरूरत पड़ती है और इसके लिए राज्य सरकार स्थापना से मदद भी मांगती है। ओडिशा राज्य के अंदर स्थित एन सी सी यूनिटों को प्रशासनिक, प्रशिक्षण तथा संभारिकी सहायता देने और एन सी सी कैडेट को प्रशिक्षण देने का कार्य आई एन एस चिल्का द्वारा अपने जनशक्ति और साम्रगी संसाधन भी मुहैया कराए जाते हैं।

विदेशी कार्मिकों का प्रशिक्षण

10.24 भारतीय नौसेना चार दशकों से भी अधिक समय से विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। इस अवधि के दौरान इसने 40 मित्र विदेशी देशों से 12000 से भी अधिक विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है। नौसेना उच्च गुणवता प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण का सतत् मूल्यांकन करते हुए समय की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण पैटर्न विकसित करती है ताकि मित्र विदेशी देशों के साथ मजबूत और टिकाउ संबंध बनाए जा सकें।

10.25 **आई टी ई सी योजनाः** भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) योजना–I एवं II के अंतर्गत अनेक देशों से नौसेना कार्मिकों के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत हवाई टिकट, टयूशन, खाने और रहने की व्यवस्था पर होने वाले खर्च को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह उठाया जाता है (आई टी ई सी–II योजना को छोड़कर जिसमें हवाई टिकट की लागत का वहन मूल देश द्वारा किया जाता है)।

भारतीय वायुसेना

अफसरों की भर्ती

10.26 भारतीय वायुसेना में अफसरों के चयन की नीति पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित सेना होने के नाते भारतीय वायुसेना कार्मिकों की भर्ती के लिए अपने उच्च मानकों को बरकरार रखती है।

10.27 **अफसरों का प्रवेशः** संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) प्रविष्टियां अफसर संवर्ग के लिए प्रमुख फीडर हैं। अफसर संवर्ग में गैर–संघ लोक सेवा आयोग प्रविष्टियां हैं : अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) (पुरुष एवं महिला) उड़ान, एन सी सी भर्ती

(पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), ग्राउंड ड्यूटी अफसर कमीशन (जी डी ओ सी) (गैर–तकनीकी), (पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), एयरमैन भर्ती (एयर वॉरियर्स के लिए स्थाई कमीशन), अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) (पुरुष और महिला), और अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) (पुरुष एवं महिला)।

10.28 **सैन्य चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तीः** भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा (पायलट), वैमानिकी इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी इंजीनियरिंग (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान शाखाओं के लिए भर्ती सैन्य चयन बोर्डों/वायुसेना चयन बोर्डों के माध्यम से की जाती है।

10.29 **सेवा प्रविष्टि योजनाः** इस प्रवेश के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा (तकनीकी एवं गैर तकनीकी ट्रेड) पूरी कर चुके 36–42 वर्ष आयु वर्ग वाले सार्जेंट एवं उससे ऊपर के रैंक वाले सेवारत कार्मिक, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 है, यूनिट स्तर पर स्क्रीनिंग के पश्चात वायुसेना चयन बोर्ड परीक्षा एवं चिकित्सा जांच किए जाने पर कमीशन के पात्र हैं। तकनीकी ट्रेडों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा में भर्ती किया जाता है एवं गैर–तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती किया जाता है।

10.30 **महिला अफसरों की भर्तीः** पात्र महिलाओं को भारतीय वायुसेना की उड़ान, वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

10.31 **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) के माध्यम से भर्तीः** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग के एन सी सी 'सी' प्रमाणपत्र धारक एवं स्नातक स्तर पर 50% अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों को सैन्य चयन बोर्डों के माध्यम से चयन करके भारतीय नौसेना एवं वायुसेना में नियमित कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

10.32 **वायुसेना सामान्य परीक्षा 01/2016 के आवेदन जमा में वृद्धिः** भारतीय वायुसेना की करियर वेबसाइट सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 20 वेबसाइटों में शामिल है। जुलाई से दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान 47,53,492 लोगों द्वारा वेबसाइट देखी गई है। ए एफ सी ए टी चक्र 01/2016 के लिए 1,75,584 आवेदन जमा किए गए थे।

10.33 **आई वी आर एस का कार्यान्वयनः** आई ए एफ के प्रचार कक्ष में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इंटरएक्टिव वुआइस रिस्पान्स सिस्टम (आई वी आर एस) की स्थापना की गई ताकि अधिकारी संवर्ग, विज्ञापन की अनुसूची, अनुसूची तथा लिखित परीक्षाओं के परिणाम, कर्मचारी चयन बोर्ड के साक्षात्कार की अनुसूची, मेरिट सूची में स्थान आदि विभिन्न शाखाओं से संबंधित पात्रता मापदंड की जानकारी प्राप्त करने वालों को मुहैया कराई जा सके। आई वी आर प्रणाली एक टॉल फ्री संख्या पर कार्य करते हुए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा दूरभाष पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है।

वायुसैनिकों की भर्ती

10.34 वर्तमान में, 14 वायुसैनिक चयन केंद्र भौगोलिक स्तर पर फैले हुए हैं तथा वे उम्मीदवार, जो वायुसैनिक के रूप में भा. वा. से. में शामिल होना चाहते हैं, को उचित पहुंच उपलब्ध कराते हैं। भारतीय वायुसेना के वायुसैनिक संवर्ग में अनुसूचित चयन परीक्षाओं के माध्यम से अखिल भारतीय मेरिट आधार पर भर्ती की जाती है जो सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित होती है। जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र या समुदाय के बिना किसी भेदभाव के देश के सभी पात्र नागरिक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अनुसूचित परीक्षा के अतिरिक्त दूरदराज स्थित क्षेत्रों/कम आवेदन वाले क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों/विद्रोहग्रस्त एवं पहाड़ी तथा देश के द्विपीय क्षेत्रों के युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वायुसैनिक के रुप में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं।

10.35 सफल उम्मीदवारों की अखिल भारतीय चयन सूची (ए आई एस एल) वर्ष में दो बार अर्थात् प्रति वर्ष 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को प्रकाशित की जाती है।

10.36 प्रतिकूल व्यवहार वाले मामलों का निपटान करने के लिए हाल ही में अडैप्टेबिलिटी टेस्ट (ए टी) की शुरुआत की गई है।

10.37 airmenselection.gov.in नाम से एक वेबसाइट शुरु की गई है तथा इसे 29 जुलाई 2015 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। वायुसेना में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब सभी भर्ती परिक्षाओं के लिए ऑन–लाइन आवेदन कर सकते हैं तथा अप्रैल/मई 2016 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

10.38 **प्रवेश प्रशिक्षण (सिविलियन):** सिविलियन भारतीय वायुसेना के कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वे भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित सभी विषयों/लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक भारतीय वायुसेना में भर्ती होने वाले सिविलियनों के लिए कोई प्रवेश प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं था। अतः वायुसेना में भर्ती होने वाले सिविलियन क्लर्कों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिविलियनों को संगठन अर्थात् भारतीय वायुसेना से परिचित कराना है तथा सिविल प्रशासन की विभिन्न बारिकियों की जानकारी देना तथा उनके कौशल को बढ़ाना है ताकि वे अपेक्षित मानक के अनुसार अपने कार्य को निष्पादित कर सकें तथा उनमें व्यावसायिकता की भावना को जागृत किया जा सके।

10.39 **भारतीय वायुसेना के अधिकारियों (सिविलियनों) के लिए कैप्सूल पाठ्यक्रमः** सिविल प्रशासन में प्रभारी अधिकारियों के रूप में तैनात भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए सिविल प्रशासन पर एक कैप्सूल पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वायुसेना में सिविल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराना है। पहला पाठ्यक्रम फरवरी, 2012 में वायुसेना मुख्यालय, वायु भवन में आयोजित किया गया था। अब तक, ग्रुप कैप्टन रैंक तक के 275 से भी ज्यादा अधिकारी इस पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं। अधिकारियों द्वारा इस पाठ्यक्रम को बहुत सराहा गया है। एक वर्ष में तीन पाठ्यक्रमों को आयोजीत करवाया जा रहा है। कैप्सूल पाठ्यक्रम के ही क्रम में, 14–18 दिसंबर 2015 के दौरान वायुसेना मुख्यालय प्रशिक्षण कमान के तत्वावधान में वा से प्रशा महाविद्यालय, कोयम्बटूर में इसका बारहवां पाठ्यक्रम आयोजित किया जाना है।

10.40 **प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिए एम के–II पी सी–7 का उपयोगः** प्रारम्भिक स्तर पर पायलटों के प्रशिक्षण के लिए वायुसेना द्वारा '3 एयरक्राफ्ट–3 स्टेज' का प्रयोग किया जा रहा था। वर्तमान में, चरण–II (एफ) का प्रशिक्षण किरण एम के&II । एयरक्राफ्ट पर आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2019 तक इस एयरक्राफ्ट की कार्य–क्षमता समाप्त हो जाएगी और आई जे टी को प्रतिष्ठित करने में देरी हो सकती है, अपने प्रशिक्षण के ढांचे में परिवर्तन करते हुए उसे '2 एयरक्राफ्ट–3 स्टेज' प्रशिक्षण का रूप दे दिया है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ए एफ ए में पी सी–7 पर 10 प्रशिक्षणार्थी द्वितीय चरण (एफ) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

भारतीय तटरक्षक

10.41 **अफसरों की भर्तीः** तटरक्षक संगठन में अफसरों की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। तटरक्षक में सहायक कमांडेंटों की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार तथा प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिसंबर/जनवरी एवं जून/जुलाई के महीने में प्रकाशित किया जाता है। भर्ती के लिए आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तटरक्षक चयन बोर्ड अफसरों को निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किया जाता है:

(क) **सामान्य ड्यूटीः** 21–25 वर्ष की आयु वाले महिला/पुरुष उम्मीदवार जिनके पास किसी

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो तथा जिन्होंने 10+2+3 शिक्षा पद्धति अथवा उसके समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा 12वीं कक्षा तक गणित और भौतिकी एक विषय के रूप में पढ़ी हो, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन):** स्नातक के दौरान गणित एवं भौतिकी विषयों में बैचलर डिग्री रखने वाले 19–25 वर्ष की आयु के पुरुष/महिला अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अल्प सेवा प्रविष्टि):** बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण महिला/पुरुष जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) रखते हैं और जिनकी आयु 19–25 वर्ष के बीच है, वे सी पी एल अल्पकालिक सेवा प्रविष्टि के तहत अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) **महिलाओं के लिए सामान्य ड्यूटी (अल्पकालिक सेवा नियुक्ति योजना):** शिक्षा की 10+2+3 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा तक गणित और भौतिकी सहित स्नातक उपाधि वाली महिला उम्मीदवार, जो 21–25 के आयु वर्ग के बीच हों, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

(च) **तकनीकी शाखा:** 21–25 आयु वर्ग के इंजीनियरिंग डिग्रीधारी (नौसेना वास्तुशिल्प/यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोटिव/मैक्नोट्रेनिक्स/औद्योगिक व उत्पादन/धातु–विज्ञान/डिजाईन/वैमानिक/वायु आकाश/विद्युत/इलैक्ट्रोनिक/दूरसंचार /संगीत – शास्त्र / संगीत – शास्त्र और नियंत्रण/इलैक्ट्रोनिक संचार/विद्युत इंजिनियरिंग/विद्युत इलैक्ट्रोनिक्स) अथवा समकक्ष योग्यता वाले पुरूष तकनीकी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(छ) **विधि शाखा:** 21–30 आयु वर्ग के विधि डिग्रीधारी पुरूष/महिला विधि शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि तटरक्षक कार्मिकों अथवा उनके समकक्ष पद पर कार्यरत सेना अथवा नौसेना अथवा वायुसेना के कार्मिकों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए तीन वर्ष आयु छूट का प्रावधान है।

10.42 **अधीनस्थ अफसरों को अफसर के रूप में शामिल किया जाना:** अधीनस्थ अफसरों को अफसर के रूप में शामिल किया जाना – तटरक्षक के उपयुक्त कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों के रैंक के प्रधान अधिकारी अथवा उत्तम अधिकारी जिन्हें एक वर्ष का अनुभव हो तथा अधिकारी जिन्हें दो वर्षों का अनुभव हो, तटरक्षक महानिदेशालय द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन।

10.43 **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) की भर्ती:** पी बी ओ आर की तटरक्षक में भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। दिसम्बर/जनवरी एवं जून/जुलाई माह में तटरक्षक में पी बी ओ आर की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार और प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। पी बी ओ आर निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किए जाते हैं:–

(क) **यांत्रिक:** मैट्रिक पास करने के बाद यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी 18–22 वर्ष की आयु के पुरुष

उम्मीदवार यांत्रिक के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **नाविक (सामान्य ड्यूटी):** गणित एवं भौतिकी विषयों सहित इंटरमीडिएट/10+2 पास 18–22 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार नाविक (सामान्य ड्यूटी) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

(ग) **नाविक (घरेलू शाखा):** 18–22 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास पुरुष उम्मीदवार नाविक (घरेलू शाखा) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, सभी ग्रुप 'बी' तथा 'सी' पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है, इन पदों की उपयुक्तता के लिए केवल कौशल परीक्षा आयोजित की जा रही हैं।

सैनिक स्कूल

10.44 सैनिक स्कूल केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए गए हैं। ये सैनिक स्कूल सोसायटी रक्षा मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में चलते हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल 25 सैनिक स्कूल हैं। अनेक राज्यों से नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग बढ़ रही है। परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा कर्नाटक में दो–दो सैनिक स्कूल हैं।

10.45 सैनिक स्कूलों का उद्देश्य बेहतर पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ताकि उसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु तैयार किया जा सके और सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा सके। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किए जाने के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप इन स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाले कैडेटों की संख्या बढ़ रही है। 134वें एन डी ए/आई एन ए कोर्स में जिसकी शुरूआत जुलाई 2015 में हुई, सभी सैन्य स्कूलों के कुल 101 कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया।

10.46 सैनिक स्कूल लड़कों को छठी एवं नौवीं कक्षाओं में प्रवेश देते हैं । प्रवेश वर्ष की 01 जुलाई को कक्षा छठी के लिए उनकी उम्र 10–11 वर्ष एवं कक्षा नौवीं के लिए 13–14 वर्ष होनी चाहिए। दाखिला प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है ।

10.47 सैनिक स्कूल सोसाइटी ने उत्कृष्ट शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप बोर्ड और एन डी ए के परिणामों में काफी वृद्धि हुई है। प्रत्येक विद्यालय कैडेटों तथा स्टाफ के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आर एम एस)

10.48 देश में पांच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक में बेलगाम व बंगलौर, हिमाचल प्रदेश में चौल एवं राजस्थान में अजमेर और धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में 16 जुलाई, 1962 को स्थापित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इनमें से नवीनतम है। ये स्कूल सी बी एस ई से संबद्ध है। इन स्कूलों का उद्देश्य लड़कों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए तैयार करते हैं।

10.49 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लड़कों को प्रवेश देते हैं। उम्मीदवारों की चार विषयों अर्थात अंग्रेजी, गणित, बुद्धिमता एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। आर एम एस में 67 प्रतिशत

सीटें जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंक के बच्चों के लिए, 20% सीटें कमीशनप्राप्त अफसरों तथा शेष 13% सिविलियनों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए)

10.50 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) तीनों सेनाओं की एक प्रमुख संस्था है जो तीन सेनाओं के कैडेटों को अपने अपने कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण देती है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी तथा इस कमी को दूर करने के लिए तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एन डी ए में एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन अर्थात् 16वें स्क्वाड्रन की स्थापना को मंजूरी मिलने के साथ ही एन डी ए की प्रवेश क्षमता को हाल ही में 1800 कैडेट से बढ़ाकर 1920 कैडेट कर दिया गया है। भवन निर्माण में कुछ अतिरिक्त वर्ष लगने के कारण अंतरिम उपाय के रूप में 120 कैडेटों के आवास के लिए एन डी ए में प्री फैब्रिकेटेड आवास का निर्माण किया गया है। 16वें स्क्वाड्रन के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही एक और प्री फैब्रिकेटेड आवास के निर्माण कार्य का प्रस्ताव तथा वर्ष 2018 तक कैडेटों की प्रवेश क्षमता 2400 तक बढ़ाने के लिए 4 स्क्वाड्रन वाले एक अतिरिक्त बटालियन (5वें बटालियन) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी)

10.51 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी) की स्थापना 1922 में हुई थी जिसका उद्देश्य चयनित लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) एवं नौसेना अकादमी (एन ए वी ए सी) में प्रवेश के लिए तैयार करना है। वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) बिना आरक्षण अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रत्येक सत्र में 25 कैडेटों को प्रवेश दिया जाता है ।

10.52 आर आई एम सी के लिए लड़को का चयन राज्य सरकारों के माध्यम से आयोजित एक लिखित–सह–मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है । संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं । कॉलेज, लड़कों को कक्षा VIII में प्रवेश देता है।

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून

10.53 सन 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, (देहरादून) का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का संपूर्ण विकास करना है। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश निम्नलिखित तरीके से होता हैः–

(क) एन डी ए से स्नातक होने पर।

(ख) सेना कैडेट कॉलेज से, जो आई एम ए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर।

(ग) सीधी भर्ती स्नातक केडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं।

(घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के लिए

(च) इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यू ई एस) के अंतर्गत

(छ) 10+2 तकनीकी प्रविष्टि योजना (टी ई एस) के माध्यम से ।

10.54 आई एम ए मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), चेन्नई

10.55 वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) नाम दिया गया। वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया है।

10.56 21 सितम्बर 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओ टी ए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

10.57 ओ टी ए निम्नलिखित के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती हैः—

(क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (गैर तकनीकी)

(ख) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी)

(ग) स्नातक/स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), गया

10.58 3 दिसम्बर 2009 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने गया, बिहार में दूसरी अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिया है। 18 जुलाई 2011 से इस अकादमी में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। अभी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 400 जैंटलमैन कैडेट की है। आगे इसकी क्षमता बढ़ाकर इसकी नफरी 750 जेंटलमैन कैडेटों तक कर दी जाएगी ।

सेना युद्ध कॉलेज, महू

10.59 15 जनवरी 2003 को सेना युद्ध कॉलेज के नाम से पुनर्नामकरण किया गया। इससे पहले का समाघात कॉलेज इंफेन्ट्री स्कूल में से सृजित किया गया था और 01 अप्रैल 1971 को इसे स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था । एक अग्रणी संस्थान के रूप में अफसरों को सामरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ—साथ सेना युद्ध कॉलेज सामरिकी एवं संभारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

जूनियर लीडर्स विंग (जे एल डब्ल्यू), बेलगांव

10.60 बेलगांव में जूनियर लीडर्स विंग सब यूनिट लेवल टेक्टिकल और विशेष मिशन तकनीकों में जूनियर अफसरों, जे सी ओ एवं एन सी ओ को प्रशिक्षण देता है ताकि वे भीषण तनाव और दबाव में विभिन्न क्षेत्रों में सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों तथा युद्ध एवं शांतिकाल में अपनी उप—यूनिटों की कमान और प्रशासन प्रभावी रूप से संभाल सकें। यह सेना, अर्ध सैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और विदेशी मित्र देशों के अफसरों और एन सी ओ को कमांडो प्रकार की संक्रियाओं में प्रशिक्षण देती है ताकि उन्हें सभी प्रकार के क्षेत्रों और संक्रियात्मक परिवेश में या तो विशेष मिशन समूहों का हिस्सा बनाया जा सके अथवा स्वतंत्र मिशनों का नेतृत्व करने के योग्य बनाया जा सके।

जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), बरेली

10.61 प्रशिक्षण के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जे एल ए, रामगढ़ और जे एल ए, बरेली का समामेलन कर दिया गया है।

यह संस्था प्रति वर्ष 4212 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उच्च तुंगता युद्धपद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस), गुलमर्ग

10.62 इस विद्यालय का उद्देश्य उच्च तुंगता (एच ए) की पर्वतीय युद्धपद्धति से जुड़े सभी पहलुओं में चुने गए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध तकनीक विकसित करना है। एच ए डब्ल्यू एस अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए पाठ्यक्रमों की दो श्रृंखलाएं–पर्वतीय युद्धपद्धति (एम डब्ल्यू) तथा शीतकालीन युद्धपद्धति (डब्ल्यू डब्ल्यू), क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में चलाता है। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः जनवरी से अप्रैल तक (डब्ल्यू डब्ल्यू सीरीज) तथा मई से अक्टूबर तक (एम डब्ल्यू सीरीज) होती है। इस स्कूल से प्रशिक्षित कार्मिकों ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा तथा सं रा अमरीका की माउंट मैकिनले जैसी विश्व की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है।

प्रतिविद्रोहिता तथा जंगल युद्धपद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यू), वीरांगटे

10.63 सी आई जे डब्ल्यू अधिकारियों तथा जे सी ओ/एन सी ओ के लिए प्रतिविद्रोहिता तकनीकों तथा असमिया, बोडो, नागामीज, मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा विद्रोहपूर्ण क्षेत्रों में भेजने से पहले सभी यूनिटों के लिए तैनाती पूर्व प्रशिक्षण (पी आई टी) भी देता है।

प्रतिविद्रोहिता तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.64 सी आई जे डब्ल्यू स्कूल की सीमित क्षमता तथा विशिष्ट संक्रियात्मक परिस्थितियों व यूनिटों के संचलन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूनिटों को उनके संक्रिया क्षेत्रों के निकट ही प्रशिक्षण दिया जाए। सेना के संसाधनों में से ही उत्तरी कमान की ओर जाने वाली यूनिटों के लिए खेरू, सरोल एवं भालरा में तथा असम तथा मेघालय की ओर संचलन करने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में और कोर युद्ध स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रतिविद्रोहिता प्रशिक्षण के साथ–साथ ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा तथा उच्च तुंगता के संबंध में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

इन्फैन्ट्री स्कूल, महू

10.65 इन्फैन्ट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इन्फैन्ट्री स्कूल में यंग आफिसर्स पाठ्यक्रम, प्लैटून वेपन पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, एंटी टैंक एण्ड गाइडेड मिसाइल पाठ्यक्रम, मीडियम मशीन गन एवं आटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर्स पाठ्यक्रम, ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा सपोर्ट वेपन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । यह संस्थान केवल इंफेंट्री के अफसरों जे सी ओ तथा ओ आर को ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों एवं सिविल पुलिस संगठनों के साथ–साथ अन्य सेनांगों एवं सेनाओं के अफसरों, जे सी ओ एवं अन्य रैंकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज

10.66 यह कॉलेज अक्टूबर, 1925 में किरकी में स्थापित भारतीय सेना आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। बाद में फरवरी, 1939 में इस स्कूल को दोबारा आई ए ओ सी प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया गया और इसे जबलपुर में इसके मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 1950, में आई ए ओ सी स्कूल का नाम सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल कर दिया गया। ए ओ सी स्कूल का नाम फिर से बदलकर

सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) रख दिया गया और 1987 में इसे जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध कर दिया गया। 1990 में सी एम एम स्वायत्तशासी हो गया। यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'सरकारी कॉलेज' के रूप में भी पंजीकृत है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का अनुमोदन भी प्राप्त है।

10.67 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय नेशनल असेसमेन्ट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन ए ए सी) ने कॉलेज को पांच सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज, भारतीय सेना में आयुध सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों और सिविलियनों को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सभी सेनांगों तथा सेवाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को भी यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी नियंत्रण का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.68 तोपखाना स्कूल, देवलाली विज्ञान की विभिन्न उपशाखाओं और तोपखाना युद्धपद्धति प्रणाली सिखाने वाला एक शैक्षणिक केंद्र है जो हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्कर सिद्धांतों की समीक्षा, अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है।

10.69 स्कूल ने भारतीय सेना के कई अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के साथ–साथ मित्र देशों के कई अफसरों और कार्मिकों को भी वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सेना हवाई रक्षा कॉलेज, गोपालपुर

10.70 सेना हवाई रक्षा कॉलेज (ए ए डी सी) पहले अक्टूबर, 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली की एक विंग के रूप में कार्य करता था, जब इसे तोपखाने की मुख्य शाखा से हवाई रक्षा तोपखाना के अलग होने से पूर्व गोपालपुर लाया गया । यह कॉलेज वायुरक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनांगों और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.71 ए ए डी सी अनेक पाठ्यक्रम चलाता है। इनमें से कुछ हैं–लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर), युवा अफसर कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/नॉन कमीशंड अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स, यूनिट अनुदेशक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स।

सेना सेवा कोर (ए एस सी) केन्द्र एवं कॉलेज, बंगलुरु

10.72 बंगलुरु में सेना सेवा कोर केंद्र एवं कॉलेज की स्थापना के लिए 01 मई 1999 को सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलुरु में ए एस सी केंद्र के साथ मिला दिया गया। यह विविध विषयों जैसे संभारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, केटरिंग, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग आदि में अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और अन्य सेनांगों और सेवाओं, सेना सेवा कोर के रंगरूटों को मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

10.73 वर्ष 1992 से ए एस सी कॉलेज संभारिकी एवं संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबद्ध किया गया है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढ़ी

10.74 ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढ़ी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देनेवाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है । यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध एक स्वायत्तशासी कॉलेज भी है जिसे अपने कोर्सों और डिग्रियों की रूपरेखा तैयार करने, उनको संचालित करने, परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।

10.75 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर), अर्ध सैनिक बलों और मित्र देशों के कार्मिकों के लिए 10 सप्ताह का मैप रीडिंग अनुदेशक कोर्स चलाता है।

10.76 12–सप्ताह लंबा यूनिट शिक्षा अनुदेशक (यू ई आई) पाठ्यक्रम भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अन्य रैंकों को अपनी यूनिटों में सक्षम शिक्षा अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षित करता है।

10.77 विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू), जो ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक अग्रणी संस्थान है। इसकी दो डिजिटाइज़्ड भाषा प्रयोगशालाएं हैं जो 20–20 छात्रों को प्रशिक्षण देती हैं।

मिलिट्री संगीत विंग, पंचमढ़ी

10.78 मिलिट्री संगीत विंग (एम एम डब्ल्यू) की स्थापना ए ई सी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पचमढ़ी के एक भाग के रूप में अक्टूबर 1950 में तत्कालीन कमांडर–इन–चीफ (बाद में फील्ड मार्शल) जनरल के एम करियप्पा, ओ बी ई के संरक्षण में की गई थी। इसके पास 200 से भी अधिक सैन्य संगीत रचनाओं का समृद्ध खजाना है। इसने भर्ती हुए बैंडमैनों, पाइपरों या ड्रमरों को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न–भिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, भारत में मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने में विशिष्टता हासिल की है।

रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर केंद्र तथा स्कूल, मेरठ

10.79 मेरठ स्थित रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर (आर वी सी) केंद्र तथा स्कूल का उद्देश्य सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों और अफसरों से नीचे के रैंक के सभी कार्मिकों को पशु प्रबंधन तथा पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण देना है। संस्थान में अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स तथा पी बी ओ आर के लिए छह कोर्स चलाए जाते हैं। प्रशिक्षित किए गए कुल अभ्यर्थियों की संख्या 250 है।

सेना खेलकूद संस्थान (ए एस आई), पुणे

10.80 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर चुने हुए विषयों में सेना खेलकूद केंद्रों के साथ–साथ पुणे में एक सेना खेलकूद संस्थान की स्थापना की गई है। अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं एवं उपस्करों के साथ–साथ भोजन, रहन–सहन, विदेशी दौरों एवं विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है।

शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.81 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को

सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है। यह सेना में खेल–कूद का स्तर सुधारने और शारीरिक प्रशिक्षण में मनोरंजन को शामिल करके उसे पूर्ण बनाने की दृष्टि से खेल–कूद का बुनियादी प्रशिक्षण भी देता है। इन पाठ्यक्रमों में सेना और अर्धसैनिक बलों के और अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक तथा मित्र देशों के सैन्य कार्मिक भाग लेते हैं। ए एस पी टी ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से पी बी ओ आर के लिए बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवन रक्षा, जूडो और योग पाठ्यक्रमों में छह सम्बद्ध खेलकूद पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) नासिक रोड

10.82 समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) की स्थापना मई, 2003 में नासिक रोड में की गई थी। इसका उद्देश्य विमान चालकों को विमानन कौशल तथा विभिन्न युद्ध संक्रियाओं में विमानन यूनिटों के रख–रखाव में प्रशिक्षित करना, विमानन अनुदेशकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के विकास में प्रशिक्षित करना तथा जमीनी बलों के सहयोग से विमानन सामरिकी सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की मदद करना है। स्कूल में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं – प्री–बेसिक पायलट पाठ्यक्रम, बेसिक सेना विमानन पाठ्यक्रम, प्री–क्वालिफाइड उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलिकॉप्टर पाठ्यक्रम, हेलिकॉप्टर कंवर्शन ऑन–टाइप, उड़ान कमांडर्स पाठ्यक्रम तथा नव उपस्कर पाठ्यक्रम।

मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई), पुणे

10.83 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई) एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनांगों और सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस और सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कॉलेज बी–टेक और एम–टेक डिग्रइयां देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है।

मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी (एम सी ई एम ई), सिकंदराबाद

10.84 एम सी ई एम ई की भूमिका सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैंकों को इंजीनियरी, शस्त्रप्रणालियों तथा उपस्कर के विभिन्न विषयों में और खास तौर से उनके रख–रखाव, मरम्मत और जांच के संबंध में, तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिक प्रशिक्षण देना है। एम सी ई एम ई में सभी रैंकों के 1760 कार्मिकों (सभी रैंक) को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यहां अफसरों के लिए 13 कोर्स और पी बी ओ आर के लिए 61 कोर्स चलाए जाते हैं।

10.85 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सी बी टी) पैकेज और डिजिटल चार्ट भी विकसित किए गए हैं जिनमें 'एम सी ई एम ई' में पढ़ाए जाने वाले उपस्कर के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक भाग की कार्यप्रणाली, मरम्मत, रखरखाव, सर्विसिंग पहलुओं और सही प्रयोग की विस्तृत तकनीकी जानकारी मौजूद है ।

मिलिट्री पुलिस कोर केंद्र और स्कूल, बंगलुरु

10.86 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी ओ आर को कानून, जांच–पड़ताल, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी

मिलिट्री और पुलिस ड्यूटियों के बारे में प्रशिक्षित करना है । वर्तमान में अफसरों के लिए चार और पी बी ओ आर के लिए चौदह पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है ।

सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल, आगरा

10.87 सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस) पहले सेना हवाई यातायात सहायता स्कूल (ए ए टी एस एस) कहलाता था। सभी विमानवाहित प्रशिक्षण को एक ही एजेन्सी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सेना वायु परिवहन सहायता स्कूल का नाम बदलकर 15 जनवरी 1992 से सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया।

दूरसंचार इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज (एम सी टी ई), महू

10.88 एम सी टी ई, महू सिग्नल अधिकारियों को समाधात संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजीमेंटल सिग्नल संचार एवं बीजलेख के संबंध में प्रशिक्षित करता है। पांच प्रशिक्षण संकायों एवं विंगों के अलावा, कॉलेज के पास एक प्रशासनिक विभाग है जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं संभारिकी सहायता प्रदान करता है तथा एक अवधारणात्मक अध्ययन प्रकोष्ठ है जो संचार सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का काम कराता है। कॉलेज में एक आधुनिक और पुस्तकों से भरापूरा पुस्तकालय तथा एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रशिक्षणार्थियों को एक औपचारिक परिवेश में अध्ययन एवं प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है ताकि वे वर्तमान एवं भावी कार्यों के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं से परिपूर्ण हो सकें।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी), पुणे

10.89 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी) भारतीय सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सभी रैंकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख संस्था है । स्कूल मित्र देशों की सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है । राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस संस्था में प्रशिक्षण दिया जाता है । यह स्कूल एक बार में सभी सेनांगों के 90 अफसरों, 130 जूनियर कमीशन प्राप्त/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/गैर कमीशन अफसरों को प्रशिक्षण देता है ।

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल (ई एम ई), बड़ोदरा

10.90 ई एम ई स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रम तथा पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र स्तर के पाठयक्रम चलाता है । मित्र देशों के अनेक अफसर और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में संचालित विभिन्न पाठयक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, कामठी

10.91 सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी । 1989 में संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया । स्कूल की चार्टर ऑफ ड्यूटीज सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों को व्यापक विधिक शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल सैन्य और संबद्ध विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रचार का कार्य भी करता है।

कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल, अहमदनगर

10.92 वर्ष 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल कार्यरत था और इन सभी को मिलाकर कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड बना दिया गया। इसमें छह विंग हैं – कवचित युद्धपद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राईविंग एवं मेंटिनेंस रेजिमेंट, ऑटोमोटिव रेजिमेंट आयुध एवं इलैक्ट्रॉनिकी रेजिमेंट हैं जो इन विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

भारत में विदेशी मित्र देशों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

10.93 **त्रि-सेवा संस्थानः** प्रशिक्षण वर्ष 2015–16 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थानों में त्रि–सेवा पाठ्यक्रम (एन डी, सी डी एम एवं डी एस एस सी) के लिए रक्षा मंत्रालय/विदेश मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 42 विदेशी मित्र देशों के लिए कुल 98 रिक्त पद आवंटित किए गए हैं।

10.94 **सेनाः** भारतीय सेना (आई ए) के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की विश्व के अनेक देशों के अनुरोधों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत के विदेशी प्रशिक्षण सहयोग के परिप्रेक्ष्य और पहुंच में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। यह सेना की व्यावसायिकता और प्रशिक्षण मानकों को उद्धधत करता है। इस पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए विदेशी मित्र देशों से लगातार मांगे बढ़ रही हैं। पिछले प्रशिक्षण वर्ष (जुलाई 2014 से जून 2015) के दौरान भारतीय सेना के 42 प्रशिक्षण स्थापनाओं में 52 राष्ट्रों के 2361 प्रशिक्षणार्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण वर्ष (जुलाई 2015 से जून 2016) में 240 विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 2551 रिक्त पदों के लिए 56 विदेशी मित्र देशों को प्रस्ताव दिया गया था। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ाने व व्यवसायिक विकास के लिए तदनुकूल पाठ्यक्रमों/समूह प्रशिक्षण को आयोजित किया जा रहा है जिससे विदेशी मित्र देशों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं/आकांक्षाओं का पता लगाया जा सके। 18 प्रशिक्षण स्थापनाओं में कुल 27 पाठ्यक्रमों को 1138 विदेशी मित्र देशों के कार्मिकों के लिए आयोजित किया जा रहा है।

10.95 **नौसेनाः** भारतीय नौसेना चार दशकों से भी अधिक समय से विदेशी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण मुहैया कर रही है जिसके दौरान 41 देशों के 12000 से भी अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हमारी प्रतिष्ठा ने हमें लगातार मूल्यांकन करते हुए विकसित होने की दिशा दी है। विदेशी मित्र देशों के साथ निरंतर संबंध स्थापित करने तथा क्षमताओं को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रशिक्षण वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न विदेशी मित्र देशों को 857 रिक्त पद आबंटित किए गए। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने केन्या, म्यांमार व ओमान में भी मोबाइल प्रशिक्षण टीमें भेजी हैं।

10.96 **वायुसेनाः** प्रशिक्षण वर्ष 2015–16 (1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016) के दौरान रक्षा मंत्रालय / विदेश मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 26 विदेशी मित्र देशों को कुल 889 रिक्त पद आबंटित किए गए हैं। इन विदेशी मित्र देशों के प्रशिक्षणार्थियों को वायुसेना की 39 विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं में 149 विभिन्न पाठ्यक्रमों का अनुभव करना होगा। इनमें से, श्रीलंका व अफगानिस्तान को क्रमशः 367 व 193 रिक्त पद आबंटित किए गए हैं।

****

11

पूर्व सैनिकों का कल्याण एवं पुनर्वास

सशस्त्र बल झण्डा दिवस पर प्रधान मंत्री को टोकन फ्लैग लगाकर उनसे चन्दा लेते हुए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) सचिवालय के अधिकारी

पुनर्वास महानिदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व एवं सेवानिवृत्ति के बाद के प्रशिक्षण, पुनः रोजगार एवम् स्वरोजगार इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां/योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है।

11.1 पूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। विभाग के दो प्रभाग–पुनर्वास एवं पेंशन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं जिनके नाम केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) और केन्द्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थय योजना (सी ओ, ई सी एच एस) हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिकों एवं उनके अश्रितों के कल्याण एवं कल्याण निधियों के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होता है। उपरोक्त कार्यों के कार्यान्वयन में 32 राज्य सैनिक बोर्ड (आर एस बी) और 392 जिला सैनिक बोर्ड (जैड एस बी) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को सहायता प्रदान करते हैं। ये सैनिक बोर्ड संबंधित राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व एवं सेवानिवृत्ति के बाद के प्रशिक्षण, पुनः रोजगार एवम् स्वरोजगार इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां/योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इस काम में पांच कमानों में स्थित पांच पुनर्वास क्षेत्र निदेशालय (डी आर जेड) पुनर्वास महानिदेशालय की मदद करते हैं। केन्द्रीय संगठन, ई सी एच एस पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वास्थय एवं चिकित्सा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखती है।

कल्याण

11.2 **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालयः** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो युद्ध में वीरगति प्राप्त/अशक्त और सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी केन्द्र सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। पूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाएं राज्यों की राजधानियों में स्थित राज्य सैनिक बोर्ड (आर एस बी) और जिला स्तर पर स्थित जिला सैनिक बोर्ड (जैड एस बी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इन राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना का खर्च केन्द्र एवं राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। वित्त पोषण का पैटर्न विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में 75:25 और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह 60:40 है। आर एस बी/जैड एस बी की स्थापना/ रखरखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए केन्द्रीय भाग की प्रतिपूर्ति इस उद्येश्य के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को आवंटित रक्षा सेवा आकलन बजट से की जाती है। दिसम्बर 2015 तक केन्द्रीय भाग के रूप में 28.80 करोड़ रूपए संवितरित किए गए हैं।

11.3 **सैनिक विश्राम गृहों (एस आर एच) का निर्माणः** पूर्व सैनिकों को अपने पेंशन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एवं अन्य मामलों जैसे सी एस डी कैंटीन, अस्पताल इत्यादि कार्यों के लिए राज्यों की राजधानी/जिला मुख्यालयों के उनके छोटे दौरों के दौरान उपयुक्त एवं सस्ती दर पर आवास मुहैया करवाने हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण लागत का 50% हिस्से का भुगतान डी एस ई बजट से करता है। सैनिक विश्राम गृहों का रखरखाव

राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने संसाधनों/फंड से किया जाना अपेक्षित है।

जुलाई 2015 को दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सैन्य कल्याण विभाग के निदेशकों की राष्ट्रीय बैठक

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

11.4 सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद करने के प्रयोजन से पूरे देश में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है।, इस दिवस पर प्रतीक झंडे पिन द्वारा लगाए जाते हैं तथा युद्ध विधवाओं/अशक्तों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए लोगों से स्वैच्छिक अंशदान एकत्रित किया जाता है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि

11.5 डी एस ई बजट के अतिरिक्त सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (ए एफ एफ डी एफ) पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों, युद्ध विधवाओं के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए वित्त पोषण हेतु एक बड़ा स्रोत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि मूल कोष (ए एफ एफ डी एफ) से अर्जित ब्याज में से 7.5% ब्याज को मूल निधि में पुनः जोड़ दिया जाता है तथा शेष राशि का इस्तेमाल पूर्व सैनिकों/आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। दिसंबर 2015 तक 59.85 करोड़ रूपये एकत्रित किए गए हैं। 31 दिसंबर 2015 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की मूल निधि की राशि 268.00 करोड़ रूपये है। इस निधि का प्रबंध रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली प्रबंधन समिति एवं सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी के संरक्षण में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा किया जाता है।

रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि (आर एम डी एफ) योजनाएं

11.6 रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि (आर एम डी एफ) के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उनकी अति आवश्यक व्यक्तिगत जरूरतों जैसे कि निर्धनता अनुदान, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह अनुदान, चिकित्सा अनुदान इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है। दिसंबर 2015 तक रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि के अन्तर्गत 34.56 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पी एम एस एस)

11.7 पूर्व सैनिकों और पूर्व भारतीय तटरक्षकों के आश्रित बच्चों/विधवाओं को उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए 2006 में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को प्रत्येक वर्ष 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से कुल छात्रवृत्तियों की संख्या 4000 से बढाकर 5500 कर दी गई है। इन छात्रवृत्तियों को लड़कों एवं लड़कियों में समान रूप से बांटा जाएगा। इस योजना का वित्त पोषण राष्ट्रीय रक्षा निधि से किया जाता है। लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2000/– रूपये प्रतिमाह तथा लडकियों की लिए 2250/– रूपये प्रतिमाह है और यह वार्षिक तौर पर देय है। दिसंबर 2015 तक 19193 लाभार्थियों को 48.97 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति के तौर पर वितरित किए गए हैं।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

11.8 **गंभीर रोगों के लिए वित्तीय मददः** गैर–पेंशन भोगी जवानों और अफसरों एवं उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष क्रमशः कुल खर्च का 90% और 75% तक या अधिकतम 1.25 लाख रूपये (हृदय रोग, जोड़ प्रतिस्थापन

इत्यादि के लिए) तथा 0.75 लाख रूपये प्रतिवर्ष (कैंसर एवं डायलासिस के लिए) की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। यह योजना नेपाल में रह रहे भारतीय पूर्व सैनिकों के लिए भी लागू है जब तक कि नेपाल में ई सी एच एस कार्य करना शुरू नहीं कर देती। दिसंबर 2015 तक 4.29 लाख रूपये वितरित किए गए हैं।

11.9 **मॉडिफाइड स्कूटर की खरीद हेतु वित्तीय सहायताः** सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अशक्त हुए पूर्व सैनिकों को (50% या इससे अधिक अशक्तता) को मॉडिफाइड स्कूटर खरीदने के लिए सशस्त्र सेना झंड़ा दिवस बजट से 57,500/– रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11.10 **युद्ध स्मारक हॉस्टल (डब्ल्यु एम एच) को अनुदानः** युद्ध विधवाओं/ युद्ध अशक्त के बच्चों को प्रति बच्चा 1350/– रूपये प्रतिमाह डब्ल्यु एम एच अनुदान प्रदान किया जाता है। दिसंबर 2015 तक 30.19 लाख रूपये की राशि वितरित किया गया है।

11.11 **पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्रों को अनुदानः** पैराप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक पूर्व सैनिकों के स्वास्थय लाभ के लिए चलाई जा रही स्वायत संस्थाओं के तौर पर किरकी एवं मोहाली स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्रों (पी आर सी) को देखरेख/रखरखाव क लिए प्रतिव्यक्ति 30000/– रूपये वार्षिक के अतिरिक्त 20 लाख रूपये और 10 लाख रूपये का अनुदान (स्थपना प्रभारों पर प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी की जाती है) प्रदान किया जाता है।

11.12 **सेंट डंस्टन आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन को अनुदानः** देहरादून स्थित सेंट डंस्टन आर्गेनाइजेशन दृष्टिहीन सैनिकों, नौसैनिकों एवं वायुसैनिकों को उपचारांत देख भाल के साथ–साथ उनको दृष्टि खोने के दुख को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवाती है तथा इसके साथ ही दृष्टिहीन पूर्व सैनिकों को समाज में पुनः स्थापित होने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाती है। इस संगठन को प्रत्येक वित्त वर्ष 14.00 लाख रूपये का अनुदान आवंटित किया जाता है।

11.13 **मेडिकल और डेंटल कालेजों में आरक्षणः** पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के नामिति के रूप में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय को एम बी बी एस/बी डी एस की कुछ सीटें आवंटित की गई हैं। 2015–16 के दौरान 20 सीटें आवंटित की गई हैं।

मुख्य बातें

11.14 गत वर्ष आवंटित किए गए 50.01 करोड रूपए की तुलना में इस बार प्रमुख योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि के अन्तर्गत लाभार्थियों को लगभग 83.54 करोड़ रूपये की रिकार्ड राशि छात्रवृत्तियों/अनुदान के रूप में वितरित किए गए हैं।

11.15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सैनिक कल्याण विभागों के निदेशकों की राष्ट्रीय बैठक दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2015 को दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें पूर्व सैनिकों/आश्रितों को समय पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाने, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के पेंशन संबंधी मामले, डी एल डब्ल्यु/आधार नं. इत्यादि के लिए पूर्व सैनिकों को पंजीकरण, पूर्व सैनिकों के कौशल विकास एवं डाटाबेस संबंधी मामलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया।

11.16 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं/ गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट में पी एम एस एस के लिए वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिसमें पी एम एस एस के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने एवं प्रोसेस करने की सुविधा होगी। इस वेबसाइट की तैयारी अंतिम चरणों में है।

पुनर्वास

11.17 पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) का प्रमुख कार्य पूर्व सैनिकों का पुनार्वास, पुनः स्थापन और कल्याण करना है। प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सैन्य कार्मिक सेनाओं से सेवानिवृत्त या सेवामुक्त होते हैं। इन में से

अधिकांश 35 से 45 आयु सीमा के बीच सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाने के लिए द्वितीय रोजगार की जरूरत पड़ती है। ये कार्मिक अत्यंत अनुशासित, सुप्रशिक्षित, कर्त्तव्यनिष्ठ और प्रतिभावान हैं जिनका राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। पुनर्वास संबंधी लक्ष्य निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता हैः–

- उनको नए व्यवसाय/नौकरी हेतु तैयार करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देकर उनके कौशल में वृद्धि करना और द्वितीय रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।
- सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत प्रयास करना।
- कॉरपोरेट सेक्टर में पूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करना।
- स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाना।
- उद्यमी योजनाओं में सहायता करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.18 पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) को सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों को द्वितीय रोजगार हेतु तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पुनर्वास पाठ्यक्रमों का चयन समाज में पूर्व सैनिकों के नियोजन के आधार पर किया जाता है।

11.19 **अफसरों का प्रशिक्षणः** पूर्व सैनिक (अफसर) के प्रशिक्षण के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) और अन्य प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में 24 सप्ताह की अवधि के प्रबंधन पाठ्यक्रम अन्य प्रतिष्ठत संस्थानों में प्रोजेक्ट फाइनांस, शैक्षणिक संस्थान, स्पलाई चेन, रिटेल, मानव संसाधन, फैसिलिटी, आयात एवं निर्यात, इवेंट सिक्स सिग्मा, जेट ट्रांजिशन एवं सीफेयरिंग पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियों जैसे स्वरोजगार के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे अफसरों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए छह सप्ताह के कॉरपोरेट सिक्योरिटी एवं सेफ्टी पाठयक्रम भी मौजूद हैं। 60% पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। अफसरों की विधवाएं भी उपर्युक्त पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

11.20 **जेसीओ/अन्य रैंक एवं समकक्ष प्रशिक्षणः** जे सी ओ/अन्य रैंक एवं समकक्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सुरक्षा, अग्नि एवं औधोगिक सुरक्षा, 'ओ' लेवल सहित कम्प्यूटर एवं आई टी, हास्पिटैलिटी, पर्यटन, कृषि आधारित, व्यवसाय प्रबंधन, मोडयूलर मैनेजमेंट, व्यावसायिक एवं तकनीकी, चिकित्सा एवं स्वास्थय देखभाल और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान इत्यादि में एक वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठयक्रम मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आयोजित किए जाते हैं। पाठयक्रम का 100% शुल्क डी जी आर द्वारा वहन किया जाता है। जे सी ओ/ अन्य रैंक की विधवाएं/एक आश्रित भी डी जी आर द्वारा प्रयोजित किसी पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र हैं। पूर्व सैनिक अब डी जी आर के उन नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी आवेदन करने के पात्र हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरे जाते हैं। पूर्व सैनिकों को डी जी आर के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने का उद्येश्य उन सभी पूर्व सैनिकों को लाभान्वित करना है जिन्होंने पहले कभी भी कोई भी पुनर्वास पाठ्यक्रम नहीं किया गया है और जो अपने कौशल एवं हुनर को निखारने के लिए इन पाठयक्रमों को करने के इच्छुक हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन संबंधी विविध प्रकार के पाठ्यक्रम मुहैया करवाने के लिए सभी रेजिमेंट केन्द्रों पर प्रतिमाह कम से कम दो पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं।

11.21 **पूर्वसैनिक का प्रशिक्षणः** इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों को अपने राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए रात्य सैनिक बोर्डो को निधि आवंटित की जाती है। यह योजना मुख्यतः उन पूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई है जो सेवाकाल के दौरान

पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए थे। इस योजना में पूर्व सैनिक की विधवा/एक आश्रित, चाहे उसकी मृत्यु सैन्य कारणों से हुई हो या नहीं, को भी सम्मिलित किया गया हैं पूर्व सैनिकों के लिए यह पाठ्यक्रम निशुल्क है और अपने गृहनगर के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण को 1000/– रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब पूर्व सैनिक डी जी आर के उन नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग ले सकता है जिनमें कम संस्था में प्रवेश हुए है ताकि वे सभी पूर्व सैनिक लाभान्वित हो सके जिन्होंने पहले कभी भी कोई पाठ्यक्रम नहीं किया है तथा वे अपने कौशल में वृद्धि करने के लिए इन पाठयक्रमों को करने के इच्छुक हैं। तथापि ऐसे मामलो में उच्च शुल्क वाले इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

रोजगार के अवसर

11.22 **सरकारी नौकरियों में आरक्षणः** केन्द्रीय सरकार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में पूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आरक्षण उपलब्ध करवाती हैः–

(क) ग्रुप 'सी' पदों में 10% और ग्रुप 'डी' पदों में 20% आरक्षण। इसके आलावा अशक्त सैनिकों और विधवा/आश्रितों के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए 4.5 आरक्षण उपलब्ध है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैकों में ग्रुप 'सी' के पदों में 14.5% और ग्रुप 'डी' के पदों में 24.5%।

(ग) अर्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेट पदों के लिए 10% पद।

(घ) रक्षा सुरक्षा कोर में 100%।

11.23 **आरक्षण का कार्यान्व्यवनः** सरकार ने पूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को नोडल ऐजेंसी नामित किया है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त डाटा के आधार पर 30 जून 2015 को समाप्त अवधि के लिए अर्ध वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है।

11.24 **कॉरपोरेट/निजी क्षेत्र में नौकरियांः** कॉरपोरेट/निजी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु इन क्षेत्रों को जागरूक करने एवं प्ररित करने के लिए डी जी आर द्वरा अगस्त 2014 में राष्ट्रीय कॉपोरेट कॉनक्लेव का आयोजन किया गया जिसमें कॉरपोरेट धरानों के समक्ष पूर्व सैनिकों की योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया और मननीय रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का अनुरोध किया। पुनर्वास महानिदेशालय ने इसी उद्येश्य के लिए सी आई आई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय और राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं को छोड़कर स्थायी एवं संविदात्मक नौकरियों के लिए प्रायोजित किए गए कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार हैः–

(क) पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से – 4348 (30 सितम्बर, 2015 तक)

(ख) राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से – 10720 (30 जून 2015 तक)

11.25 **सुरक्षा एजेंसी योजनाः** विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही निजी सुरक्षा एजेंसियों को पुनर्वास महानिदेशालय पैनलबद्ध/प्रयोजित करता है। यह योजना सेवानिवृत्त जे सी ओ/अन्य रैंक एवं समकक्ष को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्व–रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाती है। वर्ष 2014 के दौरान 38210 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2015 के दौरान कुल 381 सुरक्षा एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया।

स्वरोजगार योजनाएं

11.26 **कोयला लदान एवं टिप्पर एटैचमेंट योजनाः** जुलाई 2014 में नया समझौता ज्ञापन और नए दिशा–निर्देश जारी करके इस योजना को पुनः क्रियान्वित किया गया है। तदनुसार वर्ष 2015 में

25 अफसर, 112 जे सी ओ/अन्य रैंक तथा 108 विधवाएं/अशक्त पूर्व सैनिक/आश्रित इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

11.27 **कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको) रिटेल आउटलेटः** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत दिशा– निर्देशों के अनुसार पुनर्वास महानिदेशालय कोको योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में आई ओ सी एल, बी पी सी एल और एच पी सी एल के रिटेल आउटलेट के प्रबंधन के लिए अफसरों को प्रयोजित करता है। पुनर्वास महानिदेशालय ने इस वर्ष के दौरान कोको योजना के लिए 131 पूर्व सैनिक (अफसर) को प्रायोजित किया है।

11.28 **गोपालजी डेयरी और फ्रेश फार्मः** इस योजना का उद्येश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में जे सी ओ/ अन्य रैंक को स्वरोजगार मुहैया करवान है।

11.29 **मदर डेयरी दुग्ध बूथ एवं फल और सब्जी (सफल) की दुकानेः** पूर्व सैनिक जे सी ओ/ अन्य रैंक समकक्ष के लिए यह योजना समय की कसौटी पर खरी उतरी एवं बेहतर आमदनी वाली योजना है। इस वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिक जे सी ओ /अन्य रैंक को 284 मदर डेयरी बूथ और 19 सफल दुकाने आवंटित की गई हैं।

11.30 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में पूर्व सैनिक (अफसर) द्वारा सी एन जी स्टशनों का प्रबंधनः** नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गाँव को शामिल करते हुए पूरे एन सी आर को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। इस वर्ष के दौरान 31 पूर्व सैनिक (अफसर) इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

11.31 **सेना सरप्लस श्रेणी वी 'बी' वाहनः** पूर्व सैनिक एवं उन रक्षा कर्मिकों की विधवाएं, जिनकी मृत्यु सर्विस के दौरान हुई हो, सेना सरप्लस श्रेणी वी 'बी' वाहन के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस वर्ष के दौरान 75 पूर्व सैनिकों का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया।

11.32 **तेल उत्पाद एजेंसी योजनाः** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार 8% रक्षा कोटा के अन्तर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन के लिए पात्रता सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को अधिकृत किया गया है।, इस वर्ष जारी किए गए पात्रता सर्टिफिकेट का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क)	तेल उत्पाद एजेंसी योजना (8% रक्षा श्रेणी)	– 05
(ख)	एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (18% रक्षा श्रेणी)	–01
(ग)	राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरण योजना (25% रक्षा श्रेणी)	–03

11.33 **कॉरपोरेट शुरूआतः** अगस्त 2014 में राष्ट्रीय कॉरपोरेट कॉनक्लेव के आयोजन के बाद दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनर्वास महानिदेशालय ने तीनो सेना मुख्यालयों के तत्वावधान में और सी आई आई के साथ पार्टनरशिप में तीन रोजगार मेलों दिल्ली में 9/10 मई 2015, मुम्बई में 11 अक्टूबर 2015 और गुवहाटी में 22 नवंबर 2015 को आयोजन किया। इन रोजगार मेलों में कॉरपोरेट धरानों और पूर्व सैनिकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इन रोजगार

दिल्ली में 6 एवं 7 जुलाई 2015 को आयोजित रोजगार मेले के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल अफसर कमांडिंग पश्चिमी कमान के साथ सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण)

मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों (सभी तीनों सेनाएं अर्थात् सेना, वायुसेना और नौसेना) को कॉरपोरेट/अन्य उद्योगों में द्वितीय रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है यह सब उपरोक्त रोजगार मेलो में सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया गया।

11.34 **प्रचार एवं जागरूकता अभियानः** पूर्व सैनिकों के बीच पुनर्वास महानिदेशालय के अभियानों एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए 3 विज्ञापन प्रकाशित किए गए। बेहतर पुनर्वास के लिए पुनर्वास महानिदेशालय की योजनाओं एवं प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मई 2015 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। उपयुक्त रोजगार मेलों द्वारा उत्पन्न किए गए रोजगार के अवसरों एवं संभावनाओं का सीधे मीडिया द्वारा विशेषकर दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भलीभांति प्रचार किया गया।

स्वास्थय देखभाल

11.35 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थय योजना (ई सी एच एस) की शुरूआत 01 अप्रैल 2003 से की गई थी। इस योजना का अक्टूबर 2010 में विस्तार किया गया था। ई सी एच एस का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पूरे देश में फैले ई सी एच एस पॉलीक्लीनिकों, सैन्य चिकित्सा सुविधाओं और सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के माध्यम से बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस योजना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना (सी जी एच एस) की तर्ज पर बनाया गया है और इसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सेननियों और उनके आश्रितों को नकदी रहित (कैशलेस) उपचार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

11.36 ई सी एच एस पॉलीक्लीनिक 'बहिः रोगी चिकित्सा' उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए हैं जिनमें परामर्श, आवश्यक जांच और दवाईयों की व्यवस्था होती है। विशिष्ट परामर्श, जांच, अतरंग चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती करना) की व्यवस्था सेना अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के द्वारा और ई सी एच एस से पैनलबद्ध सरकारी चिकित्सा केन्द्रों के माध्यम से की जाती है।

11.37 **केन्द्रीय संगठनः** शीर्ष स्तर पर ई सी एच एस का केन्द्रीय संगठन दिल्ली में स्थित है जो एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) में एडजुटेट जनरल के माध्यम से स्टाफ प्रमुख समिति के अधीन कार्य करता है। केन्द्रीय संगठन का अध्यक्ष सेवारत मेजर जनरल होता है। ई सी एच एस का कार्यकारी नियंत्रण पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पास होता है।

11.38 **क्षेत्रीय केन्द्रः** सम्पूर्ण देश में कुल मिलाकर 28 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। ये क्षेत्रीय केन्द्र इनके अधीन किए गए ई सी एच एस पॉलीक्लीनिकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं और सरकारी अस्पतालों को ई सी एच एस के साथ पैनलबद्ध करने में भी आवश्यक कारवाई करते हैं।

11.39 **पॉलीक्लीनिकः** भारत सरकार द्वारा नेपाल स्थित 06 पॉलीक्लीनिकों सहित कुल 432 पॉलीक्लीनिकों को मंजूरी दी है। भारत में स्थित 426 ई सी एच एस पॉलिक्लिनिकों में से 419 पॉलीक्लीनिक कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

11.40 **ई सी एच एस सदस्यताः** 1 मई 2015 तक 32,02,610 आश्रितों के साथ कुल मिलाकर 15,21,563 पूर्व सैनिकों ने इस योजना की सदस्यता ग्रहण की है। इस योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों की कुल संख्या 47,24,173 हैं।

11.41 **पॉलीक्लीनिक एवं सिविल पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाएंः** पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 177 अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं को ई सी एच एस के साथ पैनलबद्ध किया गया है। इस समय ई सी एच एस लाभार्थियों को नकदी रहित (कैशलेस) उपचार

उपलब्ध करवाने के लिए 1445 सरकारी अस्पतालों को ई सी एच एस के साथ पैनलबद्ध किया गया है। हालांकि आपात स्थिति में सदस्यों को भुगतान पर गैर–पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार करवाने की अनुमति है। उनके चिकित्सा उपचार बिलों की प्रतिपूर्ति सी जी एच एस द्वारा अनुमोदित दरों पर की जाती है।

11.42 प्रमुख बातें

(क) **ई सी एच एस भवन की मंजूरीः** सरकार ने ई सी एच एस भवन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ख) **'ऑन-लाइन' बिल प्रोसेसिंगः** सभी 28 क्षेत्रीय केन्द्र अब बिलों को ऑन लाइन प्रोसेसिंग कर रहे हैं।

(ग) **सिविल चिकित्सा सुविधाओं को पैनलबद्ध करनाः** 2015 के दौरान 177 नई चिकित्सा सुविधाओं को पैनलबद्ध किया गया। इस समय उपलब्ध कुल सुविधाओं की संख्या 1445 है।

(घ) **एंडोलाइट और ओटोबॉक प्रॉथीसिस सेंटरों को पैनलबद्ध करनाः** सरकार ने ई सी एच एस लाभार्थियों को डिस्काउंट दरों पर कृत्रिम अंगों की मरम्मत एवं लगवाने के लिए दो प्रॉथीसिस सेंटरों यथा एडोलाइट और आटोबॉक सेंटरों को इनके पूरे देश में फैले उप केन्द्रों सहित पैनलबद्ध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ङ) **ओ आई सी पॉलीक्लीनिकों के लिए डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट (डी एस सी) की अनुमतिः** ई सी एच एस के लिए डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

(च) **दरों में बदलावः श्रवण यंत्रोंः** ई सी एच एस लाभर्थियों के लिए श्रवण यंत्रों की खरीदने की दरों में बदलाव किया गया है।

(छ) **संविदात्मक कार्मिकों के वेतन/फीस में वृद्धिः** चिकित्सा अफसरों, दंत चिकित्सा अफसरों, ओ आई सी पॉलीक्लीनिक की संविदात्मक फीस 46000/– से बढ़ाकर 60000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है और चिकित्सा विशेषज्ञों का प्रथम वर्ष संविदा नियुक्ति के लिए संविदात्मक फीस 55000/– रूपये से बढ़ाकर 70000/– रूपये और द्वितीय वर्ष संविदा नियुक्ति के लिए 80000/– रूपये कर दी गई है।

11.43 **ई सी एच एस टोल फ्री हेल्पलाइनः** सदस्यता, उपचार और रोजगार से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए सभी ई सी एच एस सदस्यों को ई सी एच एस टोल फ्री हेल्पलाइन 1800–114–115 उपलब्ध करवाई गई है। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में 0900 से 1700 बजे तक उपलब्ध है।

11.44 **ई सी एच एस वेबसाइटः** पैनलबद्ध सुविधाओं की सुची, सदस्यता फार्म और नवीनतम नीतियों इत्यादि जैसी सभी प्रकार की जानकारी www.echs.gov.in पर उपलब्ध है।

पेंशन सुधार

11.45 **रक्षाबलो के कार्मिकों के लिए वन रैंक वन पेंशनः** भारत सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए 01 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वन रैंक वन पेंशन (ओ आर ओ पी) एक समान रैंक और एक समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों को एक समान पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो, ताकि नए एवं पुराने पेंशनरो की पेंशन राशि के बीच के अन्तराल को कम किया जा सके।

11.46 **सशस्त्र सेना के आमेलित कार्मिकों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित होने पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त किया था, की पेंशन के 43% और 45% संराशीकृत भाग का संशोधन-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की**

सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयनः कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेशंन धारक कल्याण विभाग के दिनांक 11 जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/30/2010 पी एंड पी डब्ल्यु (डी) में दिए गए प्रावधान आमेलित होने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों पर यथा संशोधनों सहित लागू होगें। इसके लिए आदेश दिनांक 19 जनवरी 2015 के सरकारी पत्र संख्या 1(4)/2007-डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

11.47 **गंभीर मामलों में 30 अगस्त 2006 से पहले सेवा मुक्त हुए अनियमित अफसरों को सेवा लाभ प्रदान करनाः** अनियमित अफसरों के मामलों में अशक्तता पेंशन सेवा की गणना उनके द्वारा की गई पूर्ण कमीशन प्राप्त सेवा अवधि के अनुसार की जाती है जिस प्रकार नियमित कमीशन प्राप्त अफसर के मामलों में किया जाता है। ऐसे मामलों में वे दिनांक 30 अगस्त 2006 के संदर्भगत सरकारी पत्र के अनुसार 30 अगस्त 2006 से लागू होने वाले संशोधनों के लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होगें। इस विषय में आदेश दिनांक 23 मार्च 2015 के सरकारी पत्र सं. 16(1)/2012–डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

11.48 **सी एस सी 2012 की सिफारिशों के अनुसार अशक्तता/युद्ध में घायलों के लिए न्यूनतम गारंटित पेंशन (दिनांक 10 अप्रैल 2015 के सरकारी पत्र के द्वारा):** 2006 से पहले के सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए अशक्तता/ युद्ध घायलों के लिए न्यूनतम गारंटित पेंशन का निर्धारण न्यूनतम पे बैंड के स्थान पर छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जारी संशोधित वेतन ढांचे में रैंक के लिए न्यूनतम फिटमेंट तालिका के अनुसार किया जाना चाहिए, इसमें यह ध्यान रखा जाए कि कनिष्ठ रैंक की आशक्तता/युद्ध में घायल की पेंशन उच्चतर रैंक से अधिक न हो जाए।

11.49 **सशस्त्र सेना के कार्मिकों को अशक्तता पेंशन के साथ कांस्टेंट अटैंडेस अलाउंस (सी ए ए) का मासिक आधार पर भुगतानः** अशक्तता या युद्ध हताहत पेंशन, जो भी मामला हो, प्रदान करने की अवधि के दौरान एरियर के भुगतान के स्थान पर प्रति माह कांस्टेंट अटैंडेंस अलाउंस दिया जाएगा। इस विषय में दिनांक 27 अप्रैल 2015 के सरकारी पत्र सं. 1(2)/2013–डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए हैं।

11.50 **1 अप्रैल 2003 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों, जिन्होंने सशस्त्र सेना अस्पतालों/एम आई रूम की ओ पी डी से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ न उठाने का विकल्प दिया या और जो ई सी एच एस के सदस्य नहीं तो, ऐसे सशस्त्र सेना पेंशन धारकों/परिवारिक पेंशन धारकों को नियत चिकित्सा भत्ते (एफ एम ए) को अनुदानः** 19 नवंबर 2014 से निश्चित चिकित्सा भत्ते की मौजूदा राशि 300/– रूपये को बढ़ाकर 500/– रूपये कर दिया गया है। यह आदेश केवल उन्हीं मामलों मे लागू होगा जिनमें सेवानिवृत्ति की तिथि 1 अप्रैल 2003 से पहले की हो और जिन्होंने ओ पी डी में या सशस्त्र सेना अस्पतालों/एम आई कमरे में चिकित्सा सुविधा न लेने का विकल्प दिया हो और जो ई सी एच एस के सदस्य न हो। इससे संबंधित आदेश दिनांक 5 मई 2015 के सरकारी पत्र सं. 1(10)/2009–डी (पेंशन/पॉलिसी) के तहत जारी किए गए हैं।

11.51 **स्थायी रूप से निशक्त बच्चों/भाई-बहनों और आश्रित माँ-बाप के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनानाः** बुजुर्ग माँ–बाप/अशक्त भाई–बहनों को पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्मिक/पेंशन धारक/ परिवार पेंशन धारक सशस्त्र सेना कार्मिक की सेवा–निवृत्ति से पहले या मृत्यु के बाद किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को स्थायी रूप से अशक्त बच्चे्/भाई–बहनों को जीवन पर्यन्त परिवार पेंशन प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस विषय में आदेश दिनांक 15 मई 2015 के सरकारी पत्र सं. 1(7) /2013–डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

11.52 **पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना-सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सैन्य कार्मिकों और सिविलियन कार्मिकों द्वारा पेंशन दस्तावेजों के साथ सर्टिफिकेट जमा करवानाः** यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक वचनबंध/पुनः रोजगार न करने का स्टेटस/रोजगार प्राप्त करने का स्टेटस सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों के रिकार्ड आफिस/कार्यालय प्रमुख से कार्मिक की सेवानिवृत्ति से पहले अन्य दस्तावेजों के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। वचनबंधों एवं प्रमाण–पत्रों को रिकॉड ऑफिस/प्रमुख कार्यालय से प्राप्त पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पी पी ओ) के साथ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पेंशन वितरक एजेंसी को भेजा जाएगा। बैंक अधिसूचित की गई पेंशन, जब भी देय हो, पेंशन धारक के पक्ष में उसके बैंक खाते में क्रेडिट करेगें, यदि वचनबंध/सर्टिफिकेट पेंशन दस्तावेजों के साथ प्राप्त होते हैं। इस विषय में आदेश दिनांक 25 अगस्त 2015 के सरकारी पत्र सं. 3(01)/2015–डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

11.53 **2006 से पूर्व सेवानिवृत्त जे सी ओ/अन्य रैंक पेंशन धारक/परिवार पेंशन धारकों के विषय में पेंशन में संशोधनः** यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी 2006 से वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जे सी ओ/अन्य रैंक के पेंशन धारकों/परिवार पेंशन धारकों की पेंशन का निर्धारण यथा संशोधित संलग्न आई/एस/2008 में दी गई फिटमेंट तालिका के अनुसार और समय–समय पर संशोधित किए गए नौसेना एवं वायुसेना अनुदेशों के अनुसार संशोधित पे–बैंड में रैंक के लिए न्यूनतम फिटमेंट तालिका में क्रमशः 50% एवं 30% पर किया जाएगा, इसमें संशोधन से पहले के वेतनमान में तदनुसार ग्रेड पे में, जिसमें पेंशन धारक सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/इनवेलिड किए गए/मृत्यु हुई हो, के साथ मिलिट्री सर्विस वेतन एवं एक्स ग्रुप वेतन भी सम्मिलित होगें। इस विषय में आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2015 के सरकारी पत्र संख्या 1(4)/2015(I)–डी (पेंशन/पॉलिसी) के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

****

12

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

नेपाल में बचाव मिशन पर भा. वा. से. का एम आई-17 वी 5 हेलिकॉप्टर

सशस्त्र बल सिविल प्राधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं।

12.1 देश की सीमाओं की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी के अलावा, सशस्त्र बल सिविल प्राधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं । उक्त अवधि के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

भारतीय सेना

सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम

12.2 सेना ने बड़ी संख्या में सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम चलाए हैं जिनका उद्देश्य 'ऑपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद तथा विद्रोहिता से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के 'दिल और दिमाग को जीतना' है। इन क्षेत्रों ऑपरेशन सद्भावना का केन्द्र 'गुणवत्तापरक शिक्षा', 'महिला सशक्तिकरण', समुदाय तथा अवसंरचना विकास', 'स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा देखभाल', गुर्जरों/बकरवालों का विकास' तथा 'राष्ट्र निर्माण' रहा है। युवाओं के बीच परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों, बुजुर्गों तथा वीर नारियों द्वारा देश के अन्य भागों में 'शैक्षणिक/प्रेरणात्मक दौरों' के लिए कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं । इसके अलावा, ऑपरेशन सद्भावना परियोजनाओं को चलाने के दौरान मूलभूत आवश्यकताएं जैसेकि 'जलापूर्ति योजनाएं', 'विद्युतीकरण' तथा 'पशुपालन' के प्रवाधान पर भी उपयुक्त महत्व दिया गया है ।

12.3 वर्ष 2015-16 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य नागरिक कार्रवाई चलाने के लिए कुल मिलाकर 54.40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

बाढ़ राहत ऑपरेशन

12.4 **जम्मू और कश्मीर**

(क) **अनंतनाग :** 25 जून 2015 को भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने पर सेना के तीन कॉलमों को लगाया गया जिन्होंने अनंतनाग जिले के शम्शीपुरा, मनीगाम, छमगिंद और अरिगुंटुन से 169 सिविलियनों को बचाया ।

(ख) **गंदेरबालः** 17 जुलाई 2015 को कुलान तथा गगनगीर में बादल फट जाने के बाद सैन्य कार्मिकों ने 657 सिविलियनों को चिकित्सा सहायता तथा 2880 सिविलियनों को खाना मुहैया कराया । लगभग 3500 अमरनाथ यात्रियों को बचाया गया था।

(ग) **कदुआः** 22 सितम्बर 2015 को गुड्डू फलाल के समान्य क्षेत्र में बाढ़ आ जाने से उझ नदी में दो पीएचसी कर्मी भटक गए थे जिन्हें सेना विमानन हेलिकॉप्टर द्वारा बचाया गया था।

12.5 **पश्चिम बंगाल**

(क) **जलपाईगुड़ीः** 01 जुलाई 2015 को जलपाईगुड़ी के जिला अधिकारी से जारदा नदी (मैनागुडी और माल बाजार) में बाढ़ आने के कारण फंसे असहाय सिविलियनों को बचाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। चार इंजीनियर दलों को बचाव ऑपरेशनों के लिए मैनागुड़ी तथा माल बाजार में लगाया गया था । कुल मिलाकर 300 नागरिकों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई थी तथा 125 नागरिकों को बचाया गया था ।

(ख) **दार्जीलिंगः** अलगारा-कलिमपोंग-लाभा भूस्खलन के कारण बाधित हो गया था । कोलाखाम, भालू खोप तथा माइल स्टोन-8 में भूस्खलन को साफ करने के लिए छह सेना दल तथा एक एनडीआरएफ दल लगाया गया था ।

(ग) **बर्दवानः** 02 अगस्त 2015 को कालमा के जनरल एरिया में हुगली नदी के किनारे नागरिकों को बचाने के लिए छह सेना दल लगाए गए थे । 26 नागरिकों को बचाया गया था ।

12.6 **गुजरात**

(क) **बनस कांथाः** 29 जुलाई 2015 को पालमपुर में बाढ़ राहत ऑपरेशनों के लिए 10 सेना दल, तीन इंजीनियर कार्य बल तथा चार चिकित्सा दल लगाए गए थे । बीसा से 174 नागरिकों को बचाया गया था और थेराड से 156 नागरिकों को बचाया गया था । इसके अलावा, सैन्य कार्मिकों ने 230 नागरिकों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई तथा 850 नागरिकों को खाने के पैकट मुहैया कराए ।

(ख) **भुजः** 30 जून 2015 को भुज के 70 किलोमीटर उत्तर में धोरडो गांव में बाढ़ राहत के लिए दस सेना दल तथा दो इंजीनियर कार्य बल लगाए गए थे। कुल मिलाकर 200 नागरिकों को बचाया गया था। इसके अलावा, सैन्य कार्मिकों ने 300 नागरिकों को चिकित्सा सहायता तथा 350 नागरिक परिवारों को खाने के पैकेट मुहैया कराए ।

12.7 **असम**

(क) **कोकराझारः** 21 अगस्त 2015 को कोकराझार में बाढ़ राहत ऑपरेशन के लिए पांच सेना दल लगाए गए थे । इस ऑपरेशन में 2000 नागरिकों को बचाया गया था ।

(ख) **डिबरूगढ़ः 01** सितम्बर 2015 को डिबरूगढ़ में बाढ़ राहत ऑपरेशनों के लिए टेंगाखाट, नहरकटिया, तिंगखोंग, हाथी बाडी तथा सनसाई के जनरल एरिया में 10 सेना दल लगाए गए थे । कुल मिलाकर 400 नागरिकों को बचाया गया था ।

12.8 तमिलनाडु (चेन्नई): तमिलनाडु में बाढ़ ने तबाही मचा दी थी । 57 बोट असॉल्ट यूनीवर्सल टाईप (बीएयूटी), 27 आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम) तथा 16 जेमिनी के साथ 73 सेना दल जनरल एरिया ताम्बरम, कुड्डालूर, अराकोनम, तिरुनीरमलाई, कोट्टुपुरम, डिफेंस कॉलोनी, तिरुवनमयूर, मोडिचूर, मनाली तथा टी. नगर में लगाए गए थे । सेना द्वारा लगभग 19,600 सिविलियनों को बचाया गया था । लगभग 2,02,500 राहत पैकेट वितरित किए गए थे और 22,100 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई थी।

12.9 **मणिपुर (थूबाल) :** 31 जुलाई, 2015 को थूबाल में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए तीन सेना कॉलम लगाए गए थे । 800 नागरिकों को राहत, दवाइयां तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई थी । 700 नागरिकों को आश्रय मुहैया कराया गया ।

12.10 **महाराष्ट्र (औरंगाबाद तथा जलना):** 18 सितम्बर 2015 को लखी बांध में पानी के ओवरफ्लो होने से नायगांव, हतमाली, सय्यदपुर तथा चारधाम गांवों में जल आप्लावन होने से चार गांवों में छतों पर फंसे लोगों को हवाई मार्ग से बचाने का कार्य ओरंगाबाद तथा जलना जिले में पूरा किया गया था ।

ऑपरेशन मैत्री

12.11 **नेपाल को सहायताः** नेपाल में भूकम्प के बाद आपदा राहत ऑपरेशन 25 अप्रैल 2015 से 4 जून 2015 तक चलाए गए थे । नेपाल में भारतीय सेना द्वारा सहायता में 18 चिकित्सा दल, पांच इंजीनियर कार्य बल तथा पांच उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर शामिल थे । उपलब्ध कराए गए बाढ़ तथा बचाव प्रयास निम्नलिखित अनुसार हैंः

(क) **ईटीएफः** ईटीएफ ने कठिन तथा अगम्य क्षेत्रों में रास्तों को साफ किया/निर्मित किया ताकि बरपाक, गोरखा तथा काठमांडु में राहत कार्य किए जा सकें। इन दलों ने 16.5 किलोमीटर रास्ते, 11477 घन मीटर से अधिक मलबा साफ किया, 55 घरों/आश्रयों/टेंटों के पुनः निर्माण में सहायता की तथा शवों को निकाला ।

(ख) **सेना विमाननः** सेना विमानन के पायलटों ने फंसे हुए/जख्मी लोगों को बचाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा नेपाल सेना के सैनिकों को अगम्य क्षेत्रों में छोड़ने, ताकि राहत कार्य किया जा सके, के लिए लगातार उड़ानें भरीं । हमारे हेलिकॉप्टरों ने कुल मिलाकर 546 उड़ानें भरीं और 381 लोगों को बचाया, प्रभावी क्षेत्रों में 775 लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया, 567 नेपाली सैनिकों को छोड़ा तथा 198.43 टन सामान को गिराया और आपूर्ति की।

काठमांडू में मलबा हटाते हुए

भौनधारा में मलबा हटाते हुए

(ग) **चिकित्सा दलः** भारतीय सेना के चिकित्सा दलों ने 300 सर्जरी की, 214 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया तथा 4190 ओपीडी मामलों को देखने के साथ-साथ 4831 जख्मी लोगों को चिकित्सा सहायता पहुंचाई।

(घ) **राहत सामग्रीः** 10,000 कम्बल, 1000 टेंट तथा 1000 तारपोलीन/प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराई गई थीं।

12.12 सिविल प्राधिकारियों को सहायता तथा ऑपरेशन सद्भावना

(क) **श्री अमरनाथजी यात्रा :** राष्ट्रीय राइफल्स यूनिटों तथा विरचनाओं ने शीघ्र तथा चरणवार तैनाती, अति साहसपूर्ण रवैये के साथ तथा सुदृढ़ आसूचना नेटवर्क के जरिए यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चिकित्सा कवर सहित पूर्ण सहायता मुहैया कराई गई थी जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुकर हुई।

(ख) **लोगों के अनुकूल ऑपरेशन :** सेना के बारे में लोगों तथा सरकार की अच्छी अवधारणा बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के अनुकूल कार्यकलाप किए गए और इससे 'अवाम' तथा 'जवान' के बीच मेलजोल बढ़ाने के अलावा सेना के बारे में लोगों की सोच में एक बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा युवा रोजगार तथा दिशानिर्देश

मेलों (वाईईजीएन) के आयोजन के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों को प्रभावी ढंग से लक्ष्य किया गया तथा उनकी उच्च शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसरों की खोज में मदद, इससे आसानी से पैसा पाने की ललक तथा आतंकवाद के जरिए अपनी शक्ति के दुरुपयोग से बचने में उनका मार्गदर्शन हुआ है।

दूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप का आयोजन

भारतीय नौसेना

12.13 **ऑपरेशन राहत - भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को यमन से निकालना:** भारतीय नौसेना ने यमन में चालू सिविल युद्ध के दौरान भारतीय तथा अन्य नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ बचाव ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के लिए 30 मार्च से 19 अप्रैल 2015 तक भारतीय नौसेना के तीन पोत अर्थात मुंबई, तरकश तथा सुमित्रा लगाए गए थे। वे भारतीय समुदाय तथा अन्य विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए यमन में कई पत्तनों पर दाखिल हुए। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप यमन से 3074 लोगों जिनमें 1783 भारतीय थे तथा 35 भिन्न-भिन्न देशों के 1291 विदेशी नागरिक थे, को सुरक्षित रूप से निकाला गया। बहुत-सी चिकित्सा आकस्मिकताओं से निपटा गया जिनमें गर्भवती महिलाएं, मधुमेह रोगी, हृदय रोगी, मामूली रूप से घायल, बीमार शिशु आदि शामिल थे और सभी को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

12.14 **ऑपरेशन मदद - चेन्नई बाढ़ के दौरान सहायता:** भारतीय नौसेना ने चेन्नई में बाढ़ के दौरान 08 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2015 तक पांच भारतीय नौसेना पोत, चेतक हेलिकॉप्टर, रिमोटली पायलटिड एयरक्राफ्ट (आरपीए), जेमिनी नौकाएं तथा लगभग 1700 कार्मिक राहत कार्य के लिए तैनात किए थे। इसके अलावा, तैनात किए पोतों पर इन्टीग्रल नौकाएं बाढ़ में लगाए जाने के लिए तैयार रखी गई थीं। भारतीय नौसेना के एकीकृत प्रयासों के परिणामस्वरूप नौसेना कार्मिकों द्वारा लगभग 1470 कार्मिकों को बचाया गया था तथा लगभग 300 कार्मिकों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, प्रभावित लोगों को लगभग 19,700 पैकेट उपलब्ध कराए गए थे तथा अगम्य क्षेत्रों में लगभग 2000 किलोग्राम खाने का सामान विमानों से गिराया गया था। भारतीय नौसेना ने स्थानीय लोगों को 2000 दरियां, कम्बल, बैडशीट तथा 6000 तौलिए वितरित किए थे। स्थानीय प्रशासन को 7.5 केवीए के आठ जनरेटर उपलब्ध कराए गए थे और प्रभावित लोगों को गरम खाना उपलब्ध कराए जाने के लिए एक कम्युनिटी किचन स्थापित किया गया था।

भा. नौ. से. कार्मिक ऑपरेशन मद्द के दौरान बचाव कार्य करते हुए

12.15 **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सहायता:** 23 मई 2015 को फेरी सेवाएं रोके जाने को देखते हुए लोगों

को पोर्ट ब्लेयर से हट बे तक तथा वापस लाने-ले-जाने के लिए भारतीय नौसेना के तीन पोतों को लगाया गया था। पोर्ट ब्लेयर से हट बे तक कुल 424 लोगों तथा हट बे से पोर्ट ब्लेयर तक कुल 372 लोगों को ले जाया गया था। यात्रियों को ऑनबोर्ड गरम खाना, बोतलबंद पानी तथा जरूरतमंदों को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

भा. नौ. से. पोत सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करते हुए स्थानीय लोगों को फेरी द्वारा पोर्ट ब्लेयर से हट बे तथा वापस लाते-ले-जाते हुए

12.16 **'हारवेस्टिड हृदय' को प्रत्यारोपण के लिए ले जाया जाना :** भारतीय नौसेना ने सिविल प्रशासन से अनुरोध मिलने पर 24 जुलाई 2015 को एक डोर्नियर विमान के द्वारा एक 'हारवेस्टिड हृदय' को तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक भेजा। इस 'हारवेस्टिड हृदय' को रोगी में

कोच्ची में भा. नौ. से. का डोर्नियर विमान 'हारवेस्टिड हृदय' को ले जाते हुए

प्रत्यारोपित किया गया तथा भारतीय नौसेना द्वारा शीघ्र कार्रवाई से एक रोगी की जान बच गई।

12.17 **समुद्र में पलटी मत्स्यन नौका की सहायताः** भारतीय नौसेना ने 16 जुलाई 2015 को तिरुवनंतपुरम तट के पास एक पलटी हुई मत्स्यन नौका'एम्मानुएल' के खोज एवं बचाव के लिए सहायता देने हेतु एक एसएआर हेलिकॉप्टर लगाया । हेलिकॉप्टर ने पलटी हुई नौका तथा जीवित व्यक्तियों की स्थिति का समुद्र तट से लगभग 45 समुद्री मील दूर सफलतापूर्वक पता लगाया और उन्हें सुरक्षित बचाया ।

12.18 **डूबने के एक मामले का प्रबंधन :** दो वर्ष के एक बच्चे को कारवाड़ स्थित आईएनएचएस पतंजलि लाया गया जो कथित रूप से 18 अप्रैल 2015 को चेंदिया में गांव में खेलते समय एक तालाब में डूब गया था । वहां पहुंचने पर रोगी में कोई हरकत नहीं थी, उसमें जीवित होने का संकेत नहीं था । पुनः सांस दिलाने तथा चिकित्सा के लगातार प्रयास के बाद उसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया और आगे इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया ।

सिविल प्राधिकारियों को गोताखोरी सहायता

12.19 **जम्मू-कश्मीर में गोताखोरी सहायता :** जम्मू और कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं तथा स्थानीय आबादी के दिल और दिमाग को जीतने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन सद्भावना' के तत्वावधान में सेना द्वारा संचालित जलवाहित कार्यकलापों में मारकोस ने बारंबार खोज एवं बचाव कवर उपलब्ध कराया। इसके आलावा, मारकोस की गोताखोरी क्षमता तथा घाटी में सिविल प्राधिकारी ऑपरेशनों में सहायता के दौरान सहयोग देने की योग्यता को सभी ने सराहा। वर्ष 2015 में मारकोस द्वारा छोटे पैमाने के कई ऑपरेशनों के आलावा चार बड़े गोताखोरी ऑपरेशन चलाए गए थे।

12.20 **मुंबई में बाढ़ बचाव दल :** मानसून की समग्र अवधि के लिए सभी बाढ़ संबंधित आकस्मिकताओं/अपातकाल के दौरान सिविल प्रशासन को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुंबई में विभिन्न स्थानों पर जेमिनी नौकाओं के साथ बाढ़ राहत दलों को लगाया गया था। गणपति विसर्जन/गणेशोत्सव त्यौहार के दौरान नौसेना बचाव दलों को भी विभिन्न झीलों/समुद्र तटों पर लगाया गया था।

मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास

12.21 **ऑपरेशन तूफानः** फरवरी 2015 में लक्षद्वीप समूह के कावारत्ती, अगात्ती, कलपेनी तथा अंदरोथ द्वीपों में एक एचएडीआर अभ्यास 'ऑपरेशन तूफान 15' चलाया गया था । इस अभ्यास में विभिन्न पोतों को एचएडीआर के प्रकार तथा सीमा, जोकि उस विशिष्ट द्वीप के लिए अपेक्षित हो, के आधार पर आबंटित किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 22 भारतीय नौसेना पोतों ने हिस्सा लिया था।

ऑपरेशन तूफान के दौरान चिकित्सा तथा एचएडीआर कैंप लगाते हुए

12.22 **जल सुरक्षा अभ्यास 01/15 :** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-कम्पीय क्षेत्र V में आते हैं और इसीलिए उनमें प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है। एचएडीआर परिदृश्य तैयार करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सितम्बर 2015 में जल सुरक्षा अभ्यास 01/15 चलाया गया था । इस अभ्यास के दौरान एचएडीआर ऑपरेशनों से संबंधित सभी कार्यकलाप और अभ्यास जैसेकि एसएआर ऑपरेशन, पोत का अस्पताल में परिवर्तन, क्षति मूल्यांकन तथा मरम्मत तैयारी, व्यक्तियों/परिवारों को दूसरी जगह ले जाना, सिविल प्रशासन की सहायता के लिए एचएडीआर ब्रिक्स को लोड करना आदि किए गए ।

12.23 **तटीय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम/अभियानः** भारतीय नौसेना ने भारतीय तटरक्षक तथा समुद्री पुलिस कर्मियों के साथ सभी तटीय राज्यों में बहुत से जागरूकता कार्यक्रम/अभियान चलाए हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना द्वारा सुमद्री पुलिस के लिए नियमित प्रशिक्षण चलाया जा रहा है जिसमें पोतों पर परिचयात्मक उड़ानें शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य तटीय गांवों में ग्रामीणों तथा मछुआरों के बीच तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

12.24 **मछुआरों से सम्पर्क :** भारतीय नौसेना ने समुद्र पर घटने वाली सभी घटनाओं की सूचना देने तथा समय पर सहायता देने के लिए मछुआरा समुदाय तथा स्थानीय कार्मिकों को सक्रिय रूप से तैनात करना जारी रखा है। मछुआरा/तटीय समुदाय भारतीय नौसेना को समुद्र में सभी संदिग्ध गतिविधियों की बहुमूल्य जानकारियां देने में साथ रहा है।

नौसेना स्वास्थ्य कैम्प

12.25 भारतीय नौसेना द्वारा पूरे वर्ष आउटरीच समाज सेवा के हिस्से के रूप में मेडिकल कैम्पों, रक्तदान कैम्पों, सामान्य स्वास्थ्य जांच और दंत-चिकित्सा कैम्पों का आयोजन कई अवसरों पर किया गया। वर्ष 2015 में निम्नलिखित कैम्प आयोजित किए गए थेः-

(क) **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैंप :** बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्पों का

आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दूर-दराज क्षेत्र में आईएनएचएस धनवंतरि द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया गया था। सशस्त्र सेना स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन कमोरता द्वीप में सशस्त्र सेना स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन 23 जनवरी 2015, अगस्त 7-8, 2015 और अक्तूबर 9-10, 2015 को किया गया था। कैम्पबेल बे में 9 अक्तूबर 2015 को एक बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्प का भी आयोजन किया गया था।

(ख) **कैंसर जांच कैम्प :** आईएनएचएस धनवंतरि ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्वास्थ्य संवर्धन तथा सकारात्मक स्वास्थ्य अभियान के रूप में 25 फरवरी 2015 को कैंसर जांच कैम्प का आयोजन किया जिसमें कुल मिलाकर 172 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(ग) **पोरबन्दर में बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्प:** आईएनएचएस अश्विनी की ओर से पोरबन्दर में 19 मई 2015 को एक बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया था जिसमें 944 रोगियों की जांच की गई थी ।

(घ) **पोरबन्दर में रक्तदान कैम्प :** भा.नौ.पो. सरदार पटेल, पोरबन्दर में 16 सितम्बर 2015 को एक रक्तदान कैम्प का आयोजन किया गया था। इस कैम्प में दो ब्लड बैंक, आशा बच्चों का अस्पताल तथा सरकारी अस्पताल, पोरबन्दर शामिल थे।

(ङ) **कारवाड़ बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्प:** कुवेम्पू मॉडल स्कूल, टोडुर में आईएनएचएस पतंजलि द्वारा 01 सितम्बर 2015 को एक बहु-विशेषज्ञता स्वास्थ्य कैम्प तथा दंत-चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया था जिसमें कुल मिलाकर 253 लोगों की जांच की गई थी। आईएनएचएस पतंजलि ने 18 अगस्त 2015 को आशा निकेतन (मूक तथा बधिरों के लिए आवासीय स्कूल) के लिए एक और चिकित्सा तथा दंत-चिकित्सा स्वास्थ्य कैम्प का भी आयोजन किया था।

तटरक्षक

12.26 **चेन्नई में बाढ़ राहत :** 01 दिसम्बर 2015 से अत्यधिक भारी वर्षा के कारण चेन्नई में तथा इसके आसपास अत्यधिक पानी भर गया जिसके लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता पड़ी । चेम्बराम्बक्कम रिजर्वोयर से आडयार नदी में पानी छोड़े जाने से स्थिति और भी खराब हो गई जिससे आडयार नदी के किनारों पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई । मौसम के पूर्वानुमान जिसमें भारी वर्षा होना बताया गया था तथा दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में निम्न दबाव क्षेत्र बन जाने को देखते हुए तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व) ने 30 नवम्बर 2015 को राज्य प्रशासन तथा मत्स्यन प्राधिकारियों को यह परामर्शी जारी की कि सभी मछुआरों को समुद्र से बुला लिया जाए तथा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के मछुआरों को समुद्र में आगे काम करने से रोका जाए ।

12.27 चेन्नई तथा इसके उप-शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा के बाद पानी भर जाने पर भारतीय तटरक्षक द्वारा सिविल प्राधिकारियों के साथ व्यापक तथा राहत प्रयासों की शुरुआत की गई थी । कुल मिलाकर 3440 व्यक्तियों को बचाया गया और 23818 किलोग्राम रसद

वितरित की गई। 12 चिकित्सा कैम्प भी लगाए गए थे।

वायु सेना

12.28 **ऑपरेशन राहत :** यमन में मार्च 2015 में सिविल युद्ध की स्थिति हो जाने के कारण संकट उत्पन्न हो गया। भारत सरकार ने यमन में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को तत्काल निकाले जाने की आवश्यकता महसूस की। भारतीय नागरिकों को निकाले जाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा एयर इण्डिया की संयुक्त निकासी योजना कार्यान्वित की गई। भारतीय नौसेना पोत नागरिकों को यमन पत्तन शहरों से डिजिबूटी तक तथा एयर इण्डिया ने नागरिकों को साना से डिजिबूटी तक लाए, भारतीय वायुसेना ने नागरिकों को डिजीबूटी से कोच्चि तथा मुंबई वापस लाने के लिए तीन सी-17 विमान लगाए। भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा कुल मिलाकर 11 निकासी यात्राएं कीं तथा 2096 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था ।

12.29 **ऑपरेशन मैत्री :** 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में एक भूकम्प आया था। भारतीय वायुसेना ने नेपाल सरकार को राहत तथा सहायता देने के लिए विदेशी जमीन पर अपना सर्वश्रेष्ठ आपदा राहत ऑपरेशन चलाया। कुल 1636 उड़ानें, जिनमें जो कुल मिलाकर 863 घण्टे उड़ान परिश्रम था, से 780 हताहतों (121 विदेशी नागरिकों सहित) को विमानों से निकाला गया और विभिन्न अग्रिम/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों से 5188 लोगों को बचाया गया था।

नोपाल में राहत ऑपरेशन

12.30 **म्याँमार में बाढ़ राहत ऑपरेशन :** 6-7 अगस्त 2015 को भारतीय वायुसेना के सी-17 तथा सी-130-जे विमानों को दिल्ली से म्यॉमार के कलाय तथा मंडालय तक 104 टन राहत सामग्री ले जाने का कार्य सौंपा गया था । विमानों ने मंडालय तथा कलाय तक क्रमशः 48 टन और 56 टन भार ढोया ।

12.31 **एचएडीआर (गुजरात तथा राजस्थान सरकार):** भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2015 में गुजरात तथा राजस्थान सरकार के लिए हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जिसमें 129 घण्टे लगे तथा 199 उड़ानें भरी गईं।

12.32 **ऑपरेशन त्रिवेणी :** नक्सल विरोधी ऑपरेशनों के लिए गृह मंत्रालय की सहायता हेतु दिसम्बर 2009 से भारतीय वायुसेना के एमआई-17 तथा एमआई-17 वी-5 हेलिकॉप्टरों को लगाया गया । भारतीय वायुसेना इन कड़ी परिस्थितियों में तथा इन ऑपरेशनों में सफलता के लिए हमारी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किए जाने वाले कठोर प्रयासों के संचालन प्रतिमान से भलीभांति अवगत है । कैलेण्डर वर्ष में अक्तूबर 2015 तक भारतीय वायुसेना ने 1775 उड़ानें भरीं जिनमें 1182 घण्टे में

विमानों द्वारा 10712 लोगों, 144 हताहत, 38 शवों तथा 211 टन सामग्री को पहुंचाया।

12.33 **चेन्नई में बाढ़ राहत ऑपरेशन :** दिसम्बर 2015 में भारी वर्षा के बीच भारतीय वायुसेना द्वारा बाढ़ राहत ऑपरेशन चलाए गए थे। बचाव तथा राहत ऑपरेशन 02 दिसम्बर 2015 से वायुसेना स्टेशन तम्बरम से तथा अरक्कोनम से प्रातः में चलाए गए थे। भारतीय वायुसेना के सी-17, सी-130, आईएल-76 तथा एएन-32 विमानों ने 48 उड़ानें भरीं, 30 एनडीआरएफ दलों, भारतीय सेना के पांच कॉलमों तथा 281 टन राहत सामग्री ले जाने के अलावा 2411 फंसे हुए सिविलियनों को निकाला।

12.34 भारतीय वायुसेना के 13 हेलिकॉप्टरों ने वर्षा में तथा खराब मौसम में निकट के एयरबेस तम्बरम से 192 उड़ानें भरीं, विमान द्वारा फंसे हुए 456 लोगों को निकाला गया और 37 टन राहत सामग्री गिराई गई। भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों ने छतों पर असहाय खड़े लोगों को लगातार राहत तथा सहायता पहुंचाई। इन उड़ानों में से एक उड़ान में एक ऐसी गर्भवती महिला को बचाया गया जिसने बाद में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।

****

13

राष्ट्रीय कैडेट कोर

गणतंत्र दिवस शिविर, 2016 में रक्षा राज्य मंत्री का दौरा

एनसीसी देश के युवाओं के चरित्र एवं नेतृत्व, निःस्वार्थ सेवा के आदर्श, समर्पण और साहस के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) की स्थापना रा.कै.कोर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हुई थी। यह अपनी स्थापना के 67 वर्ष पूरे कर चुका है। एनसीसी देश के युवाओं के चरित्र एवं नेतृत्व, निःस्वार्थ सेवा के आदर्श, समर्पण और साहस के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है ''एकता और अनुशासन''।

13.2 वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया गया था कि एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या में दो लाख की वृद्धि कर 13 लाख से 15 लाख की जाएगी। पांच चरणों में से प्रत्येक चरण में 40,000 कैडेट बढ़ाए जाएंगे। इसके विस्तार के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत नफरी 13.8 लाख कैडेट हो गई है। वर्तमान में एनसीसी पूरे देश में फैला हुआ है जिसमें 15,816 संस्थान हैं।

13.3 मौजूदा नामांकित कैडेट नफरी का स्कन्ध–वार विवरण इस प्रकार है–

(क) सेना स्कन्ध – 11,40,081
(ख) वायु सेना स्कन्ध – 66,064
(ग) नौ सेना स्कन्ध – 65,445
कुल - 12,71,590 (3,50,222 महिला कैडेटों सहित)

विस्तार के लिए तीसरे चरण में नई स्थापनाएं खड़ी करना

13.4 vfrfjDr ,ulhlh dMV dh LohÑr l[;k 'kfDr e rhlj pj.k e ubl ;fuV [kMh djuk% 27 अक्तूबर 2015 को तीसरे चरण में 01 ग्रुप मुख्यालय, 07 सेनांग यूनिटें तथा 07 नौसेनांग यूनिटें खड़ी करने की सेद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इन यूनिटों की स्थाना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 814 हो जाएगी और इन यूनिटों की स्थापना के बाद कैडेटों की नफरी बढ़कर 14.2 लाख हो जाएगी। इन यूनिटों के स्थापित होने पर कैडेटों की संख्या बढ़कर 14,20,000 हो जाएगी। इनका विवरण इस प्रकार हैः–

संरचना (फ़ारमेशन)	तीसरा चरण
ग्रुप मुख्यालय	जाम नगर (गुजरात)
आर्मी यूनिटें (छात्रा)	झांसी (यू पी)
आर्मी यूनिट	क्योंझर (ओडिशा)
	राजनंदन गावं (छत्तीसगढ़)
	नामची (सिक्किम)
	नादुमकंदम (केरल)
	पालनपुर (गुजरात)
आर एंड वी स्क्वाड्रन	आर एंड वी रेजिमेंट नवानिया (राजस्थान)
नौसेना यूनिटें	पोरबंदर (गुजरात)
	भुज (गुजरात)
	गांधीधाम (गुजरात)
	वीरावल (गुजरात)
	जामनगर (गुजरात)
	नवसी (गुजरात)
	थाणे (महाराष्ट्र)

13.5 **एनसीसी गतिविधियों का संपूर्ण खर्च वहन की इच्छुक संस्थाओं को बिना बारी के आवंटन :** 22 जुलाई 2014 में सरकार ने स्व–वित्त पोषण आधार पर संस्थानों को बिना बारी के एनसीसी कैडेटों की नफरी आवंटित करने का एक निर्णय किया था। इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है और इससे सरकारी खर्चे में बचने के अतिरिक्त संस्थाओं की प्रतिक्षा सूची में आंशिक परिशोधन करने में भी सहायक होगा।

13.6 **रक्षा प्रशासित संस्थाओं को बिना उसकी बारी के एनसीसी का आबंटनः** 23 जुलाई 2015 को सरकार ने 100% केन्द्रीय निधि प्रदत्त रक्षा प्रशासित संस्थाओं को बिना उसकी बारी के एनसीसी के आबंटन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

महिला कल्याण से संबंधित गतिविधियां

13.7 **एनसीसी छात्रा बटालियन स्थापित करनाः** तीसरे चरण में झांसी, उत्तर प्रदेश में एनसीसी छात्रा बटालियन की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। छात्रों का वर्तमान प्रतिशत को 33% करने के उद्देश्य से छात्राओं को वर्तमान मिश्रित बटालियनों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अत्यधिक छात्राओं को सशस्त्र सैन्य बलों में भर्ती होने और एनसीसी प्रशिक्षण के लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए यह उपाय किया गया है।

एससीसी कैडेटों का प्रशिक्षण

13.8 **सामान्य :** एनसीसी देश के युवाओं को तैयार कर सशक्त बनाने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। बढ़ती हुई ऊर्जावान एनसीसी के पूर्व छात्रों की संख्या इसके अर्थपूण्र अस्तित्व का प्रमाण है। बदलते समय के साथ प्रशिक्षण दर्शन की समीक्षा कर 01 अप्रैल 2013 से नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

13.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर में कैडेटों का प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैंः–

(क) संस्थागत प्रशिक्षण
(ख) शिविर प्रशिक्षण
(ग) साहसिक प्रशिक्षण
(घ) समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास कार्य
(च) युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम

13.10 **संस्थागत प्रशिक्षण :** इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को सैन्य जीवन शैली से परिचित कराना और उनमें अनुशासन, व्यक्तित्व विकास तथा व्यवस्थित जीवन मूल्यों का संचार करना है। सभी नामांकित कैडेटों का अपने–अपने स्कूलों/कालेजों में एन सी सी के प्रत्येक स्कंध के लिए निर्धारित पाठयक्रम में यह प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.11 **शिविर प्रशिक्षण :** शिविर प्रशिक्षण एनसीसी के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये शिविर कैडेटों में सहचर्य, टीम भावना, परिश्रम की महत्ता और आत्म–विश्वास का विकास करने में सहायक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है– एकता एवं अनुशासन की भावना का विकास करना है। एनसीसी ने अपने कैडटों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है। एन सी सी द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शिविर इस प्रकार हैंः–

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी):** वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों को आयोजन राज्य निदेशालयों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जूनियर डिविजन/विंग (जेडी/जे डब्ल्यू) कैडेट और सीनियर डिविजन/ विंग (एसडी/एसडब्ल्यू) कैडेट, जिनकी संख्या लगभग 7.5 लाख है, कम से कम वर्ष में ऐसे एक शिविर में अवश्य भाग लें। हर वर्ष ऐसे लगभग 1400 शिविर लगाए जाते हैं।

(ख) **राष्ट्रीय एकता शिविर (एन आई सी) :** हर वर्ष कुल 37 राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी) आयोजित किए जाते हैं। सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कुल 21,960 कैडेट इन राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेते हैं। चालू प्रशिक्षण वर्ष के दौरान अब तक देश के विभिन्न भागों में 30 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं–

(i) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर, लेह :** 11 से 22 अगस्त 2015 तक लेह में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर में देश के सभी भागों से कुल 170 कैडेटों ने भाग लिया।

(ii) **विशेष राष्ट्रीय एकाता शिविर पेडापुरम (काकीनाड़ा) :** 15 से 26 अक्टूबर 2015 के दौरान पेडापुरम में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों से 300 छात्र और छात्रा कैडेटों ने भाग लिया।

(iii) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर बड़ाबाग (जैसलमेर) :** 24 अक्तूबर से 04 नवंबर 2015 तक बड़ाबाग, जैसलमेर में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। पूरे भारत से 300 कैटेटों ने इस शिविर में भाग लिया।

(iv) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) :** 27 दिसंबर 2015 से 7 जनवरी 2016 के दौरान दीमापुर (नागालैंड) में राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूरे भारत से 600 कैडेटों ने भाग लिया।

(v) **एसएनआईसी (पोर्ट ब्लेयर) :** पोर्ट ब्लेयर में 09 फरवरी से 20 फरवरी 2016 तक एसएनआईसी का आयोजन हुआ जिसमें 180 कैडेट ने भाग लिया।

(ग) **वायु सेना शिविर (वी एस सी) :** हर वर्ष वायुसेना वरिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों के लिए 12 दिन की अवधि के लिए एक अखिल भारतीय वायुसेना शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 8 से 19 अक्तूबर 2015 तक इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान के तत्वावधान में राजकीय पुलिस लाइन दौसा, जोधपुर में किया गया। जिसमें (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) 16 राज्य निदेशालयों के वायु स्कंध स्क्वाड्रन कुल 420 वरिष्ठ प्रभाग एवं 180 छात्राएं वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौ सैनिक शिविर :** यह शिविर भी नौसेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग एवं वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए वर्ष में एक बार 12 दिन की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 16–27 अक्तूबर 2015 तक कारवार में यह शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 590 कैडेटों (386 वरिष्ठ प्रभाग एवं 204 वरिष्ठ स्कंध) ने भाग लिया।

(च) **थल सैनिक शिविर :** परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी में हर वर्ष वरिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए एक थल सैनिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 18 सितम्बर से 29 सितंबर 2015 तक इस शिविर का आयोजन किया गया। कुल 1360 कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया।

(छ) **नेतृत्व शिविर :** हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 06 उन्नत नेतृत्व शिविरों (एएलसी) का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सेवा चयन बोर्ड और स्क्रीनिंग कैप्सूल की तैयारी के लिए दो उन्नत नेतृत्व शिविर आयोजित किए गए। इस शिविरों में 17 राज्य एनसीसी निदेशालयों से वरिष्ठ प्रभाग/ वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(ज) **पर्वतारोहण (रॉक क्लाइंबिंग) प्रशिक्षण शिविरः** कैडेटों को पर्वतारोहण की प्राथमिक जानकारी देने और उन्हें साहस की भावना से ओत–प्रोत करने के

लिए प्रत्येक प्रशिक्षण वर्ष में 08 पर्वतारोहण शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(झ) **गणतन्त्र दिवस शिविर 2016 :** दिल्ली में 30 दिसंबर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक गणतंत्र दिवस शिविर–2016 का आयोजन किया गया। इस शिविर में देश भर से आए 2069 कैडेटों सहित उन मित्र देशों से आए कैडेटों ने भी भाग लिया जिनके साथ एनसीसी का युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम है। पूरे मास चले इस शिविर में सांस्थानिक प्रशिक्षण से संबंधित अन्तर निदेशालय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं तथा राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

13.12 **गणतंत्र दिवस परेड :** एनसीसी के दो मार्चिंग दस्तों तथा एनसीसी के दो बैंडों ने 26 जनवरी 2016 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

13.13 **अटैचमेंट प्रशिक्षण :** एन सीसी कैडेट सशस्त्र सेना यूनिटों से जुड़कर सैनिक जीवन का प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित अटैचमेंट प्रशिक्षण आयोजित किए गए:–

(क) इस वर्ष 20,000 कैडेटों ने नियमित सेना यूनिटों के साथ एटेचमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया जिसमें महिल अधिकारियों सहित 440 अधिकारी तथा 560 वरिष्ठ स्कंध के कैडेट शामिल हुए।

(ख) इस वर्ष 120 वरिष्ठ प्रभाग तथा 48 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को क्रमशः भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून और अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई में दो–दो सप्ताह के एटैचमेंट प्रशिक्षण के लिए एटैच किया गया।

(ग) 100 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को विभिन्न सेना चिकित्सालयों में एटैच किया गया।

(घ) **वायु सेना अकादमीः** 16 राज्य रा. कै. को. निदेशालयों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) सेवाएं वायुसेना स्कंध के 100 एन सी सी कैडेटों (76 वरिष्ठ प्रभाग तथा 24 वरिष्ठ स्कंध) ने वायुसेना स्टेशन, डुंडीगल में अटैचमेंट प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(च) **विभिन्न वायुसेना स्टेशनः** हर वर्ष वायुसेना स्कंध के 20 एसोसिएट अफसरों (ए एन ओ) तथा 200 कैडटों (वरिष्ठ प्रभाग) को 14 दिन की अवधि के लिए विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर एटेच किया जाता है।

13.14 **माइक्रोलाइट उड़ान :** एयर विंग (वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध) के एनसीसी कैडेटों को हवाई अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी में माइक्रोलाइट उड़ान का आयोजन किया जाता है। इस समय देश के सभी राज्यों में 50 एनसीसी एयर स्क्वाड्रनों में माइक्रोलाइट उड़ान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

13.15 **एयर विंग ए एन ओ के लिए कमीशन से पूर्व तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :** हर वर्ष एयर विंग के एसोशिएट एनसीसी अफ़सरों के लिए 8 सप्ताह की अवधि के 03 कमीशन पूर्व पाठ्यक्रम तथा 04–04 सप्ताह की अवधि के 03 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वायुसेना स्टेशन, ताम्ब्रम में आयोजित किए जाते हैं और हर वर्ष एयर विंग के एएनओ इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं।

13.16 **नौसेना पोत अटैचमेंट :** नौसेना स्कंध के 170 कैडेटों को मुम्बई में भारतीय नौसेना के जहाजों पर 12 दिन का समुद्री प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान इन कैडेटों को विभिन्न नौसेना विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें समुद्र में नौसेना अभ्यास देखने का भी अवसर मिला।

13.17 **विदेश समुद्री यात्रा :** 10 कैडेट और 01 पर्यवेक्षण अधिकारी ने नौ सेना पोतों पर सवार होकर 16 सितंबर से 06 नवंबर 2015 तक पोर्ट ऑफ विक्टोरिया (सेसेल्स) और पोर्ट लुईस (मॉरीशस) की यात्रा की।

13.18 **नौसेना अकादमी अटैचमेंट प्रशिक्षण :** 13–24 दिसंबर 2015 तक कोझीकोड में 170 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

13.19 **नौसेना स्कंध के लिए तकनीकी एन सी सी शिविरः** चैन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेजों के 76 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 23 जून से 02 जुलाई 2015 तक वार्षिक तकनीकी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। कैडेटों को नौसेना इंजीनियरी स्थापनाओं आई एन एस बलसुरा, शिवाजी और नेवल डॉकयार्ड, मुंबई पर शिक्षण दौरे के लिए ले जाया गया।

सहासिक प्रशिक्षण

13.20 **चिल्का में अखिल भारतीय नौका दौड़ (सेलिंग रिगेटा) :** सभी 17 एन सी सी निदेशालयों से 51 वरिष्ठ प्रभाग तथा 51 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 20–27 नवम्बर 2015 तक आई एन एस चिल्का में आयोजित अखिल भारतीय एनसीसी नौका दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। रेग्ट्टा में बंग्ला देश एन सी सी के 01 अधिकारी और 06 कैडेटों ने भी इस दौड़ में भाग लिया।

13.21 **नौकायन अभियान :** नौकायन अभियान नौसेना प्रशिक्षण का एक रोचक अंग होता है। प्रत्येक एन सी सी निदेशालय 12 दिन के लिए न्यूनतम एक नौकायन अभियान आयोजित करता है जिसमें कुल 400 से 500 किलोमीटर दूर तय की जाती है। इस अभियान में प्रत्येक निदेशालय के 40 से 60 कैडेट भाग लेते हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न एन सी सी निदेशालयों ने ऐसे 13 अभियान आयोजित किए।

13.22 **स्कूबा डाइविंग :** इस वर्ष आंध्र प्रदेश, तेलांगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी एवं अंडमान एवं निकोबार के एनसीसी निदेशालयों में स्कूबा डाइविंग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 225 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने भाग लिया।

13.23 **पर्वतारोहण अभियानः** प्रति वर्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय छात्रा और छात्र कैडेटों के लिए दो अभियान संचालित करता है। 20 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेट इन अभियानों में भाग लेते हैं। वर्ष 2015 में एनसीसी छात्र कैडेटों ने हिमाचल प्रदेश में स्थित देव टिब्बा चोटी पर चढ़ाई की। छात्रा कैडेटों ने गढ़वाल हिमालय (उत्तराखंड) में स्थित त्रिशुल चोटी पर चढ़ाई करने का प्रयास किया।

एनसीसी महिलाओं का माउंट देव तिब्बा अभियान

13.24 **ट्रेकिंग अभियान :** एनसीसी निदेशालयों द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 29 ट्रेकिंग अभियान किए गए जिनमें 14500 कैडेटों ने भाग लिया।

1325 **पैरा बेसिक पाठ्यक्रम :** प्रतिवर्ष छात्रा कैडेटों को पैरा प्रशिक्षण स्कूल, आगरा में पैरा बेसिक पाठ्यक्रम में नामित किया जाता है। प्रशिक्षण वर्ष के दौरान 40 वरिष्ठ प्रभाग तथा 40 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने इस पाठयक्रम में भाग लिया।

13.26 **स्लिदरिंग प्रदर्शन :** 120 कैडेटों को स्लिदरिंग का प्रशिक्षण दिया गया और 29 वरिष्ठ प्रभाग तथा 13 वरिष्ठ कैडेटों ने एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली–2015 में स्लिदरिंग प्रदर्शन में भाग लिया।

13.27 **मरूस्थल ऊंट यात्रा (डेजर्ट कैमल सफारी):** डैजर्ट कैमल सफारी प्रतिवर्ष राजस्थान निदेशालय द्वारा जैसलमेर डेजर्ट में आयोजित किया जाता है। 22 नवम्बर से 03 दिसंबर 2015 तक 20 भारतीय एनसीसी कैडेटों के साथ कजाकिसतान के 07 कैडेटों ने डेजर्ट कैमल सफ़ारी में भाग लिया।

13.28 **समुद्र के उपर उड़ानः** इस वर्ष समुद्री अनुभव प्राप्त करने के लिए कैडेटों को नौसेना पोत पर भेजा गया था और 710 कैडेटों द्वारा 7 समुद्री उड़ाने (सी सार्ट) की गई।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाईईपी)

13.29 **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में अर्न्तगत विदश दौरेः** इस वर्ष युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विदेश दौरे का विवरण इस प्रकार है।:–

क्रम सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	सिंगापुर	4	20
(ख)	रूस	2	25
(ग)	श्रीलंका	3	18
(घ)	कजाकिस्तान	2	24
(च)	भूटान	2	12
(छ)	बांगलादेश	2	20
(ज)	वियतनाम	2	13
(झ)	नेपाल	1	8
	कुल	**18**	**140**

13.30 **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदशी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा किए जाने वाले दौरे :** युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा निम्नलिखित दौरे किए गए:–

क्रम सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	काजाकिस्तान एन सी सी कैडेटों द्वारा डेजर्ट सफारी के लिए	2	7
(ख)	बंगलादेश (सेलिंग रिगट)	1	6
(ग)	बंगलादेश (बेलगांव ट्रेक)	1	8
(घ)	श्री लंका (शिवाजी ट्रेल ट्रैक)	1	6
(च)	भूटान, कजाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम और रूस से 07 प्रतिनिधिमंडलों ने गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) 2016 में भाग लिया	12	91
(छ)	बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान, वियतनाम और रूस के विभागाध्यक्ष	6	0
कुल		**23**	**118**

सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास

13.31 **सामान्य :** कैडेटों में समुदाय के लिए निःस्वार्थ सेवा, परिश्रम की गरिमा, स्वयं सहायता का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता करने की भावना पैदा करने के उदेश्य से एनसीसी द्वारा समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास के कार्य किए जाते हैं। ये कार्य स्वच्छ भारत अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रमों व अनाथालयों का दौरा करने, मलिन बस्तियों की सफ़ाई, ग्रामीण उत्थान एवं विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं। एन सी सी कैडेटों ने जिन बड़ी गतिविधियों में भाग लिया उनका विवरण आगामी अनुच्छदों में दिया गया है।

13.32 **स्वच्छ भारत अभियान :** वर्ष 2015 के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 4,21,632 एन सी सी कैडेटों ने 'स्वच्छता अभियान' एवं साफ–सफाई, जागरुकता अभियान चलाया।

13.33 **वृक्षारोपण :** एनसीसी कैडेट पौधे लगाते हैं तथा बाद में संबंधित राज्य विभाग/कॉलेजों/स्कूलों और गाँवों के साथ मिल कर उनकी देखभाल करते हैं। इस वर्ष पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण अभियान के अंतर्गत एनसीसी कैडेटों ने देश भर में 2,29,056 पौधे लगाए।

13.34 **रक्तदान :** जब कभी सरकारी अस्पतालों/रेड क्रॉस को आवश्यकता होती है, एन सी सी कैडेट स्वेच्छा से रक्तदान करते रहे हैं। इस वर्ष एनसीसी के 21,697 कैडेटों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।

31.35 **वृद्वाश्रम :** पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी कैडेटों ने वृद्धाश्रमों को अपनी सेवाएं प्रदान की।

13.36 **एड्स जागरूकता कार्यक्रम :** एनसीसी कैडेट एड्स/एचआईवी के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वे देश भर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न शिविरों के दौरान एच आई वी/एड्स पर व्याख्यान तथा बातचीत के दौर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 01 दिसंबर 2015 को एड्स जागरुकता दिवस मनाया गया था जिसमें 17 निदेशालयों से 29,921 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया था।

13.37 **nहेज रोधी और कन्या-भ्रूण हत्या रोधी शपथः** पूरे देश में एन सी सी कैडेटो ने दहेज रोधी और कनया–भ्रूण हत्या रोधी शपथ ली। रैलियों और जागरुकता कार्यक्रमों में लगभग 73,809 कैडेटों ने भाग लिया।,

13.38 **पल्स पोलियो टीकाकरण :** एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में सरकार द्वारा चलाए गए अनेक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों में भाग लिया। 39,330 एनसीसी कैडेटों ने इस कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लिया।

13.39 **कुष्ठ रोधी अभियान :** एन सी सी कैडेटों ने पूरे देश में कुष्ठ रोधी अभियानों का आयोजन किया तथा वे इस क्षेत्र में विभिन्न स्वयं सेवी/सरकारी संगठनों की सहायता कर रहे हैं।

13.40 **कैंसर जागरूकता कार्यक्रम :** 44,943 एन सी सी कैडेटों ने विभिन्न शहरो में आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

13.41 **तम्बाकू-रोधी अभियान :** 31 मई 2015 को मनाए गए ''तम्बाकू–रोधी दिवस (नो टोबेको डे)'' पर सभी निदेशालयों के लगभग 93,611 कैडेटों ने भाग लिया। इस दिन तंबाकू के कुप्रभावों के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सभी एनसीसी निदेशालयों में एनसीसी कैडेटों द्वारा विभिनन रैलियों/स्ट्रीट/नाटकों का आयोजन किया गया।

13.42 **गाँवों तथा मलिन बस्तियों को गोद लेनाः** एन सी सी ने देश के विभिन्न भागों में गाँवों व मलिन बस्तियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए 1170 गांवो/मलिन बस्तियों को गोद लिया है। इससे एनसीसी कैडेटों को समाज के विभिन्न वर्गों और गांवों में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

13.43 **राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियाँः** सभी एनसीसी निदेशालयों से एनसीसी कैडेट जिन राष्ट्रीय स्तर के खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते है, वे निम्नलिखित हैं:–

(क) **एनसीसी राष्ट्रीय खेल :** एनसीसी के राष्ट्रीय खेल 06 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए। एनसीसी राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रूप में 13–24 अगस्त, 2015 तक आसनसोल में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 2200 कैडेटों ने फुटबॉल, हॉकी, वाली बॉल, बैडमिंटन, एथलेटिकस, खो–खो, कबड्डी और निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एनसीसी निदेशालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इन प्रतियोगिताओं में विजयी रहे तथा एनसीसी निदेशालय पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम रनर अप रहा।

(ख) **जवाहर लाल नेहरू हॉकी कप टूर्नामेंट :** एनसीसी की कनिष्ठ छात्रा और उप कनिष्ठ छात्र श्रेणियों की टीमों ने प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट–2015 में भाग लिया, जहाँ ये टीमें देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों और कुछ विदेशी टीमों के साथ खेली। एनसीसी कनिष्ठ छात्र (ओडिशा

निदेशालय) ने इतिहास में पहली बार जवाहर लाल नेहरु कप टूर्नामेंट जीता है।

(ग) **सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट :** एनसीसी की कनिष्ठ छात्र और उप कनिष्ठ छात्र टीमों ने प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट–2015 में भाग लिया, जहां ये टीमें देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों और कुछ विदेशी टीमों के साथ खेलीं।

(घ) **अखिल भारतीय जीवी मावलंकर निशानेबाजी प्रतियोगिता :** गोली चालन (फायरिंग) एनसीसी की प्रशिक्षण गतिविधियों में एक प्रमुख गतिविधि हैं। एनसीसी खेल गतिविधियों में निशानेबाजी एक विशेष रोचक स्थान रखती है। एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय रायफल एसोशिएसन (एनआरएआई) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जीवी मावलंकर निशानेबाजी प्रतियोगिता (एआईजीवीएमएससी) में भाग लिया। एनसीसी निशानेबाजी टीमें पिछले कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस वर्ष भी एनसीसी निशानेबाजी टीम ने इस प्रतियोगिता में 06 स्वर्ण, 09 रजत और 04 कांस्य पदक जीते।

(च) **राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिता:** प्रतिवर्ष एनसीसी निशानेबाजी टीमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिता में भाग लेती है। इस वर्ष 1 से 15 दिसंबर, 2015 के दौरान यह प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 45 एनसीसी निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 02 स्वर्ण एवं 04 कांस्य पदक जीते।

(छ) **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस :** माननीय प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी 2015 को आयोजित एनसीसी प्रधानमंत्री रैली के दौरान 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए सभी एनसीसी कैडेटों को अह्वान किया। 21 जून 2015 को पूरे भारत में 1767 स्थानों पर 9,50,210 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया और एक कीर्तिमान बनाया। 24 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्री की उपस्थिति में एनसीसी को लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है।

****

14

विदेशों के साथ रक्षा सहयोग

गणतंत्र दिवस समारोह - 2016 के दौरान राजपथ पर पैदल मार्च करती हुई फ्रांसीसी सैन्य दुकड़ी

मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबधों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र हैं। इसमें आपसी विश्वास तथा सहानुभूति व्यक्त करने एवं बनाए रखने के लिए किए गए कार्यकलाप तथा पहलें शामिल हैं।

14.1 मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है । इसमें रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं द्वारा पारस्परिक विश्वास तथा समझौता करने एवं उसे बनाए रखने के लिए किए गए कार्यकलाप एवं पहलें शामिल हैं । मित्र देशों के साथ रक्षा राजनयिक कार्यकलाप उच्च स्तरीय रक्षा संबंधी दौरों, प्रशिक्षण आदान-प्रदानों सेना से सेना के बीच वार्ताएं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन इत्यादि के रूप में हुए हैं।

14.2 भारत ने **अफगानिस्तान** में सुरक्षा स्थिति के स्थिरीकरण के लिए अपनी व्यापक सहायता को जारी रखा है । भारत ने अफगान नेशनल आर्मी (एएनए) के सुरक्षा कार्मिकों को सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रशिक्षण तथा चिकित्सा सहायता के जरिए उसके क्षमता निर्माण में सहायता की है ।

14.3 भारत ने **आस्ट्रेलिया** के साथ अपने रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है । चौथी वायु सेना स्टाफ वार्ताएं अप्रैल 2015 में आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थीं । अपर सचिव की सह-अध्यक्षता में चौथी रक्षा नीति वार्ताएं (डीपीटी) 24-26 जून, 2015 को आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थीं । आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ वार्ताएं करने के लिए 02 सितम्बर, 2015 को भारत की यात्रा की थी । दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अनेक मसलों पर सार्थक विचार-विमर्श रहा जिसमें रक्षा अनुसंधान, शांति सेना केन्द्र, दो वायु सेनाओं के बीच संवर्धित विचार-विमर्श, आईईडी रोधी एवं अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

14.4 **बंग्लादेश** के साथ रक्षा सहयोग को अनेक उच्च स्तरीय दौरों एवं आदान-प्रदान के द्वारा सुदृढ़ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय सीमा रेखा के समाधान के बाद दोनों तटरक्षकों के बीच चर्चाओं को और बढ़ाया गया है। सेनाध्यक्ष (सीओएएस) ने मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश सैन्य अकादमी के पीओपी का निरीक्षण किया। नौसेनाध्यक्ष ने दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए बंग्लादेश की सदभावना यात्रा की। बंग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम मुइयां ने मार्च-अप्रैल, 2015 में भारत का दौरा किया था तथा उनके उत्तराधिकारी जनरल अबु बेलाल मोहम्मद शरीफ हक, सेनाध्यक्ष बंग्लादेश ने सितम्बर, 2015 में भारत की यात्रा की थी। बंग्लादेश के नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल एम फरीद हबीब ने नवम्बर, 2015 में भारत का दौरा किया। वायु सेना से वायु सेना के बीच उद्घाटन स्टाफ वार्ताएं 4-6 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई । नौसेना से नौसेना के बीच तीसरी स्टाफ वार्ताएं नई दिल्ली में 20-22 मई, 2015 को आयोजित की गई तथा सेना से सेना के बीच 6वीं स्टाफ वार्ताएं 14-16 अक्तूबर, 2015 को ढाका में आयोजित की गई।

14.5 भारत के **भूटान** के साथ अत्यंत निकट एवं मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंध हैं। भूटान के सशस्त्र सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा दिया जाता है। भूटान सेना के मुख्य संक्रिया अफसर (सीओओ) का मार्च, 2016 में भारत का दौरा करने की संभावना है।

14.6 **ब्राजील** के साथ भारत के रक्षा संबंध विशेष रूप से नौसेनाओं के बीच सहयोग सुदृढ़ बनाने के लिए जारी रहा। संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) ने 16-18 जून, 2015 को ब्राजील में अपनी चौथी बैठक आयोजित की तथा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ाने के लिए अनेक उपायों पर सहमति प्रदान की।

14.7 प्रधानमंत्री की **कनाडा** की 14-16 अप्रैल, 2015 को यात्रा के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक दृढ़ संकल्प वक्तव्य (एसओआई) को अंतिम रूप दिया गया।

14.8 **चीन** के साथ भारत का रक्षा सहयोग वार्षिक रक्षा एवं सुरक्षा वार्ता जिसने अप्रैल, 2015 में बीजिंग में अपनी 7वीं बैठक आयोजित की थी, उसके द्वारा निर्देशित है। अन्य आदान-प्रदान में चेंग्डु सैन्य क्षेत्र (एमआर) के 15 सदस्यी युवा सीमा अफसरों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 23-28 अप्रैल, 2015 को भारत का दौरा, श्री लीउ युआन, राजनीतिक आयुक्त पीएलए का 26-27 अप्रैल, 2015 को भारत का दौरा, मेजर जनरल ली क्विंजी महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग पीएल के नेतृत्व में पीएलए के 6 सदस्यी सैन्य स्वास्थ्य प्रतीनिधि मंडल का 22-26 मई, 2015 का दौरा, राष्ट्रीय रक्षा आदान-प्रदान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनयूडीटी) के प्रेसीडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा आदान-प्रदान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल का 14-16 जून, 2015 का दौरा, चेंग्डु एमआर चीन के सदभावना एवं कला पर 6 सदस्यी उन्नत टीम के प्रतिनिधि मंडल का 13-19 जुलाई, 2015 को दिल्ली और कोलकाता का दौरा शामिल है । जनरल फान चॉगलोंग, वाइस चेयरमैन, केंद्रीय सैन्य कमीशन के नेतृत्व में 26 सदस्यी सशक्त प्रतिनिधि मंडल ने 15-17 नवम्बर, 2015 को भारत की यात्रा की । तिब्बत सैन्य क्षेत्र के उप कमांडर मेजर जनरल डांग इंचेंग ने 7-11 दिसम्बर, 2015 को भारत दौरे के दौरान 8 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । भारत की ओर से चीनी दौरों में उत्तरी कमांडर का अक्तूबर, 2015 में लांझाऊ का दौरा शामिल है। दो स्टार वाले अफसर के नेतृत्व में दो सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने बीजिंग में 16-18 अक्तूबर, 2015 को आयोजित की गई 6वीं झिंयांगशान का मार्च, 2016 में चीन का दौरा करना अधिसूचित है ।

14.9 भारत और **फ्रांस** मजबूत एवं पारस्परिक हितकारी रक्षा संबंध का साझा करना जारी रखते हैं। श्री जिएन यवेस ली ड्रियन रक्षा मंत्री फ्रांस ने मई, 2015 में भारत की यात्रा की । संयुक्त नौसेना अभ्यास वरूण 23 अप्रैल, से 2 मई, 2015 को भारत में आयोजित किया गया । रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री ने राफेल विमान की खरीद के बारे में 26 जनवरी, 2016 को दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

14.10 भारत **जर्मनी** के साथ-साथ मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंधों को साझा करता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री डॉ. उर्सुला वोन डेर लेयेन ने 26-28 मई, 2015 को भारत का दौरा किया।

14.11 भारत के **ग्रीस** के साथ रक्षा संबंधों को ग्रीस के रक्षा मंत्री श्री पनोस ई. कमेनोस्टो की 17-20 दिसम्बर, 2015 की भारत यात्रा के द्वारा और बढ़ाया गया ।

14.12 इस वर्ष के दौरान **इंडोनेशिया** के साथ भारत का रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाना जारी रखा गया । सेना से सेना के बीच चौथी स्टाफ वार्ताएं फरवरी, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित की गई । नौसेना से नौसेना के बीच 7वीं स्टाफ वार्ताएं जून, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्त (कोरपेट) का 26वां चक्र सितम्बर-अक्तूबर, 2015 के दौरान आयोजित किया गया।

14.13 **इजराइल** के साथ रक्षा संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इजराइल के साथ वायु सेना से वायु सेना के बीच 8वीं स्टाफ वार्ताएं 11-13 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । इजराइली वायु एवं अंतरिक्ष बल के कमांडर ने 30 नवम्बर से 03 दिसम्बर, 2015 को भारत की सदभावना यात्रा की। इजराइली रक्षा मंत्रालय के

महानिदेशक डा. डेन हारेल ने 17-18 फरवरी, 2016 को भारत की यात्रा की । वायु सेनाध्यक्ष का मार्च, 2016 में इजराइल की यात्रा करने का कार्यक्रम है ।

14.14 **जापान** के साथ भारत के रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ एवं विविध बनाया गया है। रक्षा मंत्री ने 30-31 मार्च, 2015 को जापान का दौरा किया था। इनके जापानी नेताओं के साथ लाभकारी विचार-विमर्श रहे। वायु सेना स्टाफ वार्ताएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उद्घाटन दौर जापान में फरवरी, 2016 में आयोजित किया गया । रक्षा सचिव एवं विदेश सचिव की सह-अध्यक्षता में जापान के साथ 2-2 फोरम की तीसरी बैठक 06 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई थी । रक्षा सचिव की सह-अध्यक्षता में जापान के साथ चौथी रक्षा नीति वार्ता 07 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई । दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया । रक्षा उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-जापान कार्यकारी समूह गठित किया गया । संयुक्त सचिव (डीआईपी) ने जापान में 23-24 मार्च, 2015 को संयुक्त कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक की सह-अध्यक्षता की भारत गणराज्य की सरकार और जापान गणराज्य की सरकार के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचना की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों संबंधी समझौते पर 12 दिसम्बर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए ।

14.15 **कजाखस्तान** के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध रक्षा संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है । सैन्य तकनीकी सहयोग (एमटीसी) पर भारत-कजाखस्तान संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 30 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । कजाखस्तान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और कजाखस्तान के बीच रक्षा एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौते पर 8 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किए गए ।

14.16 **किर्जिस्तान** के साथ भारत के रक्षा संबंध निरन्तर रूप से विकसित होना जारी है । किर्जिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर समझौते पर 12 जुलाई, 2015 को हस्ताक्षर किए गए ।

14.17 **मलेशिया** के साथ रक्षा संबंधों में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई। भारतीय नौसेना पोत कोमोर्ता ने मार्च, 2015 में लेंग्कावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एयरोस्पेस प्रदर्शन (एलआईएमए) में भाग लिया था । तीसरी आशियान रक्षा मंत्री समिति (एडीएमएम) प्लस में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 3-4 नवम्बर, 2015 को मलेशिया का दौरा किया और अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की ।

14.18 भारत और **मालद्वीव** संयुक्त समुद्रीय सुरक्षा मामलों का साझा करते है । इस बारे में भारत मालदीव को तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीएसआरएस) स्थापित करने में सहायता कर रहा है । मालदीव के रक्षा मंत्री श्री एडम शरीफ उमर ने 18-21 जनवरी, 2016 को भारत की यात्रा की थी । मालदीव के साथ उद्घाटन नौसेना स्टाफ वार्ताएं मार्च, 2016 में आयोजित होने का कार्यक्रम है ।

14.19 भारत और **मारीशस** गहन संबंध को साझा करते हैं । प्रधानमंत्री मारीशस राष्ट्रीय दिवस समारोह एवं एमसीजीएस बाराकुडा के जलावरण समारोह के मुख्य अतिथि थे । मारीशस के साथ हाइड्रोग्राफी पर समझौता ज्ञापन को 2020 तक नवीकृत किया गया है । नौसेनाध्यक्ष ने जनवरी, 2015 में मारीशस की यात्रा की थी । इस यात्रा के दौरान उन्होंने उत्पादक राष्ट्र स्थिति को समर्पित व्हाइट शिपिंग डाटा फ्यूजन सेंटर का उद्घाटन किया एवं नए मारीशस तटरक्षक डाकयार्ड के लिए स्थल का निरीक्षण किया । उद्घाटन तटरक्षक स्टाफ वार्ताएं अक्तूबर, 2015 में आयोजित की गई ।

14.20 **मंगोलिया** के साथ रक्षा सहयोग हमारे पारम्परिक मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण घटक रहा है । रक्षा सहयोग पर 7वें भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्यकारी समूह में शामिल होने के लिए संयुक्त सचिव (पीआईसी)

के 20-21 नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 2015 को दौरा किया था ।

14.21 **म्यांमार** के साथ रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । म्यांमार के साथ 7वीं सीमा समिति बैठक इंफाल (मंत्रीपुखरी) में 6-10 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई । म्यांमार सशस्त्र बल के नम्बर 1 विशेष संक्रिया ब्यूरो के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मिंत सोई 2-5 जून, 2015 को भारत यात्रा पर आए थे । म्यांमार की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हेलेंग ने 26 जुलाई से 01 अगस्त 2015 को भारत का दौरा किया था । म्यांमार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2015 को एचएएल बंगलौर की यात्रा की थी। म्यांमार सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल (क्यूएमजी) ने 28 सितम्बर, से 02 अक्तूबर, 2015 को भारत का दौरा किया था । रक्षा विश्वविद्यालयों / कालेजों / संस्थानों के प्रमुखों की 19वीं एआरएफ बैठक में शामिल होने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल ने 2-4 सितम्बर, 2015 को नेई पई पा, म्यांमार की यात्रा की थी / म्यांमार के साथ वायु सेना उद्घाटन स्टाफ वार्ताएं 21-23 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । नौसेना से नौसेना के बीच चौथी स्टाफ वार्ताएं 23-25 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । म्यांमार के साथ सेना उद्घाटन स्टाफ वार्ताएं 28-30 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । भारत ने म्यांमार में बाढ़ के समय आपातकालीन राहत सामग्री भी पहुंचायी थी । वायु सेना द्वारा म्यांमार के काले एवं मंडाले जैसे स्थानों पर चावल एवं दवाईयां पहुंचाई गई ।

14.22 भारत और **नेपाल** मजबूत रक्षा संबंध साझा करते हैं । नेपाल के अनेक रक्षा कार्मिकों को भारत में विभिन्न रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । भारत नेपाल सेना के डीआईपीआर, डीआरडीओ पाठ्यक्रमों को भी नियमित रूप से प्रदान करती है । जनरल राजेन्द्र छेत्री, नेपाली सेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2016 में भारत की यात्रा की। स्थापित परम्परानुसार उनकी यात्रा के दौरान उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष मानाभिषेक समारोह में भारतीय सेना के सम्मानार्थ जनरल के रैंक से नवाजा गया था ।

14.23 भारत और **नाइजीरिया** मैत्रीपूर्ण संबंधों को साझा करते हैं । नाइजीरिया के साथ तीसरी जेडीसीसी बैठक 10 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (पीआईसी) द्वारा किया गया । दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों पर चर्चा की ।

14.24 **ओमान** के साथ भारत के रक्षा संबंधों में वृद्धि होना जारी है । सेनाध्यक्ष ने 16-18 अगस्त, 2015 को ओमान की यात्रा की । भारतीय नौसेना जहाज प्रशिक्षण पोत ''तरंगिनी'' और ओमान रॉयल नौसेना जहाज प्रशिक्षण पोत (एसटीएस) ''शबाब'' के बीच संयुक्त जहाज जल यात्रा नवम्बर-दिसम्बर, 2015 में आयोजित हुई । मस्कट में 8-9 फरवरी, 2016 को भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 8वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया ।

14.25 भारत **कोरिया** गणराज्य के साथ मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंध रखता है। रक्षा मंत्री ने 16-18 अप्रैल, 2015 को कोरिया गणराज्य का दौरा किया था। नौसेना से नौसेना के बीच स्टाफ वार्ताओं को संस्थागत बनाने के लिए निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों के विदेश सचिव एवं रक्षा सचिव की सह अध्यक्षता में 2+2 वार्ता भी स्थापित की गई है।

14.26 **रूस** के साथ रक्षा संबंध पारस्परिक विश्वास और समझौते पर आधारित हमारी विशेष एवं प्राधिकृत भागीदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों देशों के चिरस्थायी रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नियमित विचार-विमर्शो हेतु मजबूत, बहुस्तरीय संस्थागत तंत्र है। रक्षा मंत्री ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) की 15वीं बैठक में

सह अध्यक्षता करने के लिए 31 अक्तूबर से 02 नवम्बर 2015 को रूस की यात्रा की थी । रक्षा राज्य मंत्री ने 15-17 अप्रैल, 2015 को रूस का दौरा किया था और मास्को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को सम्बोधित किया था । भारतीय सैन्य टुकड़ी ने मास्को में मई, 2015 में विजय दिवस की 70वीं सालगिरह की यादगार परेड में हिस्सा लिया जिसमें भारत के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे रक्षा सचिव ने सैन्य तकनीकी सहयोग की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति (एचएलएमसी) की 8वीं बैठक भाग लेने के लिए 29 जून, 2015 को रूस का दौरा किया था । दोनों पक्षों ने भारत में क्रमशः नवम्बर, 2015 और दिसम्बर, 2015 में द्विपक्षीय सेना तथा नौसेना अभ्यासों का आयोजन किया । भारतीय सशस्त्र बलों ने अगस्त, 2015 में रूस में आयोजित किए गए सेना खेलखूद में हिस्सा लिया । सशस्त्र सेना सहयोग में प्रगति लाने के लिए भारत में 2015 में आयोजित की गई उद्घाटन नौसेना स्टाफ वार्ताओं तथा संयुक्त सेना वार्ताओं के रूप संयुक्त तंत्रों को संस्थागत किया गया। दोनों देशों ने भारत में केए-226 हेलीकॉप्टर को विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर इंजीनियरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 दिसम्बर, 2015 को मास्को में एक अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) को भी अंतिम रूप दिया ।

14.27 भारत एवं **सेशल्स** उच्च स्तरीय दौरों, प्रशिक्षण आदान-प्रदान रक्षा आपूर्तियों, टाइड्रोग्राफी इत्यादि के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस सहयोग को प्रधानमंत्री की मार्च, 2015 में सेशल्स के दौरे के दौरान और बढ़ाया गया । इसके ईईजेड के प्रभावी गश्त के लिए भारत ने जनवरी, 2016 में सेशल्स को तटरक्षक त्वरित इंटरसेप्टर नौका तथा अन्य सहयोगी सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की है । सेशल्स तटरक्षक कार्मिकों की 5 सदस्यी टीम ने संक्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 को भारत की यात्रा की।

14.28 भारत और **सिंगापुर** के बीच रक्षा संबंधों में हाल ही के वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है । संयुक्त सचिव स्तर की भारत-सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह (डीडब्ल्यूजी) 8वीं बैठक 6 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस), एशिया सुरक्षा पर 14वीं शिखर सम्मेलन 29-31 मई, 2015 को शांग्री ला में भाग लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा की । द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास (सिम्बेक्स) मई, 2015 में सिंगापुर में आयोजित किया गया । नौसेनाध्यक्ष ने जुलाई 2015 में सिंगापुर का दौरा किया था । श्वेत पोतपरिवहन सूचना पर तकनीकी समझौते उनकी यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया। रक्षा सचिव की सह-अध्यक्षता में 10वां भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता (डीपीडी) 01 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की नवम्बर, 2015 में सिंगापुर यात्रा के दौरे रक्षा सहयोग पर संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । दोनों देशों की सेनाओं के बीच तोपखाना अभ्यास (अग्नि) अक्तूबर-नवम्बर 2015 में आयोजित किया गया। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी) अक्तूबर-नवम्बर, 2015 में कलईकुंडा में आयोजित किया गया ।

14.29 भारत और **दक्षिण अफ्रीका** ने अपने संबंधों में विस्तार किया है । वायु सेनाध्यक्ष ने जुलाई, 2015 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की । अनुसंधान तथा विकास प्रौद्योगिकी सहयोग तलाशने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ नई पहलें प्रारंभ की गई हैं ।

14.30 हाल ही के वर्षों में भारत और **स्पेन** के बीच रक्षा संबंधों में निरन्तर प्रगति हुई है । स्पेन के रक्षा सचिव श्री पेड्रो अरगुलीज सालावेरिया 28 अक्तूबर, 2015 को भारत के दौरे पर आए थे । दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की प्रारंभिक बैठक भी 27 नवम्बर, 2015 को भारत में आयोजित की गई ।

14.31 भारत और **श्रीलंका** घनिष्ठ रक्षा संबंधों को साझा करते हैं । दोनों पक्षों के रक्षा सचिवों की सह-अध्यक्षता में तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली 21-22 सितम्बर, 2015 को आयोजित की गई । श्रीलंकाई वायु सेना के कमांडर एयर मार्शल गगन पुलस्थी बुलथासिंघला, जुलाई 2015 में भारत की यात्रा पर आए थे। नौसेनाध्यक्ष ने भी श्रीलंका में 23-24 नवम्बर, 2015 को आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय सम्मेलन-गाले वार्ता में भाग लिया। सेनाध्यक्ष 30 नवम्बर, 3 दिसम्बर, 2015 को श्रीलंका की सदभावना पर गए । नौसेना से नौसेना के बीच 5वीं स्टाफ वार्ताएं 2-4 दिसम्बर, 2015 को कोलंबो में आयोजित की गई । उक्त माह के दौरान प्रारंभिक तटरक्षक स्टाफ वार्ताएं आयोजित की गई । भारतीय वायु सेना- श्रीलंकाई वायु सेना के बीच 6वीं स्टाफ वार्ताएं 15-17 सितम्बर, 2015 को कोलंबो में आयोजित की गई । सेना से सेना के बीच 5वीं स्टाफ वार्ताएं 20-22 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । गोवा शिपयार्ड लि. (जीएसएल) में निर्मित किए जा रहे द्वितीय अपतटीय गश्त जलयान (ओपीवी) की पोत आधारशिला रखने के अवसर पर श्रीलंका के 4 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने 7-10 मई, 2015 को भारत की यात्रा की । दो स्टाफ अफसरों के साथ 24 श्रीलंकाई प्रशिक्षु अफसरों के श्रीलंकाई नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने उप लेफ्टिनेंट (एनपीएम) विमुक्ति दौरे के भाग के रूप में 15-24 जून, 2015 को दक्षिण नौसेना कमान मुख्यालय (एचक्यूएसएनसी) कोच्चि तथा गोवा का दौरा किया । 100 श्रीलंकाई अफसरों के लिए इंफैन्ट्री स्कूल, महु में 5 जुलाई से 15 अगस्त 2015 तक छह सप्ताह की अवधि (यात्रा अवधि छोड़कर) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । रियर एडमिरल केकेवीपीएच डि सिल्वा के नेतृत्व में 7 सदस्यी श्रीलंकाई नौसेना के अफसरों के प्रतिनिधिमंडल ने 21-25 जुलाई, 2015 को दक्षिण नौसेना कमान मुख्यालय में प्रशिक्षण स्थापनाओं तथा कोच्चि में भारतीय नौसेना वर्कअप टीम (आईएनडब्ल्यूटी) की यात्रा की । भारत ने 1-2 सितम्बर 2015 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई रक्षा सेमिनार 2015 में भाग लिया । भारतीय वायु सेना श्रीलंकाई मिसाइलों के पुनः वैधीकरण तथा सेवा विस्तार में श्रीलंकाई वायु सेना को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है ।

14.32 **स्वीडन** के साथ रक्षा संबंध में वृद्धि हुई है । स्वीडन के रक्षा मंत्री श्री पीटर हल्तकिस्ट 9-12 जून, 2015 को भारत की यात्रा पर आए थे ।

14.33 भारत के **तंजानिया** के साथ पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर 19 जून, 2015 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

14.34 **थाईलैंड** के साथ रक्षा सहयोग में पर्याप्त प्रगति होती रही है । वायु सेना स्टाफ वार्ताएं सितम्बर, 2015 को आयोजित की गई । भारतीय नौसेना तथा रायल थाई नौसेना (आरटीएन) के बीच समन्वित गश्त (कोरपेट) का 19वां चक्र नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया। अपर सचिव की सह-अध्यक्षता में चौथी भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता दिसम्बर 2015 को बैंकाक में आयोजित की गई । भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने थाईलैंड में फरवरी, 2016 में बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा गोल्ड में भाग लिया।

14.35 **तुर्कमेनिस्तान** के साथ रक्षा संबंधों में सार्थक विस्तार हुआ । माननीय प्रधानमंत्री की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर 11 जुलाई, 2015 को हस्ताक्षर किए गए । तुर्कमेनिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल बर्दियेव ने फरवरी, 2016 में भारत का दौरा किया ।

14.36 **संयुक्त अरब अमीरात** (यूएई) के साथ बढ़े हुए रक्षा संबंधों में वायु सेनाध्यक्ष की 19-21 अगस्त, 2015 को यूएई की यात्रा तथा आबूधाबी में 16-17 सितम्बर, 2015 को नौसेना से नौसेना के बीच 5वीं स्टाफ वार्ताएं शामिल हैं।

14.37 **यूनाइटेड किंगडम** के साथ रक्षा सहयोग दोनों देशों की सेनाओं के बीच उच्च स्तरीय दौरों तथा प्रशिक्षण के आदान-प्रदान एवं अन्य व्यावसायिक आदान-प्रदान के जरिए क्रमिक रूप से बढ़ते रहे हैं । सेनाध्यक्ष ने 7-13 जून, 2015 को यूके की यात्रा की । सेना अभ्यास अजेय योद्धा का आयोजन 8-26 जून, 2015 को यू.के. में किया गया । अभ्यास कैम्ब्रियन गश्त 17-26 अक्तूबर, 2015 को आयोजित किया गया । नौसेना अभ्यास कोंकण 05-11 सितम्बर, 2015 को यू.के. में आयोजित किया गया तथा वायु सेना अभ्यास इंद्रधनुष - IV 21-23 जुलाई, 2015 को यू.के. में आयोजित किया गया ।

14.38 **यूएसए** के साथ रक्षा संबंध को सुदृढ़ बनाना एवं विविधता प्रदान करना जारी रहा। यूएस रक्षा सचिव डा. एशटन कार्टर की भारत यात्रा के दौरान भारत-भू एस रक्षा संबंध के लिए नवीन रूपरेखा के साथ समझौते पर 03 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री द्वारा 7-10 दिसम्बर, 2015 को यूएस का पारस्परिक दौरा किया गया। रक्षा नीति समूह (डीपीपी), रक्षा अधिप्राप्ति एवं उत्पादन समूह (डीपीपीजी), रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (डीटीटीआई) तथा वरिष्ठ प्रौद्योगिकी उप समूह (एसटीएसजी) की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने 16-19 नवम्बर, 2015 को यूएसए की यात्रा की। एमसीजी में भाग लेने के लिए एयर मार्शल पीपीरेड्डी, सीआईएससी ने 23-25 सितम्बर, 2015 को यूएसए का दौरा किया। वायु सेनाध्यक्ष मई, 2015 में यूएसए की यात्रा पर गए। फोर्ट लेविस, यूएसए में 9-23 सितम्बर, 2015 को सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत, यूएस तथा जापान की नौसेनाओं के बीच नौसेना अभ्यास मालाबार 14-19 अक्तूबर, 2015 को भारत में आयोजित किया गया ।

14.39 रक्षा संबंध भारत-**वियतनाम** संबंधों का प्रमुख घटक हैं । दूरसंचार विश्वविद्यालय नहा तरांग में सूचना एवं विदेशी भाषा केन्द्र परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव (सीमा सड़क) एवं सचिव (सीमा विकास मंडल) रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 5-6 अप्रैल, 2015 को वियतनाम का दौरा किया । वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री 23-26 मई, 2015 को भारत की यात्रा पर आए थे और रक्षा मंत्री से मुलाकात की । वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों पर एक संयुक्त विचार वक्तव्य जो दोनों पक्षों की रक्षा क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने की वचनबद्धता को दोहराता है उस पर तथा राष्ट्रीयपारीय अपराध को समाप्त करने पारस्परिक सहयोग विकसित करने के लिए सहयोग संबंध की स्थापना के लिए भारतीय तटरक्षक एवं वियतनामी तटरक्षक के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर उनकी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए ।

****

15

समारोह और अन्य कार्यकलाप

गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर सिगनल्स कोर के मोटरबाइक सवारों के डेयर डेविल स्टंट से राजपथ जीवंत हो उठा

रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है ।

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है । ये संस्थाएं हैं :

(i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली;

(ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी स्थित पर्वतारोहण संस्थान; और

(iii) पहलगांव स्थित जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीडा संस्थान (जेआईएम) ।

(iv) दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान (एनआईएमएएस) ।

15.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं ।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)

15.3 नवम्बर, 1965 में स्थापित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-III, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत एक पंजीकृत संस्था है । यह संस्थान एक निर्दलीय, स्वायत्तशासी निकाय है जो रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर उद्देश्यपरक अनुसंधान तथा नीति संबंधित अध्ययनों के प्रति समर्पित है। इसका लक्ष्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का सृजन और प्रचार-प्रसार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है ।

15.4 वर्ष के दौरान, आईडीएसए ने उन क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाओं पर पैनी दृष्टि रखी है जो भारत की सुरक्षा तथा विदेश नीति को प्रभावित करती हैं । शेष विश्व के साथ भारत का रिश्ता गहरा होने के साथ-साथ रणनीतिक समुदाय के साथ आईडीएसए की अन्योन्यक्रिया भी बढ़ी है । आईडीएसए ने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जलसुरक्षा और साइबर एवं अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे उभरते हुए मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शोध-क्षेत्र का विस्तार किया है । संस्थान ने नई चुनौतियों के उद्भव और उनके प्रति भारत की अनुक्रिया का विस्तार से विश्लेषण किया है । रक्षा सुधारों, रक्षा कूटनीति पर विशेष ध्यान दिया गया और सरकार द्वारा कई सुरक्षा वार्ताएं प्रारंभ की गई हैं । आईडीएसए छात्रों के लिए पड़ोस में हो रही घटनाएं प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने रहे । वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पेपर आदि निकाले गए ।

15.5 आईडीएसए की बाहरी गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। विदेशों के कई विद्वान आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों का आईडीएसए में आतिथ्य किया गया। महान थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें बुलाया गया था। आईडीएसए की वेबसाइट शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए सुरक्षा और रक्षा के व्यापक मुद्दों पर जानकारी का स्रोत बन गई है। आडीएसए की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया माध्यम का व्यापक

उपयोग किया गया है। आईडीएसए के सभी प्रकाशनों को वेबसाइट पर डाला जाता है और आगन्तुकों को अधिकांश प्रकाशनों को देखने के लिए 'खुली छूट' प्रदान की जाती है।

15.6 आईडीएसए की अनुसंधान उपलब्धियों को नीतिगत रूप से बढ़ाने के क्रम में, नीति निर्माताओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए एक सुविचारित प्रयास किया गया था । विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से कई शोध परियोजनाएं चलाई गईं ।

15.7 आईडीएसए का व्यापक प्रकाशन कार्यक्रम है। रक्षा अध्ययनों पर इसके फ्लैगशिप जर्नल, रणनीतिक विश्लेषण और त्रैमासिक जर्नल महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोतों के रूप में उभरे हैं। आईडीएसए को चीन, भारत, जापान और कोरिया गणराज्य में शीर्ष 45 थिंक टैंकों में 10वां स्थान, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सरकारी थिंक टैंकों में 23वां स्थान, मीडिया का उत्तम प्रयोग (प्रिंट अथवा इलैक्ट्रानिक) में 30वां स्थान, विश्व भर के (गैर-यू.एस.) के शीर्ष थिंक टैंकों में 54वां स्थान, विश्व भर के शीर्ष 150 थिंक टैंकों (यू.एस. और गैर-यू.एस.) में 102वां स्थान और पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अध्ययन ''ग्लोबल गो-टू थिंक टैंक रिपोर्ट एंड पॉलिसी एडवाइस'' के अनुसार सतर्क रहने के लिए थिंक टैंकों में 21वां स्थान मिला। ये श्रेणीकरण भले ही थिंक टैंकों की सापेक्ष योग्यता को यर्थाथतः परिलक्षित न करते हो परंतु इस प्रकार की पहल के रूप में यह संस्थान की स्थिति का एक मोटा अनुमान मुहैया कराता है।

15.8 भारतीय रक्षा मंत्रालय आईडीएसए को निधि उपलब्ध कराता है और यह स्वायत्त रूप से कार्य करता है। आईडीएसए में अध्ययन संस्थानों, रक्षा बलों और सिविल सेवाओं से छात्र लिए जाते हैं । अध्ययन छुट्टी पर 06 सेवारत अफसरों सहित 50 छात्रों के शोध निकाय 13 केन्द्रों के तहत आयोजित किए जाते हैं । इस संस्था ने वर्ष के दौरान अपने विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों से 02 विजिटिंग फैलो तथा अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 07 शिक्षुओं की मेजबानी की जिससे संस्थान की पहुंच में सुधार हुआ है और इसकी विदेशों में पहचान बढ़ी है। वर्ष के दौरान (30 नवम्बर, 2015 तक) आईडीएसए के 59 छात्रों को विदेशों में सेमिनारों, गोलमेज सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।

आईईएसए के 50वें वर्ष समारोह के अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एम., ए.डी.सी. द्वारा वार्ता

एडमिरल, नौसेनाध्यक्ष 17वें एसीआई सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, 11-13 फरवरी, 2015

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन/वार्ताएं

15.9 रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

- 17वां एशिया सुरक्षा सम्मेलन : (फरवरी 11-13, 2015) । संस्थान इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1988 से कर रहा है । इस वर्ष के सम्मेलन का शीर्षक ''एशियाई सुरक्षा : भारतीय दृष्टिकोण पर विचार करते हुए'' था ।
- ''भारत-अफ्रीका : शांति, सुरक्षा और विकास में सहक्रिया करते हुए'' विषय पर तीसरी भारत-अफ्रीका रणनीतिक वार्ता का आयोजन मार्च, 3-4, 2015 को किया गया ।
- ''एशियान-भारत : 2015 के बाद की कार्यसूची को आकार देते हुए'' विषय पर दिल्ली वार्ता - VII के शैक्षिक सत्र का आयोजन (मार्च, 12, 2015) को किया गया।
- ''दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में एक घटक के रूप में संस्कृति'' विषय पर 9वें दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन (नवम्बर, 26-27, 2015) को किया गया ।
- ''आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुएः सुरक्षा बल की क्षमताओं को सुदृढ़ करते हुए'' विषय पर द्वितीय राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन (दिसम्बर 10, 2014) को किया गया।

15.10 **गोलमेज वार्ताएं** : संस्थान ने वर्ष के दौरान कई गोलमेज वार्ताएं कीं, जिनमें से प्रमुख वार्ताओं का विवरण निम्नलिखित है :

- भारत-चीन संबंध, चीन-पाकिस्तान संबंध, समुद्री सिल्क मार्ग (एमएसआर), एशिया-प्रशांत सुरक्षा गतिकी ।
- तेल मूल्य की गिरावट के परिप्रेक्ष्य में बहरीन और खाड़ी, जीसीसी अर्थ- व्यवस्थाओं में ताजा स्थिति तथा जीसीसी देशों में भारतीय कामगारों का कल्याण।
- भारत का नागरिक नाभिकीय दायित्व कानून और आपूर्तिकर्ता के सरोकार ।
- यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति ।
- आतंकवाद रोधी तथा सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दे ।
- लागत लेखाकरण हेतु विधि-रक्षा व्यय ।
- बंग्लादेश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति ।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में ताजा रणनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दे।
- नेपाल में घटनाक्रम ।
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिति और भारत की विदेश नीति ।
- भारत-यू.एस. द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के साथ-साथ भारत-चीन संबंध ।
- भारत-चीन संबंध, भारत-जापान संबंध, पूर्वी एशियाई समुद्री गतिकी इत्यादि ।
- भारत-चीन संबंधों पर ताजा यू.एस. अवधारणा ।
- हिन्द महासागर पर नाटो चिंतन, चीन के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण के साथ-साथ क्षेत्र में भारत की भूमिका ।
- रक्षा सेवाओं में आऊटसोर्सिंग ।
- ईरान नाभिकीय सौदे के निहितार्थ और अनुक्रियाएं।
- सशस्त्र बलों में अवसंरचना ।
- सशस्त्र बलों में संभारिकी प्रबंधन ।
- भारत की समुद्री रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे, जापान का वर्तमान सुरक्षा दृष्टिकोण तथा भारत-जापान संबंध ।
- भारत-अफ्रीकी साझेदारी : प्राथमिकताएं और संभावनाएं ।
- उत्तर-पूर्वी एशिया, रक्षा अर्थव्यवस्था और नौसैनिक/समुद्री मुद्दे ।
- साइबर सुरक्षा ।

15.11 **द्विपक्षीय मेलजोल :** संस्थान द्वारा बनाए गए द्विपक्षीय मेलजोलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- **04 फरवरी, 2015** को डॉ. रिकार्डो सोरज डि ओलिवियरा, तुलनात्मक राजनीति में एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और डॉ. डेनियल लार्ज, सहायक प्रोफेसर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, केन्द्रीय यूरोपीय विश्वविद्यालय ने ''काउंटडाउन टू एफओसीएसी 6 : संक्रमण में चीन-अफ्रीका संबंध'' पर वार्ता की ।

- **04 फरवरी, 2015** को मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) महमूद दुर्रानी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ''पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति'' पर वार्ता की ।

- **10 फरवरी, 2015** को माननीय डॉ. दानेश याजी, उप विदेश प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले मंत्री, ईरान इस्लामिक गणराज्य ने ''सीरिया और इराक में राजनीतिक घटनाक्रम'' पर एक वार्ता की ।

- **10 मार्च, 2015** को डॉ. पी. श्रवणमट्टू, संस्थापक कार्यकारी निदेशक, सेंटर फार पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, (सीपीए), कोलम्बो, श्रीलंका ने ''श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के निहितार्थ'' पर वार्ता की ।

- **10 अप्रैल, 2015** में एच.ई. डॉ. सउद मोहम्मद ए. अल-सती, भारत गणराज्य में सऊदी अरबिया किंगडम के राजदूत ने ''पश्चिमी एशिया, विशेष रूप से यमन में स्थिति के संबंध में नवीनतम घटनाक्रम'' पर वार्ता की ।

- **22 अप्रैल, 2015** को डॉ. चुंग मिन ली, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा राजदूत, दक्षिणी कोरिया गणराज्य के साथ ''एशियाई सुरक्षा'' पर पारस्परिक वार्ता की गई ।

- **28 अप्रैल, 2015** को राजदूत क्रिसचन डूसे, निदेशक, जेनेवा सुरक्षा नीति केन्द्र ने ''नेतृत्व और निर्णय लेने में चुनौतियां'' पर आईडीएसए में वार्ता की ।

- **29 अप्रैल, 2015** को दाशो करमा शितीम, अध्यक्ष, रायल सिविल सेवा आयोग, दाशो ताशि वांगयाल, संसद के ऊपरी सदन में प्रतिष्ठित सदस्य और दाशो देवांग रिनजिन, समन्वयक, शासन एवं रणनीतिक अध्ययनों हेतु रॉयल संस्थान, भूटान के साथ ''आईडीएसए और आरआईजीएसएस के मध्य सहयोग'' पर एक द्विपक्षीय पारस्परिक वार्ता का आयोजन किया गया ।

- **30 अप्रैल, 2015** को रियर एडमिरल बिल मैक्विलकेन, यूएस नौसेना की रणनीति एवं नीति प्रभाग के निदेशक (ओपीएनएवी एन51) ने ''दक्षिणी चीन सागर में घटनाक्रम और मुद्दे पर यूएस स्थिति'' पर एक वार्ता की ।

- **31 जुलाई, 2015** को एचई शेर बहादुर देउबा, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ''नेपाल में राजनीतिक स्थिति'' पर वार्ता की ।

- **02 सितम्बर, 2015** को आस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री, माननीय केविन एन्ड्रूज ने ''आस्ट्रेलिया की रक्षा नीतियों और भारत के साथ बढ़ती हुई सहक्रियाएं'' पर वार्ता की ।

- **11 सितम्बर, 2015** को साईचुआन विश्वविद्यालय, साईचुआन, चीन से दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के साथ ''भारत-चीन संबंध तथा ताजा क्षेत्रीय घटनाक्रमों'' पर अर्द्ध-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

- **16 सितम्बर, 2015** को कोरिया गणराज्य के राजदूतावास (आरओके), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से भारत-कोरिया संबंधों पर अर्द्ध-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

- **20 अक्तूबर, 2015** को डॉ0 विलियम ए. स्टेंटन, राष्ट्रीय सिंग हुआ विश्वविद्यालय (एनटीएचयू), ताइवान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ताइवान में अमेरिकी संस्थान (एआईटी) के पूर्व निदेशक ने ''चीन के लिए यू.एस. नीति की असफलताएं'' पर वार्ता की।

- **29 अक्तूबर, 2015** को डॉ. खिन जॉ विन, निदेशक, टम्पाडिया संस्थान, म्यांमार ने ''म्यांमार में प्रजातंत्र की चुनौती'' पर वार्ता की ।

- **23 नवम्बर, 2015** को राजदूत पंकज सरन, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त ने ''भारत-बांग्लादेश संबंध : घनिष्ठता की ओर अग्रसर'' पर चर्चा की ।

पर्वतारोहण संस्थान

15.12 रक्षा मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर चार पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई), उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) तथा जम्मू-कश्मीर में पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, शीत क्रीड़ा संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस) तथा अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में राष्ट्रीय पर्वतारोहण तथा संबद्ध क्रीड़ा संस्थान (एनआईएमएएस) चलाता है । ये संस्थान पंजीकृत समितियों के रूप में चलाए जाते हैं और उन्हें स्वायत्तशासी निकायों का दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इन संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं । इन संस्थानों का प्रशासन कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें प्रत्येक संस्थान की आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं और/अथवा पर्वतारोहण के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

15.13 ये संस्थान पर्वतारोहण को एक खेल के रूप में प्रोत्साहन देते हैं, पर्वतारोहण को बढ़ावा देते हैं और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करते हैं । पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;

(ख) युवाओं में पर्वतों तथा अन्वेषण के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना;

(ग) शीत-क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना; और

(घ) हिमाचल क्षेत्र में प्रकृति कार्यशालाओं के जरिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण की समझ पैदा करना ।

15.14 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम (एमओआई), खोज व बचाव और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं । इन पाठ्यक्रमों में भारत के सभी भागों से प्रशिक्षुओं के साथ-साथ सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्मिक भी प्रशिक्षण लेते हैं। विदेशी नागरिकों को भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है । इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम, अवधि, ग्रेडिंग और अन्य ब्यौरा उन पर्वतारोहण संस्थानों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है ।

15.15 नियमित पाठ्यक्रम सभी संस्थानों में लगभग एक समान हैं । संस्थानों द्वारा अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक आयोजित नियमित पाठ्यक्रमों और इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं की संख्या सारणी संख्या 15.1 में दी गई है ।

सारणी सं. 15.1

संस्थान	आधार-भूत पाठ्यक्रम		उन्नत पाठयक्रम		साहसिक पाठ्यक्रम		अनुदेश पद्धति पाठक्रम		खोज व बचाव पाठ्यक्रम	
	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
एचएमआई	05	441	03	136	01	140	01	23	01	41
एनआईएम	05	387	03	133	05	254	01	32	01	30
जेआईएम एंड डब्ल्यूएस	07	559	01	84	29	994	01	35	-	-
एनआईएम एएस	03	65	01	18	-	-	-	-	-	-

15.16 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा भी 196 व्यक्तियों के लिए 03 विशेष आधारभूत पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों और 227 व्यक्तियों के लिए 8 साहसिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने 6 व्यक्तियों की भागीदारिता के साथ माउंट फ्रे शिखर के लिए एक प्रमुख अभियान का आयोजन किया।

15.17 राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान ने विभिन्न संगठनों हेतु स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और एनडीआरएफ हेतु आपदा प्रशिक्षण के 13 विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 458 पुरुष और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

15.18 जवाहर पर्वतारोहण संस्थान द्वारा 39 विशेष पर्यावरणीय पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और उसमें 1239 पुरुषों और 1055 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। जेआईएम ने 72 पुरुषों और 12 महिलाओं के लिए दो बड़े अभियान अर्थात माउंट गोल्प कांगड़ी (6025 मीटर) तथा माउंट स्टॉक कांगड़ी (6135 मीटर) का आयोजन भी किया।

15.19 एनआईएमएएस ने आधारभूत साहसिक और पैराग्लाइडिंग में 11 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए और 386 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया । एनआईएमएएस ने 20 व्यक्तियों की सहभागिता के साथ 5887 मीटर की नामरहित चोटी के लिए एक अभियान और पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी कामेंग नदी में 8 व्यक्तियों का एक 187 कि.मी. लम्बे राफ्टिंग अभियान का भी आयोजन किया ।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.20 गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है । वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है । वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित समारोह संबंधी आयोजनों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

15.21 **स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह** :स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ, लालकिले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामूहिक देशभक्ति गान के साथ हुआ । तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान दिया । तत्पश्चात, प्रधानमंत्री ने सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया । इस अवसर पर तोपों की सलामी दी गई । प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के बाद समारोह का समापन विद्यालयों से आए बच्चों और एनसीसी कैडटों द्वारा राष्ट्रीय गान तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। बाद में दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूल-

माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.22 स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई जो सारणी संख्या 15.2 में दिए गए हैं ।

सारणी सं. 15.2

पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	02	01
सेना मेडल (जी) बार	01	-
शौर्य चक्र	10	05
सेना मेडल (जी)	49	05
नौसेना मेडल (जी)	02	-
वायु सेना मेडल (जी)	03	-

15.23 **विजय दिवस :** 16 दिसंबर, 2015 को विजय दिवस मनाया गया । इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाई ।

15.24 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2016 :** प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2016 को प्रातःकाल इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला चढ़ाई । उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.25 **गणतंत्र दिवस परेड, 2016 :** राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस परेड का शुभारंभ हुआ । राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैंडों द्वारा बजाए गए राष्ट्र गान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी । इस अवसर पर फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री फ्रंकोइस होलांदे मुख्य अतिथि थे।

15.26 पहली बार, मुख्य अतिथि के देश की ओर से एक मार्चिंग दस्ते और बैंड ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया । इसके अलावा, तीनों सेनाओं के मेकेनाइज्ड दस्तें, मार्चिंग दस्तें और बैंडों, डीआरडीओ का दस्ता, अर्द्ध-सैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि के मार्चिंग दस्ते और बैंड परेड का हिस्सा थे।

15.27 जिन पच्चीस बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया उनमें से दो को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। । तेइस वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों ने सेना की सुसज्जित जीपों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की झांकियां एवं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन परेड के अन्य आकर्षण थे। 23 झांकियों तथा स्कूली बच्चों के 4 कार्यक्रमों ने देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया। सेना के जवानों द्वारा मोटर साइकिल पर प्रदर्शन और तत्पश्चात् भारतीय वायुसेना के विमानों के प्रभावशाली फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ ।

15.28 गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.3 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 15.3

पुरस्कार का नाम	कुल	मरणोपरांत
वीरता पुरस्कार		
अशोक चक्र	01	01
कीर्ति चक्र	04	02
शौर्य चक्र	11	04
सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल बार (वीरता)	01	-

सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल(वीरता)	54	07
विशिष्ट पुरस्कार		
परम विशिष्ट सेवा मेडल	29	-
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	05	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल बार	04	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल	49	-
युद्ध सेवा मेडल	20	-
सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल बार (कर्त्तव्यपरायणता)	03	-
सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल(कर्त्तव्यपरायणता)	61	
विशिष्ट सेवा मेडल बार	05	-
विशिष्ट सेवा मेडल	118	-

15.29 **समापन समारोह, 2016** समापन समारोह सदियों पुरानी उन दिनों की सैन्य परंपरा है जब सूर्यास्त होने पर सेना युद्ध बंद कर देती थी । समापन समारोह गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए दिल्ली में एकत्र हुई सैन्य टुकड़ियों के प्रत्यागमन का सूचक है। यह समारोह 29 जनवरी, 2016 को विजय चौक पर आयोजित किया गया जो गणतंत्र दिवस उत्सवों का पटाक्षेप था । तीनों सेनाओं के परम्परागत पाइप एवं ड्रम बैंडों और सैन्य बैंडों के साथ इस वर्ष शास्त्रीय वाद्ययंत्रों, जैज सिम्फनी ऑरकेस्ट्रा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बैंडों (दिल्ली पुलिस) ने प्रथम बार इस समारोह में भाग लिया। समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट की प्रकाश-सज्जा भी की गई ।

15.30 **शहीद दिवस समारोह, 2016 :** 30 जनवरी, 2016 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई । उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की । इसके बाद 1100 बजे उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.31 **सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडी):** संपूर्ण देश में प्रतिवर्ष की भांति 7 दिसम्बर, 2015 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया । यह दिवस हमारी सीमाओं की अखंडता की सुरक्षा करने में हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने और विधवाओं, बच्चों, निशक्त तथा रुगण भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति एकजुटता व समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है ।

राजभाषा प्रभाग

15.32 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु रक्षा मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रभाग इस प्रयोजनार्थ राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा इस संबंध में नोडल विभाग अर्थात राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के संबंध में रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), तीनों सेना मुख्यालयों, सभी अंतर-सेवा संगठनों तथा रक्षा उपक्रमों एवं मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मंत्रालय में रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित दो अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां हैं। इन समितियों का गठन शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय के संबंधित विभागों को सलाह देने के उद्देश्य से किया गया है। राजभाषा

कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रत्येक वर्ष जारी किए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्टाफ को बिना झिझक हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। मॉनीटरी कार्य में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों और प्रभागों/अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना, मंत्रालय की दोनों राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें आयोजित करना, नई दिल्ली स्थित तीनों सेना मुख्यालयों तथा अंतर-सेवा संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लेना और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपर्युक्त कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना शामिल है ।

15.33 वार्षिक कार्यक्रम : राजभाषा विभाग से प्राप्त वर्ष 2015-16 के वार्षिक कार्यक्रम को इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी रक्षा संगठनों को परिचालित किया गया। हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने, हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने तथा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है ।

15.34 अनुवाद कार्य : वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा अनुभागों से काफी मात्रा में प्राप्त सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया गया जिसमें संसद सदस्यों/ विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्र, रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालयों से जारी होने वाले पत्र, मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव, लेखा परीक्षा पैरा, रक्षा संबंधी स्थायी समिति तथा परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज तथा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, करार आदि शामिल थे ।

15.35 हिंदी सलाहकार समितियों की बैठक : मंत्रालय में दो हिन्दी सलाहकार समितियां हैं, इनमें एक रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए है तथा दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग के लिए है । रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । समिति की परिचायक बैठक शीघ्र आयोजित किए जाने की संभावना है ।

15.36 **रक्षा संबंधी विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन योजनाएं और गृह-पत्रिकाओं हेतु पुरस्कार योजना :** ब्लाक वर्ष 2011-13 हेतु योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन प्रगतिधीन है । वर्ष 2007-2009 हेतु गृह-पत्रिकाओं हेतु योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है ।

15.37 **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत रक्षा कार्यालयों को अधिसूचित किया जाना** : विभिन्न रक्षा कार्यालयों, जिनके 80% या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है, के संबंध में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गईं । नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों को अपने कार्यालयों

में अनुभागों/प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में निपटाने हेतु नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करने हेतु निदेश दिया गया ।

15.38 हिंदी पखवाड़ाः अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय में 14 से 29 सितंबर, 2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि तथा निबंध सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 150 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 114 सफल प्रतिभागी अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार/उपहार प्रदान किए गए ।

15.39 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण : गत वर्षों की भांति, वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों में स्थित कई रक्षा संगठनों का निरीक्षण दौरा किया। निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा कर तथा अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देकर मंत्रालय ने निरीक्षणाधीन कार्यालयों की सहायता की। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों को समिति के निदेशों और अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा रहा है ।

अशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.40 रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह ''क'', ''ख'', और ''ग'' में अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः सारणी संख्या 15.4 और 15.5 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 15.4

सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(1 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार)

दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/ शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2015 की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2014 में की गई नियुक्तियों की संख्या											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीए-च	एच-एच	ओए-च	कुल	वीएच	एच-एच	ओए-च	कुल	वीए-च	एच-एच	ओए-च
क	3964	0	1	16	667	0	1	4	625	0	0	1	4	0	0	0
ख	28290	14	25	206	128	2	2	3	5491	0	2	86	4	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	204001	303	545	1233	7177	14	28	42	4175	2	10	19	3	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी)	10119	27	71	149	187	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**246374**	**344**	**642**	**1604**	**8159**	**16**	**34**	**53**	**10297**	**2**	**12**	**106**	**11**	**0**	**0**	**0**

सारणी संख्या 15.5
रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(1 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार)

समूह	दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/ शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2015 की स्थिति के अनुसार)				कैलेंडर वर्ष 2014 में की गई नियुक्तियों की संख्या											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
	कुल	वीएच	एच-एच	ओएच	कुल	वीए-च	एच-एच	ओए-च	कुल	वीएच	एच-एच	ओए-च	कुल	वीएच	एच-एच	ओए-च
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
क	2349	2	12	23	102	0	2	1	172	0	0	0	0	0	0	0
ख	23937	22	43	347	8	0	0	0	673	0	1	4	0	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	73188	153	233	1159	1877	4	11	65	2779	5	12	76	0	0	1	0
ग (सफाई कर्मचारी)	347	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**99821**	**178**	**288**	**1531**	**1990**	**4**	**13**	**66**	**3624**	**5**	**13**	**80**	**0**	**0**	**1**	**0**

15.41 सशस्त्र सेनाएं : अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 के तहत किए गए प्रावधान अशक्त व्यक्तियों के भर्ती तथा सेवा में बनाए रखने संबंधी मामलों में सुरक्षोपायों का निर्धारण करते हैं । तथापि, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा की जाने वाली ड्युटियों की प्रकृति को देखते हुए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष अधिसूचना के जरिए सभी योधी पदों को संगत धाराओं की प्रयोजनीयता से छूट दी गई है ।

15.42 रक्षा उत्पादन विभाग : रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है । सरकार द्वारा जो रियायतें और छूट निर्धारित की गई हैं, उनके अलावा भी बहुत-सी रियायतें एवं छूट अशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं ।

15.43 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों को लागू करने में वचनबद्ध है । भर्ती एवं पदोन्नति में सरकार के अनुदेशों के अनुसार 3% आरक्षण अशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

15.44 अशक्त सैनिकों के लिए विशेष चिकित्सा सेवा : युद्ध के दौरान या दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से कुछ सैनिक अशक्त हो जाते हैं और उन्हें सेवा से बाहर निकाल दिया जाता है । इन भूतपूर्व सैनिकों को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे कार्मिकों की देखरेख एवं पुनर्वास मोहाली और किर्की स्थित विशेष संस्थाओं अर्थात पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र, सैंट डंस्टन आफ्टर केयर आर्गनाइजेशन, देहरादून में किया जाता है जिनका वित्त-पोषण केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से किया जाता है ।

****

16

सतर्कता यूनिटों के कार्य

रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की पहल तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।

16.1 रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय और इसके अधीन आने वाली विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों में घूसखोरी की आदतों, कदाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें निपटाने का कार्य सौंपा गया है। यह रक्षा मंत्रालय की ओर से सतर्कता संबंधी मामलों और शिकायतों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इत्यादि के साथ मध्यस्थता के लिए नोडल प्वांइट के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की पहल तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।

16.2 प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, रक्षा विभाग को सतर्कता विंग, भूतपूर्व कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सतर्कता कार्य भी देखता है। रक्षा उत्पादन विभाग में अलग सतर्कता विंग मौजूद है।

16.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी विभागों/संगठनों/यूनिटों अर्थात नौसेना, तटरक्षक, डीआरडीओ, बीआरओ, सीएसडी तथा डीजीएएफएमएस आदि में निवारक सतर्कता सुशासन का एक माध्यम है विषय पर 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और अपने कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यकलाप जैसे वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आदि का आयोजन किया

रक्षा विभाग

16.4 सभी स्टेकहोल्डरों में घूसखोरी जैसी गलत आदतों के प्रति जागरूकता लाने के लिए रक्षा मंत्रालय में पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए बराबर प्रयास किये जा रहे हैं।

16.5 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता कार्य से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों, मामलों और अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रयोजन से सभी संबंधित कार्यालयों के संपर्क में रहते हैं।

16.6 मंत्रालय संबंधित स्कंधों/प्रभागों में लंबित मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर मानीटरी की जाती है।

16.7 सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) द्वारा कुल 09 शिकायतें विचारार्थ भेजी गई थी जिन पर कार्रवाई शुरू की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक शिकायत सहित तीन और शिकायतें प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त शिकायतों में से वर्ष के दौरान जनवरी, 2016 तक 6 को बंद कर दिया गया था। वर्ष 2015 के दौरान

4 अफसरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2015 के दौरान समूह 'क' के 08 अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया । इनमें से एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया । एक को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किया गया, 02 अधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया और 04 मामलों में शास्ति लगाई गई । अन्य मामलों में, अनुशासनिक मामले में लगाई गई शास्ति के खिलाफ की गई अपील पर भी वर्ष के दौरान निर्णय लिया गया था ।

16.8 बंगलौर में 9 अप्रैल, 2015 को रक्षा क्षेत्र के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) द्वारा ली गई वार्षिक आंचलिक समीक्षा बैठक 2015 के दौरान कई ऐसे क्षेत्रों का पता चला, जिन पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है । सीवीसी ने मंत्रालय में अनुशासनिक मामलों को शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया है ।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.9 **आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) :** निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में 10 करोड़ रुपए से अधिक की सभी निविदाओं को सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन कर दिया है । कार्य तथा अधिप्राप्ति नियमावलियों को अद्यतन किया जा रहा है । वर्ष के दौरान 60 निवारक जांच, 3 सीटीई प्रकार की जांच और 213 वार्षिक संपत्ति विवरण जांच की गई हैं ।

16.10 प्रणाली में किए गए सुधार के एक भाग के रूप में खुली निविदा के संबंध में अपंजीकृत विक्रेताओं के लिए क्षमता सत्यापन प्रक्रिया, जो एक लंबी प्रक्रिया है, को निविदाकरण प्रक्रिया से हटा दिया है और नए विक्रेताओं को अवसर देने के लिए निर्माणियों की अधिप्राप्ति आवश्यकताओं को प्रदर्शित करते हुए वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किए जाते हैं ताकि नए विक्रेताओं का क्षमता सत्यापन के बाद पंजीकरण हो जाए और वे आने वाली खुली निविदाओं के लिए पात्र हो जाए ।

16.11 **हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) :** सतर्कता विभाग का प्रयास प्रक्रियाओं और नीति संबंधी हस्तक्षेपों को सुप्रवाही बनाकर निवाराणात्मक तथा सकारात्मक रहा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं अर्थात 507 नेमी तथा 162 आकस्मिक जांचे की गई, 33 शिकायतों की जांच चल रही है । 22 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और 202 कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है ।

16.12 ''निवारात्मक सतर्कता सुशासन का माध्यम है,'' नामक विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

(i) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए पाक्षिक बुलेटिन 'वी 2' प्रकाशित किया जा रहा है जो कि सहभागी सतर्कता पर 'मार्गदर्शन' नामक इन हाउस सतर्कता पत्रिका का विशेष संस्करण है।

(ii) अधिनियम के प्रावधानों को समझाने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 पर 'तेजस टॉक' नामक एक वीडियो टूटोरियल को अंतिम रूप दिया गया तथा निकाला गया।

(iii) लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा एचएएल के लिए भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति का प्रारूप तैयार करने में योगदान देने के लिए एक व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार तथा ''स्वेटर्स की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं'' के मामले में किए गए कार्य के लिए एकाकी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।

16.13 **भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल):** निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में, फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। वर्ष के दौरान 1870 नियमित तथा 614 आकास्मिक जांच की गई तथा 43 संविदाओं की सीटीई प्रकार की

गहन जांच की गई। कार्यों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का उन्नयन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

16.14 नए भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन इंजीनियरों के लिए सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न अधिकारियों तथा गैर कार्यपालकों के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । लोक अधिप्राप्ति तथा सत्यनिष्ठा समझौते में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इंटर नेशनल ट्रान्सपेरेंसी ने बीईएल के सहयोग से दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । बीईएल के विभिन्न कार्यपालकों तथा स्टाफ ने विजिलेंस स्टडी सर्किल, बेंगलूरू के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा लोक अधिप्राप्ति पाठ्यक्रम पर आयोजित सर्टिफिकेट कार्यक्रम पूरा किया ।

16.15 बीईएल के कारपोरेट कार्यालयों तथा सभी यूनिटों/एसबीयू में 26 से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के एक भाग के रूप में शिकायत निपटान नीति का आनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया गया, विजिलेंस स्टडी सर्किल, हैदराबाद द्वारा सीवीओ/बीईएल को 2015 का उत्कृष्ठ सतर्कता पुरस्कार प्रदान किया गया। इन हाउस सतर्कता पत्रिका 'जागृति' का 4,5 और 6 संस्करण प्रकाशित किया गया। 'सतर्कता संबंधी मामलों' के अध्ययन पर किताब प्रकाशित की गई।

16.16 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई):** निवारक उपचार के रूप में नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षण के साथ-साथ फाइलों का सत्यापन भी किया गया था। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक संपत्ति विवरणों की संवीक्षा की गई तथा नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षण किए गए तथा फाइलों का सत्यापन भी किया गया था। प्रबंधन को प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

16.17 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और संगठन के कार्य में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जीआरएसई ने अक्तूबर 2015 को आयोजित ''सतर्कता अध्ययन कार्यक्रम'' में सक्रिय रूप से भाग लिया। सतर्कता विभाग में जिन नए अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया था उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था।

16.18 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** वर्ष के दौरान सुशासन के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य आदेशों/खरीद आदेशों का कई बार नियमित निरीक्षण और आकस्मिक जांच की गई। वेबसाइट के कारगर उपयोग तथा ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पुराने विक्रेताओं की पहचान करके उन्हें विक्रेता डाटाबेस से हटाया जा रहा है।

16.19 26 से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान आयात में पारदर्शिता सुशासन का माध्यम है पर सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर आयुक्त द्वारा दिए गए व्याख्यान में गोवा शिपयार्ड के कार्यपालकों ने भाग लिया। नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं और कार्यपालकों के लिए सतर्कता जागरूकता पर अभिमुखीकरण, व्याख्यान तथा प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया।

16.20 **हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सभी अधिकारियों के लिए एक संगोष्ठि का भी आयोजन किया गया था। सुझावों के साथ प्रणाली में सुधार करने के लिए 2 सीटीई प्रकार की रिपोर्टें तथा 6 संविदा रिपोर्टें तैयार की गई । विभिन्न विभागों में आकस्मिक जांच की गई।

16.21 **माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) :** सतर्कता कार्यपालकों द्वारा आकस्मिक/तुरंत जांच की गई तथा

प्रणाली में सुधार के लिए प्रबंधन को सुझाव/सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश की है । 2 सीटीई प्रकार की जांच पूरी की गई है ।

16.22 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सतर्कता जागरूकता को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया गयाः-

(i) इन-हाउस सतर्कता पत्रिका ''सुचरिता'' खंड-XVIII प्रकाशित किया गया।

(ii) विक्रेताओं के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और सुप्रसिद्ध अतिथिवक्ता श्री इडाशेरी सेबास्टियन, निदेशक/ वित्तीय सलाहकार, डिलोइट टीटीआई लिमिटेड बेंगलौर का भाषण भी आयोजित किया गया था।

(iii) सतर्कता से संबंधित विषयों पर हिन्दी, मराठी तथा अंग्रेजी में स्लोगन और निबंध लिखने तथा पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। माझगांव डॉक लिमिटेड में कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी विषयों पर एक ऑनलाइन क्वीज कंटेस्ट भी चलाया गया।

16.23 **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल):** सतर्कता आयोग ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया की जांच की और एक साल की अधिप्राप्ति का विश्लेषण किया तथा खुली निविदा को बढ़ाने, आईपी के अधीन संविदा के कवरेज बढ़ाने तथा छूट प्राप्त श्रेणी में ई-अधिप्राप्ति को बढ़ाने जैसे उपायों का सुझाव दिया। कंपनी क्वाटर का ऑनलाइन आबंटन करने, गुणता सुनिश्चित करने हेतु अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निबंध एवं शर्ते लागू करने, मदों का समन्वय करने, एसएपी आदि पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए प्रणाली में सुधार की सिफारिश की गई।

16.24 'निवारात्मक सतर्कता सुशासन का एक माध्यम है,' विषय पर 26 से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 मनाया गया। युवकों के बीच सतर्कता चर्चा का विषय रहे। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्रों के साथ की गई बैठक सप्ताह का मुख्य आकर्षण था।

16.25 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) :** निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में आकस्मिक/नेमी जांच की गई और विभिन्न विभागों में इंवेंट्री रिकार्डों की जांच पड़ताल भी की गई तथा फ्लोरस्पार अधिप्राप्ति तथा जाब वर्क संविदाओं पर सीटीई प्रकार की जांच की गई। पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर अधिप्राप्ति फाइलों की जांच की गई तथा विभिन्न विषयों पर समय-समय पर 'प्रणाली सुधारों' की सुझाव दिए गए थे।

16.26 उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति की तर्ज पर भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई। 90 प्रतिशत भुगतान आरटीजीएस के जरिए किए जा रहे हैं।

16.27 26 से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जागरूकता पर वक्ताओं ने व्याख्यान दिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में निबंध लेखन तथा विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

16.28 **भारत डायनामिक्स लि. (बीडीएल):** निवाराणात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए अर्थात आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आईएमएम तथा कार्य नियमावलियों में संशोधन किया गया तथा भर्ती नियमावली/नियमों में भी संशोधन किया गया। नए बोली दाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 'ऑनलाइन' प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा विक्रेताओं को सूचित करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में स्वचालित टेंडर सूचना ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण शुरू किया गया जिससे विक्रेता आधार में सुधार आया है। संविदाकारों

के बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। जिससे संविदाकारों/बोलीदाताओं को बिलों की स्थिति का पता लगाने में सुविधा होती है और वर्ष के दौरान कुल भुगतान में से 99 प्रतिशत भुगतान ई-भुगतान (आरटीजीएस/ एनईएफटी/ई-हस्तांतरण) के माध्यम से किया गया था।

16.29 विशेष रूप से स्वमूलक मदों/उत्पादों की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

16.30 ''निवारात्मक सतर्कता सुशासन का एक माध्यम है'' विषय पर 26 से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.31 **गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए):** निवारक सतर्कता का पालन करने के लिए यूनिट/ स्थापना स्तर पर आकस्मिक जांच/सतर्कता जांच की गईं।

16.32 डीजीक्यूए में कदाचार रोकने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव/सिफारिश देने के लिए तथा भ्रष्टाचार उन्मुखी या संदेहास्पद क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वर्ष के दौरान ''विक्रेताओं का विवरणात्मक मूल्यांकन'' तथा ''गुणता आश्वासन'' के दौरान भंडारों का नमूना चयन करने संबंधी विषयों पर प्रणाली सुधार संबंधी अध्ययन का आदेश दिया।

16.33 उपभोक्ता तथा विक्रेता संबंध की सफलता को बढ़ाने के लिए सभी यूनिटों/स्थापनाओं तथा डीजीक्यूए के मुख्यालय, तकनीकी निदेशालयों/प्रशासन निदेशालयों में 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.34 **वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए):** डीजीएक्यूए की फील्ड स्थापनाओं द्वारा जारी जांच टिप्पणियों का डीजीक्यूए मुख्यालय में सक्रिय रूप से तथा निवारक उपाय के रूप में निरंतर मॉनीटरी की जाती है और व्यापार स्रोतों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजी/डीजीक्यूए को आंकड़ों के संग्रहण की एक तिमाही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है।

16.35 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में समुचित स्लोगनों वाले बैठक लगाए गए तथा इन हाउस परिचर्चाओं का आयोजन किया गया था।

16.36 **रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई :** सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 'कार्रवाई किए जाने योग्य 9 बिन्दुओं' को अर्थात अंतर संगठन लेखा परीक्षा, 90 प्रतिशत संविदाओं को सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन लाना, क्रमिक विक्रेता विकास के जरिए सीमित/एकल विक्रेताओं को कम करना, 90 प्रतिशत अधिप्राप्ति (मूल्य) ई-अधिप्राप्ति द्वारा किया जाना, पीएसयू में भर्ती के तरीकों को सुप्रवाही बनाना, सभी कार्यों तथा अधिप्राप्ति नियमावली को अद्यतन करना तथा सीवीओ द्वारा सभी पीएसयू/ओएफबी में सीटीई प्रकार की जांच आदि के अनुपालनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड में प्रचलित किया गया है। ''कार्रवाई योग्य इन बिन्दुओं'' की तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

16.37 कार्रवाई योग्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने और सतर्कता से संबंधित अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए सभी डीपीएसयू/ओएफबी के सीवीओ और डीडीपी के सीवीओ के बीच 21 सितंबर, 2015 को संरचनात्मक बैठके की गई थी।

16.38 वर्ष 2015 के दौरान मिधानि, हैदराबाद में डीडीपी सतर्कता द्वारा डीपीएसयू, ओएफबी, डीजीक्यूए

तथा डीजीएक्यूए के सतर्कता अधिकारियों के लिए दो दिन की संगोष्ठी और ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया था।

16.39 वर्ष 2015 के दौरान ओएफबी/डीजीक्यूए के समूह 'ए' अधिकारियों तथा डीपीएसयू के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के संबंध में दंडात्मक सतर्कता के अधीन निम्नलिखित कार्रवाई की गई :-

क्रम सं.	की गई कार्रवाई	शामिल अधिकारियों की संख्या
1	लगाई गई बड़ी शास्ति	09
2	लगाई गई छोटी शास्ति	04
3	चेतावनी दी गई	09
4	बड़ी शास्ति का आरोप पत्र जारी किया गया	10
5	छोटी शास्ति का आरोप पत्र जारी किया गया	03

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

16.40 रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण संस्थापनाएं हैं और इनका राष्ट्र की सुरक्षा में असीम योगदान रहा है। इसलिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रयोगशालाओं की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता न किया जाए। डीआरडीओ प्रयोगशालाएं/स्थापनाओं की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सख्त उपाय किए गए ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक को रोका जा सके जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता हो। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता एवं सुरक्षा निदेशालय ने विभिन्न पहल की है और नियमित आधार पर सुरक्षा अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

16.41 गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं, संविदागत कर्मचारियों, मीडिया के साथ मेल मिलाप की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा संवेदनशील सूचना एकत्र करने के लिए झूठे टेलीफोन कालों के खिलाफ एहतियात बरतने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश और अनुदेश अर्थात वार्षिक सुरक्षा अनुदेश 2014 जारी किए गए थे।

16.42 वर्ष 2015 में आसूचना ब्यरों, गृह मंत्रालय ने डीआरडीई- ग्वालियर, सीवीआरडीई- चेन्नई, एनपीओएल- कोच्ची, डीएमआरएल- हैदराबाद, डीएआरई एंड एडीई- बेंगलूरू, डीईएएल एंड आईआरडीई- देहरादून, आईएसएसए - दिल्ली और पीएक्सई- चांदीपुर का आसूचना ब्यूरो संबंधी जांच की थी। इसके अलावा डीआरडीओ की और प्रयोगशालाओं को आसूचना ब्यूरो की जांच सीमा के अधीन लाने के लिए एक समीक्षा भी की गई थी ।

16.43 एचईएमआरएल- पुणे, आरसीआई एंड सीएचईएसएस - हैदराबाद, डीआईएचएआर- लेह, आईटीआर- चांदीपुर तथा सीएमएसडीएस- कोलकाता की सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा की गई थी।

****

17

महिला कल्याण और सशक्तिकरण

एक संक्रियात्मक मिशन पर भारतीय नौसैनिक विमान पर तैनात महिला कर्मी दल

राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन ईकाइयों, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किया जाता है।

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरन्तर वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं की उड़ान संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की भर्ती शुरू करने से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सेना

17.2 **सेना में महिला अफसरः** सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसर लगभग 80 वर्षों से सेवा कर रही हैं और उन्होंने बड़ी सक्षमता व विशिष्टता के साथ सेवा की है । इन्हें सैन्य परिचर्या सेवा में 1927 में तथा चिकित्सा अफसर संवर्ग में 1943 में शामिल किया गया था । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में स्थाई और अल्पकालीन सेवा कमीशन, (एसएससीओ)दोनों प्रकार के अफसर हैं ।

17.3 एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, सेना में महिला के अल्पकालीन सेवा कमीशन की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है जिससे सेना में और अधिक महिलाएं भर्ती होंगी । इसके अलावा, उनके पदोन्नति के अवसरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है । वे पहले केवल एक पदोन्नति अर्थात 5 वर्ष की सेवा के बाद मेजर रैंक में पदोन्नति के लिए पात्र थीं। महिला अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों को क्रमशः 2, 6 तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टि. कर्नल तक के समय-मान में बड़ी पदोन्नति दी जाती है। यह स्थाई सेवा कमीशन अफसरों को उपलब्ध पदोन्नतियों के समान है। इसके अलावा, लिंग समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों की प्रशिक्षण अवधि 24 सप्ताह से बढ़ाकर 49 सप्ताह कर दी गई जो अल्पकालीन सेवा कमीशन के पुरूष अफसरों के समान है ।

17.4 राष्ट्र की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता का संरक्षण करने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुए, सेनाओं में महिलाओं की भर्ती और रोजगार संबंधी भावी नीति का निरूपण नवंबर, 2011 में किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

(i) तीनों सेनाओं में, जिन शाखाओं/संवर्गों में महिला अफसरों को इस समय भर्ती किया जा रहा है वहां उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर (एसएससीओ) के रूप में भर्ती किया जाता रहे;

(ii) महिला एस एस सी ओ तीनों सेनाओं की विशिष्ट अर्थात सेना की जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर और नौसेना तथा वायु सेना में उनके तदनुरूप शाखाओं; नौसेना में नेवल कंस्ट्रक्टर व वायु सेना में लेखा शाखा में पुरूष एस एस सी ओ

के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने के लिए विचारार्थ पात्र होंगी।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, वायु सेना में तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी तथा मौसम विज्ञान शाखाओं में स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने हेतु महिला एस एस सी ओ पुरूष एस एस सी ओ के साथ विचारार्थ पात्र होंगी ।

17.5 स्थाई कमीशन प्रदान किया जाना उम्मीदवार की रजा मंदी और प्रत्येक सेना द्वारा यथानिर्धारित सेना विशेष की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, उम्मीदवार की मेरिट की शर्त के अध्यधीन है ।

भारतीय नौसेना

17.6 भारतीय नौसेना महिलाओं के कल्याण, बेहतरी और मर्यादा के लिए वचनबद्ध है । भारतीय नौसेना महिला कर्मचारियों और महिला परिवार के सदस्यों का हर समय उच्च मनोबल और उत्साह बनाए रखने हेतु अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयासरत् है । भारतीय नौसेना ने महिला कार्मिकों का अधिकार सुनिश्चित करने और संबंधित इकाईयों पर कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी / कार्य करने हेतु ठोस प्रयास किए हैं । महिला सशक्तिकरण और महिला कर्मचारियों हेतु सुरक्षित कार्यकारी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं :

(क) महिलाओं को कार्य स्थल पर स्वतंत्रता देकर सकारात्मक वातावरण तैयार करना और पुरूषों के समान समकक्षता प्रदान करना जिसके द्वारा उनकी पूर्णक्षमता का अहसास कराते हुए महिलाओं का विकास करना ।

(ख) यूनिट / स्थापना के कार्यकलापों में अथवा सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिला कर्मचारियों की समान भागीदारी / सहभागिता प्रदान करना ।

(ग) सभी कर्मचारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्य स्थल पर अनुकूल सुग्राही माहौल बनाना ।

(घ) कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों का सभी प्रकार के उत्पीड़न चाहे शारिरीक अथवा मानसिक हो । बल प्रयोग का उन्मूलन ।

एक संक्रियात्मक मिशन के दौरान भारतीय नौसेना विमान पर महिला कर्मी दल

17.7 **महिला अफसरः** महिलाओं को नौसेना में कार्यपालक (प्रेक्षक, ए.टी.सी विधि और संभारिकी संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुशिल्प) में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जा रहा है ।

17.8 **एससीसी अफसरों को स्थायी कमीशनः** भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 26 सितम्बर, 2008 के पत्र सं. 12(I)/2004-र(एजी) के तहत कार्यपालक शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुशिल्प) को पुरूष एवं महिला दोनों अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों को भविष्यलक्षी प्रभाव से स्थायी कमीशन प्रदान करना अनुमोदित कर दिया है ।

17.9 **विशाका और निर्भया अधिनियमः** एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और सभी कमानों और बाहरी इकाईयों में ''विशाका दिशा निर्देश'' और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और

प्रतितोप) अधिनियम 2013 को कार्यान्वित किया गया है। महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु तीनों कमानों में समिति गठित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के खिलाफ बल प्रयोग / उत्पीड़न के किसी मामले का निवारण / निषेध करना है। सभी ईकाइयों की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में उचित महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

17.10 **नौसेना वाईस वेलफेयर एशोसियेशन (एनडब्ल्युडब्ल्युए):** महिलाओं में आत्मनिर्भरता निर्माण को बढ़ावा देने और नौसेना महिलाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए नौसेना वाईफ्स द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बहुत सारे कार्यकलाप आयोजित किये जाते हैं। नवल वाईफ्स वेलफेयर एशोसियेशन (एनडब्ल्युडब्ल्युए) अपने असंख्य कल्याणकारी प्रोग्रामों के द्वारा प्रमाणिक कल्याण और शैक्षिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराता है। बच्चों के लिए प्ले स्कूल चलाना, बाहरी वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच बनाना, विशेष बच्चों हेतु स्कूल चलाना, वरिष्ठ नागरिकों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल करना, नौसेना विधवाओं का पुर्नवास, व्यवसायिक परामर्श और दिशा-निर्देशों के द्वारा पारिवारिक दुर्भावना में सहायता करना, महिलाओं हेतु कौशल विकास तथा आर्थिक शक्ति हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करना इस प्रकार के कार्यकलापों के उदाहरण है। एनडब्ल्युडब्ल्युए नौसेना परिवारों को मुखर और वाद्य संगीत, मृत्य, स्वास्थ्य कार्यकलापों, योगा और संगठित क्रीडा और खेलकूद के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद क्षेत्र में अपना हुनर का विकास करने और दर्शाने का अवसर प्रदान करता है।

कल्याणकारी कार्यकलाप

17.11 **नौसेना वर्ग सहायता प्रणाली (एनसीएसएएस):** नौसेना वर्ग सहायता प्रणाली (एनसीएसएएस) वृहत नौसेना परिवार की महिला सदस्यों की सहायता सुनिश्चित करता है। एनसीएसएएस सेवा कार्मिकों और उनके परिवारों के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है और उसका उद्देश्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों, पात्र और पंजीकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि की नियुक्ति द्वारा पूर्व सक्रिय कम्युनिटी सेवा उपलब्ध कराना है।

17.12 **नौसेना रेजिमेंटल प्रणाली (एनआरएस):** रक्षा सेवाओं में सांस्कृतिक सद्भाव और भाईचारे को ध्यान में रखते हुए और इसे बनाए रखने के लिए, तथा मारे गए नौसेना कार्मिकों की विधवाओं / निकट संबंधियों को पूर्ण सक्रिया और विस्तारित सहायता उपलब्ध कराने हेतु संस्थागत रूप में जनवरी, 11 में एक नवल रेजिमेंटल प्रणाली (एनआरएस) स्थापित किया गया था, इस प्रणाली के अंतर्गत, सात कमान रेजिमेंटल प्रणाली अधिकारी (सीआरएसओ) और उनकी टीमें, नवल साथियों की मृत्यु अमूर्त चाहे व्यक्ति की मृत्यु कार्य के दौरान हुई हो अथवा सेवानिवृति के पश्चात उनके कल्याण तथा समय पर सभी प्राधिकृत देयता को ठीक-ठीक पहुंचाने के लिए प्रत्येक के परिवार तक पहुंचती है।

17.13 **अंतिम- संस्कार में शामिल होना:** भारतीय नौसेना नौसेना सेवानिवृत्तों के अंतिम संस्कार के दौरान अंतिम पद की तुरही की धून बजाने के साथ और विभिन्न अनुदाने/छात्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में जानकारी देने हेतु अधिकारियों / नाविकों की नियुक्ति करती है। विधवाओं को परेशानी के समय समय पर पहुंचने और उनके प्राधीकृत भुगतान के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न भूत-पूर्व नौसेनिक कल्याण संगठनों और जिला सैनिक बोर्ड़ प्राधीकरणों से निकट संबंध बना रहता है।

17.14 **विधवाओं तक पहुंचना:** एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) स्थित भूतपूर्व सैनिक कार्य निदेशालय (डीईएसए), नोसैनिक कार्मिक जिनकी कार्य के दौरान अथवा सेवानिवृति के पश्चात मृत्यु हुई है, कि विधवाओं के पूर्नस्थापन और पुनर्वास का कार्य करता है। वर्तमान

में, विभिन्न छात्रवृति योजनाओं, रोजगार के अवसरों, वित्तिय और कानूनी मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर मामलों में सहायता उपलब्ध करा रहा है ।

17.15 **भविष्य मामला निवारण तंत्रः** भविष्य में उठने वाले मामलों के सहज निवारण की सुविधा हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः-

(क) भूतपूर्व सैनिक कार्य निदेशालय (ड़ीईएसए) ने नौसेना तक पहुंच के लिए वीर नारी 24x7 टोल फ्री हेल्पलाईन की स्थापना की गई है ।

(ख) भारतीय नौसेना वेबसाईट के द्वारा महत्वपूर्ण मामलों का निवारण ।

(ग) भारतीय नौसेना / डीईएसए द्वारा त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर का प्रकाशन ।

(घ) इंटरनेट द्वारा ड़ीईएसए के संपर्क हेतु ई-मेल्स आईड़ी ।

(ड.) एक डीईएसए पारस्परिक ब्लॉग, जो कि ना केवल नवीनतम विकास के अध्यतन उपलब्ध कराता है बल्कि उस पर जानकारी लेने और शिकायतों को भी डाला जा सकता है जिनका शीघ्रतापूर्वक निपटान किया जाता है ।

भारतीय वायु सेना

17.16 **वृहत नीति निर्णयः** सरकार ने भारतीय वायु सेना की फाईटर विधा में महिलाओं को शामिल करते हुए इसकी सभी शाखाओं और विधाओं में इनको शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । महिलाओं का चयन पुरूष पक्ष के समान एक रूप गुणता आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा । आगे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने हेतु लिंग-भेद के बिना महिला और पुरूष दोनों के लिए एक रूप गुणता आवश्यकताएं लागू होगी । 15 नवम्बर, 2015

भारतीय वायुसेना की महिला पायलट

के अनुसार भारतीय वायु सेना में 348 महिला अधिकारी स्थायी कमीशन धारक है ।

भारतीय तटरक्षक

17.17 भारतीय तटरक्षक ने 1997 से जनरल ड्यूटि में स्थायी सहायक कमान्डेट और एविएशन केड़र (पाइलेट) के रूप में महिला अधिकारियों को शामिल करना प्रारंभ किया गया है । अब तक कुल 123 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है जिनमें जनरल ड्यूटि और एविएशन केडर में शोर्ट सर्विस एपोइटिंस (एसएसए) की महिला अधिकार भी सम्मिलित है । यह भी ध्यान देने योग्य वर्णन है कि आईसीजी में महिला अधिकारियों की संख्या कुल संख्या का लगभग 10% है । इन्हें युद्धक भूमिकाओं जिनमें पाइलेट, पर्यवेक्षक और विमानन सहायता सेवाएं सम्मिलित हैं में नियुक्त किया जा रहा है इन्हें तटीय सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य में भी समान रूप से तैनात किया जा रहा है । पुरूष अधिकारियों के समान महिला अधिकारियों को दूर्गम स्थानों के स्टेशनों पर भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा, विशिष्ट प्रकार की महिला अधिकारियों को तटरक्षक स्टोर डिपो में कमान्ड नियुक्ति भी की जा रही है। इन्हें भविष्य प्रोन्नति और सेवा में प्रोफाइलिंग हेतु

समान अवसर प्रदान करने हेतु सभी मानक अपनाए जा रहे हैं।

17.18 हाल ही में, जहाज प्लेटफार्म में तैनात महिला अधिकारियों द्वारा अन्य उपलब्धि प्राप्त करते हुए, महिला अधिकारियों के प्रथम बैच ने हावरक्राफ्ट में एप्टीट्यूट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । उत्तीर्ण अधिकारियों को होवरक्राफ्ट पर मूल और उन्नत प्रशिक्षण के पश्चात शीघ्र ही तटरक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (कोच्ची) में प्रारंभ हो रहे सीमैनशीप और दिकचालनात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए चरण-I परीक्षण पर शीघ्र ही भेजा जाएगा । यह तटरक्षक होवरक्राफ्ट पर सह-पाइलेट के रूप में उनको समर्थन प्रदान करेगा । इस पहल ने महिला अफसरों के लिए उड़ान ड्यूटियों के अलावा युद्धक भूमिका में एक और आयाम की वृद्धि की है ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

17.19 डीआरडीओ कार्य के लिए एक स्वस्थ्य और सुरक्षित वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कर्मचारी बिना किसी भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव और यौन उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने में समर्थ हो सकें । इसके परिणामस्वरूप डीआरडीओ में निदेशकों जैसे उच्च स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ महिला वैज्ञानिकों द्वारा राष्ट्रीय महत्व की कई रक्षा परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं ।

17.20 मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने 9 मार्च, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु महिला प्रवर्तक विजेता - 2015 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उदघाटन किया। दो दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी सीफीज द्वारा की गई और विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की 200 से अधिक महिला वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया। डीआरडीओं की महिला वैज्ञानिकों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाने को प्रोत्साहित किया गया था ।

रक्षा उत्पादन विभाग

17.21 **आयुद्ध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी):** सरकारी आदेश के अनुसार ओएफबी बोर्ड ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम - 2013 को सभी ओएफ ईकाइयों में तुरंत वितरण हेतु हिदायतें जारी की गई है । महिला कर्मचारियों को कार्य की पाली के अनुपयुक्त समय में तैनात नहीं किया जाता है और उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि उचित कार्य क्षेत्र, पृथक शौचालय, आरामगृह आदि सभी आयुध निर्माणियों/यूनिटों में मुहैया कराई गई हैं । महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं जिनमें रिफ्रेशर पाठ्यक्रम / एचआरड़ी विभाग में शामिल है, उपलब्ध कराई जा रही है ।

17.22 **हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड़ (एचएएल):** 30 नवम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार एचएएल में महिला कर्मचारियों की संख्या 2501 है । महिला कर्मचारी 180 दिनों तक की मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। इस अवकाश के अलावा, संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु बिना वेतन के अवकाश को भी विस्तारित किया जा सकता है। प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में आचरण एवं अनुशासनात्मक अपील नियमावली और सर्टीफायड स्टैंडिंग आदेशों को संशोधित किया गया है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम - 2013 की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति भी गठित की गई है ।

17.23 **भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड़ (बीईएल):** बीईएल में लगभग 2100 महिला कर्मचारी है। कार्यस्थल पर यदि

कोई हों, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार बीईएल के सभी यूनिटों / कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने हेतु आतंरिक शिकायत समिति गठित की गई है । महिला कर्मचारी अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु ट्रेड़ यूनियनों और अधिकारी, संघों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। महिला हितों के रक्षा ''पब्लिक सेक्टर में महिला'' प्रतिनिधि विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेते हैं ।

17.24 **गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड़ (जीआरएसई):** 31 दिसंबर, 2015 को जीआरएसई की कुल 2936 कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों की संख्या 121 है। जीआरएसई की शारदा मठ का साझेदार है जोकि विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं के विकास हेतु कार्य करता है। जीआरएसई व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु कंप्युटर जे जुड़े उपस्कर भी उपलब्ध कराता है।

17.25 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड़ (जीएलएल):** यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण के लिए एक 'शिकायत समिति' का गठन किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि होता है ।

17.26 **हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) :** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध संबंधी एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। चार महिला अधिकारियों को मिलाकर एक 'जेन्डर बजटिंग प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है जो सभी जेन्डर अनुक्रियाशील बजटिंग पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। महिला कर्मचारियों को उचित स्तर पर चयन समितियों और डीपीसी में सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है।

17.27 **माझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल) :** महिला सशक्तिकरण के रूप में कदम बढ़ाते हुए इस वित्तिय वर्ष के दौरान महिला कर्मचारियों हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण आईआईएम में टेलर मेड़ एमड़ीपी प्रोग्राम, महिला कर्मचारियों हेतु मेरी जिदंगी, लाईफ स्टाईल प्रबंधन, अग्निशामन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिला कर्मचारियों हेतु वर्क लाईफ बैलेंस, महिला के लिए स्वयं सुरक्षा, कार्य स्थल पर थकान प्रबंधन, शुरू किए गए है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के तहत एक आतंरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई है।

17.28 **बीईएमएल लिमिटेडः** 30 नवम्बर, 2015 को बीईएमएल में 2358(142) कार्यकारी और 6616(158) कर्मचारियों को शामिल करते हुए कर्मचारियों की संख्या 8974 हैं, जिनमें से 300 महिलाएं हैं। कंपनी के कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी के द्वारा लिंग समानता को बढ़ावा देने की दिशा में लिंग समानता और विभेदीकरण रोधी नीति को अधिसूचित किया गया है। महिला स्वास्थ्य पर चयनक वार्तालाप को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आयोजित किया जाता है । कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना से निपटने हेतु सभी कार्यालयों में आतंरिक शिकायत समिति गठित की गई है ।

17.29 **भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** बीडीएल में 337 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें से 99 कार्यकारी और 238 गैर-कार्यकारी हैं और ये कम्पनी में कुल कर्मचारियों का 10.78 प्रतिशत है। कंपनी ने इसे कदाचार मानते हुए अपने स्थायी आदेशों और सीड़ीए नियमों में ''कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण'' पर अध्याय को शामिल करते हुए बदलाव किए है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई है। पब्लिक सैक्टर में महिला प्रोग्रामों

(डब्ल्यूआईपीएस) में भाग लेने हेतु महिला कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए कंपनी ने आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं।

17.30 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि):** 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार मिधानि में महिला कर्मचारियों की संख्या 67 है । मिधानि अपनी सभी महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु संविधि के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान कर रहा है । महिला सशक्तिकरण के प्रति मिधानि की अतिबद्धता के एक भाग के रूप में, 2 करोड़ रुपयों की लागत से फास्टनर्स एण्ड बायो मैडिकल हेतु एक प्लांट स्थापित कर रहा है ।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

17.31 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, लगभग 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण का निपटान करता है जिसमें सशस्त्र सेनाओं के पूर्व कार्मिकों की विधवाएं और उनके आश्रित सदस्य शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह, विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नियमों के अनुसार विधवाएं दोहरी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु भी पात्र हैं।

17.32 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है । पीएमएसएस के तहत कुछ छात्रवृतियों की संख्या 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया गया है जो लड़कों और लड़कियों में समान रूप से विभाजित की जाती है।

17.33 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के तहत पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। डीजीआर की विभिन्न रोजगार योजनाओं जैसे कोल टिप्पर योजना, ऑयल उत्पाद एजेंसी, अतिरेक वाहन, सफल बूथ इत्यादि में ईएसएम की विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। युद्धक विधवाएं ईसीएचएस के अंतर्गत अंशदान के भुगतान में छूट प्राप्त है।

****

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा एसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध की ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए सहायक हैं।

2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात सेना, नौसेना और वायु सेना।

3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुखलय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल है।

4. सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।

5. प्रादेशिक सेना।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।

7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।

8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।

9. कैंटीन भंडार विभाग।

10. रक्षा प्राक्कलनों में वेतनभागी सिविलयन सेवाएं।

11. हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।

12. छावनियों की स्थापना, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल हैं)।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी। अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।

14. रक्षा लेखा विभाग।

15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंप गया है उसे छोड़कर सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।

16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं–

    (i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी;

    (ii) बंदरगाहों के जल क्षेत्र और अपततटीय खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुशंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखराव के प्रति उपाय;

    (iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी;

    (iv) तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन; और

(v) तेल बिखराव रोकथाक और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, हसमें वाणिजय, पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबद्ध मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति।

19. सीमा सड़क विकास मंडल और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स मिमिटेड
4. माझगांव डाक लिमिटेड
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन।
10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण।
11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
13. वैमानिकी उद्योग का विकास और नागर उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय।
14. सिविल उपयोग के लिए विमानों और उसके घटकों का उत्पादन।
15. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
16. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों, हथियार–प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता और संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के भी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेषी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।

5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास एजेंसी।

7. सैनय विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।

8. विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा कार्पोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श करके निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका संबद्ध मामले–

    (i) अन्य देशों और अंतः सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित हैं।

    (ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी–विंदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान–उन्मुख संस्थाओं या निकायों के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट से भी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्ती मंजूरिया।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सकरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामलें।
4. निम्नलिखित का प्रशासन
   (क) सेना में वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
   (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
   (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 य और
   (घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982

ङ रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
6. रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा बजट और अन्य प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, रक्षा पेंशनरों के संबंध में प्राक्कलन तैयार करना और बजट कें अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।
8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के प्रमुखों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय के भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 जनवरी, 2015 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री मनोहर पर्रीकर 9 नवम्बर, 2014 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

राव इंद्रजीत सिंह 27 मई, 2014 से आगे

रक्षा सचिव
श्री राधा कृष्ण माथुर
25 मई, 2013 से 24 मई 2015 तक

श्री जी मोहन कुमार
25 मई, 2015 से आगे

<u>सचिव रक्षा उत्पादन</u>
श्री जी मोहन कुमार
1 सितम्बर, 2014 से 24 मई 2015 तक

श्री अशोक कुमार गुप्ता
25 मई 2015 से आगे

सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण
श्री प्रभु दयाल मीणा
1 नवम्बर, 2014 से आगे

सचिव (रक्षा अनुसंधान एंव विकास)
डॉ अविनाश चंद्र
31 मई, 2013 से 31 जनवरी, 2015

श्री राधा कृष्ण माथुर
1 फरवरी, 2015 से 24 मई 2015

श्री जी मोहन कुमार
25 मई 2015 से 28 मई 2015

डॉ एस क्रिस्तफर
29 मई 2015 से आगे

सेनाध्यक्ष
जनरल दलवीर सिंहं
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी
1 अगस्त 2014 से आगे

नौसेनाध्यक्ष

एडमिनरल आर के धवन
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी
17 अप्रैल, 2014 से आगे

वायुसेनाध्यक्ष
एयर चीफ मार्शल अरूप राहा,
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी
1 जनवरी, 2014 से आगे

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

श्री जी. एस रेड्डी

5 जून 2015 से आगे

सचिव रक्षा वित्त

श्रीमती वंदना श्रीवास्तव

1 नवम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से 30 सितम्बर 2015 तक

श्री एस एस मोहंती

1 अक्टूबर, 2015 से आगे

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश–रक्षा मंत्रालय

रिपोर्ट सं. 2015 का 44

छावनी बोर्डो की कार्यप्रणाली

छावनी बोर्डो (सी बी), जिन्हें नगरपालिकाओ का स्थान प्राप्त है, को छावनियों में रहने वाले कार्मिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी होती है। 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये 17 सी. बी में से एक सी बी (क्लेमेंट टाउन) को छोड़कर किसी ने भी अपने–अपने क्षेत्रों में नगर आयोजना पद्दतियों आर्थिक विकास तथा साामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित नहीं किया था इसके अतिरिक्त, किसी भी सी बी ने अपने निवासियों को छावनी अधिनियम के अनुसार अध्यादेशित सभी 24 प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की और गरीबों के अन्नयन हेतु सी बी में केन्द्रीय सरकार की कोई भी स्कीम लागू नहीं था। सी बी कर तथा करेतर माध्यम से पर्याप्त राजस्व सृजन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे, जिसके कारण रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले सहायता अनुमदान पर उनकी निर्भरता बढ़ी। यह मुख्य रूप से हर पांच वर्श में करों का संशोधन न किए जाने, निर्धारित दर से कम दर पर संपति कर की वसूली तथा वाहन प्रवेश कर की गैर –उगाही आदि के कारण था।

(पैराग्राफ 2.1)

विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता

डी आर डी ओ द्वारा 2006 में विकसित कमबैट फ्रीफॉल पैराशूटों का सफल उत्पादन 10.75 करोड़ व्यय करने के बाद भी नहीं किया जा सका। इसलिए भारतीय सेना के पैराशूट (विशेष बल) बटालियनों के पास पिछले एक दशक से अधिक समय से इन विशिष्ट पैराशूटों का अभाव हैं।

(पैराग्राफ 2.2)

सेना विमानन कोर का कार्यकरण

निर्णायक युद्ध शक्तियों का प्रयोग करने हेतु फील्ड कमांडरों को मार्गनिर्देश प्रदान करके युद्ध क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता के मुख्य उद्देश्य से सेना विमानन कोर का सृजन किया गया। यह कोर, तथापि, अपनी प्राधिकृत बेड़ा शक्ति के 32 प्रतिशत की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान हेलिकॉप्टरों से पुराने और लम्बी अवधि के हैं, जिसमें 52 प्रतिशत बेड़ा 30 वर्षों से अधिक पुराना है। हेलिकॉप्टरों की प्रयोज्यता का निम्न स्तर परिचालन के लिए उनकी प्रभावी उपलब्धता प्राधिकृत क्षमता के 40 प्रतिशत तक और कम हो जाती है।

इन कमियों के बावजूद, सेना विमानन टोह तथा निरीक्षण हेतु प्रयोग किए जा रहे चीता/चेतक हेलिकॉप्टरों के बड़े का प्रतिस्थापन नहीं कर सकी, जो 10वी योजना अवधि (2002–2007) से अपेक्षित हैं। हमने देखा कि 11वी और 12वीं 'सर्विस कैपिटल' अधिकग्रहण योजना में अनुमोदित 18 स्कीमों के प्रति नौ वर्ष की अवधि में अब तक केवल चार स्कीमों के लिए संविदा की जा सकी। अधिग्रहण योजनाओं के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में हुई इस विफलता तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की धीमी गति, पुराने बेड़े के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन ने होने के मख्य कारण थे।

(पैराग्राफ 3.1)

भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी

भारतीय सेना में बी एम पी वाहनों की धारिता में 47 प्रतिशत कमी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कमी का मुख्य कारण ओ फ बी द्वारा 389 बी एम पी वाहनों की आपूर्ति करने में हुआ विलंब था, जिसने ने केवल मेकेनाइज्ड फोर्सेज/इंजिनियर्स की परिचालीन तैयारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, अपितु लागत वृद्धि के कारण कम से कम 270.97 करोड़ की अधिक देयता को भी अपरिहार्य बनाया।

(पैराग्राफ 3.2)

टी–55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति

रखा मंत्रालय (एम ओ डी) के एकीकृत मुख्यालय (आई एव क्यू), सेना ने टैंक टी–55 के कमांडर के लिए फरवरी 2011 और जून 2013 के बीच 22.12 करोड़ मूल्य के इमेज इंटेसिफायर साइट की अधिप्राप्ति की, जबकि दिसंबर 2011 में उस टैंक को अप्रचलित घोषित किया गया था।

(पैराग्राफ 3.3)

परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती

हालांकि परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की उगाही संबंधी कार्यविधि ने नियत किया कि कम दरों पर एल डी की उगाही केवल उस समय की जानी था, जब सरकार को कोई हानि नहीं हुई हो, किंतु सेना क्रय संगठन ने हानि के संबंध में तथ्यों का पता लगाए बिना वह शर्त लगा दी और इस प्रकार दोषी संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया। एक नमूना जांच मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि हानि वास्तव में हुई थी।

(पैराग्राफ 3.5)

द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन

संस्थापन/चालू हाने में और मरम्मत कार्यशालाओं में अपेक्षित अवसंरचनाओं के सृजन में विलंब के कारण 2.23 करोड़ की लागत पर एम बी टी अर्जून के लिए अधिप्राप्त पांच हाइट्रोलिक टेस्ट बेंच में से चार नवंबर 2010 में अधिप्राप्ति से ही निष्क्रिय पड़े हुए थे।

¼iSjkxzkQ 3-6½

हाई–लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (डी जी ए एफ एस) द्वारा हाई–लो बेड्स की अधिप्राप्ति हेतु संविदा में समय वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सी ए एम सी) के समावेशन के संबंध में अनिर्णय के कारण पुनः निविदा करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 1406 बेड़ों की अधिप्राप्ति में 63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवमृ वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारे निरीक्षणों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते, विविध प्रभारों, विद्युत प्रभारों की वसूली की तथा अनियमित र्मिाण संस्वीकृतियों को निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं को संशोधन किया, जिसका कुल प्रभाव 11.70 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.8)

विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली के कारण हानि

आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग करने में और अनुमोदित विद्युत शुल्क का अनुवर्तन करने में दुर्ग अभ्यिंताओं

(जी ई) की ओर से हुई विफलता के कारण लेखा परीक्षा के लिए चयनित दुर्ग अभियंताओं द्वारा 24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। निजी पार्टियों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से 23.66 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में भी जी ई विफल रहे, जो मुख्यतः ऊर्जा और नियत प्रभारों की अल्प वसूली, बिल देने में विलंब, त्रुटिपूर्ण मीटर आदि के कारण था। अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली की ये गलतियां एम ई एस में आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता को रेखांकित करती हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण

अभियंताओं द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून के लिए कार्यन्वित कार्य को अपर्याप्त निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप 22.75 करोड़ लागत के मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। पांच वर्षों के विलंब से न केवल कैडेटों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण से वंचित किया, बलिक 2.50 करोड़ मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजनाएं भी रूकी रहीं।

(पैराग्राफ 4.2)

परिसंपत्ति का अनुपयोग

2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में निर्मित मिसाइल भंडारण शेड का उपयोग वातानुकूलन प्रणाली के अभाव के कारण उस प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका। संस्वीकृति में भवन के साथ वातनुकूलन के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने के बावजूद भी सी ई एस जेड के लिए संविदा करने में विफल रहा। शेडों की अनुपलब्धता ने मिसाइलों की आहरण योजना को प्रभावित किया, क्योंकि ये मिसाइलों 110 कि. मी. की दूरी पर दूसरे स्थान पर रखी जा रही थीं और इससे प्रयोक्ताओं की परिचालन क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.3)

स्थान उपलब्ध न होने बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरूद्ध रहा

मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र ने बैंफल रेंज के निर्माण हेतु खाली स्थल की उपलब्धता के बिना संविदाएं की। यह न केवल नियमावली के प्रावधानों को उल्लंधन था, बलिक इसके परिणामस्वरूप संवदिकार को 1.68 करोड़ का भुगतान भी किया गया। अब इस कार्य को समाप्त करने के लिए मामला शुरु किया गया है।

(पैराग्राफ 4.4)

निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय

मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र (सी इ जे जेड) द्वारा त्रुटिपूर्ण पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निम्नस्तर का कार्य कार्यान्वित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, एक गोला–बारूद डिपो पर 2.33 करोड़ की लागत पर सृजित अग्नि शमन अवसंरचना को छोड़ देना पड़ा, जिससे इसपर किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 4.5)

उच्च दरों पर ठेकों की स्वीकृति से परिहार्य व्यय

वैध्ता अवधि के अंदर एकीकृत वितीय सलाहकार (आई एफ ए) की सहमति मिलने में विलंब के कारण महानिदेशक सीमा सड़क ने निम्नतम निविदा को अनुमोदन प्रदान नहीं कर सका। तीसरे कॉल के बाद उच्च दर पर संविदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1.89 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

ठेकेदारों से सेवा-कर की अल्प-वसूली

मुख्य अभियंता (परियोजना), विजयक द्वारा की गई पांच संविदाओं में निर्माण कार्य के सकल मूल्य पर जम्मू एंव कश्मीर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों से सेवा कर के रूप में 1.06 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

पानी के ट्रकों की खरीदारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

अधिप्राप्त किए जानेवाले ट्रकों के प्रकार के प्रकार का चयन करने हेतु महानिदेशक सीमा सड़क (डी जी वी आर) द्वारा निर्णय लेने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि के कारण 81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में परियोजना प्रबंधन

लेखा परीक्षा के लिए चुने गए 28 परियोजनाओं में से टी बी आर एफ द्वारा दो स्टाफ और 22 आर एंड डी परियोजनाओं सहित 24 परियोजनाएं पूरी की गई थी। तथापि हमने पया कि दो परियोजनाओं के विरूद्ध सेवा के गुणात्मक अपेक्षाओं के मानको को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया। पूरी की गई शेष 22 आर एंड डी परियोजनाओं में निर्धारित उद्देष्यों के मामलें में गुणात्मक और मात्रात्मक निबंधों के माले में केवल 10 परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हुई। तथापित इन परियोजनाओं की परिक्षेय के रूप में बदला जाना शेष है। कार्यकारी समिति प्रोजेक्ट मानीटरिंग समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग किए जाने के बावजूद, 58 प्रतिशत परियोजनाओं में मुख्यतः आपूति आदेश पूरा न हो पाने के कारण विलंब हो गया।

(पैराग्राफ 6.1)

हथियार विनिर्माण निर्माणियों का उत्पादन

लेखापरीक्षा में 25 रणनीतिक शस्त्र मदों पर 2011 से 2013–14 के लिए छह शस्त्र विनिर्माण निर्माणियों का निष्पादन सम्मिलित था, जो एक साथ इन निर्माणियो ंकी उत्पाद लाइन में आनेवाली 68 शस्त्रों की कुल उत्पादन लागत का 79 प्रतिशत था।

मांगकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति

2011–12 से 2015–16 के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करने वाली सेना की रोल–ऑन–योजना को अल्प कालीन योजना निर्माण में बोई की सहायता करनी थी। तथापि, सेना से प्राप्त मांगपत्र की रोूल–ऑन–योजना के साथ मेल नहीं खा रहे थे। गृह मंत्रालय ने, यद्यपि 2010 में एक रोल–ऑन–योजना प्रक्षेपित की थी किंतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठकों में उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो गयी थीं

बोर्ड ने 68 प्रतिशत मदों में क्षमता की कमी का सामना किया और इसलिए अधिकांश मदों के लिए सेना की आवश्यकताओं की तुलना में निम्नतर लक्ष्य प्रदान किया ओर इस प्रकार इनपुट सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित छह महीने के समय के प्रति निर्माणियें द्वारा अग्रिम नियोजन के लिए केवल तीन महीने का समय दिया। वर्ष के मध्य में इन लक्ष्यों के संशोधन ने उत्पादन को भी भंग किया। 2011–12 से 2013–14 के दौरान निर्माणियों ने आठ से 16 मदों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए। किंतु पांच से 10 मदों के लिए, उपलब्धि 60 प्रतिशत से कम थी। संशोधित लक्ष्यों की तुलना में चयनित शस्त्रों के निर्गम में कमी का कुल मूल्य 2011–12 से 2013–14 के दौरान 1479 करोड़

था। इनपुट सामग्रियों की प्राप्ति में होने वाले विलंब निर्माणियों के स्लिपेंज के लिए प्रमुख कारण है।

उत्पादन हेतु संसाधनों का विन्यास

भंडारों की अधिप्राप्ति में हुए विलंब ने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्माणियों को प्रभावित किया। छह निर्माणियों में से तीन ने 2011–12 से 2013–14 में भंडारों की आवश्यकता का पता लगने के पांच महीने कें अंदर अपने 60 से 70 प्रतिशत आपूर्ति आदेश दिए। शेष निर्माणियों केवल 3 से 52 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों में ही समयसीमाओं का पालन कर सकी। व्यापार स्त्रोत्रों से अधिप्राप्ति करने में अदक्षताओं में वृद्धि फील्ड गन निर्माणी, कानपुर पर उच्च–कैलिबर शस्त्रों हेतु बैरलों के निर्माण के लिए गढ़ी वस्तुओं की मांगे पूरी करने में उप निर्माणी की असमर्थता के कारण हुई। निर्माणियों 40 से 63 प्रतिशत उदाहरणों में 15 दिनों की निर्धारित समय के भीतर भंडारेां का गुणवता नियत्रण पूरा नहीं कर सकीं।

गुणवत्ता निंयत्रण तथा गुणवता आश्वासन

गुणवता समस्याएं, निर्माणियों को लागत, लक्ष्यों की प्राप्ति और इसके अतिरिक्त बोर्ड एवं उसके उत्पादों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करके घेर लेती है। 'परिशोधन हेतु वापसी तथा वरिष्ठ गुणवता आश्वासन स्थापनाओं (एस क्यू ए ई) द्वारा घोषित निराकरण के उदाहरण 5.56 मि.मी. राइफल 7.62 मि.मी. एम ए जी, 30 मि.मी. तोप और स्पेयर बैरल टी–90 जैसे कुछ उत्पादों के लिए अधिक थे। एस क्यू ए ई द्वारा अपनी गुणवता निरीक्षण टिप्पणियों में पहले बतायी गयी त्रुटियों की पुनरावृति सूचित करती है कि इन टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निर्माणी के गुणवता नियंत्रण अनुभाग द्वारा निरीक्षणों में सम्मिलित रोज आयामों में परिवर्तन जैसे त्रुटियों का पता नहीं लगा और एस क्यू ए ई द्वारा अनुवर्ती चरणों में उठाई गई। प्रयोक्ताओं, अर्थात् सेना ने शस्त्र की त्रुटियों के कारण फील्ड इकाईयों में होने वाली विश्वास की कमी पर ध्यान दिया।

वितीय प्रबंधन

पिछले तीन वर्षों की प्रवृतियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत नियंत्रण प्रभावकारी था तथा घट–बढ़, विशेषकर ऊपरी खर्च में, नियंत्रित थी। तथापि इन निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसने अधिक ऊपरी खर्च, विशेषकर नियत ऊपरी खर्च पर कार्य किया। उत्पादों पर ऊपरी खर्च का संविभाजन असंगत था, उसे कुछ उत्पादों पर अतिभारित करने का अर्थ उनको महंगा बनाया था। आयुध निर्माणियां सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं लागत काटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने के लिए सकेंद्रित हैं। सशस्त्र सेनाओं के पास सुनिश्चित निधियों की उपलब्धता ने उच्च निर्गम मूल्यों की परवाह किए बिना बोर्ड से उत्पादों को स्वीकार करने में उनकी सहायता की।

भविष्य के लिए योजना

बोर्ड ने सशस्त्र सेनाओं को उचित मूल्य पर नूतन प्रोद्योगिकी की सामयिक आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु संदर्श योजना 2007–12 तैयार की। संदर्श योजना की कल्पनाओं को यथार्थता में परिवर्तित नहीं किया जा सका, क्योंकि उनका कार्यान्वयन नयी मदों के विकास में विलंबों के कारण बांधित हुआ।

जबकि बोर्ड ने परवर्ती अवधि के लिए कोई योजना नहीं बनायी, परिवेश में तात्विक रूप में परिवर्तन हो गया है। सेना ने 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालीन एकीकृत संदर्ष योजना (एल टी आई पी पी) बनायीं, जिसके संबंध में बोर्ड ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में खड़ा करने हेतु अभी तक कोई योजना नहीं बनायी है।

लघु शस्त्र निर्माणियां, मांगकर्ताओं से गिरती मांग और गुणवता समस्याये; अपने नये उत्पादों के लिए ग्राहकों से कमजोर प्रतिक्रया; और नयी पीढ़ी के कारबइनों के लिए परियोजना में विलंब जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही थीं। 81 मि. मी. मोर्टार, 05 मि.मी. एल एफ जी उच्च कैलिबर रेज का पारंपरिक शस्त्र कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त, विलंबित सवदेशीकरण तथा कुछ असंब्लियों के आयात पर निरंतर निर्भरता ने मांग को पूरा करने में निर्माणियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी।

(पैराग्राफ 7.2)

रसायन निर्माता निर्माणियों का कार्य उत्पादन

रसायनिक निर्माणी समूह का प्रचालन समूहः गोला–बारूद एवम् विस्फोटक (ए एंड ई) के अंतर्गत एक उप–समूह है। 2011–12 से 2013–14 के दौरान उत्पादन की कुल लागत का 35 प्रतिशत इस समूह के हिसाब में था। 2011–12 से 2013–14 के दौरान चार रसायनिक उत्पादन निर्माणियों, जिनकी वार्षिक उत्पादन लागत 755 करोड़ थी, ने आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन लागत का लगभग पांच प्रतिशत देने में सहयोग किया।

मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं का पूरा करना

अनेक मामलों में अधिकांश उत्पादों के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्माणियों को लक्ष्य के संशोधनों की मध्य–वर्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निर्माणियां मूल लक्ष्य प्राप्त करने में भी असमर्थ थीं।

रसायनिक निर्माणी समूह के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी तक उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है; यह प्रतिबद्ध ता निर्माणियों पूरी नहीं कर सकीं। इससे बोला–बारूद भराव निर्माणियों के उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा।

उच्च विसफोटक निर्माणी किरकी, आयुध निर्माणी भंडारा और आयुध निर्माणी इटारसी में मांगकर्ताओं को उत्पादों के वास्तविक भौतिक निर्गम के बिना ऋण का दावा करने हेतु अग्रिम निर्गम वाउचर तैयार करने की अनियमित प्रथा विद्धयमान थी।

बोर्ड में लक्ष्यों के प्रति उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए आंतरिक नियंत्रण नेमी प्रकृति के थे और इसलिए उनकी प्रभावकारिता कम थी।

उत्पादन के लिए संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण

निर्माणियों एक–तिहाई अधिप्राप्तियों में आपूर्त आदेश देने में बोर्ड द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, यदि भंडारों की सुपुर्दगी के लिए समय सीमा को सम्मिलित किया जाना था तो अधिप्राप्ति के लिए उत्पादन की गति को नहीं बनाए रख सकी, जबकि वर्ष के अंतिम भाग में उत्पादन चरम सीमा पर होता है। निर्माणियों द्वारा बतलायी गई श्रमिक उत्पादकता अधिक थी और लक्ष्यों के प्रति निष्पादन के साथ उसका कोई सहसंबंध नहीं था।

गुण्वता नियत्रण एंव गुणवता आश्वासन

गुणवता नियंत्रण के दौरान निराकरण के मामले में तथा प्रूफ स्थापना में अत्यधिक समय लिया गया, जिसके कारण लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति पर प्रपाती प्रभाव पड़ा।

निर्माणियों पर समर्पित प्रूफ रेंज के अभाव के कारण गतिशील प्रूफ आयोजन करने में विलंब हुआ; दिसंबर 2008 में संस्वीकृत एक परियोजना को छोड़ दिया गया तथा इसके विकल्प फलन में नहीं आये।

वित्तीय प्रबंधन

निर्माणियों अधिक ऊपरी खर्च पर चल रही थी, उत्पादन लागत को बढ़ाया। पिछले तीन वर्शों की प्रवृतियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत में असाधारण उतार–चढ़ाव का

नजदीकी निरीक्षण करने हेतु लागत नियंत्रण प्रभावकारी था। तथापित निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसके लिए दो नियंत्रण थेः शॉप बजट समिति और तिमाही वित्तीय समीक्षा, जो संरचनात्मक कमियों से पीड़ित अपर्याप्त हस्तक्षेप है।

शस्त्रसेनाओं के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण आयुध निर्माणियों सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं कटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने पर संकद्रित हैं।

पर्यावरण के मुद्दे

निर्माणियों ने विशिष्ट पर्यावरण जोखिमों की पहचान नहीं की अथवा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए परिपेक्ष्य योजना नहीं बनायी। पर्यावरण संबंधी उपायों पर निधियों का निवेश सभी निर्माणियों में कम था। ऊर्जा लेखापरीक्षा में असंख्य लंबित संस्तुतियों ने भावी संभावित बचतों का संकेत दिया, जिसके लिए निधियों की आवश्यकता होगी।

दुर्घटनाओं की सामान्य प्रवृति, विशेषकर आयुध निर्माणी, इटारसी में, ने कर्मचारियों के सुरक्षा प्रशिक्षण में कमी को सूचित किया।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्यात आदेशों के विरूद्ध संविदात्मक शर्तों की अनापूर्ति के कारण 1.37 करोड़ की हानि

आयु/निर्माणी बोर्ड ने कवच प्रणाली के विकास में स्लिपेज तथा एक भारतीय फर्म द्वारा अग्नि नियंत्रण प्रणाली (कवच का भाग) की गैर–आपूर्ति के कारण निर्यात आदेश के प्रति कवच प्रणाली की सुपर्दगी में विलंब किया। इसके परिण ामस्वरूप विदेशी फर्म में बोर्ड के बिलों से 1.37 करोड़ जुर्माने की कटौती की।

(पैराग्राफ 7.4)

फीडर प्रणाली का अनुपयोग

जून 2006 में 4.09 करोड़ की लागत पर राइफल निर्माणी ईशापुर (आर एफ आई) द्वारा स्थापित एक नया उप–केन्द्र, उसके लिए स्विच गियरों को अधिप्राप्त और स्थापित करने के लिए आर एफ आई की विफलता (अप्रैल 2015) के कारण अनुत्पादक पड़ा रहा।

(पैराग्राफ 7.6)

अधिप्राप्ति तथा संपत्ति–सूची प्रबंधन–बी ई एम एल

लाभों में कमी के लिए कारक अनेक घटकों में से एक उच्च संपत्ति–सूची के स्तर था, जिसने कार्यशील पूंजी को प्रभावित किया। कंपनी द्वारा की गई बातचीत क्रय नियमावली और सी वी सी दिशानिर्देशो के विचलन में थी। दत अग्रिमों के लिए प्राप्त बैंक प्रत्याभूतियों की राशि सी वी सी दिशानिर्देयों के अनुसार नहीं थी। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रलेखन अपर्याप्त था। सिस्टम में सभी निविदाओं के बारे में डाटा की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन सुस्पष्ट नहीं था। विक्रेता सूची में द्धिरावृति समाविष्ट थी, जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव को सूचित करती है। अग्रिम सममायोजित रहे तथा प्रति किए गए तदर्थ भुगतानों आदि के कारण उसकी निगरानी नहीं की जा सकी। भंडार नियमावली को पिछले 23 वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया। अपर्याप्त सुरक्षा विशिष्टताओं के कारण विदेशी विक्रेताओं को कंपनी की एस आर एम प्रणाली पर विश्वास की कमी थी। एस ए पी और एस आर एम के बीच डाटा एकीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 8.1)

सम्पत्ति-सूची के संचय के कारण निधियों का अवरोधन 16.14 करोड़

जबकि नयी प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी, मेसर्स बी ई एम एल द्वारा कच्ची सामग्री की निरंतर अधिप्राप्ति तथा उपयुक्त शॉवेल के बिना डम्पर के उत्पादन के परिणामस्वरूप 16.14 करोड़ मूल्य के मदों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 8.3)

रिपोर्ट सं. 2015 का 51

कार्यकारी सरांश

1. हमने यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों की?

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने दिसंबर 2002 में विकलांगता तथा परिवार पेंशन सहित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों (ई एस एम) एवं उनके आश्रितों, जिनमें पत्नी/पति, वैध संतान और पूर्णतः आश्रित मात–पिता शामिल हैं, की चिकित्सा सेवा के लिए भूतपूर्व–सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) नामक स्वास्थ्य सुरक्षाय योजना को संस्वीकृति दी।

अप्रैल 2015 के अनुसार देश भर में भूतपूर्व–सैनिकों एवं उनके आश्रितों की कुल संख्या 47.24 लाख थी। इस योजना का लक्ष्य सभी लाभार्थियों को देश भर में फैले हुए ई सी एच एस पॉलिक्लिनिकां, सेवा अस्पतालों और निजी सूचीबद्ध/सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से नकद रहित आधार पर उसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के अंतर्गत लागू है। यह योजना 1 अप्रैल 2003 से प्रभाव में आई।

2. यह विष्पादन लेखा परीक्षा क्या समाहित करती है?

हमने 2012–13 से 2014–15 तक की अवधि के लिए इस योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए की किः

- ई सी एव एस अपने अधिदेशित उद्देश्यों वे लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ थी;
- योजना को दक्षतापूर्वक चलाया जा रहा था तथा ई सी एव एस के पास प्राधिकरण के अनुसार पर्याप्त रमशक्ति, अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध थे;
- विद्यमान रेफरल प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त थी कि सूचीबद्ध अस्पतालों को बढ़े हुए बिलों/अनधिकृत भुगतान नहीं किए गए थे;
- पॉलिक्लिनिकों का आवश्यकता के अनुसार दवाओं का प्रावधान और जारीकरण किया जाता है;
- बिल प्रोसेसिंग एजेंसी द्वारा ऑनलाईन प्रोसेसिंग प्रभावकारी, दक्ष और बिल प्रोसेसिग प्रणाली के आंकड़ों की संपूर्णता सुनिश्चित की गई थी।

3. महत्वपूर्ण निष्कर्ष

स्मार्ट कार्ड के लिए अनुबंध अनियमिता

नवीनीकरण/पुनरादेशों के लिए निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में केन्द्रीय संगठन, ई सी एच एस ने संवर्धित लागत में उसी फर्म के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए ई सी एस लाभार्थियों को स्मार्ट कार्डों की आपूर्ति के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया, जिसके लिए सी एफ ए की संस्वीकृति लेखापरीक्षा को प्रदान की गई थी। यह समर्थित करने के लिए केन्द्रीय संगठन के पास कोई साक्ष्य नहीं थी कि अनुबंध के नवीनीकरण के पहले बाजार मूल्य के रूझान का सत्यापन किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.1)

प्रभायें आधर पर लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करना

सदस्य बनने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सेवा कार्मिकों से सी जी एचएस पेंषनभोगियों के लिए निर्धारित दरों पर केवल एक बार अंशदान वसूल किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सेवानिवृत होने वाले सेवा कार्मिकों से कोई अन्य प्रभार वसूल किए जाने हेतु एम ओ डी द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं थे। इस भावना के विरूद्ध एम ओ डी के अनुमोदन के बिना लाभार्थियों से सदस्यता शुल्क स्मार्ट की पूरी कीमत वसूल की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.2)

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का बहु पंजीयत

आंकड़ों की तुलना से प्रकट हुआ कि मेसर्स एस आई टी एल द्वारा बनाए गए कुल कार्डों से अधिक ई सी एच एस द्वारा 7431 कार्ड जारी बताए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ई सी एच एस द्वारा फर्म को 6.69 का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.3)

पॉलिक्लिनिकों को दवओं की अल्प आपूर्ति

आश्रित पॉलिक्लिनिकों के मांगपत्रों के प्रति सशस्त्र सेना चिकित्सा भण्डार डिपो (ए एफ एम एस डी) मुम्बई द्वारा जारी नही की गई (एन ए) दवाओं की प्रतिशतता 63 से 76 प्रतिशत तक थी, जबकि ए एफ एस डी दिल्ली छावनी के मामले में एन ए दवाओं की प्रतिशतता 30 से 45 प्रतिशत तक थी। इस प्रकार, दो ए एफ एस डी द्वारा उनके आश्रित पॉलिक्लिनिकों को दवाओं की आपूति थी और इसके कारण पॉलिक्लिनिकों में दवाओं की भारी कमी हुई।

(पैराग्राफ 2.3.4)

लाइफ समास दवाओं/औषधियों का निपटान न करना

डी जी ए एफ एम एस द्वाा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार यदि दवा की शेल्फ लाइफ की समाप्ति के तीन महीन पहले सूचित किया जाता है तो विक्रेता उपयोग के बिना पड़ दवाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए बाध्य है। तथापि, ए एफ म एस डी दिल्ली छावनी और पॉलिक्लिनिक, लोधी रोड 73.44 लाख मूल्य की लाइफ समास दवाएं उसके प्रतिस्थापन/निपटान के बिना रखे हुए थी और इस प्रकार उसकी अधिप्राप्ति का उद्देश्य ही विफल हुआ तथा परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.3.5)

सेवा अस्पतालों द्वारा सेवा कमार्मिकों के लिए ई सी एच एवस निधियों मेडिकल भण्डार का विपथन

ई सी एच एस के लिए निर्धारित निधियों के आबंटन/व्यय के संबंध में सरकारी नीति में प्रावधान है कि ई सी एच एस के लिए अधिप्राप्त भण्डार का अलंग से हिसाब रखा जाना चाहिए। तथापि, हमने सेना अस्पताल अनुसधान एवं रेफरल (ए एच आर आर) दिल्ली छावनी में देखा कि सी एच एस लाभार्थियों के लिए दवाओं/औषधियों का पृथक लेखांकन नहीं किया गया था ताकि ई सी एच एस के लिए निर्धारित 40.78 करोड़ की निधियों/भंडारों का नियमित सेवा कार्मिकों की चिकित्सा के लिए विपथन/उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 2.3.9)

पॉलिक्लिनिकों में श्रमशक्ति की तैनाती/कमी

संपूर्ण भारत मं पॉलिक्लिनिकों के लिए 68000 संविदात्मक श्रमशक्ति के प्राधिकार के प्रति 31 दिसम्बर 2014 के अनुसार केवल 5333 व्यक्तियों का तैनात किया गया था। इस प्रकार, पी सीज में श्रम शक्ति की 21 प्रतिशत कमी थी, जिसने लाभार्थियों की उपयुक्त चिकित्सा सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसके बावजूद पी सीज के

लिए निर्धारित और नियोजित श्रमशकित को दिल्ली के केन्द्री संगठन तथा क्षेत्रीय केन्द्रों पर अनियमित रूप में तैनात तथा उपयोग किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 2.4.2 और 2.4.3)

सूचीबद अस्पतालों द्वारा आपातकालीन सूचना रिपोर्ट (ई आई आर) जारी करने में कमियां

आपातकालीन एवं प्राण संकटकारी स्थितियों में रोगियों को निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सूचीबद्ध अस्पताल/सुविधा को रोगी के विवरण तथा भर्ती होने की प्रकृति के संबंध में 48 घंटों की अवधि के अंदर निकटतम पॉलिक्लिनिक को सूचित करना है। हमने देखा कि आपातकालीन स्थिति में लाभार्थी के भर्ती होने के मामले में सूचीबद्ध अस्पताल उपरोक्त समयसीमा का पालन नहीं कर रहे थे; और ई आई आर तीन से 584 दिनों के बीच निलंबित हुई थी, जिसने निकटतम पॉलिक्लिनिक द्वारा आपातकालीन रेफरल के प्रावधान को व्यर्थ बना दिया और इसके कारण कुछ मामलों में फर्जी ई आई आरज जारी हुए, जिसमें निजी अस्पतालों को उनके बिलों में चालबाजी करने गुंजाइश थी।

(पैराग्राफ 2.5.3)

ओवरलैपिंग अवधि में एक ही रोगी के लिए दो सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा दावे प्रस्तुत करना

दावों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि एक सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा लाभार्थियों के विषय में उस अवधि के लिए दावे किए गए थे, जिसके अंतर्गत वह लाभार्थी अंतरंग रोगी के रूप में दूसरे सूचीबद्ध अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती हुआ था। ऐसे 64 दावे 42.67 लाख के थे, जिनका अनुमोदन और भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार से दोव एवं भुगतान करने से बी पी ए द्वारा ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग प्रणाली में वैधता जांच के अभाव का पता चला।

(पैराग्राफ 2.5.4)

दोषी अस्पतालों के विरूद्ध एम ओ ए केन्द्र दण्डात्मक खंड का प्रयोग न करना

लाभार्थियों को नकद रहित सुविधा प्रदान करने एवं अनैतिक अभ्यास में शामिल न होने के लिए एम ओ ए में विशेष उल्लेख होने के बावजूद, जैसा कि सूचीबद्ध अस्पताल ई सी एच एस लाभार्थियों से अधिक प्रभार लेते हुए तथा पैकेज दरों में पहले से शामिल मदों के लिए दावे, नकद रहित चिकित्सा आदि के द्वारा प्रावधानों का उल्लंधन कर रहे थे। तथापि, दोषी अस्पतालों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई शुरु नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.5.5)

सूचीबद्ध अस्पतालों के अलेखांकित बिलों के प्रति अनियमित भुगतान

एस एव क्य (ई सी एव एस प्रकोष्ठ) दिल्ली छावनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों 23.61 करोड़ रू. के 4986 अलेखांकित मैनुअल बिलों का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था। हमने दोहरे भुगतानों के निम्नलिखित मामले तथा नियंत्रण के अभाव को भी देखा, जो लेखापरीक्ष को प्रमाणित करता है।

– सूचीबद्ध अस्पतालों के कुल 8.20 लाख के 22 बिलों (समान संख्या) को एस एच क्यू दिल्ली छावनी द्वारा कुल 16.40 लाख के 44 वाउचरों के द्वारा दो बार स्वीकार और भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 8.20 लाख का दोहरा भुगतान हुआ।

– सूचीबद्ध अस्पतालों ने रोगियों के लिए 123 दोहरे बिल जारी किये, जहां नाम, रेफरल संख्या, रोग की प्रकृति, चिकित्सा की अवधि, दावा की गई आदि एक ही थे। एस एच क्यू दिल्ली छावनी

दोहरे बिलों का पता रकने में विफल रहा और 23. 18 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

– कोई भी बैंक समाधान विवरण स्टेशन एव क्यू दिल्ली छावनी द्वारा पी सी डी ए, डब्ल्यू सी चण्डीगढ़ को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.6.1.1)

एम ओ ए का पालन न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान

नमूना जांच से पता चला कि प्राधिकूत पैकेज दरों से अधिक बढ़े हुए बिल (1.92 करोड़); जनरल वार्ड मं चिकित्सा के लिए 10 प्रतिशत पैकेज दर की कटौती न करना (11.96 लाख); गैर–ई सी एव एस रोगियों की अपेक्षा ई सी एव एस लाभार्थियों से अधिक आवास दर वसूल करना (26.78 लाख); एक ही सूचीबद्ध अस्पताल में गैर–ई सी एव एस रोगियों की अपेक्षा संपूर्ण घुटना प्रतिस्थापनों (द्विपार्थ) के लिए उच्चतर प्रक्रिया दरें (99.49 लाख) और ई सी एव एस द्वारा ऑनकॉलोजी दवाओं पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ न उठाने (20.55 लाख) के कारण सूचीबद्ध अस्पतालों का 3.51 करोड़े का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.1.2)

एम ओ ए में दवाओं पर छूट का प्रावधान

ई सी एच एस और सूचीबद्ध अस्पतालेां के बीच किए गए एम ओ एक की शर्तों के अनुसार ई सी एच एस ने अस्पताल में भर्ती लाभार्थियों को दी गई दवाओं के मूल्य का एम आर पी पर भुगतान किया था, जो स्थानीय बाजार मूल्य से काफी अधिक था। यह इन तथ्यों से प्रमाणित हुआ था कि पॉलिक्लिनिक एम आर पी पर छूट के साथ दवाएं अधिप्राप्त कर रहे थे, जो 35 प्रतिशत तक थी। इसके अतिरिक्त एम एच जालंधर द्वारा एक ही अवधि में एक ही इंजेक्शन के अधिप्राप्ति मूल्य से अधिक मूल्य पर आर सी जालंधर के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को उस इंजेक्शन मूल्य का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 89.53 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

स्पष्टः सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ई सी एव एस लाभार्थियों को जारी की जाने वाली दवाओं में एम आर पी पर छूट प्राप्त करने हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ किए जाने वाले एम ओ ए में प्रावधान शामिल करने के लिए काफी गुंजाइश है; क्योंकि सूचीबद्ध अस्पतालों को किए गए चिकित्सा संबंधी भुगतानों का 32 प्रतिशत दवाओं का मूल्य था (1702 करोड़ में से 540 करोड़)।

(पैराग्राफ 2.6.1.3)

वी पी ए सी एफ ए द्वारा बिलों के भुगतान के लिए समय सीमा का पालन न करने के कारण का लाभ प्राप्त न होना

ऑनलाईन बिल प्रोसेसिंग के लिए एम ओ डी की संस्वीकृति में सूचीबद्ध अस्पताल को देय राशि की दो प्रतिशत छूट प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था, बषर्ते कि बिल की हार्ड प्रति की प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अंदर भुगतान किए गए हो अथवा अस्पताल द्वारा सभी प्रश्नों का निपटारा, जो भी बाद में आता हो। हमने देखा कि वी पी ए और सी एफ ए द्वारा प्रोसेस किए गए बिलों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा था। बी पी ए, सी एफ ए और भगतान करने वाली एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा सामान्यतः बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान में 10 कार्यदिवस से अधिक समय लेने के कारण दो प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त किया जा सका, जो 34.10 करोड़ तक था।

(पैराग्राफ 2.6.2.3)

वी पी ए द्वारा निराकरण होने क पश्चात सी एफ ए द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान का अनुमोदन

बी पी ए ने 1.16 करोड़ राशि के 1088 दावों को निकारकरण करने के लिए सिफारिश की थी। यह

निराकरण वैध रेफरल के बिना दावे, अनिवार्य प्रलेखों के बिना दावे, चिकित्सा के लिए अस्पताल के सूचीबद्ध न होना और एस ई एम ओ के आवश्यक अनुमोदन के बिना दावों के कारण था। तथापि, सी एफ ए (ई सी एच एस) ने बी पी ए की संस्तुति के विरूद्ध ऐसे दावों को किसी औचित्य के बिना पारित किया था।

(पैराग्राफ 2.6.2.4)

ई सी एच एस लाभार्थियों की अंतरंग चिकित्सा के लिए अनुचित प्रकार के कमरे की हकदारी

ई सी एच एस लाभार्थियों की हकदारी से अधिक दरों पर सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रभारों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप सूचीबद्ध अस्पतालों को 1487 दावों में 90.43 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.6.2.7)

उत्तर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा गाडयूल का विकास न करना और पी सीज डी ए द्वारा अपर्याप्त उत्तर लेखापरीक्षा

बी पी ए द्वारा ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग के माले की फाइल पर सहमति देते हुए सी जी ए ने बताया कि बी पी ए को प्रणाली लेखापरीक्षा के साथ ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग जो प्रारंभ में अप्रैल 2012 से पांच आर सीज में शुरु हुई, अप्रैल 2015 से सभी 28 आर सीज में उसका विस्तारण किया गया। तथापि, ऑनलाईन उत्तर–लेखापरीक्षा मॉड्यूल को केवल एक पी सी डी ए में आंषिक रूप से कार्यान्वित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पी सीज डी ए/सीज जी डी ए निर्धारित वित्तीय कार्यविधि के अनुसार बिलों की उत्तर–लेखापरीक्षा करने में सिफल रहे।

(पैराग्राफ 2.6.2.10 और 2.6.2.11)

वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 19

कार्यकारी सरांश

थलसेना की समग्र तैसरी में भोला–बारूद की तत्काल उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थलसेना मुख्यालय (ए एच क्यू) में आयुध सेवा महानिदेशक (डी जी ओ एस) थलसेना में गोला–बारूद के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और वह वार्षिक प्रावधान एवं अधिप्राप्ति करता है। थलसेना हेतु अधिकांश गोला–बारूद आयु/निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) से अधिप्राप्त किया जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु ओ एफ बी के अधीन गोला–बारूद एवं विस्फोटक ग्रुप की दस निर्माणियों गोला–बारूद एवं विस्फोटकों के उत्पादन में लगी हैं। गोला–बारूद की शेष आवश्यकता व्यापार से और आयात द्वारा पूरी की जाती है।

हमने यह पुरीक्षण क्यों किया?

परिचालनात्मक तैयारी एवं संसाधनों के उपयोग के विषय में थलसेना में गोला–बारूद के प्रबंधन से संबंधित कार्यविधियों, अभयस्तता तथा आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए यह पुनरीक्षण किया गया।

विद्यमान प्रणाली, जिसमें गोला–बारूद प्रबंध पर वर्तमान नीतियों का कार्यान्वयन, भंडारण नीतियां, उत्पादन/अधिप्राप्ति एवं आयात में कमियों का निहितर्थ, भंडारण तथा वितरण की समस्यायें और अप्रयोजय/पुरानी गोला–बारूद के निपटान की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 के लिए थलसेना मुख्यालय में, गुणवता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्य ए) और आयुध निर्माणी बोर्ड से संबद्ध अभिलेखों का पुनरीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. गोला-बारूद की कमी

40 (आई) दिनों के युद्ध क्षति रिजर्व स्केल जिसके आधार पर डी जी ओ एस द्वारा गोला–बारूद का वार्षिक

प्रावधान किया जाता था, कि अवहेलना में 'बॉटम लाइन' अथवा 'न्युनतम स्वकार्य जोखिम स्तर' (एम ए आर एल) आवश्यकताओं के आधार पर ए एच क्यू द्वारा गोला–बारूद की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र दिया गया, जो औसतन 20 (आई) दिनों के थे। इसके परिणामस्वरूप, बजटीय नियंत्रणों एवं ओ एफ बी की अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का कारण बताकर उत्तरदायी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय संचय के परिमाण के लिए नीति का कार्यान्वयान नहीं किया गया। एम ए आर एल पर भी गोला–बारूद का भंडारण सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि कुल 170 प्रकार की गोला–बारूद (74 प्रतिशत) में से 125 के संबंध में मार्च 2013 को गोला–बारूद की उपलब्धता एम ए आर एल से भी कम थी। हमने पाया कि इन वर्शो में उपलब्धता कम हो रही थी, क्योंकि 10 दिनों (आई) से कम समय के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण गोला–बारूद के प्रकार में मार्च 2009 में 15 प्रतिशत से मार्च 2013 में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। पंच वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उच्च क्षमता की महत्वपूर्ण गोला–बारूद की प्रतिशतता 84 प्रतिशत तक थी। इन महत्वपूर्ण कमियों से थलसेना की परिचालनात्मक तैयारी तथा प्रशिक्षण रेजिमेल प्रभावित हुआ।

(अध्याय-II)

2. ओ एफ बी को दिए गए अधिप्राप्ति आदेशों का निष्फलन

भारतीय थलसेना को गोला–बारूद की आपूति करने के लिए ओ एफ बी मुख्य स्त्रोज है। गोला–बारूद के भंडार स्तर को एम ए आर एस तक पहुचाने तथा कच्चे माल की अधिप्राप्ति के लिए ओ एफ बी को पर्याप्त लीड समय प्रदान करने और उत्पादन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए एम ओ डी में जनवरी 2010 में ओ एफ बी को पांच वर्षी रोल ओन मांग पत्र दिया। हांलाकि रोल आून मांगपत्र में सम्मिलित गोला–बारूद की मांगें ओ एफ बी के साथ परामर्श करके तथा रोल ऑन मांगपत्र के अनुमोदन के समय मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृत वार्षिक बजटीय मांगों के अनुरूप निकाली गई थी, परंतु ओ एफ बी द्वारा निधि की जो मांग प्रक्षिप्त की गई, वह निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थी। अतः यह एक पूर्वनिश्चित निष्कार्ष था कि ओ एफ बी लक्षित परिमाण की आपूर्ति करने में विफल रहेगी। प्रथम रोल आून आयपत्र में सम्मिलित गोला–बारूद की आपूर्ति करने में विफल रहेगी। प्रथम रोल ऑन मांगपत्र में सम्मिलित गोला–बारूद की आपूर्ति हेतु लक्ष्यों की स्वीकृति के बावजूद, लक्षित परिमाण की आपूर्ति करने में ओ एफ बी विफल रहा और यह कमी कुल प्रकार की गोला–बारूद का 73 प्रतिशत तक थी।

(अध्याय-III एंव IV)

3. आयात को अंतिम रूप देने में विलंब

थलसेना पूंजीगत तथा राजस्व माध्यम से गोला–बारूद का आयात करती है। अधिप्राप्ति के एक वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में आयात अत्यधिक धीमा सिद्ध हुआ, क्योंकि एकल विक्रेता की स्थिति, टी ओ टी में जटिलताएं, जी एस क्यू आर को अंतिम रूप देने में विलंब आदि के कारण 2008–2013 की अवधि के दौरान पूंजीगत माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु उपक्रमित नौ मदों के प्रति गोला–बारूद की कोई भी अधिप्राप्ति नहीं की गई। राजस्व अधिप्राप्तियों के मामले में भी, संविदाओं के फलन की सफलता दर 20 प्रतिशत तक ही थी। इस प्रकार आयात के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देते में विलंग के कारण गोला–बारूद का संचय बुरी तरह से बाधित हुआ।

(अध्याय-III)

4. गुणवता नियंत्रण एवं गुणवता आश्वासन प्रणालियों में कमियां

विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान डी जी क्यू ए की भूमिका अंतिम स्वीकृति जांच करने की है, जिसके लिए एस क्यू ए ई द्वारा प्रतिदर्श आधार पर सीमित जांच की जाती है। संबद्ध आयुध निर्माणियों को उनके द्वारा विनर्मित किए जा रहे भण्डारों की गुणवता के लिए

100 प्रतिशत जांच करने की आवश्यकता है जिसमें अनपुअ सामग्री अंतर–चरण एवं अंतिम उत्पाद की जांच, शामिल है। आयुध निर्माणियों द्वारा अप्रभावी गुणवता नियंत्रणों के कारण गुणवता आश्वासन (क्यू ए) परिशोधन के लिए माले वापस भेज रहा था (आर एफ आर), जो उसके मैनडेट में नहीं था। क्यू ए द्वारा स्वीकृत उत्पाद भी संतोषजनक नहीं पाए गए तथा निरंतर गुणवता समस्याओं के कारण डिपो में रु 1,618 करोड़ मूल्य की गोला–बारूद अस्वीकृत रूप में पड़ी थी। खराब गुणवता के कारण डिपो रु 814 करोड मूल्य की गोला–मारूद को उसके सैल्प लाइफ के अंदर ही अप्रयोज्य घोषित किया गया।

(अध्याय–V)

5. आपूति श्रृंखला प्रबंधन एवं डिपों के कार्यकलापों में अपर्याप्ताएं

जब कोई गोला–बारूद्व दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो थलसेना गोला–बारूद के उस विशेष लॉट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देती हैं। ऐसी गोला–बारूद को आगे उसके सेंटन्सिंग तक अलग करके रखा जाता है। हमने यह भी पाया कि रु 3,578 करोड़ मूल्य की गोला–बारूद सेंटन्सिंग की प्रतीक्षा में लग की गई दशा में पड़ी थी तथा रु 2,109 करोड़ मूल्य की गोला–बारूद भारी मरम्मत योग्य दशा में पड़ी थी।

थलसेना के विभिन्न सोपानकों में गोला–बारूद के संचलन को गोला–बाकरूद जारी करने में विलंब, डिपो द्वारा गोला–बारूद का लेखांकन न करना, विनिर्दिष्ट विस्फोटक बंद वाहनों से भिन्न वाहनों द्वारा गोला–बारूद का परिवहन आदि जैसे अपर्याप्ताओं से जूझना पड़ा। इसके अतिरिक्त ये डिपों अग्नि दुर्घअना की जोखिम के साथ प्रकार्य कर रहे थे, क्योंकि अग्नि शामक उपकरण आवश्यकता/प्राधिकरण के अनुसार नहीं रखे गए थे।

परिसंपतियों का दृष्टिक्षेत्र बढ़ाने हेतु थलसेना मुख्यालय, डिपो एवं प्रयोक्ता इकाइयों के बीच ऑन लाइन संयोजकता कंप्यूटरीकरण के माध्यम से तेजी से निर्गम और प्राप्ति तथा प्रभावकारी समग्र गोला–बारूद प्रबंधन से थलसेना वंचित रही है, क्योंकि कंप्यूटरीकरण परियोजना 10 वर्षों से अधिक समय से विलंबित हुई।

(अध्याय–VI)

प्रमुख लेखा परीक्षा जांच का सरांश–2015 का भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक, सरकार, रक्षा सेवाएं (वायु सेना) प्रतिवदेन सं. 17 संसद में 8 मई 2015 में प्रस्तुत की गई।

- एल सी ए की विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के आधार पर पूर्ण स्केल अभियांत्रिकी विकास (एफ एस ई डी) चरण–II से एफ एस ई डी चरण–I में दो प्रोटोटाईपों के अग्रिम निर्माण के ए डी ए का निर्णय वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा क्योंकि एफ एस ई डी चरण–I मार्च 2004 में बन्द कर दिया गया था जिसमें छः वर्ष का विलम्ब हुआ था तथा सभी क्रियाकलाप पूरे नहीं किए थे जो एफ एस ई डी चरण–II को अग्रेषित कर दिए गए थे। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ए डी ए के इस निर्माण के कारण प्रोटोटाईपों में महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड प्रणालियों (मल्टी–मोड राडार, बचाव जैमर, राडार वार्निग रिसीवर) की कमी रही तािा इसके कारण ढ डी ए को इन विमानों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्राप्त करते समय (नवम्बर 2001) भारत सरकार को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए इन महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड प्रणालियों की उड़ान परीक्षण/मूल्यांकन के प्रति सीमित श्रृखला उत्पादन वायुयानों (जो भारतीय वायुसेना के प्रयोग के लिए थे) का प्रयोग करना पड़ा।

(पैरा 2.1)

- एल सी ए मार्क–I, जिसने प्रारभिक परिचालनात्मक अनुमोदन प्राप्त कर लिया था (दिसम्बर 2013) में ए एस आर को पूरा करने में काफी कमियां (53 स्थायी बाजदावें/रिआयतें) थी, जिनके परिणामस्वरूप कम परिचालनात्मक क्षमताएं होंगी तथा कम उत्तरजीविता था, जिनके परिणामरूवरूप कम परिचालनात्मक क्षमताएं होंगी तथा कम उत्तरजीविता था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना में अधिष्ठापान

के समय उनकी परिचालनात्मक नियुक्तता सीमित हो जाएगी। एल सी ए मार्क–I में कमियां (बढ़ा हुआ भार, घटी हुई आन्तरिक ईंधन क्षमता, ईंधन प्रणाली बचाव का अननुपालन, आगे से पायलट का बचाव, घटी हुई गति), एल सी ए मार्क–II, जो कम भार तथा अधिक बल वाला इंजन वायुयान होगा, के विकास द्वारा दूर होने की आशा थी, जिसे ए एस आर के द्वारा पूरा होने की उम्मीद है, ए डी ए द्वारा नवम्बर 2009 में शुरु किया गया था जो कि दिसम्बर 2018 में पूर्ण होना निर्धारित था।

(पैरा 2.3)

- भारतीय वायुसेना ट्रेनर एल सी ए की उपलब्धता के बिना लड़ाकू एल सी ए का अधिष्ठापन करने के लिए बाध्य होगी, जिससे पायलटों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एच ए एल पर ट्रेनर वायुयान के उत्पादन में विलम्ब हुआ था, क्योंकि ट्रेनर एल सी ए ने आई ओ सी/ए ओ सी प्राप्त नहीं की थी। जहां तक उड़ान प्रशिक्षण सिमुलेटर का संबंध है, भारतीय वायुसेना पॉयलट प्रशिक्षण के लिए ए डी ई पर एक प्रौन्नत पूर्ण उद्देश्य सिमुलेटर (एफ एम एस) का प्रयोग कर रही थी, जिससे एल सी ए परिचालन आधार पर एच ए एल द्वारा एक एफ एम एस की आपूर्ति लम्बित थी।

(पैरा 2.3.1)

- वायुयान पर डिजाईन परिवर्तनों के लिए अनिवार्य एल सी ए की परिचालनात्मक धार के लिए वायुसेना मुख्यालय द्वारा नए शस्त्र जोड़ने (मार्च 1997, दिसम्बर 2009) तथा मल्टी–कोड राडार/हेलमेट उनमुक्त प्रदर्शन के साथ आर–73 ई मिसाईल के विलम्बित एकीकरण को दर्शाने के साथ (दिसम्बर 2009) एवं दृश्य रेंज मिसाईलों से पर दृश्य तथा विलम्बित पहचान (दिसम्बर 2009) के कारण भी एल सी ए द्वारा आई ओ सी/एफ ओ सी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

(पैरा 2.3.2, 2.3.3)

- एल सी ए मार्क–I, भारतीय वायुसेना द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अपूर्ण है क्योंकि स्व–बचाव जैमर स्थान की बाधाओं के कारण वायुयान पर फिट नहीं किया जा सका तथा वायुयान पर फिट किया गया राडार वार्निंग रिसीवर/काउंटर मेजर डिसपैंसिग सिस्टम में कई निष्पादन मुद्दे हैं जिनका अभी समाधान किया जाना है (जनवरी 2015)।

(पैरा 2.3.4)

- एल सी ए कार्यक्रम की मॉनीटरिंग, जनरल बॉडी, गवर्निंग बॉडी द्वारा की जा रही है जिसमें उच्चतम स्तर पर रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एल डी ए/एच ए एल पर विभिन्न समितियां, वायुसेना अध्यक्ष की अध्यक्षता में अधीकृत समिति का प्रतिनिधत्व अन्तर्ग्रस्त है। इसके बावजूद कार्य पैकेजों के समापन में विलम्ब जिसके कारण एल सी ए कार्यक्रम प्रभावित हुए, कार्यक्रम की अप्रभावी मॉनीटरिंग तथा इसके शामिल सभी एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयासों के अभाव का सीध प्रतिबिम्ब है।

(पैरा 2.4)

- परस्पर बोध के बेतर मूल्यांकन हेतु डिजाईन टीम तथा प्रयोक्ता के निकटता से सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना मुखालय तथा ए डी ए के बीच एक सम्पर्क ग्रुप की आवष्यकता की काफी पहले 1989 में एकल सी ए पी डी पी समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, ऐस कोई सम्पर्क ग्रुप नहीं बनाया था तथा एल सी ए कार्यक्रम में सक्रिय प्रयोक्ता (वायुसेना मुखालय) भागीदारी नवम्बर 2006 के बाद ही शुरु हुई थी; जिसके कारण एल सी ए विकास भी प्रभावित हुआ।

(पैरा 2.5)

- भारत सरकार ने चरणबद्ध ढंग में एफ ास ई डी की स्ंस्वीकृति प्रदान करते समय एल सी ए का

स्वदेशी तत्व बढ़ाने पर जोर दिया था (जून 1993) परन्तु ए डी ए ने एल सी ए विकास के दौरान स्वदेशीकण के लिए कोई रोडमेप नहीं बनाया। परिणामस्वरूप, ए डी ए द्वारा अनुमानित एल सी ए का 70 प्रतिशत तत्व वास्तव में लगभग 35 प्रतिशत परिकलित किया गया था। (जनवरी 2015)।

(पैरा 3.1)

- स्वदेशी विकास हेतु शुरु कावेरी इंजन, मल्टी–मोड राडार, राडोम, मल्टी फक्शनल डिसप्ले स्टिम तथा उड़ान नियंत्रण प्रणाली एक्युएटर जैसी एल सी ए प्रणालियां सफलतापूर्वक विकसित नहीं कि जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप एल सी ए इन प्रणालियों के आयात पर निर्भर रही। जेट फ्यूल स्टार्टर का विकास, यद्यपि स्वदेशी रूप से ही किया गया था, तथापि उसमें निष्पादन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनका अभी समाधान किया जाना है (जनवरी 2015)।

(पैरा 3.1.1)

- एच ए एल द्वारा निर्मित एल सी ए के प्रोटोटाइप रूपान्तर (पी वी) तथा सीमित श्रृंखला उत्पादन (एल सी पी) में छोटी कठिनाईयों के विश्लेषण, सुधार से वायुयान की धीमी रिकवरी, फ्लाई हैंगर पर महत्वपूर्ण एल आर यू की कमी, वायुयान के जांच रिंगों के रूप में प्रयुक्त होने, अलाभकारी उड़ानों की बड़ी संख्या, आदि के कारण कम प्रयोज्यता हुई जिससे उड़ान जांच के लिए वायुयान की उपलब्धता प्रभावित हुई जिसके कारण एलसी ए के विकास में विलम्ब हुआ।

(पैरा 4.2.2)

- एच ए एल पर सृजित निर्माण सुविधाएं वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी, औजारों तथा जिगो की प्राप्ति तथा उत्पादन हैंगरों के निर्माण में विलम्ब के कारण प्रति वर्श आठ वायुयानों की परिकल्पित अपेक्षा के प्रति वर्ष केवल चार वायुयानों की आवश्यकता को पूरा करती है, जिससे एल सी ए का उत्पादन तथा भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रनों में अधिष्ठापन भी प्रभावित होगा।

(पैरा 4.3)

- जैसा कि ए एस आर में विनिर्दिष्ट है, एल सी ए के लिए परम्मत तथा ओवरहॉल (आर ओ एच) सुविधा, एच ए एल पर पूर्ण रूप से सृजित नहीं की गई है। एल सी ए के 344 लाईन प्रतिस्थापना योग्य यूनिटों में से, 90 एल आर यू अमरम्मत–योग्य माने गए थे। शेष 254 एल आर यू में से, जबकि आर ओ एच सुविधाएं 185 एल आर यू के संबंध में उपलब्ध थी, 69 एल आर यू के लिए आर ओ एच सुविधा अभी स्थापित की जानी थी (जनवरी 2015)।

(पैरा 4.4)

- समवर्ती अभियांत्रिकी के माध्यम से एल सी ए के डिजाइन विकास तथा उत्पादनीकरण ने विकास समय को कम नहीं किया जैसा कि एफ एस ई डी चरण–II संस्वीकृति (नवम्बर 2001) में परिकल्पित है क्योंकि उड़ान जांच/मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए विशिष्ट योग्यताओं के साथ चरणबद्ध ढंग से एल एस पर वाययान निर्मित किए गए थे तथा भार तथा गति के अनुसार एल एस पी–8 में ए एस आर की कमी हो गई, जिसके लिए एल सी ए के द्वारा आई आ सी प्रापत करने (दिसम्बर 2013) पर वायुसेना मुखलय द्वारा स्थायी माफी प्रदान रनी पड़ी।

(पैरा 4.5.1)

- उस समय जब एल सी डिजाईन कही पूरा किए जाने के निकट भी नहीं था, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2006 में एच एल को 20 आई ओ सी का अनुबंध सौंपना, समय से पूर्व था क्योंकि केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शक/प्रोटोटाईप उड़ रहे थे तथा एल एस पी अभी निर्मित किए जाने थे इसके कारण एल

सी ए का उत्पादनीकरण तथा भारतीय वायुसेना द्वारा स्क्वाड्रनों का निर्माण हुआ, क्योंकि अनुबंध के विरूद्ध एच ए एल ने अभी किसी वायुयान की आपूर्ति नही की है (जनवरी 2015)।

(पैरा 4.6.1)

- आई ओ सी संरूपण वायुयान की आपूर्ति शुरु होने से भी पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा एच ए एल को 20 एफ ओ सी संरूपण वायुयानों की आपूर्ति के लिए संविदा करना (दिसम्बर 2010), डिजाईनों की फ्रीजिंग तथा एफ ओ सी प्राप्त करना अपरिपक्त था। आगे एच ए एल के पास 2010 से रु 1509. 22 करोड़ के अग्रिम के जिनका उसने संविदा के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया था (जनवरी 2015)।

(पैरा 4.6.2)

- एल सी ए के निर्माण तथा आपूर्ति में विलम्ब के कारण, भारतीय वायुसेना को पुराने वायुयानों के साथ स्क्वाड्रनों की कमी को पूरा करने के लिए रु 20,037 करोड़ की लागत पर वर्तमान वायुयानों के अपग्रेडेशन जैसे वैकल्पिक अस्थायी उपय करने पड़े तथा भारतीय वायुसेना, स्क्वाड्रनों की कमी को पूरा करने के लिए एल सी ए के शीघ्र अधिष्ठापन की उम्मीद कर रही है।

(पैरा 4.7)

प्रमुख लेखा परीक्षा जांच का सरांश–2015 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (वायु सेना) प्रतिवेदन सं. 38 संसद में 18 दिसंबर 2015 में प्रस्तुत की गई।

1. 'ए ए' का परिचालन एवं अनुरक्षण

रक्षा मंत्रालय ने 1108 एम यू एस डी (रु. 5,042 करोड़) की लागत पर तीन 'ए ए' तथा इसकी उप–प्रणालियों की प्राप्ति हेतु एक अनुबंध सम्पनन किया (मार्च 2004)

प्राप्त किए गए उड़ान कार्य के परिप्रेक्ष्य में 'ए ए' की परिचालन क्षमताओं का मुख्यतया 'ए ए' की अप्रयोज्यता के बावत कम–श्रेष्ठ प्रयोग हुआ था इसके अतिरिक्त 'ए ए' वायुयान की परिचालनात्मक कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु कार्यक्षेत्र वायु सेना कर्मीदल को वायु से वायु पुनः ईधन भरने (ए ए आर) पर प्रशिक्षण के अभाव तथा वायु सेना स्टेशन 'एस–3' में रनवे लंबाई के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की अधिप्राप्ति ने होने के बावत बाधित हुआ।

कार्य सेवाओं की योजना में यथोचति कर्मठता की कमी के बावज अभीष्ट स्थल ('एस–1') में ग्राउंड एक्सप्लॉइटेशन स्टेशन (जी ई एस) के अधिष्ठापन में विलंब हुआ था। वायुसेना कर्मीदल की कमी थी जिससे युद्धस्थितियों के दौरान 'ए ए' वायुयान का संचालन, प्रभावित हो सकता है।

'ए ए'; जो अंतरिम रखरखाव सेवाएं अनुबंध के साथ व्ययस्थित किया जा रहा था; कि मरम्मत व रखरखाव हेतु कोई दीर्घ कालिक प्रबंध विद्यमान नहीं था संचार प्रणाली हेतु त्रुटिपूर्ण स्वचालित परीक्षण उपकरण की आपूर्ति, मित्र अथवा शत्रु (आई एफ एफ) प्रणाली की पहचान हेतु 'आई' स्तरीय सुविधा की गैर–आपूर्ति तथा स्टोर्स/रोटेबल्स के लधु प्रावधान ने 'ए ए' की प्रयोज्यता पर विपरीत प्रभाव डाला।

कुछ मूलभूत ढांचागत सुविधाएं 'ए ए' के अधिष्ठापन के साथ समकालिक नहीं थीं क्योंकि परिवर्तित हैंगर्स, स्वतंत्र भंडार–सुविधा तथा ए एफ स्टेशन 'एस–3' में पृथक प्रशिक्षण–सह–आवास केन्द्र हेतु कार्य सेवाओं के समापन में विलंब था, जिसने 'ए ए' की निर्बाध क्रियाशीलता को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.1)

2. आई ए एफ में परिचालनात्मक कार्य

परिचालन कार्य परिचालन अनिवार्यता की अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जाते हैं; तथा आई ए एफ की परिचालनात्मक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। 2010–11 से 2013–14 के दौरान आई ए एफ द्वारा परिचालन कार्यों हेतु रु. 90.

35 करोड़ व्यय किए गए थे। लेखा परीक्षा ने वार्षिक परिचालनात्मक कार्य योजनाओं में असंगत कार्यों का समावेशन तथा परिचालनात्मक कार्यों के समस्त पड़ावों; यथा परिचालनात्मक कार्यों के क्षेत्र की घोषण ाा में विलंब, ए ओ डब्ल्यू पी के अनुमोदन, अनुबंधों के अधिनिर्णय तथा परिचालन कार्यों के संपादन हेतु अनिध ाारित समय–सीमा पायी।

¼पैराग्राफ 2.2)

3. 'सी' वायुयानों का परिचालन एवं अनुरक्षण

शक्ति–संतुलन का एक विश्वसनीय स्तर बनाए रखने के लिए, भारतीय वायु सेना (आई ए एफ) ने 1996 से 'सी' वायुयानों की प्राप्ति की। ओ ई एम/बी ई एल से प्राप्त वायुयानों तथा हवाई प्रणाली के निष्पादन में कमी का भी तक (अगस्त 2015) समाधान किया जाना था। अपेक्षित प्रणालियों/उपकरण की कमी के कारण सेवा सहायता केन्द्रों की स्थापना में अधाधारण विलम्ब हुआ। वायुयान बेड़े की प्रयोज्यता भी कम थी। 'सी' रक्तवाड्रन के लिए मानवशक्ति उसके अधिष्ठापन के 19 वर्ष पश्चात् भी संस्वीकृत नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.3)

4. 'डी डी' वायुयान का उन्नयन एवं अनुरक्षण

भारतीय वायुसेना (आई ऐ एफ) द्वारा लिया गया उन्नयन कार्यक्रम न तो पूर्णतः सफल न ही व्यापक था। आइ ए एफ ने वायु हवाई तथा जमीनी आक्रमण भूमिका में प्रयोग हेतु अप्रमाणित 'बी बी' रडार का चयन किया। रडार की कार्य करने की क्षमता इसके हवा से स्थल क्षेत्र प्रणाली तक एवं दृश्य क्षेत्र क्षमता में अनेक कमिकयों के कारण संतोषजनतक नहीं थी। क्रिटिकल एअर बोर्न इलेक्ट्रानिक वारफेयर (ई डब्ल्यू) प्रणाली की अनुपयुक्ता/कमी के कारण वायुयान बेड़ा ई डब्लयू खतरे से असुरक्षित था। पुर्जों की अपर्याप्ता के कारण खराब वायुयान (ए ओ जी) की कम सेवा योग्यता एवं अधिक प्रतिशतता थी जिसके परिणामस्वरूप उड़ान प्रयासों में कमी आई। प्रचालन यूनिटों में प्रचालन तथा तकनीकी मानशक्ति की कुल मिलाकर कमी थी जिसने वायुसेना के प्रचालन तथा रखरखाव को प्रभावित किया। एच ए एल में निर्मित 'डा' लेवल सुविधा डायग्नॉस्टिक एवं परम्मत तक सीमित थी और इसलिए परम्मत के लिए दीर्धावधि तक उन्नत प्रणाली की बड़ी मरम्मत/ओवरहाल हेतु ओ ई एम पर निर्भरता बनी रही जिसने बेड़े की सेवा उपयोगिता को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.4)

5. टेण्ट आधारित चिकित्सा शिविर की अनुचित प्राप्ति

टेन्ट आधारित चिकित्सा शिविर (टी बी एम एस) जो हल्के वनज का नियोजित था तथा आपदा क्षेत्रों में चिकित्सा रहात हेतु तात्कालिक व अस्थायी परिनियोजन के लिए अभिप्रेत था, उसाक प्रयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि नाजुक चिकित्सा उपकरण को विलोप किया गया ताि कर्मीदल आवास, फ्लोरिंग, अस्पताल फर्नीचर, इत्यादि सहित हाउसिंग पैकेज को प्रारंभिक कार्यक्षेत्र में जोड़ा गया, जिसने इसे अत्यधिक वजनदार बना दिया। परिणामस्वरूप प्रयोक्ता तत्काल कार्यवाई चिकित्सा दल (आर ए एम टी) ने इसको वहन करने तथा परिनियोजन में कठिन पाया। इस प्रकार, आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने हेतु अी बी एम एस की प्राप्ति पर रु 10 करोड़ व्यय करने के उपरांत भी, राष्ट्र इसके भारी वनज के कारण इसके अभष्ट लाभों से वंचित रहा।

(पैराग्राफ 2.5)

6. स्पीच गोपनीयता उपकरण की अधिक प्राप्ति

आई ए एफ द्वारा 127 स्पीच गोपनीयता उपकरण की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप रु 4 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.6)

7. आसूचना प्रणाली के प्राप्ति

आई ए एफ द्वारा निर्धारित वायुयान प्लेटफॉर्म के अनुचित पहचान/विलंबित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप नवीनतम आसूचना प्रणाली की स्थापना में विलंब हुआ। आगे प्रणाली 'सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन' के बारह वर्षों के उपरांत अभिगृहीत किया गया तथा रु 88.70 करोड़ का व्यय करने के उपरांत सॉफ्टवेयर मामलों के साथ संतप्त रहा है जिससे इसके निष्पादन पर चिंता उठती है, जैसा कि सम्भावना थी। प्रणाली हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए एम सी) वारंटी समाप्ति (दिसम्बर 2014) के उपरांत अभी भी सम्पन्न होना था (मई 2015)।

(पैराग्राफ 2.7)

8. रनवे के विस्तारित भाग पर पुनः सतहीकरा में स्वेछ्चारी योजना

बिना कोई खराबी/विकृति की पहचान किये पूर्व पुनः सतहीकरण के तीन वर्ष के अन्दर रनवे के नये बढ़े हुए भाग का पुनः सतहीकरण स्वेच्छाचारी थे जो कार्य करने में कर्मठता की कमी दर्शाता था इसलिए परिणामतः रु 1.48 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ। यह सक्षम वित्तीय प्राधिकारी यानि एम ओ डी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना भी किया गया।

(पैराग्राफ 2.8)

9. कम्प्रेशर वर्किंग फ्ल्यूड की गलत प्राप्ति

वायु सेना मुख्यालय की ओर से रु. 2.52 करोड़ मूल्य के कम्प्रेसर वकिंग फ्लूड की अपेक्षित अंतर के साथ आपूर्ति आदेष न दिए जाने में विफलता से इसकी जीवन काल की समाप्ति।

(पैराग्राफ 2.9)

10. निम्न स्तरीय परिवहनीय रडार के प्रवर्तन में असाधरण विलंब

आई ए एफ द्वारा वायु रक्षा निगरानी की गंभीर आवष्यकताओं की संभावित स्थिति के विशय में सोचकर (1998) जो कि 37 निम्न स्तरीय परिवहनीय रडार (एल एल ओ आर) के माध्यम से की जानी थी तथा रु 454.48 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 19 एल एल टी आर की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के कारण विगत 17 वर्षों से अधूरा रहा। यहां तक कि प्रथम एल एल ओ आर अब तक प्रवर्तित नहीं किया (जून 2015), जिसके फलस्वरूप शत्रुपक्षीय निम्न स्तरीय अंतर्प्रवेश को पहचानने की वायु रक्षा निगरानी क्षमता के साथ समझौता किया।

(पैराग्राफ 2.10)

11. लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर बचत

वायु सेना मुख्यालय/मंत्रालय ने लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर आवश्यताओं में कटौती की जिसके परिणामस्वरूप क्रैश हुए 'ई' वायुयान हेतु आदेशित उपकरणों/स्पेयर्स के एक सैट की समरूपी कटौती से रु 22.45 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.11)

12. डी आर डी ओ द्वारा मिशन मोह परियोजनाओं का कार्यान्ययन तथा प्रणालियों की सुपुर्दगी

डी आर डी ओ प्रयोगशालओं द्वारा की गई 14 मिशन मोड़ परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सभी परियोजनाएं अपनी समय सीमा में विफल रहीं और उनकी समाप्ति की संभावित तिथि (पी डी सी) कई बार बढ़ाई। पांच परियोजनाओं में उनकी लागत भी बढ़ गई।

आगे यद्दपि, आई ए एफ की परिचालनात्मक अपेक्षांए/गुणात्मक अपेक्षाएं/बृहत्तर तकनीकी अपेक्षाएं सभी परियोजनाओं में विद्यमान थीं, आईएएफ की अपेक्षाएं उनकी संतुष्टि के अनुसार केवल एक पूरी की गई परियोजना अर्थात् परियोजना 'रोहिणी' में ही थी। उसी परियोजना में प्रौदृयोगिकी भी अन्तरिम कर दी गई जिसके कारण बाईएल द्वारा उनका उत्पादनीकरण और अन्ततः आईएएफ में अधिष्ठापन हुआ। अन्य बन्द की गई परियोजनाओं में विकसित प्रणालियों आईएएफ अभी स्वीकार की जानी थी।

बिवलम्ब की अंशतः व्याख्या विभिन्न समितियां द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा अंशतः आईएएफ (तीन परियजोनाओं) द्वारा अपेक्षाओं के परिवर्तन द्वारा की जा सकती थी। दो परियोजनाओं में सामंजस्य का अभाव (जहां विविध एजेंसिया शामिल थी) भी देखा गया।

इसलिए परियोजनाएं मिशन मोड़ की भावना में कार्यान्वित नहीं की गई थी जिससे आईएएफ की हवाई सुरक्षा योजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

(पैरा 3.1)

13. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), बंगलूरू में सम्पदा प्रबंधन

एच ए एल की भूमि स्वमित्व के संग्रह, निर्णय प्रतियों तथा किराएदारी के अधिकारों के अभिलेख तथा फसल प्रमाणपत्र (आर टी सी) के अनुसार, एच ए एल के स्वामित्व की सीमा में त्रुटियों देखी गई।

एचएएल के पास बेंगलूरू परिसर में रु 1,499.53 करोड़ बाजार मूल्य की 402 एकड़ तथा 3836 गुंटा (220 सर्वेक्षण संख्याएं) भूमि के लिए निर्णय प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। नासिक में 265 एकड़ तथा 17 गुंटा भूमि (मार्च 2015) के लिए कोई करारनामा नहीं था यद्यपि वह एच ए एल के कब्जें में थी।

एच ए एल ने बंगलूरू में गन्दी बस्तियों होने के बावजूद 10 एकड़ तथा 19 गुंटा भूमि का अधिग्रहण किया था तथा चूंकि एच ए एल गंदी बस्तियां खाली नहीं करा सका, भूमि पर अतिक्रमण बना रहा। कोरापुट में, डिवीजन द्वारा धारित 3,121.15 एकड़ भूमि में से, 50.21 एकड़ पर 25 वर्शों से स्थानीय ग्रामवायिों द्वारा अतिक्रमण था।

एच ए एल ने अन्य संगठनों को पट्टे पर दी गई 552. 41 एकड़ भूमि के संबंध में पट्टा विलेख कार्यान्वित नहीं किया तथा उन 13 मामलों में जहां भूमि बेच दी गई पट्टा कार्यान्वित नहीं किया।

एच ए एल ने अपने चारों और नागरिक अवसंरचना के विकास के संदर्भ में अपने पास उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं की प्रर्याप्त तथा खाली भूमि की उपयुक्त की तुलना में क्रियात्मक दोनों आवश्यकताओं के लए दीर्घावधि विकास योजनाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक भूमि उपयोग नीति नहीं बनाई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

14. एचए ए एल द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश

11 जे वी सी में रु 225.14 करोड़ के कुल निवेश के प्रति, एच ए एल में वर्ष 2013–14 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं में पांच जे वी सी में किए गए रु 49.90 करोड़ की राशि के निवेश के मूल्य में पहले ही कमी का प्रावधान कर लिया है।

एक निर्यातोन्मुख इकाई के रूप में गठित बी ए ई एच ए एल, ने विदेशी व्यापार नीति 2004–09 तथा 2009–14 के उल्लंधन में 2004–05 से 2013–14 की अवधि के दौरान की गई कुल बिक्री के 63 प्रतिशत तक घरेलू बिक्री की।

एच ई टी एल (अर्थात एक जे वी सी) का गठन, हवाई प्रयोग के लिए डी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के विकास और निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के औचित्य, बाजार मांग, जे वी साझीदारों के तकनीकी तथा वित्तीय विवरणी का मूल्यांकन किए बिना जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित है किया गया था। अतः जेवीसी, एव ए एल की निर्णायक योजनाओं के लिए उसे दिए आदेशों को सफलतापूर्वक कार्यानिव्त करने में सक्षम नहीं थी।

एच ए एल बी आई टी, जिसका गठन, हवाई वैज्ञानिकी उत्पादेां तथा प्रणालियों के विपणन, डिजाईनिंग एवं

एकीकरण के लिए किया गया था, को एक समय–बद्ध कार्यक्रम जैसे डेरिन–III कार्यक्रम के लिए हार्डवेयर का विकास सौंपा गया था हालंकि जे वी सी को इस क्षेत्र में पहले कोई अनुभव नहीं था। परिणामतः डेरिन–III कार्यक्रम में जे वी सी द्वारा आपूतियों में विलम्ब हुआ।

रक्षा सेवाओं से कोई पक्की वचनबद्धता प्राप्त किए बिना एच ए टी एस ओ एफ एफ में निवेश के परिणामस्वरूप जे वी सी द्वारा अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए तथा इसके अतिरिक्त वायुयान डाटा लाईसेंस की वास्तविक लागत का पता न लगाने के कारण एच ए एल को रु 10.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आई आर ए एल, जिसका गठन पूर्व यू एस एस आर गणराज्यों को छोड़कर भारत तथा विदेश में वैमानिकी उपकरण की आपूर्ति, परम्मत तथा ओवरहॉल के लिए सेवायें प्रदान करने और वैमानिकी उपकरण तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के उपयोग हेतु तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, केवल व्यापार क्रियाकलापों मे ंलगी रही तथा एच ए एल प्रमुख ग्राहक था।

(पैराग्राफ 4.2)

15. डेनि–III के लिए नियत सपुर्दगी कार्यक्रम के साथ अनुबंध स्वीकार करने के कारण निर्णीत हर्जाने हुए

तैयारी के मानदंड (एस ओ पी) के इस्तेमाल के बिना नियत सुपुर्दगीकार्यक्रम की स्वीकृति तथा परिवर्तन आदेशा के माध्यम से कार्य न किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक रु 7.19 करोड़ का निर्णीत हर्जाना हुआ तथा अनुबंध के आगे बढ़ने के साथ एच ए एल को अतिरिक्त हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है। एच ए एल का यह निर्णय इसकी वित्तीय आवश्यकताओं के विरुद्ध था।

(पैराग्राफ 4.3)

प्रमुख लेखा परीक्षा जोंच का सारांश–2015 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (नौसेना एवं तटरक्षक) प्रतिवेदन सं. 37 में 08 दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत की गई।

- ईकेएम पनडुब्बी की मध्यम राफिट (एम आर) 2001 में शुरु की जानी थी, परन्तु जनवरी 2006 से शुरु की गई थी, जिस समय एक पनडुब्बी की भौतिक की भौतिक स्थिति में अत्यधिक क्षति देखी गई। एमआर जनवरी 2009 तक पूरी की जानी निर्धारित थी, तथापि, यार्ड द्वारा तैनात मानवशक्ति में कमी, मुख्य लाईन केवलों के बचाव के अभाव, यार्ड सामग्री की विलम्बित आपूर्ति तथा उपकरण के आधुनिकीकरण के कारण, पनडुब्बी पोत निर्माण बाड़े द्वारा नौसेना को जून 2015 में डिलीवर की गई थी, जबकि उसके समुद्री स्वीकार्यता परीक्षण होने थे। परिणामतः नौसेना जून 2004 से अपना एक घातक प्लेटफार्म चालू नहीं कर पाई।

(पैराग्राफ 2.1)

- नौसेना ने एक मान्यता पर केडेट प्रशिक्षण पोत के रूप में भातीय नौसेना पोत (आईएनएस) सुजाता के परिवर्तन हेतु मैसर्स डब्ल्यूआईएसएल, मुम्बई की अप्रार्थित बोलियां स्वीकार की (फरवरी 2009) कि वह मैमर्स एबीजी, गुजरात (एक अन्य पोत निर्माण बाड़ा) की एक विलय की गई इकाई थी जिसे प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, रक्षा खरीद मैनुअल में अप्रार्थित बोली पर विचार करने के प्रावधानों के बावजूद मैसर्स डब्ल्यूआईएसएल की बोली को रद्द करने तथा आरएफपी पुनः जारी करने (जनवरी 2010) के कारण अनुबंध करने में 18 महीने का विलम्ब हुआ तथा रु 20.80 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

- भारतीय नौसेना द्वारा पिछले दशक के दौरान सी हैरियर विमान की धारिता में आई कमी के साथ–साथ रोलर स्टील की खरीदी जाने वाली संख्या को वर्तमान प्रणाली संचालित समीक्षा कार्यक्रम के अनुसरण के अनुसार निर्धारित न कर पाने से, रोलर स्टील की अधिक खरीद हुई तथा रु 2.54 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2015 तक विमान बेड़े को सेवा से हटाए जाने के संभावित कार्यक्रम के कारण, स्टॉक में पड़ी हुई अधिक मात्रा में खरीदी हुई रोलर स्टील के उपयोग की संभावना नहीं है।

(पैराग्राफ 3.2)

- सामग्री संगहन, मुम्बई ने मालिकाना मद प्रमाणपत्र के आधार पर एक विदेशी फर्म से अतिरिक्त पुजें खरीदे हालांकि वे पुर्जे देश में भी काफी कम लागत पर उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप रु 2.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

- प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने से पूर्व अपेक्षा के समेकन में नौसेना द्वारा समुचित श्रम के अभाव के कारण आठ महीने के अन्दर एक ही प्रकार के उपकरण के लिए दो पृथक आरएफपीज जारी हुई। इसके अतिरिक्त, इससे आरएफपी में शामिल स्वीकार्य शर्त की प्रावधान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वही मद उसी फर्म से काफी ऊची दरों पर खीदी गई और इस प्रकार रु 1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

- कानूनी सलाहकार (रक्षा) की सलाह लेने के लिए इंजीनियर–इन–चीफ शाखा द्वारा पंच निर्णय लेने में अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप, रु 1.15 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, 2003 में संस्वीकृत एक परियोजना, परियोजना लागत में 42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी सुस्त पड़ी हुई है।

(पैराग्राफ 3.7)

- सामग्री संगठन, मुम्बई (एमओ (एमबी)) ने 14 टैकोमीटरों की खरीद के लिए मई 2009 में उस लागत पर एक अनुबंध किया जो 24 टैकोमीटरों की खरीद के लिए सिर्फ दो महीने पहले मार्च 2009 में, किए गए एक अन्य अनुबंध के पिछले क्रय मूल्य से लगभग 15 गुणा अधिक था, जिसके परिणामस्स्रूप रु 76.44 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, रक्षा खरीद मेनुअल के सकल उल्लंघन में, एमओ (एमबी) ने मांग का आकलन किए बिना टैकोमीटरों की खरीद के लिए मांग की जिसके कारण रु 85.74 लाख मूल्य के 23 टैकोमीटर पिछले चार वर्षो से बिना मांग के ही भण्डार में पड़े रहे।

(पैराग्राफ 3.8)

- वर्तमान 13 आईपीवीज के समय पर प्रतिस्थापन हेतु नामांकन आधार पर तटरक्षक के लिए इनशोर गश्ती पोतों (आईपीवीज) की प्रापित प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण लाभदायक नही हुई। परिणामतः दिसम्बर 2008 तथा जुलाई 2013 के बीच बन्द हुए 13 आईपीवीज में से आठ का 4 से 60 महीने के विलम्ब से प्रतिस्थापन किया जा सका, जबकि शेष पांच आईपीवीज का प्रतिस्थापन प्राप्त नहीं हुआ

था, जिसके कारण तटरक्षक की प्रचालनात्मक क्षमता सीमित हुई।

(पैराग्राफ 4.1)

- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से निधियां प्राप्त होने के बावजूद, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एमओडी से आदेशों के अभाव के कारण मशीनरी तथा अवसंरचना की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य शुरु नहीं किया। निधियां, सस्वीकृति की शर्तों के विपरीत सावधि जमाओं में रखी गई थी तथा चल–पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए अस्थाई रूप से विचलित भी की गई थी।

(पैराग्राफ 5.3)

नियंत्रक/महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक सेवा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां उन पैराओं/ ykd fjikVk dk ब्यौरा जिन पर 31.12.205 वर्ष 2015–16 में की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लंबित हैं

क्रम संख्या	वर्ष		उन पैराओं/लोक रिपोर्टों का ब्यौरा जिन 31.12.2015 वर्ष 2015–16 में की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लंबित है।			
		2015–16 (31.12.2015) के दौरान लेखा परीक्षा के पुनरीक्षण के बाद जिन पैराओं/लोक लेखा रिपोर्टों पर एटीएनएस लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई है, उनकी सख्या	उन एटीएन एस की संख्या जो मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को एक बार भी नहीं भेजी गई	लेखा परीक्षा को भेजी गई एटीएनएस की संख्या	उन एटीएनएस की संख्या जो भेजी गई लेकिन अभयुक्तियों के साथ वापस भेज दी गई और लेखा परीक्षा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा है।	उन एटीएनएस की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है लेकिन जो मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई है।
1.	1988-89				1	
2.	1990-91				1	
3.	1996-97				1	
4.	1997-98				1	
5.	2001-02	2			2	1
6.	2002-03					
7.	2003-04	2			1	
8.	2004-05					
9.	2005-06	2				
10.	2006-07	1				
11.	2007-08				3	
12.	2008-09					1
13.	2009-10	1		4	1	
14.	2010-11	2		3	4	1
15.	2011-12	5	1	3	3	
16.	2012-13	8		5	8	
17.	2013-14	11	2	4	8	
18.	2014-15	9	2	9	12	1
19.	2015-16	12	9	24	23	4
	कुल	**55**	**14**	**52**	**69**	**8**

17 डीईओ सर्किलों में वर्ष 2013–14 के लिए भूमि की लेखा परिक्षा रिपोर्ट

(i) 17 डीईओ सर्किलों में 1,65,504 एकड़ रक्षा भूमि का राज्य राजस्व अभिलेखों में म्यूटेशन किया जाना था। पीडी, डीई/डीईओ को सलाह दी गई है कि वे मामले को राज्य सरकारों में उचित स्तर पर उठाएं। रक्षा मंत्रालय/रक्षा संपदा महानिदेशालय को भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी मामले को उठाना चाहिए।

(ii) भूमि के अधिग्रहण/अंतरण के 68 मामलों के संदर्भ में एसीआर नियमावली, 1944 के नियम 10 के तहत एसीआर कारवाई पूरी नहीं की गई थी। मंत्रालय इस कार्यवाही को पूरी करने के लिए या तो नियमावली को उचित रूप से संशोधित करे अथवा सैन्य प्राधिकारियों और एमईएस को स्पष्ट निदेश जारी करें।

(iii) सीएलए नियमावली, 1937 के नियम 13 और एसीआर नियमावली, 1944 के नियम 14 के तहत यथा विनिर्दिष्ट अप्राधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों पर रिपोर्ट के साथ क्लास ए भूमि की योजनाओं और अनुसूचियों में की गई सुधारों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किए जाएं।

(iv) लक्ष्य तारीख के भीतर सर्वे किए गए क्षेत्र के साथ रिकार्डेड क्षेत्र का मिलान हो जाने के पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत करके गायब बांउड्री पिलरों को खड़ा किया जाना चाहिए और एमईएस के जरिए कार्य को निष्पादित किया जाना चाहिए।

(v) डीईओ प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर खत्म हो गए पट्टों के नवीकरण और निर्धारण का कार्य तीव्र करें और समाप्त हो गए 396 पट्टों में बकाया राजस्व यदि कोई हो, की वसूली करे।

(vi) जम्मू छावनी में एक्स–स्टेट फोर्स लैंड का अधिकांश भाग राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के नाम पर नहीं चढ़वाया गया है और इन भूमियों पर कई निर्माण खड़े कर दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि एक कारगर हल निकल सके।

(vii) लगभग 600 एकड़ रक्षा भूमि वाले टाइटल वादों में डीईओ और एलएमए दोनों को यह चाहिए कि सभी दस्तावेजी प्रमाण जुटाएं और भारत सरकार के पक्ष में स्वामित्व (टाइटल) स्थापित करें।

(viii) एल एम ए द्वारा रक्षा भूमि के व्यावसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह सैन्य प्राधिकारीयों को उचित दिशा निर्देश जारी करे और यह सुनिश्चित करने का निदेश दे कि रक्षा भूमि का प्रयोग केवल प्राधिकृत उद्देश्यों के लिए ही की जाए और अर्जित राजस्व भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाए।

(ix) डीईओ कार्यालयों सह आवास की नई बिल्डिंगों के निर्माण के प्रस्तावों को भूमि अभिलेखों की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता है।

(x) जम्मू छावनी में 7 वासीदारी पट्टों के संबंध में प्रस्तावों को सीएलए नियमावली 1937 की अनुसूची VIII में पट्टा मंजूर करने के लिए शीघ्र मंजूर किया जाए।

(xi) लद्दाख क्षेत्र में सेना द्वारा राज्य सरकार की अथवा निजी भूमि पर किए गए कब्जे को अधिग्रहण/मांग अथवा किराए के जरिए शीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।

(xii) डीजीडीई को पट्टे के खत्म हो गए/निर्धारण मामलों को पुनःनवीकरण निर्धारण जो कि मामला हो, के लिए देखना चाहिए।

ट्रोपेक्स – 2015 (गोवा तट पर) के दौरान ''आईएनएस विक्रमादित्य'' का फ्लैगशिप

पृष्ठ आवरणः आईएएफ आईएल–78 द्वारा दो सुखोई–30 एमकेआई में पुनः ईंधन भरते हुए ।

भारतीय वायु सेना